राजभाषा भारती

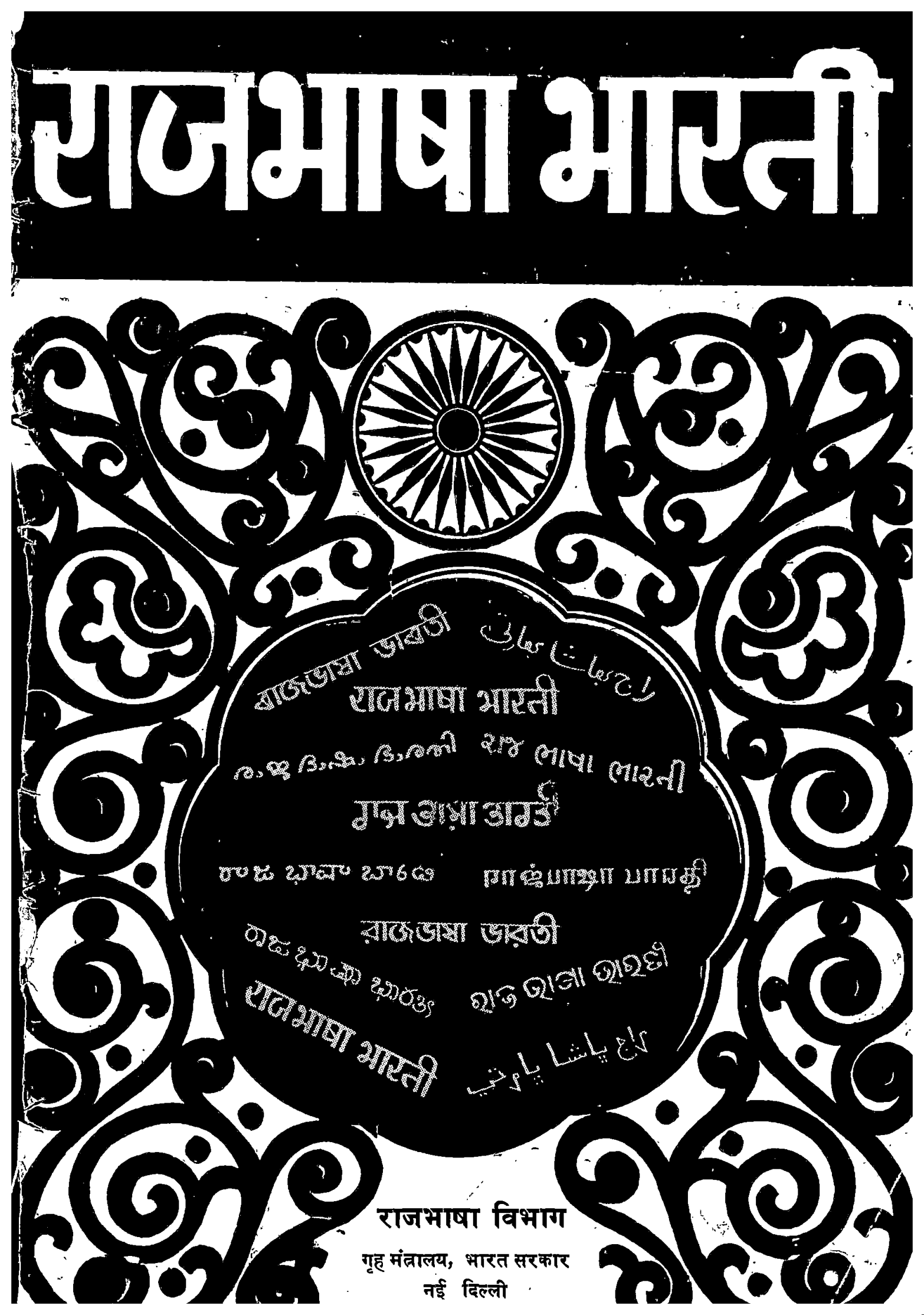

राजभाषा विभाग

गृह मंत्रालय, भारत सरकार

नई दिल्ली

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

अप्रैल–जून 1985

वर्ष 8, अंक 29

विषय सूची

पृष्ठ

कुछ अपनी-कुछ आपकी

1. पेशवा दफ्तर में हिन्दी—हरिशंकर 4
2. विश्वविद्यालय स्तर तर हिन्दी माध्यम का सफल क्रियान्वयन—कृपानारायण 6
3. विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी का उपयोग-समस्या एवं समाधान—एच. एस. सिंह एवं पी. आर. सिंह 10
4. हिन्दी में वैज्ञानिक साहित्य—विश्वंभर प्रसाद गुप्त 14
5. हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने में कार्यपालकों की भूमिका—हरिनाथ वौहरा 19
6. भारतीय भाषाओं में साम्य मूलक आन्दोलन का सूत्रपात—प्रो. विजयेन्द्र स्नातक 22
7. राजभाषा हिन्दी में पारिभाषिक शब्दों का व्यक्तित्व—डा. किशोरी वासवानी 25
8. हिन्दी टाइपलेखन एवं आशुलिपि प्रशिक्षण की आवश्यकता, प्रशिक्षण व्यवस्था और उसके लाभ —देवकीनन्दन बिष्ट 29
9. हिन्दी की पहल कौन करे?—हरिबाबू कंसल 31
10. शब्दों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि—डा. इन्द्रचन्द्र शास्त्री 33
11. लेटर प्रेस (अक्षर संयोजन मुद्रणालय) के क्षतिग्रस्त ठोस ब्लाकों की मरम्मत पर शोध पत्र—जोगिन्दर सिंह 37
12. पुरानी यादें नए परिप्रेक्ष्य में—जवाहर लाल नेहरू 39
13. हिन्दी चली समंदर पार : मारिशस का हिन्दी साहित्य—सोमदत्त बखोरी 42
14. समिति समाचार— 45
    (1) तिरूवंतपुरम, (2) दुर्गापुर, (3) भावनगर, (4) कलकत्ता, (5) दिल्ली, (6) हिसार, (7) अजमेर, (8) कोटा, (9) गोरखपुर, (10) आगरा।
15. राजभाषा हिन्दी के बढ़ते चरण— 58
    (1) खान विभाग में हिन्दी
    (2) हिन्दी प्रयोग में बीकानेर मंडल के बढ़ते चरण
    (3) मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय में हिन्दी
    (4) आगरा, सिंडीकेट बैंक में हिन्दी वर्ष

संपादक :

राजेन्द्र कुशवाहा

उप संपादक :

जयपाल सिंह

पत्र व्यवहार का पता।

संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (प्रथम तल)
खान मार्केट, नई दिल्ली–110003

फोन : 698617/617807

पत्रिका में प्रकाशित लेखों की अभिव्यक्ति से राजभाषा विभाग का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

(निःशुल्क वितरण के लिए)

पृष्ठ

16. हिन्दी कार्यशालाएं— 64

(1) मद्रास (पोर्ट ट्रस्ट)
(2) रांची
(3) नई दिल्ली
  (1) संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली
  (2) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ, इंडिया, नई दिल्ली
  (3) सिंडीकेट बैंक नई दिल्ली
  (4) केनरा बैंक, नई दिल्ली
  (5) निरीक्षण निदेशालय, नई दिल्ली
  (6) आकाशवाणी एवं दूरदर्शन, नई दिल्ली
(4) जयपुर, विजया बैंक, जयपुर
(5) लखनऊ, प्रत्यक्ष कर प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।
(6) देहरादून, आयकर विभाग, देहरादून।

17. हिन्दी दिवस/सप्ताह 70

(1) आन्ध्रप्रदेश रेलमंडल वालतरु (आन्ध्रप्रदेश)
(2) हैदराबाद
  (1) डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद
  (2) महाप्रबन्धक टेलीफोन्स, हैदराबाद
  (3) दक्षिण मध्य रेलवे मंडल, हैदराबाद
(3) राची, लेखापरीक्षा बोर्ड, रांची
(4) बंगलौर, पहिया एवं धुरा कारखाना, रांची
(5) हुबली, दक्षिण मध्य रेल मंडल
(6) धनबाद, खान सुरक्षा निदेशालय, धनबाद

18. विविधा— 77

(1) वैमानिकीय विकास संस्थान बंगलौर में अखिल भारतीय राजभाषा संगोष्ठी
(2) हिन्दी विद्यापीठ बम्बई में गोष्ठी
(3) दूरदर्शन केन्द्र बम्बई में हिन्दी संगोष्ठी एवं लघु प्रदर्शनी
(4) राष्ट्रीय परीक्षण गृह कलकत्ता द्वारा पुरस्कार वितरण
(5) जिंक स्मेल्टर देवारी में कवि सम्मेलन
(6) बरौनी में राजभाषा शिविर एवं राष्ट्रकवि "दिनकर" स्मृति समारोह
(7) हिन्दुस्तान जिंक लि. उदयपुर में राजभाषा गोष्ठी
(8) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा प्रकाशित कोशों का विमोचन समारोह
(9) हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि. दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यालय में पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र वितरण समारोह
(10) हिन्दी अकादमी दिल्ली द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन
(11) हिन्दी अकादमी दिल्ली द्वारा साहित्य कृतियों पर पुरस्कार
(12) महासागर विकास विभाग दिल्ली में पुरस्कार वितरण
(13) महासर्वेक्षण कार्यालय देहरादून में वार्षिक हिन्दी समारोह
(14) एलिम्को कानपुर को राजभाषा शील्ड
(15) लघु उद्योग संस्थान इलाहाबाद में हिन्दी संगोष्ठी

19. आदेश-अनुदेश 89

(1) भारत सरकार केन्द्रीय हिन्दी समिति का पुनर्गठन संकल्प—1/20017/1/85- रा. भा. दिनांक 27 जून, 1985
(2) दिल्ली के बाहर के केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में हि. शि. यो. के अधिकारियों को आमंत्रित करना।

कुछ अपनी

राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग आज से नहीं बल्कि सदियों से होता आ रहा है। मोहम्मद गजनवी ने जो सिक्के लाहौर में ढलवाए थे उनके एक ओर देवनागरी लिपि में लिखा गया था "अव्यम्यं एकं, मुहम्मद अवतार, नृपति महमूद"। मुगलकाल में महल स्तर पर जो आजकल की तहसील स्तर के लगभग बराबर था राजाज्ञाएं हिन्दी में प्रचारित की जाती थीं। शाही फरमान जनता के बीच हिन्दी में ही बोलकर सुनाए जाते थे। पेशवा के समय में हिन्दी उनकी राजकाज की भाषा थी। पुणे स्थित पेशवा दफ्तर में रखे कागजात इस बात के साक्षी हैं कि उस समय दैनिक राजकाज में देवनगरी लिपि में हिन्दी का प्रयोग प्रचलित था। हां, यह बात और है कि वह हिन्दी आज की हमारी मानक हिन्दी से बहुत भिन्न थी। समय के अन्तराल के कारण यह स्वाभाविक भी है। इस अंक में बम्बई में हिन्दी के प्रचार और प्रसार में लगे श्री हरिशंकर जी ने अपने लेख "पेशवा दफ्तर" में बड़े शोधपूर्ण ढंग से यह तथ्य प्रस्तुत किया है। मध्यकाल में राजकाज की भाषा हिन्दी एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसकी ओर हम आशा करते हैं कि इस लेख से प्रेरणा लकर शोधकर्ताओं का ध्यान इस दिशा में जाएगा।

महात्मा गांधी ने कहा था "पुणे के प्रोफेसरों से मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि अंग्रेजी माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने में हर भारतीय व्यक्ति को अपनी जिंदगी के बहुमूल्य वर्षों से कम से कम छः वर्ष अधिक नष्ट करने पड़ते हैं। स्कूलों, कालेजों से निकलने वाले व्यक्तियों की संख्या में इस छः का गुणा कीजिए और फिर देखिए कि राष्ट्र के कितने हजार वर्ष बर्बाद हुए। "स्पष्ट है कि शिक्षा में भाषा का माध्यम कितना महत्व-पूर्ण है। राजभाषा विभाग के भूतपूर्व सचिव एवं हिन्दी सलाहकार श्री कृपानारायण जी ने अपने लेख "विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी माध्यम का सफल क्रियान्वयन" में बड़े स्पष्ट तौर पर यह सिद्ध किया है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी बड़ी सफलतापूर्वक हो सकती है और हुई है।

इस अंक में हम एच. एस. सिंह और श्री पी. आर. सिंह द्वारा प्रस्तुत किए गए लेख "विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी का उपयोग-समस्या एवं समाधान" दे रहे हैं लेखक द्वय ने अपने विषय का शोधात्मक प्रणाली में प्रतिपादन किया है। आशा है कि यह लेख पाठकों को विचार और चिन्तन के लिए प्रर्याप्त सामग्री प्रदान करेगा।

प्रायः यह कहा जाता है कि हिन्दी में वैज्ञानिक साहित्य नहीं है और हिन्दी में अभी वैज्ञानिक साहित्य प्रस्तुत करने की क्षमता भी नहीं आई है, इस भ्रम का संभवतः निवारण कर सकेगा श्री विश्वंभर प्रसाद गुप्त का "हिन्दी में वैज्ञानिक साहित्य" लेख। वैसे इस विषय पर इससे पूर्व भी राजभाषा भारती में अनेक लेख हम प्रकाशित कर चुके हैं किन्तु प्रस्तुत लेख एक चार्टर्ड इंजीनियर की लेखनी से लिखा हुआ है और उनके स्वयं के अनुभवों पर आधारित है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने में कार्यपालकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी विषय पर श्री हरिनाथ चौहरा ने अपने लेख "हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने में कार्यपालकों की भूमिका" में विशलेषण किया है।

इस अंक में हम हिन्दी साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार प्रो. विजयेन्द्र स्नातक के विचार उनके लेख "भारत की भाषा समस्या का समाधान-भारतीय भाषाओं में साम्य मूलक आन्दोलन का सूत्रपात" में दे रहे हैं। आशा है कि पाठकों को इस समस्या पर विचार के लिए पर्याप्त सामग्री मिलगी।

डा. किशोरी वासवानी ने तुलनात्मक और एतिहासिक भाषा विज्ञान के आधार पर "राजभाषा हिन्दी में पारिभाषिक शब्दों का व्यक्तित्व" लेख प्रस्तुत किया है। यह लेख अपने प्रकार का अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, ऐसी हमें आशा है। इस दिशा में अभी और बहुत कुछ किया जा सकता है।

श्री देवकीनन्दन बिष्ट जो कि टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण योजना में सहायक निदेशक हैं का लेख "हिन्दी टाइप लेखन एवं आशुलिपि प्रशिक्षण की आवश्यकता, प्रशिक्षण व्यवस्था और उसके लाभ" तथा राजभाषा विभाग के भूतपूर्व उप सचिव श्री हरि बाबू कंसल का लेख "हिन्दी की पहल कौन करे" और डा. इन्द्रचन्द्र शास्त्री का लेख "शब्दों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि" भी बहुत उपयोगी हैं।

तकनीकी विषयों पर शोधपत्र प्रायः हिन्दी में प्रस्तुत नहीं किए जाते। कहा यह जाता है कि तकनीकी विषयों पर हिन्दी में शोधपत्र प्रस्तुत करना संभव नहीं। इस भ्रम का निवारण करने के लिए हम अहिन्दी भाषी श्री जोगिन्दर सिंह द्वारा हिन्दी में प्रस्तुत किए गए शोध पत्र को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर रहे हैं वैसे प्रोद्योगिकी जैसे तकनीकी विषय पर शोध प्रबंध प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

राजभाषा भारती के लोकप्रिय स्थाई स्तंभ "पुरानी यादें नए परि-प्रेक्षय में" के अन्तर्गत हम इस बार अगस्त 1935 में "शब्दों का अर्थ शीर्षक से लिखे गए विचारोत्तेजक लेख प्रस्तुत कर रहे हैं। इस लेख में स्वर्गीय जबाहर लाल नेहरू ने जो मुद्दा उठाया था वह आज भी विचारणीय है।

राजभाषा भारती के पिछले अंक से हमने एक ओर स्थाई स्तंभ प्रारंभ किया है "हिन्दी चली समन्दर पार"। इस स्थाई स्तंभ के अन्तगत पिछले अंक में हमने आपको सूरीनाम में हिन्दी की स्थिति से परिचित कराया। इस अंक में अब हम प्रस्तुत कर रहे हैं मारीशस निवासी बैरिस्टर सोमदत्त बाखोरी द्वारा 1976 में मारीशस में आयोजित द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर लिखा गया लख "मारीशस का हिन्दी साहित्य"।

राजभाषा भारती के स्थाई स्तंभ "समिति समाचार", "राजभाषा हिन्दी के बढ़ते चरण", "हिन्दी कार्यशालाएं", "हिन्दी दिवस/सप्ताह" और "विविधा" भी पूर्ववत दिए जा रहे हैं। अन्त में केन्द्रीय हिन्दी समिति के पुनर्गठन का संकल्प तथा दिल्ली के बाहर के केन्द्रीय सरकार के कार्या-लयों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में हिन्दी शिक्षण योजना के अधिकारियों को आमंत्रित करने के संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश व अनुदेश दिए जा रहे हैं।

हमें खेद है कि राजभाषा भारती आपको समय पर नहीं मिल पा रही है। यह हमारी विवशता है। हम अपनी विवशता को दूर करने के प्रयास में लगे हैं और आशा करते हैं कि निकट भविष्य में राजभाषा भारती समय पर आपके पास पहुंचने लगेगी।

इस अंक के विषय में पाठकों की सम्मति और सुझाव आमंत्रित हैं।

कुछ आपकी

"आपके द्वारा प्रेषित राजभाषा भारती का अंक 26 प्राप्त हुआ, जिसमें आपने मेरे लेख को प्रकाशित किया है—इसके हेतु धन्यवाद। राजभाषा भारती काफी अच्छा निकल रहा है और इसमें प्रकाशित सामग्री हिन्दी को राजभाषा के पद पर शीघ्रातिशीघ्र प्रतिष्ठित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। कृपया इसी प्रकार का प्रयत्न जारी रखें।

—डा. नटवर दवे

☐☐☐ वैज्ञानिक, रुड़की

"राजभाषा भारती का 26वां अंक प्राप्त हुआ। उपर्युक्त पत्रिका में प्रकाशित किए गए राजभाषा हिन्दी के बढ़ते चरण "समिति समाचार" और "राजभाषा का स्वरूप एवं विकास" शीर्षकस्थ लेख भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों में सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के क्रम में हिन्दी के व्यापक प्रचार, प्रसार और बढ़ते हुए प्रयोग से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों की स्वस्थ जानकारी सुलभ करवाते हुए बहुत उपयोगी बन पड़े हैं। इन लेखों में सन्निहित जानकारी बहुत से ऐसे कार्यालयों के लिए प्रेरणास्रोत है, जहां अभी तक राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में यथेष्ट प्रगति नहीं हुई है।

"हिन्दी की वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में प्रगति अनुवाद-प्रविधि के दौरान भाषिक समन्वय", "तकनीकी हिन्दी का विकास, एक रूपरेखा" और "विज्ञान प्रौद्योगिकी की वाहिका हिन्दी—कुछ प्रयोग और अनुभव" शीर्षकस्थ लेख हिन्दी के विकसित स्वरूप को उद्घटित करते हुए उपयोगी जानकारी के संवाहक सिद्ध हुए हैं। "पुरानी यादें नये परिप्रेक्ष्य में" लेख के माध्यम से हिन्दी के लोक-रंजक स्वरूप को उभारते हुए उसे जनभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के क्रम में हम से समन्वय परक दृष्टिकोण अपनाने की अपेक्षा सर्वथा उपयुक्त है। वस्तुतः व्यावहारिक हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रचार और प्रयोग से ही हिन्दी जनभाषा के रूप में प्रतिष्ठित की जा सकेगी।

इस प्रकार "राजभाषा भारती" राजभाषा हिन्दी को उत्तरोत्तर गौरवान्वित करने में जुटी है, यह बहुत सुखद बात है।

☐☐☐ मू. अ. अन्सारी

सहायक नमक आयुक्त (प्रशासन)

"राजभाषा भारती के अंक 26 को मुझे आद्योपान्त पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पत्रिका को पढ़ कर असीमित प्रसन्नता का अनुभव हुआ। हिन्दी भाषा के सर्वतोमुखी विकास को एक दृष्टि में प्रस्तुत करने हेतु पत्रिका के रूप में किया गया यह अभूतपूर्व एवं अत्यन्त सराहनीय प्रयास है। इस पत्रिका का अध्ययन करने पर सहज ही यह आभास होता है कि हिन्दी राजभाषा के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में विकास के पथ पर कितनी आगे पहुंच चुकी है। आशा करता हूं कि यदि राजभाषा विभाग का यह प्रयास इसी लगन एवं परिश्रम के साथ जारी रहा तो हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा के साथ-2 अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बनने में भी समर्थ हो सकेगी।

कृपाल सिंह

हिन्दी अधिकारी

सहायक भविष्य निधि आयुक्त

☐☐☐ 35, धर्म सिंह मार्किट, अमृतसर

"राजभाषा भारती" का 26वां अंक मिला। राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए पत्रिका महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई। पत्रिका में छपे सभी लेख काफी महत्वपूर्ण, उपयोगी, ज्ञानवर्धक एवं स्तरीय लगे।

डा. कैलाशचन्द्र भाटिया की लेखमाला "राजभाषा का स्वरूप और विकास" राजभाषा अधिकारियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वास्तव में, विविध विषयक पत्रिका होने के फलस्वरूप यह हिन्दी के क्षेत्र-विस्तार को सही तौर पर दर्शाती है। पत्रिका में अहिन्दी-भाषी लेखकों को स्थान देकर आपने वास्तव में स्तुत्य कार्य किया है।

आपसे अनुरोध है कि पत्रिका के वितरण में दक्षिण भारत में स्थित कार्यालयों को प्राथमिकता दिया करें। हमने पाया है कि यहां अहिन्दी भाषी कर्मचारी इसे रूचि से पढ़ते हैं तथा पत्रिका में प्रकाशित हिन्दी से सम्बन्धित अनेक जानकारियों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं।

पत्रिका की सफलता की कामना करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि वास्तव में पत्रिका अपनी उत्कृष्ट सामग्री के कारण सुरक्षित रखने की वस्तु बन पड़ी है।

डा. बी. बी. कुचरू

प्रभारी अधिकारी—रा. भा. कक्ष

☐☐☐ सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, हैदराबाद, अंचल

दीर्घ अन्तराल के बाद 26वें अंक के रूप में "राजभाषा भारती" के दर्शन हुए। ऐसा संदेह था कि शायद राजभाषा भारती का प्रकाशन बन्द कर दिया गया है। लेकिन इस अंक की प्रति ने संदेह का निवारण कर दिया। तदर्थ यह विभाग महालेखाकार कार्यालय, जयपुर एवं आपके प्रति हार्दिक आभारी है।

राजभाषा भारती निःसंदेह राजभाषा हिन्दी के क्षेत्र में राजभाषा कर्मचारी बन्धुओं की अपनी पत्रिका है, जिससे हिन्दी सेवियों का आत्मिक सम्बन्ध है। पत्रिका जब नहीं मिलती है तो एक निराशा सी अन्तरतम में व्याप्त हो जाती है।

पत्रिका का आद्योपान्त तो नहीं पढ़ पाया हूं। किन्तु कुछ का अवगाहन किया है, वह श्रद्धास्पद एवं प्रेरणादायक है। विशेष कर "पुरानी यादें नये परिप्रेक्ष्य" शीर्षक के अन्तर्गत श्री देवकीनन्दन खत्री का लेख

ए वं स्वनामधन्य स्व. मदन मोहन मालवीय द्वारा गांधी जी को भेजा गया पत्र, श्री नारायण चतुर्वेदी के मनोरंजक संस्मरण से "शब्द एक अर्थ अनेक" स्व. श्री जग्गी लाल सिंघल का "ऑब्जर्वेशन सर्किट पर हिन्दी मनीषी" आदि लेख अत्यन्त रुचिप्रद हैं। पत्रिका में रुचि जागृह रहना आवश्यक है।

"कुछ अपनी" शीर्षक के अंतर्गत सम्पादक द्वारा "तकनीकी" शब्द के संबंध में की गई टिप्पणी से मैं सहमत हूं। वस्तुतः भाषा के मामले में तकनीकी, गैर-तकनीकी प्रश्न बेमानी है। यह प्रश्न हिन्दी विरोधी है। इसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। उन लोगों को जो किसी विषय-विशेष के विषय में तकनीकी कह कर हिन्दी प्रयोग को नकार देते हैं, यह कहा जाए कि उस विषय विशेष को वे देवनागरी लिपि में लिखें या प्रस्तुत करें। देवनागरी लिपि तो तकनीकी विषय क्षेत्र में कोई बाधा नहीं है। हमारा अपना कार्यालय तकनीकी क्षत्र में आता है लेकिन इस कार्यालय को हिन्दी प्रयोग में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग हिन्दी के मूल ढांचे को यथावत् रखते हुए अंग्रेजी शब्दों का देवनागरी लिपि मे बेहिचक प्रयोग करते हैं। इससे हमारी शब्द संपदा में भी वृद्धि हुई है साथ ही हिन्दी प्रयोग में लाभदायक परिणाम सामने आये हैं।

महेश प्रसाद शर्मा
हिन्दी अधिकारी,
☐☐☐ कृते निदेशक

"राजभाषा भारती" के 26 वें अंक की प्रतियां प्राप्त हुई हैं। धन्यवाद। "राजभाषा भारती" पत्रिका उक्त अंक काफी रोचक एवं हिन्दी प्रगति में लाभप्रद है। इस पत्रिका के माध्यम से अन्य विभागों में हिन्दी में काम करने की प्रगति की सूचना प्राप्त हुई है। इससे स्पर्धा की भावना जागृत होती है कि हम लोग भी हिन्दी में अधिक से अधिक कार्य करें।

एम. एल. सरीन
आयकर अधिकारी (मु.) सी. आई. बी.
एवं हिन्दी अधिकारी (अति. कार्यभार)
☐☐☐ कृते आयकर आयुक्त, इलाहाबाद

"राजभाषा-भारती" का जुलाई-सितम्बर 1984 का 26वां अंक सधन्यवाद प्राप्त हुआ। पत्रिका अनेक उच्च कोटि के विद्वानों के विचारों से संजोयी गयी है। विशेष-रूप से डा एन. ई. विश्वानथ अय्यर जी ने "अनुवाद-प्रविधि के दौरान भाषिक समन्वय" के विभिन्न स्तरों की जानकारी प्रस्तुत की है। स्थायी स्तंभ "समिति समाचार" "राजभाषा के बढ़ते चरण" एवं "विविधा" में समाविष्ट सामग्री में इस बात का बोध कराया गया है कि सभी विभाग स्वेच्छा से हिन्दी के रूप को निखारने में लगे हुए हैं। अहिन्दी भाषी राज्यों के कार्यालयों द्वारा निष्पादित कार्यों के ब्यौरों को प्रकाशित करने से उस क्षेत्र में हिन्दी के प्रसार की अधिक संभावनाएं हैं।"

रा. ना. निखर
हिन्दी अधिकारी,
आयकर आयुक्त कार्यालय,
☐☐☐ विदर्भ, नागपुर

"राजभाषा-भारती" के अंक 26 की एक प्रति प्राप्त हुई। पत्रिका का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। यह बड़ी लाभप्रद तथा उपयोगी पत्रिका है। डा. ओम विकास का "तकनीकी हिन्दी का विकास : एक रूपरेखा" लेख बहुत हीं ज्ञानवर्धक और शोधपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है। भाव विभषित, ज्ञान निरूपित, विज्ञजनों की जिज्ञासा-पूर्ति का इतना सहज सुलभ सबल एक संयोग ही कहा जाएगा। इसका प्रत्येक अंक हिन्दी वांगमय की अमूल्य निधि है। यह कहना अन्यथा नहीं होगा कि यह पत्रिका हिन्दी जगत को एक नई ज्योति, नई विचार-शक्ति और नई दृष्टि देने में पूर्णरूपेण सक्षम है। "राजभाषा भारती" के सम्पादक मण्डल को मेरी तथा मेरे सम्पूर्ण अनुभाग की शुभ कामनाएं।"

राकेश शर्मा
हिन्दी अधिकारी
कृते क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त,
☐☐☐ दिल्ली/नई दिल्ली

"राजभाषा-भारती" के 26वें अंक की प्रतियां प्राप्त हुई। पत्रिका के इस अंक में तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में हिन्दी के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए पर्याप्त सुझावों सहित राजभाषा हिन्दी के तकनीकी पक्ष को स्पष्ट करने के लिए यथेष्ठ सामग्री प्रकाशित की गई है जो निःसंदेह इन क्षेत्रों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी।

ए. के. मत्रा
वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन)

पेशवा दफ्तर में हिन्दी

--हरिशंकर

(महाराष्ट्र और विशेष रूप से बम्बई में निःस्वार्थ भाव से हिन्दी के प्रचार और प्रसार में लगे लोगों में श्री हरिशंकर जी अग्रणीय हैं। श्री हरिशंकर जी हिन्दी के मात्र प्रचारक ही नहीं वरन् एक सुविख्यात लेखक और शोधकर्ता भी हैं। श्री हरिशंकर जी के इस पक्ष की पेशवा दफ्तर में रखे हिन्दी के पत्र पुष्टि करते हैं। श्री हरिशंकर का यह शोधपूर्ण लेख राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रचीन प्रयोग का परिचय देगा।)

महाराजा शिवाजी द्वारा मराठा राज्य की स्थापना के समय से ही उनके दफ्तर में मुख्य रूप से मराठी का प्रयोग होता रहा, परन्तु मुगल बादशाह तथा अन्य समकालीन राजाओं, नवाबों के साथ फारसी, हिन्दी, गुजराती आदि का प्रयोग भी होता था। यही परंपरा पेशवा दफ्तर में जारी रही।

महाराजा शिवाजी के दफ्तर के कागज-पत्र अधिक संख्या में सुरक्षित नहीं रह सके, परन्तु अंग्रजों के शासनकाल में पेशवा दफ्तर के उपलब्ध काफी कागज-पत्रों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया और तत्कालीन बम्बई प्रसीडेंसी शासन द्वारा सन् 1933 में प्रकाशित "हैंडबुक टू दि रेकार्डस इन दी एलियनेशन आफिस पूना" में पेशवा दफ्तर के संरक्षित विभिन्न भाषाओं में लिखे गए पुरालेखों की जानकारी दी गई है। उसमें मराठी, अंग्रेजी, फारसी और गुजराती का उल्लेख है। परन्तु हिन्दी या उस समय हिन्दी की विभिन्न बोलियों में लिखे गए, पुरालेखों का कोई जिक्र नहीं है। शायद इसका कारण यह हो कि देवनागरी में लिखे गए वे पत्र ओडी लिपि में लिखे गए मराठी पत्रों के साथ प्राप्त हुए हों और लिपि संबंधी कोई विशेष कठिनाई न होने के कारण उन्हें मराठी कागज पत्रों के साथ ही रखा गया हो और पेशवा दफ्तर में कोई अलग हिन्दी विभाग स्थापित न रहा हो।

पेशवा दफ्तर में सुरक्षित हिन्दी पुरालेखों के विषय में अधिक जानकारी पहली बार डा. काशीनाथ शंकर केलकर के शोध-ग्रंथ "18वीं सदी के हिन्दी पत्र" में प्रकाशित 90 पत्रों से मिली। इसके बाद "महाराष्ट्र राज्य पुरालेख संग्राहालय" के प्रयास से पेशवा दफ्तर से प्राप्त सारे हिन्दी या उसकी विभिन्न बोलियों में लिखें गए पुरालेखों का वर्गीकरण करके सन् 1979 में "हिन्दी साधनें" नामक एक संकलन प्रकाशित किया गया, जिसमें लगभग दो सौ पत्र संकलित हैं।

उपरोक्त संकलन में प्रकाशित पत्रों से यह प्रमाणित हो चुका है कि पेशवाओं के समय मराठा राज्य उतर भारत में इंदौर, मालवा, बुंदेलखंड, झांसी से लेकर कालपी और बिठूर तक पहुंच चुका था और उन दिनों वहां के राजाओं, सरदारों, सेनानायकों आदि के पत्र-व्यवहार हिन्दी या स्थानीय बोलियों में हुआ करते थे।

सन् 1720 के लगभग इंदौर और उसके आस-पास के इलाकों पर मराठा शासन हो चुका था। उन्हीं दिनों सरकार मांडु के "दीकठान" परगने की चौथ तय करने के लिए 8 अप्रैल, 1926 को वहां के पटेल और पटवारी को जो आदेश भेजे गए, वह इस प्रकार थे।

संवत 1783 शके 1648 बैशाख व-3
सावरन 15 ई-1726 अप्रैल 8

॥श्री॥
श्री राज्य साहू नरपति हर्ष निधान
बाजीराव बल्लाल प्रधान

आग्यापत्र राज श्री (रिक्त) पडत प्रधान बचनात पटेल तथा पटवारी के रजेवे ढीकढाणे (परगणे) मनकुर सुअे उजैन तुभारे गामनी खडणी होणे की है तुम सिताब मिलपेकु आवणा किस बात को फीकर करो मती तुमारे जीवन माफक खडणी करेगें संवत 1783 ता. 15 साबान"

इसके कुछ समय बाद ही अमझेरा के युद्ध में मराठों की विजय के बाद जबकि एक तरफ दक्षिणी मालवा में मराठों का अधिपत्य हो चुका था, तब अप्रैल, 1929 में पेशवा बाजीराव के हाथों बुंदेलखंड में बंगश की पूर्ण पराजय के बाद पूर्वी मालवा क्षेत्र में भी उनकी पूरी धाक जम गई, जिससे चौथ के अलावा भी अतिरिक्त रकम देने की मांग होने लगी थी, क्योंकि पेशवा बाजीराव का कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा था। रायसेन सरकार के अंतर्गत "शाहपुर" परगने से की गई अतिरिक्त रकम की मांग का एक पत्र इस प्रकार है :-

संवत 1786 शके 1651 कार्तिक सु. 14
कार्तिक सु-14 ई-1729 अक्तूबर 24

॥श्री॥
श्री राज्य साहू नरपति हर्ष निधान
बाजीराव बल्लाल प्रधान

(पत्र के प्रारम्भ की कुछ पंक्तियां फट गई हैं)
"आपर परगणे "शाहपुर" कु श्री कुसाजी पंडतकु भेजे है सो तुम सीवाय खंडी खरचने कु रुपया 1000 येक हजार देना उजूर न करना मीती कातिक सुद 14 संवत 1786 जापिये छः 12 साबान आज्ञा प्रमाण"

एक बार संकट के कठिन समय में पेशवा बाजीराव द्वारा दी गई सैनिक सहायता के बदले छत्रसाल बुंदेला ने अपने राज्य का एक तिहाई भाग पेशवा को दे दिया था। इस प्रकार बुन्देलखंड के इतिहास में

एक नया अध्याय आरंभ हुआ। उन दिनों ओरछा नरेश महाराजा पृथ्वी सिंह ने खण्डणी (चौथ आदि टांच) के रूप में एक लाख रुपया देने का कौलनामा इस प्रकार लिखा था–

संवत 1793 माघ सु. 7 — शके 1688 माघ
सु–सबा सलासीन मया अलफ (1737), सवाल 5 — ई–1737 जनवरी 26

॥श्री राम जू॥

राजा शाहू नरपति हर्ष निधान
बाजीराव बल्लाल मुख्य प्रधान

कौलनामा सरकार श्री (रिक्त) पंडीत मुख्य प्रधानतः जमीदार संस्थान वोडसें सन्न सबा सलासीन मया अलफ श्री राजा प्रीथी सींध इनके तालुके का चुकारा खंडी करार कीये रुपये खंडणी रुपये 100001 येक लाक कीये है सो सरकार में वसूल दीजो समत 1793 माघ सुद 7 जाणिजे छ 5 सवाल"

सन् 1745 में भेलसा जीत लेने के बाद भोपाल राज्य का बंटवारा हो जाने पर दक्षिणपूर्वी मालवा का बहुत सा हिस्सा माराठों के अधिकार में आ गया। इसके बाद झांसी आदि के समूचे क्षेत्र का शासक नारो शंकर बन गया। उन दिनों गढ़ाकोटा के शासक पृथ्वीसिंह ने अपने राज्य की ओर से दी जाने वाली चोथ-मोकाक्ष आदि की रकम तय करने की प्रार्थना करते हुए लिखा है :–

सं. 1802 — शके 1667 पौष सु. 3
पौष सु–3 — ई–1748 दिसंबर 18

॥श्री॥

पं. श्री पंडित रामचंद्रजू येते श्री महाराज कोमार
श्री दीवान प्रथीसिंध जू देव के वांच्चने आप उहांके

समाचार भले चाहिजै इंहाके समाचार भले है आपर चौथिके लाने आगे आपुन कही हती अरु पं. श्री पंडित गोविंदराई पाती लै आये हते सु उनको मुकासौ जागापर बैठावो अरू आगठी हकीकत है हमारी खुस व आयुकौ कार्य इकउ है अरू पौर इन दिननमैं जु हम पर (फटा है) गुजरे है सु जब आपु के पास पोहची है तब कैहै अरू यहां कौ वर उजू है कौं है हमारी खवरि हमेस शखै रहिवी पौष सुदि 3 संवतु मुकाम गढकोटा"

उन्हीं दिनों मराठा अधिकारियों द्वारा सनदों को मान्य किया जाने लगा। इसलिए बहुत से जमींदार और जागीरदार उनसे सनदें लेने को उत्सुक रहते। जैसा कि इस पत्र से मालूम होता है–

संवत 1802 — शके 1667 फागुन सु. 15
फागुन सें15 — ई-1746 फुरवरी 24

॥श्री रामजू॥

राजमान राजश्री श्री दिवान महादेव बाबाजू साहिब ऐते कस्बा पठारीतैं जीमीदार चिमन सिंध वा सुंरतिसिंध जूकेन्य तसलीमकै सलाम वंचनै आगै साहिब के सुख समाचार सदा भले चाहिजै तौ सेवक को परम आनदु होहि हिहा के सामाचार आपु जब भेलसा को लगेते अरू पठारी लई है तब हम आपुसौ मीलेते अस आपु साहिबनै हमारी बडी नीसा करीती अरू हमकौ पहिराऐते अरू श्रीदादाजीसौ हमारी बात धरा दहीती अरु हमारौ तब बा तौकौ ठीकु कहि दयौ तौसु हमारौ ठिकानौ कछु भयौ कुछ न भयो ताकौ अब अरज या है जु हमारी अपु साहिब सनिध करि दीवी तौ हम अपने हकुकौ पहुच्चै अरू ऐ सनाधिकौ हिला करत है अरू सनधि की नकलकौ कागदु लीखौ है ते माफिक आपुकौ हमारी सरम है अरू हमारी बाह आपु साहिबनै पकरी है सु हमारी तो खातरजमा है अरू ऐ जागा पठारी की हकी हकीकति ऐसी है जु जमा तो ईता की खुब है अरू माल के जमा खेरे 27 की 1700 अरू साहिर के सालके 1200 साल हजार तीन की जमा है अरू खरचु सीबंदी के हजार दस बारा सालमैं खरचु होतु है सु भेलसातैं देने परन्तु है ताकौ ऐ बात कौ साहिब हमकौ नालस करते कै तुमनै जागा की हकीकति हमकौ जाहिर न करी सु हमनै स्यामा जासुससौ जाहिर करि है सु आपु साहिब से जाहिर करि है अरू हम तो आपु साहब के चाकर है अरू साहिब हमारे ईसुर है अरू जिहमैं हम पलै अरू पर वहरि होइि सु साहिब कारि हैं–फागुन सु–18 संवत 1802"

सन् 1767 के प्रारम्भ में गोहद के जाट राणा के साथ संधि कर राघोबा दादा सेना सहित दक्षिण को लौट गए थे। अहमदशाह अब्दाली भी पंजाब में होता हुआ अफगानिस्तान लौट रहा था। उस समय अपनी मराठा-विरोधी युद्ध योजना के अनुसार वर्षाऋतु के आरंभ होते ही जवाहर सिंह ने उत्तरी ग्वालियर और बुंदेलखंड क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। कालपी जिले पर उसका अधिकार हो गया। उस समय मराठा संवाददाताओं के कुछ पत्रों में से इस क्षेत्र में जाट सेनाओं की हलचलों का उल्लेख मिलता है–

सं. 1824 — शके 1689 आसाद सु–13
आषाद सु–13 — ई–1767 जुलाई 9

॥ श्री राम जू ॥

राज श्री पंडित राजारामजु ऐतें श्री दीवान दयानतिराई-जू पं. श्री लाला व्रजनाथजु के कांच्चै आपर उहां के समाचार भले चाहिजै इताके समाचार भले हैं आपार पाती आही हकीकति जांनी गाउनि के मामलौ लिखी हती के असीनकौ मने करि देवौ सु इनि गाउनि कौ प्यादे न मठवै ताकौ हकीकति या भांति है के जवाहिरसिंध आयु मेंडि आनु दाखिल भए अरू नदरोली के फौज के सरदारनिकौ कुंचु अैली तरफ मौजे ऐरोखरिकौ होई आयौ है सु हम जु लिखत है सु ऐक सालाह को लिखत है समझौ विचारनौ भली बात है अरू हमारौ अपनौ सबधौ मुकदिमा है कछू वेला हकको हमन (ने) कहि है तातैं हाल तो सब महतिनसौ कहि दैनौ के वेरछां के वोसउ गढिनि के महते कन्ह-रगढ़ जाउ सु इहां आनि कै सजु होट सब पर जाहिर होई जाइ अरू जो कछू और तरह नजरि मै आवै तो अपनै हरकारा पठैकै खबरै मगाइ लेनौ सु सोवे हुसियारीन राखनै आसाढ सुदि 13 सं. 1824

इस प्रकार 18वीं सदी के पेशवा दफ्तरखान में विभिन्न अवसरों पर हिन्दी में लिखे गए सैकड़ों पत्र उपलब्ध हैं। इससे प्रमाणित होता है कि भारतीय प्रशासन में हिन्दी का प्रयोग काफी पहले से होता रहा है।

महाराजा बिल्डिंग
125 गिरगांव रोड
बम्बई-400004.

विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी माध्यम का सफल क्रियान्वयन

—कृपानारायण

(राजभाषा विभाग के भूतपूर्व सचिव और भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे श्री कृपानारायण हिन्दी से सदैव जुड़े रहे और प्रस्तुत लेख इसका प्रतीक है कि वे हिन्दी से अभी भी जुड़े हुए हैं। गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उन कतिपय शिक्षा संस्थानों में से एक है जिन्होंने अपने यहां शिक्षा का माध्यम हिन्दी किया। एक अनुभवी प्रशासक की कलम से प्रस्तुत लेख तकनीकी शिक्षा में हिन्दी के माध्यम की सफलता का जहां परिचायक है वहां औरों के लिए प्रेरणादायी भी है। श्री कृपानारायण जी की यह "अनेक हिन्दी-सेवी संस्थाओं की विभिन्न परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के अन्तर्गत हिन्दी के सर्वांगीण विकास की उज्जवल निर्मल धारा अबाध गति से प्रवाहित हो रही है।" —राजभाषा हिन्दी के लिए न केवल प्रोत्साहित करने वाली है बल्कि बड़ी आशाजनक भी है)

विश्व में किसी भी पूर्ण सत्तात्मक स्वतंत्र देश की राजभाषा उसकी अस्मिता का प्रतीक होती है। इसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के विद्वान निर्माताओं ने गहन मनन, चिन्तन एवं विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय किया था कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी भाषा भारतीय गणतंत्र की राजभाषा होगी तथा हिन्दी के विकास, प्रचार एवं प्रसार के लिए समुचित व्यवस्था करना केन्द्रीय शासन का उत्तरदायित्व होगा, जिससे यह भाषा समस्त राजकीय एवं प्रशासनिक क्रिया-कलाप और मानविकी तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के समस्त क्षेत्रों में अद्यतन ज्ञान के पठन-पाठन, सम्भाषण एवं सम्प्रेषण का सशक्त माध्यम बन सके। साथ ही राजभाषा-अधिनियमों द्वारा यह प्रावधान भी किया गया है कि अहिन्दी भाषी प्रदेशों की राजभाषा-सम्बन्धी कठिनाइयों के निवारण हेतु अभी अंग्रेजी को भारत की सह-राजभाषा के रूप में चलाया जाए; किन्तु इस प्रावधान से हिन्दी के विकास पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। अपितु, केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विशेषत: शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय तथा गृह-मंत्रालय, हिन्दी भाषी प्रदेशों की सरकारें, कई विश्वविद्यालयों, तथा अनेक हिन्दी-सेवी संस्थाओं की विभिन्न परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के अन्तर्गत हिन्दी के सर्वांगीण विकास की उज्जवल, निर्मल धारा अबाध गति से प्रवाहित हो रही है।

हिन्दी माध्यम : पन्तनगर की पहल

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे शिक्षा-शास्त्रियों तथा प्रशासकों ने इस बात पर अधिकाधिक बल देना आरम्भ किया कि अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी एवं अन्य प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, क्योंकि किसी भी विषय को विद्यार्थी अपनी मातृ-भाषा में ही अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं तथा अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। यथाक्रम, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने भारतीय भाषाओं को विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा का माध्यम बनाने का निश्चय किया। इसी राष्ट्रीय नीति के अनुसार प्राथमिक पाठशालाओं से माध्यमिक पाठशालाओं तक तथा माध्यमिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक भारतीय भाषाएं मानविकी एवं मूलभूत विज्ञानों तथा कतिपय व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा का माध्यम बनती जा रहीं हैं। हिन्दी भाषी प्रदेशों में माध्यमिक स्तर तक लगभग पूर्णत: और स्नातक स्तर पर अंशत: हिन्दी माध्यम क्रियान्वित हो गया है।

गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर के इस रजत जयन्ती वर्ष (1985) में यह उल्लेख करना प्रसन्नता का विषय है कि यह देश का सर्वप्रथम स्थापित कृषि विश्वविद्यालय है और इसी ने सर्वप्रथम हिन्दी को स्नातक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बनाने की पहल की तथा जुलाई, 1971 से कृषिविज्ञान, पशुचिकित्सा विज्ञान एवं गृहविज्ञान महाविद्यालयों में हिन्दी माध्यम प्रारम्भ कर दिया। इन वैज्ञानिक विषयों में हिन्दी माध्यम लागू करने में सबसे बड़ी समस्या हिन्दी में सम्बन्धित विषयों की पाठ्य पुस्तकों के अभाव की थी। यद्यपि सन् 1968 में वाराणसी में हुए कुलपति-सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं को शीघ्रातिशीघ्र विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम बना दिया जाए, किन्तु पाठ्य-पुस्तक निर्माण के क्षेत्र में तब तक कोई विशेष प्रगति नहीं हुई थी। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने 1968 में ही मानविकी एवं वैज्ञानिक विषयों की 26 विषय-नामिकाएं गठित कर दीं थी और उन विषय-नामिकाओं को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया था कि हिन्दी में अपने-अपने विषय की उपलब्ध मानक पाठ्य-पुस्तकों की समीक्षा करके उपयुक्त पुस्तकों की सूचियां तैयार करें; अनुवाद एवं अनुकूलन के लिए अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं के मानक ग्रन्थों की सूचियां संस्तुत करें, और मौलिक ग्रन्थ लिखने के लिए विषयवार सूचियां बनायें। कृषिविज्ञान की विषय-नामिका के अध्यक्ष, पंतनगर विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति श्री ध्यानपालसिंह थे। तब तक पशुचिकित्सा विज्ञान की विषय-नामिका का गठन नहीं हुआ था, इसलिए पशुचिकित्सा विज्ञान की पुस्तकें भी कृषिविज्ञान की विषय-नामिका के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत ही लगभग 1970 तक रहीं।

विभिन्न विषय-नामिकाओं का गठन तो सन् 1968 में हुआ किन्तु पंतनगर विश्वविद्यालय ने सन् 1966-67 में ही हिन्दी में मानक-ग्रन्थों के अनुवाद की एक योजना तैयार की थी और विश्वविद्यालय के विभिन्न विशेषज्ञों को अनुवाद का कार्य आबंटित किया था। एक वर्ष बाद अर्थात् सन् 1967-68 में उस कार्य की समीक्षा की गई, जिसका निष्कर्ष यह निकला कि यहां के अध्यापकों को अध्यापन, अनुसंधान एवं प्रसार तीनों प्रकार के उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है, इसलिए उन्हें अनुवाद कार्य के लिए समय नहीं मिल पाता। दूसरी बात यह है कि अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षित होने के कारण अधिकांश अध्यापक अनुवाद का कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि

उन्हें अपने विषय का ज्ञान तो होता है, परन्तु हिन्दी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली से वे परिचित नहीं होते और उन्हें हिन्दी में अपने विचार व्यक्त करने में कठिनाई होती है। भारत सरकार एवं संस्कृति मंत्रालय के वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने विभिन्न पारिभाषिक शब्द-संग्रह तैयार करके शब्दावली की समस्या काफी हद तक दूर कर दी थी, परन्तु तब तक पाठ्य पुस्तक निर्माण के कार्य में विशष प्रगति नहीं हुई थी।

विशिष्ट कार्यविधि

उपर्युक्त कठिनाई को दूर करने के लिए पंतनगर विश्वविद्यालय ने अपने ही सीमित साधनों से सन् 1968 में अलग से अनुवाद तथा प्रकाशन निदेशालय की स्थापना की। देश में यह अपनी तरह का सर्वप्रथम एवं एकमात्र निदेशालय है। हिन्दी ग्रन्थ-निर्माण की एक बृहत् योजना तैयार करके विभिन्न विषयों, विशेषतः कृषि, पशुचिकित्सा एवं गृहविज्ञान सम्बन्धी विषयों में, अर्थात् बी.एससी. एजी. एण्ड ए. एच., बी. वी. एससी. एण्ड ए. एच. और बी. एससी. (गृहविज्ञान) के पाठ्यक्रमों के हिन्दी ग्रन्थ-निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया। इस परियोजना के निम्नलिखित पांच मुख्य घटक हैं :

1. मानक पाठ्यपुस्तकों का अनुवाद,
2. भारतीय परिस्थितियों के अनुसार मानक पाठ्यपुस्तकों का अनुकूलन,
3. हिन्दी में मौलिक पाठ्यपुस्तकों का लेखन,
4. संदर्भ ग्रन्थों का अनुवाद एवं अनुकूलन तथा मौलिक लेखन एवं संकलन; और
5. हिन्दी में उपलब्ध उपयुक्त पाठ्यपुस्तकों का संशोधन एवं परिवर्धन।

अनुवाद-कार्यक्रम

यह परियोजना सन् 1968-69 में मानक ग्रन्थों के अनुवाद से प्रारम्भ की गई। पंतनगर विश्वविद्यालय की इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मानक ग्रन्थों का हिन्दी अनुवाद, पूर्णकालिक अनुवादक करते हैं और विषय-वस्तु की शुद्धता एवं पठनीयता की दृष्टि से उच्च स्तरीय गुणवत्ता बनाये रखने के लिए सम्बन्धित विषयों के ऐसे विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाता है जो इन विषयों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर पर पढ़ाते हैं। इस व्यवस्था का एक लाभ यह भी हुआ कि इस कार्य से सम्बन्धित विषय-विशेषज्ञ हिन्दी भाषा एवं शब्दावली से काफी परिचित हो जाते हैं और हिन्दी में इन विषयों को पढ़ाने में उनकी दक्षता एवं कार्यक्षमता बढ़ती है; साथ ही उन्हें हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने की प्रेरणा भी मिलती है।

प्रारम्भिक वर्षों में विभिन्न विषय-नामिकाओं द्वारा संस्तुत मानक-ग्रन्थों तथा पाठ्य-सामग्री का अनुवाद एवं प्रकाशन किया गया और कृषि, पशुचिकित्सा एवं गृहविज्ञान महाविद्यालयों के हिन्दी माध्यम के छात्र-छात्राओं को यथा समय लगभग 150 पाठ्यक्रमों की पाठ्य-सामग्री एवं अनेक अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकों के हिन्दी अनुवाद उपलब्ध कराये गए। कुछ वर्षों बाद अर्थात् लगभग 1974-75 में यह अनुभव किया गया कि हिन्दी माध्यम को सुचारु रूप से चलाने के लिए अंग्रेजी पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद पर्याप्त नहीं है।

अनुवाद में समस्याएं

अनुवाद-कार्यक्रम में अनेक समस्याएं सामन आईं। उच्चस्तरीय वैज्ञानिक पाठ्यपुस्तकों का अनुवाद भाषा, शब्दावली एवं प्रवाह की दृष्टि से प्रायः क्लिष्ट एवं बोझिल हो जाता है। दूसरे, मूल लेखकों/प्रकाशकों से अनुवादाधिकार प्राप्त करने का कार्य यद्यपि भारत सरकार करती है, किन्तु इसमें बहुत कठिनाई होती है। अनुवादाधिकार मिल भी जाते हैं तो जब तक हिन्दी अनुवाद पूरा हो पाता है, तब तक बहुधा नया संस्करण आ जाता है और इस प्रकार परिश्रम, समय एवं धन की अनावश्यक हानि होती है। तीसरी समस्या यह है कि विदेशी पुस्तकों, विशषतः व्यावहारिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषयक पुस्तकों में विषयों का निष्पादन भारतीय परिस्थितियों एवं यहां उपलब्ध सुविधाओं के अनुरूप नहीं होता, जिससे विद्यार्थियों के लिए वे सूचनाएं केवल शैक्षिक अलंकरण मात्र रह जाती हैं और भारतीय संदर्भ में उनकी कोई उपयोगिता प्रतीत नहीं होती।

मौलिक लेखन को प्राथमिकता

कोई भी भाषा अनुवाद के बल पर समृद्ध नहीं हो सकती, इसलिए हिन्दी के समुचित विकास के लिए पाठ्यपुस्तक, सहायक ग्रन्थ, संदर्भ ग्रन्थों, ज्ञान-विज्ञान कोशों और विश्वकोशों का मौलिक निर्माण नितान्त आवश्यक है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भी अब मौलिक लेखन पर ही बल दे रहा है। पन्तनगर विश्वविद्यालय का अनुवाद तथा प्रकाशन निदेशालय, विश्वविद्यालय के हिन्दी जानने वाले विषय-विशेषज्ञों से मौलिक लेखन का कार्य करा रहा है। विगत सोलह वर्षों में इस निदेशालय ने स्नातक स्तर के लगभग 225 पाठ्यक्रमों के लिए 130 पुस्तकों की पाण्डुलिपियां तैयार की हैं, जिनमें से 67 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, 15 पुस्तकें निर्माणाधीन हैं, लगभग 30 पाण्डुलिपियां सम्पादनाधीन हैं; तथा आगे कार्य प्रगति पर है।

मुद्रणालय का आधुनिकीकरण

हिन्दी पाण्डुलिपियों के तैयार होने के बाद उनका यथाशीघ्र मुद्रित एवं प्रकाशित करना भी आवश्यक है। प्रारम्भिक वर्षों में अधिकांश पुस्तकें पंतनगर विश्वविद्यालय, मुद्रणालय में ही मुद्रित हुई, किन्तु मुद्रण के लिए तैयार पाण्डुलिपियों की संख्या अधिक होने के कारण एक मुद्रणालय इनकी छपाई नहीं कर सकता। इसलिए पुस्तकों की छपाई बाहर के विभिन्न मुद्रणालयों में कराई जा रही है। इसमें अनेक कठिनाइयां सामने आती हैं, क्योंकि विभिन्न नगरों से प्रूफ मंगाना और भेजना, कागज पहुंचाना तथा आवश्यकता पड़ने पर मुद्रण में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए सम्पादन विभाग के कर्मचारियों को वहां भेजना कष्टसाध्य होता है। पंतनगर विश्वविद्यालय ने अपने मुद्रणालय के आधुनिकीकरण का सूत्रपात कर दिया है। तथापि, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग को उन विश्वविद्यालयों के मुद्रणालयों के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय अनुदान की व्यवस्था करनी चाहिए, जहां उनके तत्वाधान में हिन्दी ग्रन्थ-निर्माण एवं प्रकाशन का कार्य हो रहा हो, जैसे पंतनगर विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, आदि; जिससे पुस्तकों का मुद्रण अच्छा और अविलम्ब हो सके।

85-M/P(D)373MofHA

रूपांकन-मानकीकरण की आवश्यकता

पाठ्यपुस्तकों में समुचित व्याख्यामूलक चित्रांकन भी अनिवार्य होता है। वैज्ञानिक रेखाचित्र, छायाचित्र, ग्राफ, मानचित्र, सूक्ष्मचित्र आदि सामान्य चित्रों से भिन्न होते हैं और उनके निर्माण में विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ललित चित्रकला, व्यापारिक चित्रकला में प्रशिक्षित चित्रकार एवं छायाकार ही बहुधा वैज्ञानिक चित्रांकन का कार्य करते हैं क्योंकि अभी हमारे देश में वैज्ञानिक चित्रांकन के प्रशिक्षण की सुविधाएं अलग से उपलब्ध नहीं है। अतः वैज्ञानिक चित्रांकन के प्रशिक्षण के लिए विशेष व्यवस्था की जानी आवश्यक है।

विश्वविद्यालय स्तरीय हिन्दी ग्रन्थों का रूपांकन (डिजाइन) भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अभी तक इन ग्रन्थों क रूपांतन एवं प्रस्तुतीकरण का मानकीकरण नहीं हुआ है। भारतीय मानक संस्थान ने पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं के लिए कुछ मानक तैयार तो किए हैं किन्तु विशेषतः विश्वविद्यालय स्तरीय हिन्दी-पाठ्यपुस्तकों के रूपांकन अर्थात् आकार, पृष्ठ क्षेत्रफल, टाइपोग्राफी, मुखपृष्ठ-प्रारूप, आवरण-प्रारूप रंग-विन्यास आदि का मानकीकरण नहीं हुआ है। अतः भारतीय मानक संस्थान को विश्वविद्यालय स्तरीय वैज्ञानिक हिन्दी ग्रन्थों के लिए उपयुक्त मानक निर्धारित करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए।

विक्रयवर्द्धन

हिन्दी में प्रकाशित विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्यपुस्तकों की बिक्री भी बहुत महत्वपूर्ण है। पंतनगर विश्वविद्यालय अपने सीमित साधनों से ही इन पाठ्यपुस्तकों की बिक्री का कार्य करता है। यहां की पुस्तकों की पाठ्य-सामग्री, उत्तर भारत के 6 राज्यों के 15 विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों के आधार पर गठित की जाती है। साथ ही इनमें भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल सूचनाएं तथा अनुसंधान की नवीनतम उपलब्धियों का यथासम्भव समावेश किया जाता है। इसी कारण इन पुस्तकों का उपयोग, पंतनगर के अतिरिक्त देश के अन्य 15 विश्वविद्यालयों के छात्रों द्वारा किया जा रहा है। छात्रों के अतिरिक्त विभिन्न राज्यों के किसान एवं विकास कार्यकर्ता भी इसका उपयोग कर रहे हैं। देश के बाहर विशेषतः नेपाल में भी इन पुस्तकों की लोकप्रियता बढ़ रही है। इसके फलस्वरूप विगत 7 वर्षों में मुद्रित पुस्तकों की 82% से भी अधिक प्रतियों की बिक्री हो चुकी है और अनेक पुस्तकों के दूसरे, तीसरे और चौथे संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं किन्तु यह आवश्यक है कि शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय की "पुस्तक उन्नयन परिषद" (बुक प्रमोशन बोर्ड) इन पुस्तकों के प्रचार, प्रसार एवं विपणन के लिए अपने तत्वाधान में एक केन्द्रीय प्राधिकरण की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार करे, जिससे देश भर में ये पुस्तकें सबको आसानी से हर जगह उपलब्ध हो सकें।

प्रोत्साहन

हिन्दी में मौलिक ग्रन्थ लेखन एवं आवश्यकतानुसार मानक ग्रन्थों के अनुवाद के लिए लेखकों, अनुवादकों, पुनरीक्षकों एवं सम्पादकों को समुचित प्रोत्साहन देना भी नितान्त आवश्यक है। मौलिक लेखन, अनुवाद, पुनरीक्षण तथा सम्पादन के परिश्रमिक की वर्तमान दरें लगभग पन्द्रह वर्ष पूर्व निर्धारित की गई थीं, जो आज के परिप्रेक्ष्य में संशोधित होनी आवश्यक हैं। इसके लिए शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय, गृह-मंत्रालय, विधि-मंत्रालय तथा वित्त-मंत्रालय को यथाशीघ्र प्रभावकारी कदम उठाने पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उच्च शिक्षा संस्थानों में कार्यरत अध्यापकों एवं विषय-विशेषज्ञों को हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु विशेष सुविधाओं, जैसे सह-लेखक के रूप में रिसर्च फैलो आदि की नियुक्ति, विशेष शैक्षिक-अवकाश, पदोन्नति का अवसर, आशुलिपिक की नियुक्ति आदि की व्यवस्था केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्, राज्य शिक्षा विभाग, राज्य कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद्,आदि प्राधिकरणों के माध्यम से की जानी चाहिए। सम्भवतः तभी हमारे अनेक विद्वान विशेषज्ञ हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तरीय ग्रन्थों की रचना की दिशा में सहर्ष आकृष्ट एवं अग्रसर होंगे।

हिन्दी में विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्यपुस्तकों के मूल्य में दिन-प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है, क्योंकि मुद्रण-सामग्री तथा मुद्रण की दरें बहुत बढ़ गई है। अतः इन पुस्तकों का मूल्य कम करने के लिए उसी प्रकार रियायती दर पर कागज उपलब्ध होना चाहिए, जिस प्रकार माध्यमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इस बारे में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

स्नातक-स्तर की पाठ्यपुस्तकों के निर्माण के साथ-साथ अब कृषि-विज्ञान के कुछ विषयों में स्नातकोत्तर स्तर की पाठ्यपुस्तकों के निर्माण का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है। स्नातकोत्तर छात्रों को नवीनतम शोध-सूचनाएं हिन्दी में उपलब्ध कराने की दृष्टि से पंतनगर विश्वविद्यालय एक शोध-पत्रिका प्रकाशित करने की दिशा में गम्भीरता से विचार कर रहा है। यह विश्वविद्यालय पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त किसानों के लिए उपयोगी साहित्य भी प्रकाशित करता है। विगत 15 वर्षों से "किसान-भारती" नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित हो रही है और सन् 1983 से "किसान साहित्य माला" नामक एक नई पुस्तक श्रृंखला प्रारम्भ की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार उनके व्यावहारिक उपयोग की पुस्तकों को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराना है। इस पुस्तक-माला के अन्तर्गत अब तक 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और लगभग 20 पुस्तकें विभिन्न विभिन्न सोपानों पर निर्माणाधीन हैं।

विश्वविद्यालयों में हिन्दी माध्यम को प्रभावकारी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए केवल पाठ्यपुस्तकें ही पर्याप्त नहीं हैं, अपितु छात्रों, शिक्षकों, अनुसंधान-कार्यकर्ताओं, प्रसार-कार्यकर्ताओं, नीति-निर्धारकों, प्रशासकों एंव जनसाधारण के लिए ज्ञान-विज्ञान का सामान्य पठनीय साहित्य भी अनिवार्य है। साथ ही इन समस्त वर्गों के लिए हिन्दी में विभिन्न प्रकार की पत्र-पत्रिकाओं का नियमित प्रकाशन भी अनिवार्य है। सामयिक महत्व के नियतकालिक प्रकाशनों के साथ-साथ स्थायी महत्व के संदर्भ-ग्रंथ, जैसे-ज्ञानकोश, विश्वकोश, परिभाषा-कोश, आदि का लेखन, संकलन एंव प्रकाशन भी अनिवार्य है। यह कार्य केवल भाषाविदों द्वारा सम्पन्न नहीं हो सकता, अपितु, विषय-विशेषज्ञों के सक्रिय योगदान से ही सम्पन्न हो सकता है, क्योंकि

वैज्ञानिक भाषा वास्तव में प्रयोगशाला की भाषा होती है और इसका उद्गम स्वंय वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ता होते हैं। वे ही विज्ञान की भाषा को जन्म दे सकते हैं और इसके प्रचार, प्रसार एवं विकास की दिशा प्रदान कर सकते हैं तभी हिन्दी सही अर्थों में भारत की राजभाषा के पद पर पूर्णत: आसीन हो सकती है।

सारांशत:, हम कह सकते हैं कि हिन्दी एक सक्षम, समर्थ जीवन्त गतिमान एंव सार्वदेशिक भाषा है। इसमें समस्त विषयों की सूक्ष्तम, एवं गहनतम अवधारणाओं और संकल्पनाओं को समग्र अर्थ-वैभव सहित अभिव्यक्त, सम्प्रेषित एवं समाहित करने की शक्ति है। पंतनगर विश्वविद्यालय ने जुलाई, 1971 से स्नातक स्तर पर कृषिविज्ञान, पशुचिकित्सा विज्ञान तथा गृहविज्ञान विषयों में हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाकर, तथा इस माध्यम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विश्वविद्यालय स्तरीय ग्रन्थ निर्माण परियोजना को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार चलाकर, यह सिद्ध कर दिया है, कि हिन्दी-भाषी राज्यों में स्थित सभी विश्वविद्यालय इसका अनुकरण करके सरलतापूर्वक हिन्दी माध्यम क्रियान्वित कर सकते हैं। हिन्दी में इसके लिए अधिकाधिक मौलिक ग्रन्थ लिखे जाएं, केवल नितान्त आवश्यकता होने पर ही अनुवाद का सहारा लिया जाए। मौलिक लेखन एंव अनुवाद आदि के पारिश्रमिक की पुरानी दरों का संशोधन किया जाए और केन्द्रीय एंव राज्य सरकारों द्वारा लेखकों को अनिवार्य सुविधांए देने की व्यवस्था की जाए, जिसस विद्वान लेखकों को प्रोत्साहन मिल और वे अधिकाधिक संख्या में स्वेच्छा से इस अनुष्ठान में योगदान करने के लिए सामने आएं। पुस्तकों के रूपांकन का मानकीकरण तथा चित्रांकन हेतु प्रशिक्षण व्यवस्था के उपाय किए जाएं। पुंस्तकों का मूल्य कम करने के लिए रियायती दरों पर कागज उपलब्ध कराया जाए। विश्व-विद्यालयों के मुद्रणालयों के आधुनिकीकरण हेतु केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा समुचित वित्तीय अनुदान दिया जा ए तथा देश भर में सब जगह आसानी से पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय शासन के तत्वावधान में एक हिन्दी-ग्रन्थ-विपणन प्राधिकरण स्थापित करने के प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार किया जाए। इस प्रकार हम विश्वविद्यालयों में सफलतापूर्वक हिन्दी माध्यम क्रियान्वित कर सकेगें और इक्कीसवीं शताब्दी के प्रथम विहान में प्रवेश के समय तक हमारे विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी का नहीं अपितु हमारी राजभाषा हिन्दी का ही वर्चस्व सुस्थापित होगा।

कुलपति,
गोविन्द बल्लभपंत कृषि एंव प्रोद्यौगिकि विश्वविद्यालय,
पन्तनगर, 263145

विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी का उपयोग—समस्या एवं समाधान

—एच० एस० सिंह
—पी० आर० सिंह

(यंत्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान, रायपुर, देहरादून, जैसे तकनीकी विभाग में कार्यरत श्री एच० एस० सिंह तथा श्री पी० आर० सिंह ने मिलकर प्रस्तुत किया है यह शोधात्मक लेख। लेखक का मत है-"वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी भाषा के समुचित विकास, प्रचार एवं प्रसार की दिशा में सरकारी तथा गैर सरकारी स्तर पर अनेक कदम उठाये गये हैं,—परन्तु उनका वांछित परिणाम अभी तक नहीं निकला है। इसलिए इस विषय पर पुनरावलोकन की आवश्यकता है" और इस पुनरावलोकन के लिए लेखकों ने प्रस्तुत लेख में अपने व्यक्तिगत विचारों के रूप में पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत की है। वैसे लेखकों के सुझाये गये मुद्दों पर राजभाषा विभाग ने काफी काम किया है और किया जा रहा है)

स्वतन्त्रता संघर्ष के दौरान यह स्पष्ट हो गया था कि भारत के लिए एक प्रतिनिधि या सम्पर्क भाषा की आवश्यकता है तथा देश में अधिकांश लोगों द्वारा बोली, समझी और लिखी जाने वाली भाषा "हिन्दी" ही यह स्थान ले सकती है। अतएव स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हिन्दी को राजभाषा बनाया गया। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 343 में यह कहा गया है कि संघ की सरकारी भाषा देवनागरी लिपि म हिन्दी होगी।

हिन्दी ही राजभाषा क्यों

भाषा शास्त्रियों के अनुसार "राष्ट्रभाषा" किसी राष्ट्र के लिए सांस्कृतिक अस्मिता की भाषा होती है और "राजभाषा" प्रशासनिक प्रयोजनों और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति का माध्यम। पहली देश की धरती से उठकर ऊपर की ओर बढ़ती है, और बढ़कर पूरे देश को भाषा के स्तर पर अपन भीतर समेटती है। दूसरी ऊपर से निर्दिष्ट होकर नीचे की तरफ फैलती है और अपने प्रयत्न में पूरे भू-भाग को बांध लेना चाहती है। चूंकि भारत एक बहुभाषी देश है और अपने राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्नता में एकता की भावना को बढ़ावा देना चाहता है, इसलिए इसे एक राजभाषा की अत्यन्त आवश्यकता है। इस भूमिका हेतु हिंदी को चुना गया है।

हिन्दी को राजभाषा बनाने के निम्नलिखित कारण हैं :—

(1) देश में इसके बोलने, लिखने और समझने वालों की संख्या सबसे अधिक है। (देश की जनसंख्या का 70 प्रतिशत भाग हिन्दी भाषी है)।

(2) यह कई प्रान्तों की राजभाषा स्वीकार हो चुकी है।

(3) यह सांस्कृतिक पुनर्जागरण तथा राष्ट्रीय आन्दोलन की माध्यम भाषा है।

राजभाषा के रूप में हिन्दी के समुचित विकास के लिए संविधान के अनुच्छेद 344 खंड 1 के अनुसार 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया, जिसने, यथा संभव, कुछ बातों की सिफारिश की। इन सिफारिशों की जांच के लिए 30 सदस्यों की एक समिति बनाई गई जिसके निर्णयानुसार एक अध्यादेश जारी करके वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु एक स्थायी आयोग का गठन किया गया।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र—हिन्दी माध्यम के रूप में

राजभाषा स्वीकार हो जाने के बाद यह स्वाभाविक तथा आवश्यक समझा गया कि अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा, शोध तथा विकास कार्यों में इस भाषा को माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाए। इस दिशा में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु आयोग का गठन, एक महत्वपूर्ण कदम था।

माध्यम के लिए भाषा वही श्रेष्ठ मानी जाती है, जिसको जन समूह सहज में समझ ले तथा भाषा का शब्द-समूह बोल-चाल के समीप हो। भारत में अधिकांश लोगों द्वारा बोली एवं समझी जाने के साथ-साथ सरल एंव सुवाच्य होने के कारण हिंदी भाषा को वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में शिक्षा, सम्पर्क, लेखन अनुदेश, भाषण एंव शोध कार्यों के माध्यम के रूप में प्रयोग करना उत्तम है। इस माध्यम द्वारा इन विषयों के ज्ञान का लाभ जन-मानस तक सुगमता से पहुंचाया जा सकता है। औद्योगिक संस्थानों, कारखानों, कृषि-फार्मों एंव प्रयोग-शालाओं में कार्यरत व्यक्तियों को भी इसका लाभ पहुंचाया जा सकता है।

राजभाषा हिंदी को माध्यम के रूप में प्रयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि :—

(क) प्रयोग होने वाले वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दों का संग्रह उपलब्ध हो।

(ख) आवश्यक साहित्य उपलब्ध हो।

पारिभाषिक शब्दावली

देश में विभिन्न विषयों की शिक्षा राजभाषा हिन्दी तथा अन्य भाषाओं में दी जाने के लिए यह आवश्यक समझा गया है कि हिन्दी में प्राधिकृत पारिभाषिक शब्दावली तैयार की जाये। वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों की पारिभाषिक शब्दावली राजभाषा हिन्दी में तैयार करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने देश के विभिन्न भागों के विद्वानों के सहयोग से वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया और विभिन्न विषयों के लिए अलग-अलग समितियां नियुक्त की गयी। इन समितियों में सदस्य के रूप में हिन्दी भाषी विद्वानों के साथ-साथ अहिन्दी भाषी विद्वानों को भी सम्मिलित किया गया। इस प्रकार

अनेक वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों की शब्दावलियां तैयार हुई। आयोग ने पारिभाषिक शब्दकोष भी तैयार किये ।

पारिभाषिक शब्दावली या शब्दकोष तैयार करते समय शब्दों की एकरूपता, व्यावहारिकता तथा अखिल भारतीयता का ध्यान देना अति आवश्यक है। अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं के जो शब्द हिन्दी में घुल-मिल गये हैं या सामान्यतया प्रयोग हो रहे है, उन शब्दों को शब्दावली में लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किन्तु जो शब्द हिन्दी की प्रकृति से मेल नहीं खाते उन्हें स्वीकार करना अच्छा न होगा। इन बातों पर ध्यान देने से भाषा को समझना सहज हो जायेगा। और ज्यादा लोग इसे समझ सकेंगे।

अंग्रेजी-हिन्दी शब्द-कोष की तरह अन्य विकसित राष्ट्रों के भाषा संग्रह का हिंदी शब्द कोष भी तैयार किया जाना चाहिए ताकि उन राष्ट्रों द्वारा किये गये विकास कार्यों का लाभ स्वदेश में भी प्राप्त किया जा सके।

साहित्य

सरकार ने विभिन्न विषयों की पुस्तकें हिंदी में तैयार कराने के लिए पर्याप्त ध्यान दिया ताकि इस माध्यम द्वारा शिक्षा के लिए पठनीय सामग्री की कमी का आभास तनिक भी न हो। इस कार्य के लिए दो प्रकार की योजनाऐं बनाई गई। पहली प्रकार की योजना के अनुसार अन्य भाषाओं की पुस्तकों का हिंदी-भाषा में अनुवाद करना है तथा दूसरी प्रकार की योजना के अनुसार, विभिन्न विषयों की पुस्तकों की रचना मौलिक रूप में हिंदी में करना है।

अनुदित कार्य

विभिन्न भाषाओं म उपलब्ध वैज्ञानिक तथा तकनीकी पुस्तकों का अनवाद, राजभाषा हिन्दी में, संबंधित विषयों के विद्वानों द्वारा, किया जा रहा है। राज्यों द्वारा स्थापित ग्रन्थ अकादमियों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य हिन्दी सेवी संस्थानों के प्रयास से बहुत सी विदेशी पुस्तकों की अनुदित प्रतियां उपलब्ध हैं। परन्तु इस प्रकार के अनुवाद कार्यों में इस बात का उचित ध्यान नहीं दिया गया है कि अनुदित साहित्य की शैली एवं प्रवाह हिन्दी भाषा की प्रकृति के अनुरूप हो तथा विभिन्न स्रोतों द्वारा अनुदित प्रतियों की भाषा तथा प्रयुक्त शब्दों, संकेतों, संक्षेपों एवं सूत्रों में एकरूपता हो।

अंग्रेजी साहित्य के साथ-साथ अन्य विदेशी भाषाओं का साहित्य भी उपलब्ध कराकर उनके भी अनुवाद का कार्य किया जाना चाहिए तथा उन्हें संबंधित संस्थानों तक शीघ्रातिशीघ्र पहुंचाने का प्रयत्न होना चाहिए।

अनुवाद कार्य का प्रसार केवल पुस्तकों तक ही सीमित न रखकर पत्र-पत्रिकाओं विशेषकर शोध-पत्रों, बुलेटिनों, रिपोर्टों एवं वैज्ञानिक तथा तकनीकी लेखों के क्षेत्रों में भी होना चाहिए, ताकि विभिन्न राष्ट्रों द्वारा किये गये, शोध कार्यों की जानकारी शीघ्रातिशीघ्र भारतीय प्रतिभाओं तक पहुंच सके।

विदेशी भाषाओं में प्रकाशित साहित्य का हिन्दी अनुवाद करत समय हमें हीन भावना का अनुभव जरा भी नहीं होना चाहिए। हम अनुवाद कार्य को नकार नहीं सकते। विभिन्न राष्ट्रों की वैज्ञानिक एंव टेकनोलॉजिकल संस्कृति एक दूसरे के साहित्य के परस्पर अनुवाद से विकसित हुई है। यह कार्य सभी राष्ट्र करते है ताकि वे आज के अति तीव्र गति से बढ़ते हुए विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान की होड़ में किसी भी कारण पिछड़ न जाएं उदाहरण के रूप में हम सब देख सकते है कि रूसी भाषा में छपे साहित्य को पश्चिमी देश इतना महत्व देते है कि रूसी भाषा में प्रकाशित विज्ञान एवं तकनीकी अनुंसधान पत्रों तथा लेखों को तुरन्त ही अनुवाद करने की वृहत योजना कार्य कर रही है। रूस में भी, अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं में प्रकाशित वैज्ञानिक एंव तकनीकी लेखों तथा शोध पत्रों का, बराबर अनुवाद किया जा रहा है। इसी प्रकार के उदाहरण जर्मनी, जापान फ्रांस आदि अनेक राष्ट्रों में मिलते हैं, जबकि उनके पास वैज्ञानिक एंव तकनीकी विषयों पर प्रचुर मात्रा में उनका अपना साहित्य भी उपलब्ध है।

भारत में भी विभिन्न विदेशी भाषाओं में प्राप्त साहित्य के हिंदी अनुवाद का पृथक-पृथक सेल बनाया जाना चाहिए। अधिक से अधिक विदेशी भाषाओं की विज्ञान एवं तकनीकी विषयों से संबंधित पुस्तकों, पत्रिकाओं, लेखों तथा शोध पत्रों की अनुदित प्रतियां विश्वविद्यालयों, सम्बन्धित शोध संस्थानों एवं वैज्ञानिक एककों तक यथाशीघ्र पहुंचाने का यत्न किया जाना चाहिए। इस कार्य द्वारा इस प्रकार का वातावरण फैला दिया जाए कि अनुदित प्रतियां सर्वत्र उपलब्ध हों और मौलिक रूप से प्रकाशित विदेशी साहित्य, पुस्तकालय साहित्य बनकर रह जाये। आवश्यकता पड़ने पर विदेशी साहित्य के प्रसार में कुछ शासकीय अवरोध भी लगाया जा सकता है। अनुदित विदेशी साहित्य, मुख्यत: पुस्तकों का समय-समय पर पुनरावलोकन भी करते रहना चाहिए ताकि समय के अनुसार पुस्तकों का नवीकरण भी होता रहे।

मौलिक रचना

विज्ञान तथा तकनीकी विषयों के शिक्षण तथा शोध कार्य के लिए आवश्यक साहित्य की आपूर्ति अंशत: हिन्दी में अनुदित तथा मौलिक रूप में लिखें गये साहित्य से होती है। अब तक की उपलब्ध पाठ्य सामग्री में अनुदित कार्यों की बहुलता है।

यह बात तो ठीक है कि विज्ञान एंव तकनीकी विषयों से संबंधित विदेशी साहित्य (चाहे वह जिस रूप में हो) का अनुवाद होना आवश्यक है फिर भी हमें हिन्दी भाषा में मौलिक साहित्य के सृजन पर भी ध्यान देना चाहिए। कहीं ऐसा न हो जाये कि राजभाषा हिन्दी केवल अनुवाद की ही भाषा बनकर रह जाये और इन विषयों में मौलिक चिन्तन के अभाव का अनुभव होने लगे।

विज्ञान एंव तकनीकी विषयों में मौलिक रूप से हिन्दी में पुस्तकें लिखी तो गई है, परन्तु इनकी संख्या बहुत कम है। तकनीकी, औद्योगिक तथा चिकित्सा से संबंधित मौलिक पुस्तकों की संख्या तो न के बराबर है। इस संदर्भ में कुछ कार्य रूड़की विश्वविद्यालय में किया गया है। कार्य तो सराहनीय है, परन्तु उचित प्रचार न होने के कारण, भाषा को उनका पूर्ण लाभ नहीं मिल सका है। कृषि तथा

पशु चिकित्सा संबंधी मौलिक साहित्य सृजन के क्षेत्र में, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एंव औद्योगिकी विश्वविद्यालय का कार्य भी सराहनीय है, परन्तु प्रचार एंव प्रसार के अभाव में कृषि क्षेत्र के अन्य संस्थानों, विश्वविद्यालय एंव फार्मों को इस साहित्य का उचित रूप में लाभ नहीं मिल पा रहा है।

शोध एवं अन्य पत्रिकाएं

मौलिक रूप से किये गये शोध-कार्यों का प्रकाशन हिंदी भाषा में प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में किया जाना चाहिए। उच्च स्तर के मौलिक पुस्तकों एंव शोध-पत्रों के लेखन एंव प्रकाशन में और अधिक गति प्रदान करने के लिए अनुदान एंव पुरस्कार योजना का विस्तार किया जाना चाहिए, और उसमें आवश्यकतानुसार संशोधन करके और भी उपयोगी बनाया जाना चाहिए।

राजभाषा हिन्दी का प्रचार एंव प्रसार, इस भाषा में प्रकाशित वैज्ञानिक एंव तकनीकी पत्रिकाओं द्वारा करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है, कि इनका प्रकाशन सुचारु रूप से, समयवद्ध कार्यक्रमानुसार, होता रहे। इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा इन्हें पूण संरक्षण प्राप्त होना चाहिए ताकि इनके प्रकाशन में आ रहे व्यवधानों का निराकरण होता रहे। पत्रिकाओं का स्तर बनाये रखने के लिए, मौलिक शोध-पत्रों एंव तकनीकी कार्यों का पुनरावलोकन एंव जांच प्रकाशन से पूर्व ही भली-भांति कर लेना चाहिए। ऐसी पत्रिकाओं से प्रभावित हो भारतीय प्रतिभाएं उच्च स्तर के मौलिक शोध-पत्रों एंव अन्य वैज्ञानिक तथा तकनीकी लेखों का प्रकाशन इन पत्र-पत्रिकाओं द्वारा करवाने का यत्न करेंगे।

स्वदेश में चल रहे शोध एंव विकास कार्यों के साथ-साथ विदेशों में हो रही अनुसंधान एंव विकास की प्रगति से, देश के वैज्ञानिकों तथा तकनीशियनों को, अवगत कराना आवश्यक है, जिसके लिए विदेशी भाषाओं में प्रकाशित साहित्य ही प्रमाणिक स्रोत है। यह साहित्य हिन्दी भाषा में अनुदित करा कर संबंधित वैज्ञानिकों को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे संबंधित विदेशी साहित्य को उसी भाषा में अध्ययन करने की आवश्यकता, स्वदेशी वज्ञानिकों को न पड़े। इससे हिंदी भाषा में वैज्ञानिक साहित्य की वृद्धि के साथ-साथ इसके प्रचार को भी गति मिलेगी।

हिन्दी में मौलिक कार्य अथवा अनुदित साहित्य पर आधारित वैज्ञानिक तथा तकनीकी शोध-पत्रिकाओं की संख्या नगण्य है। इस दिशा में एक योजना बद्ध कार्यक्रम की आवश्यकता है, जिसमें सरकारी संस्थानों के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों एवं हिन्दी सेवी संस्थाओं को मिलजुल कर काम करना चाहिए। वांछित सहयोग के लिए आवश्यक है एक समन्वय प्राधिकरण की जिसकी स्थापना शिक्षा मंत्रालय द्वारा शीघ्र होनी चाहिए।

भाषण, संगोष्ठी एवं कार्यशाला

वज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में हिंदी के प्रसार का काय केवल पुस्तक या पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। इस भाषा का प्रचार एवं प्रसार भाषणों, संगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं का आयोजन करके अधिक सुगमता से किया जा सकता है। इस दिशा में कार्य चल रहा है, परन्तु यह इतनी धीमी गति से है कि उनका श्रृंखला-बद्ध होना ही कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए भाषण को ही लीजिए, कई वर्ष पूर्व केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद ने वैज्ञानिक भाषण माला का आयोजन किया, उसमें 16 फरवरी, 1973 को राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, नई दिल्ली के तत्कालीन निदेशक डा. अजितराम वर्मा का भाषण हुआ था। उसके बाद भी कुछ भाषण आयोजित तो हुए परन्तु प्रचार माध्यम की कमी के कारण इनका उचित प्रसार न हो सका।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में हिंदी के प्रगति तथा प्रसार के लिए आवश्यक है कि योजनाबद्ध रूप से विभिन्न विषयों पर भाषण मालाओं का आयोजन किया जाए, जिसका प्रसार आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के सभी केन्द्रों पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाए। इन भाषण मालाओं के लिए गणमान्य वैज्ञानिकों, अभियन्ताओं, चिकित्सा-शास्त्रियों तथा कृषि–शास्त्रियों को चुना जाना चाहिये। इससे न केवल वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिन्दी साहित्य ही समृद्ध होगा, वरन् समूचे भारतीय वैज्ञानिक समाज में इस भाषा के प्रति लगाव तथा उसकी क्षमता के प्रति विश्वास बढ़ेगा।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों पर संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्य-शालाओं तथा बैठकों में चर्चा, अधिकतर अंग्रेजी माध्यम से ही हुआ करती है। ऐसे बहुत ही कम आयोजन हुए हैं, जहां चर्चाएं हिंदी में हुई हों। केन्द्रीय भवन अनुसंधान रूड़की की ओर से एक संगोष्ठी 1978 में आयोजित की गई थी, तथा दूसरी संगोष्ठी 5–7 जुलाई 1984 को आयोजित की गई थी। जिसका प्रचार एंव प्रसार भी सुनियोजित ढ़ंग से किया गया था, इनके बीच में दो और संगोष्ठियों का आयोजन किया गया परन्तु उचित प्रचार की कमी के कारण उनका इच्छित प्रभाव नहीं हुआ।

संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों तथा बैठकों का आयोजन वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों में चल रहे कार्यों को प्रकाश में लाने का अच्छा माध्यम है। अतः राष्ट्रीय स्तर पर इनका आयोजन देश के विभिन्न नगरों में होते रहना चाहिए ताकि इनके द्वारा हिंदी माध्यम से वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति की चर्चा होती रहे। इस प्रकार दश के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी का वातावरण स्थापित हो जायेगा।

सामान्य तकनीकी कार्य

हिंदी माध्यम से भाषण, संगोष्ठी एंव कार्यशालाओं आदि के आयोजन से इस भाषा में प्रयुक्त वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का प्रचार होगा और धीरे-धीरे ये शब्द साधारण वैज्ञानिक, तकनीशियनों इत्यादि के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में प्रयुक्त होने लगेंगे। इस प्रकार उद्योगों में सामान्य वातचीत की भाषा, तकनीकी अनुदेशों की भाषा, कलपुर्जों के उपयोग विधि की भाषा एवं अन्यान्य कार्यों की भाषा के रूप में हिंदी का उपयोग कर वहां का वातावरण हिंदीमय बनाया जा सकता है। इस विषय में सरकार की तरफ से आदेश आ जाते हैं, प्रोत्साहन स्वरूप अनेक सुविधाओं की घोषणा भी, यथासमय, की जाती है, फिर भी इसका अनुपालन इतनी धीमी गति से होता है कि इसके पूण होने में कई युग लग जायेंगे। अनुपालन की धीमी गति के कारण का विश्लेषण करने से पता चलता है कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण

तथा अंग्रेजी वातावरण में पनपे अधिकारी तथा अन्य सुपरवाइजरी वर्ग में अवस्थित्व की स्थिति है, जिसके कारण उनमें हिंदी के प्रति प्रेम के बावजूद इस माध्यम के प्रयोग के प्रति हिचकिचाहट है। जब अधिकारी वर्ग हिंदी को सम्पर्क भाषा बना कर अपने अधीन कर्मचारियों को अनुदेश देने लगेगा, तब इसका फैलाव अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में भी शीघ्रता से होगा। अतः अधिकारियों में इस भाषा के उपयोग के प्रति जागरूकता तथा रूचि शीघ्रता से पैदा करने की आवश्यकता है। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो कुछ प्रोत्साहन स्कीमों को चालू किया जा सकता है।

उपरोक्त बातों के अतिरिक्त भाषा के राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में प्रयोग के लिए भाषा में संकेतों, सूत्रों, समीकरणों, नियमों, सिद्धान्तों एवं परिभाषाओं के मानकीकरण की अत्यन्त आवश्यकता है।

शब्दों की एकरूपता

किसी भाषा के शब्दों में एकरूपता न होने के कारण अस्थिरता की स्थिति आती है। विज्ञान एवं तकनीकी विषयों की हिंदी पुस्तकों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां भाषा की एकरूपता की कमी का बोध होता है। यहां पर कुछ शब्दों के उदाहरण उद्धृत किए जा सकते हैं।

अंग्रेजी शब्द "क्रिस्टेलाइजेशन" को किसी पुस्तक में स्वाकरण लिखा गया है तो अन्य में क्रिस्टलन, "फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन" को कहीं आंशिक सावण लिखा गया है तो कहीं प्रभाजी आसवन।

इस प्रकार इन क्षेत्रों में भाषा की प्रगति के लिए समुचित, सुव्यवस्थित तथा सरल मार्ग नहीं मिल पाता है। अतः इस पर ध्यान देकर मानक शब्दों का प्रचलन करना चाहिए।

संकेतों की एकरूपता

वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों में अनेक शब्दों के लेखन या अन्य उपयोगों में समय, परिश्रम इत्यादि बचाने के उद्देश्य से संकेतों का प्रयोग होता है। हिंदी भाषा में इन संकेतों के लिए अंग्रेजी भाषा में प्रयोग हो रहे संकेतों को ही मान्य रूप से प्रयोग किया जाए, यदि हिन्दी के ही बने संकेतों का प्रयोग किया जाए तो यह भाषा-आयोग द्वारा मान्य होना चाहिए, एवं सर्वत्र वही संकेत प्रयोग किया जाना चाहिए। इस अवस्था में हिंदी लेखन में अंग्रेजी संकेतों का प्रयोग पूर्णतया बंद कर देना चाहिए।

सूत्रों एवं समीकरणों की एकरूपता

वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में प्रयोग होने वाले सूत्र एवं समीकरण अधिकांशतः संकेतों पर ही आधारित है। अतः संकेतों के एकरूपता की समस्या का समाधान हो जाने पर यह स्वयं ही हल हो जाता है।

यांत्रिकी सुविधाएं

आधुनिक युग यंत्रों का युग है। विदेशी भाषाओं के लिए विभिन्न प्रकार की यांत्रिकी सुविधायें दीर्घकाल से उपलब्ध रही हैं। सौभाग्य से, अब, विभिन्न प्रकार की यांत्रिकी सुविधाएं, हिन्दी के लिए भी उपलब्ध हैं। परन्तु ये सुविधाएं अपर्याप्त हैं। हिन्दी के कार्य के लिए आधुनिक युग की आवश्यकताओं के अनुसार, पर्याप्त तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होगी, तो हिंदी का क्षेत्र उतना व्यापक नही बन पायेगा जितना सामान्य रूप से अपेक्षित है।

वांछित यांत्रिकी सुविधाएं निम्न हैं:—

(क) साधारण प्रकार के टाइपराइटर
(ख) बिजली चालित टाइपराइटर
(ग) पिन प्वाइंट टाइपराइटर
(घ) एलेक्ट्रानिक टाइपराइटर
(ङ) वैरी टाइपराइटर
(च) टेली प्रिन्टर
(छ) मुद्रण व्यवस्था
(ज) कमम्यूटर

इन सुविधाओं के उपलब्ध हो जाने पर भाषा की उन्नति तथा प्रचार एवं प्रसार में तीव्र प्रगति होगी। अतएव सम्बंधित अधिकारियों तथा हिंदी सेवी संस्थाओं का परम कर्त्तव्य बन जाता है कि इन यांत्रिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने में यथार्थ प्रयत्न करें।

उपसंहार

वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी भाषा के समुचित विकास, प्रचार एवं प्रसार की दिशा में सरकारी तथा गैरसरकारी स्तर पर अनेक कदम उठाये गये हैं, परन्तु उनका वांछित परिणाम अभी तक नहीं निकला है। इसलिए इस विषय में पुनरावलोकन की आवश्यकता है।

—यंत्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान, रायपुर,
देहरादून

हिन्दी में वैज्ञानिक साहित्य

—विश्वंभर प्रसाद गुप्त

(प्रस्तुत लेख वास्तव में चार्टर्ड इंजीनियर श्री विश्वंभर प्रसाद गुप्त द्वारा दिल्ली हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सरस्वती विहार मंडल द्वारा आयोजित वसंतोत्सव के अवसर पर दिए गए व्याख्यान हैं। श्री विश्वम्भर प्रसाद गुप्त अपने सेवाकाल के दौरान हिन्दी से अभिन्न रूप से जुड़े रहे। श्री गुप्त ने प्रस्तुत लेख में विज्ञान लेखन की समस्याओं का जो उल्लेख किया है वे विचाराधीन हैं। हिन्दी में विज्ञान साहित्य का नितान्त अभाव नहीं है। इस संबंध में प्रस्तुत लेख में विशेष जानकारी मिलेगी)

हिन्दी वैज्ञानिक साहित्य, यह विषय इतना व्यापक है कि इस पर कितना भी प्रकाश क्यों न डाला जाए, विषय के साथ पूरा न्याय नहीं हो सकता। हिन्दी का अर्थ यदि हिन्दी का या हिन्द संबंधी किया जाए तो फिर प्रागैतिहासिक युग से अब तक की देश भर की सभी लिपियों की सभी प्रकार की सुन्दर कृतियां विषय वस्तु के अंदर आ जाएंगी, और फिर तो विषय द्रोपदी के चीर की भांति अनंत हो जाएगा। यह केवल हिन्दी भाषा तक ही विचार-विमर्ष सीमित रखने का प्रयत्न होगा और हिन्दी पर, विज्ञान पर, साहित्य पर और फिर वैज्ञानिक साहित्य कैसा होना चाहिए, हिन्दी में वैज्ञानिक साहित्य कितना है, इन सब बातों पर थोड़ा बहुत प्रकाश डाला जाएगा।

हिन्दी

बोल-चाल में हिन्दी शायद बहुत पहिले से इस्तेमाल होती रही हो, किंतु लिखने पढ़ने मे इसका प्रयोग पृथ्वी राज चौहान के समय से ही हुआ, ऐसा माना जाता है। इतिहास लिखनेवालों ने चंद वरदायी को ही आदि कवि माना है। उसके बाद मुसलमानों का शासनकाल आरंभ होता है लगभग आठ सौ वर्ष के इस काल में भी हिन्दी काफी सुधरी संवरी और समृद्ध हुई, यद्यपि फारसी का भी चलन होने लगा, विशेषकर पढ़े-लिखे लोगों में। उस फारसी के ही प्रभाव में आकर कुछ लोगों ने सत्ताधारियों का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए हिन्दी में भी फारसी के शब्द ठूसना आरंभ कर दिया जिससे हिन्दी की ही एक खिचड़ी शैली बन गई। यह उर्दू कही जाने लगी। मुसलमानों के बाद लगभग दो सौ साल अंग्रेजों का शासन रहा। इस जमाने में भी हिन्दी का विकास जारी रहा। जब शासन के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग हीने लगा और अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ने लगा, तब भी जनता की भाषा हिन्दी ही रही। कुछ थोड़े से विशेष राजभक्त या नौकरी-पेशा लोगों को छोड़कर देश में व्यापक रूप से न फारसी जम सकी न अंग्रेजी, क्योंकि ये दोनों ही भाषाएं भारतीय भूमि से, भारतीय परिवेषण से, भारतीय संस्कृति से और भारतीय परंपराओं से मेल नहीं खातीं। इसलिए हिन्दी का विकास बराबर होता रहा, भले ही उसे राज्याश्रय न मिला हो। हिन्दी का विकास किया विद्वान संतों ने और संत-हृदय विद्वानों ने; और 'संतन कहा सीकरी सों काम' के अनुसार उन्होंने कभी शासन का मुंह नहीं जोहा।

हिन्दी साहित्य के इतिहास में चार युग विद्वानों ने माने हैं—आदि काल या वीर-गाथा यग, पूर्व-मध्य काल या भक्ति युग, उत्तर-मध्य काल या रीती युग और आधुनिक काल या गद्य युग। गद्य काल को ही विद्वान तत्कालीन साहित्य की प्रवृत्ति के अनुसार राष्ट्रीय चेतना युग भी कह देते हैं, क्योंकि इस समय के लेखन में राष्ट्रीय चेतना की विचार-धारा ही प्रमुख रही है। गद्य युग के पहिले का लेखन प्रायः पद्य में ही हुआ करता था, क्योंकि गद्य-लेखन की परिपाटी संस्कृत में भी बहुत कम रही है। हिन्दी साहित्य का काल-विभाजन साहित्य की प्रमुख विचार-धारा के अनुसार ही हुआ है, यद्यपि अन्य विचार-धाराओं का अस्तित्व भी उन युगों में समांतर रूप से थोड़ा-बहुत रहता रहा है।

वैज्ञानिक साहित्य के लिए कोई काल निर्धारित नहीं किया गया। इससे यह तो स्पष्ट है कि विज्ञान साहित्य की रचना हिंदी में कम ही हुई है। जो कुछ हुई है, वह भी आधुनिक या गद्य काल में ही। पद्य में विज्ञान साहित्य लिखने की परिपाटी संस्कृत में थी, और प्रचुर वैज्ञानिक साहित्य संस्कृत वाङ्मय में भरा पड़ा है। यह साहित्य दोनों प्रकार का है: गैर तकनीकी यानी ऐसे ग्रथों में जो किसी विशेष तकनीकी विषय का प्रतिपादन करने के लिए नहीं लिखे गए, जैसे वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, पुराण और विभिन्न महाकाव्य आदि, जिनमे अत्यंत ही जटिल और जीवंत तकनीकी वर्णन बड़ी ही कुशलता से किए गए हैं; और दूसरे हैं तकनीकी ग्रंथ जो आयुर्वेद, इंजीनियरी, शिल्प आदि किसी विशेष विषय का प्रतिपादन, अध्ययन-अध्यापन करने की दृष्टि से लिखे गए हैं। किंतु हिंदी में विज्ञान साहित्य पद्य में लिखने की परंपरा नहीं रही है। गद्य युग में ही विज्ञान लेखन आरंभ हुआ है, और यह परंपरा बहुत पुरानी नहीं है।

विज्ञान है क्या?

संस्कृत मूल 'विद्' से हिंदी शब्द विद्या बना है; और लैटिन मूल 'साइरे' से अंग्रेजी शब्द साइंस बना है। दोनों मूल शब्दों का एक ही अर्थ है 'जानना'। इस लिए विद्या और साइंस दोनों का तात्पर्य जानकारी या ज्ञान से है—सामान्य और सीमा रहित ज्ञान। फिर भी साइंस के मामले में पिछली कुछ शताब्दियों से जान-बूझकर इसे संकीर्ण करने की प्रवृत्ति रही है। यह अनुभव या खोजों द्वारा प्राप्त किए हुए, युक्तियों और तर्कों से, और फिर प्रयोगशाला में प्रयोगों द्वारा पुष्ट किए जा सकने योग्य, तथाकथित वस्तुनिष्ठ ज्ञान का पर्याय बन गया है। दुर्भाग्य से विज्ञान शब्द का प्रयोग भी हम 'साइंस' के इसी सीमान्त अर्थ में करने लग गए हैं। किंतु कहना न होगा कि साइंस के विषय-क्षेत्र में इस प्रकार के परिसीमन के फलस्वरूप ज्ञान का अप्राकृतिक विभाजन हो

गया है, जिसमें एक ओर भौतिक विज्ञान यानी Physical Science जिसके अंदर चिकित्सा और प्रौद्योगिकी आदि हैं, और दूसरी ओर प्राकृतिक विज्ञान यानी Natural Science जिसके अंदर कर्मकाण्ड और धार्मिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि आ जाती है। पश्चिम में विज्ञान के क्षेत्र में इधर बहुत अधिक प्रगति हुई है, किन्तु जान-बूझकर किए हुए इस विभाजन के कारण ही वहां बहुत से ऐसे व्यक्तिगत और सामाजिक झगड़े भी पैदा हुए ह, जिनसे मानव का अन्यथा बचाव हो सकता था।

वास्तव में विद्या या साइंस के विषय-क्षेत्र को किसी प्रकार सीमित करने की न तो कोई आवश्यकता ही प्रतीत होती है और न कोई तर्कसंगत कारण ही दीखता है। विद्या का अर्थ सामान्य ज्ञान और विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। विद्यांएं बहुत सी हैं, किंतु जब ज्ञान में कुछ विशेषता हो तो वह विज्ञान कहलाएगा। यह विशेषता कैसी हो, क्या हो, यह हमें भारतीय दृष्किोण से देखना है।

भारतीय विचार-धारा परंपरा से ही दर्शन से ओत-प्रोत रही है। भारतीय दृष्टिकोण या भारतीय दर्शन की व्याख्या करना यहाँ अपेक्षित नहीं है, और न वह संभव ही है। किन्तु सभी दर्शनों का तत्व श्रीमद्भगवद् गीता में आ गया है, ऐसा विद्धानों का मत है : इसलिए विज्ञान का अथ, इसका उद्देश्य, और लक्ष्य क्या है, यह जानने के लिए गीता का ज्ञान विज्ञान योग नामक सातवां अध्याय देखना होगा। इसके आरंभ में ही दूसरे श्लोक में कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं:—

"ज्ञानं ते अहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः।
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोअन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ।।"

अर्थात विज्ञान सहित यह ज्ञान मैं तेरे लिए पूरी तरह से कहूंगा, जिसे जान लेने पर इस संसार में फिर और कुछ जानने योग्य शेष नहीं रहता। यानी विज्ञान संपूर्ण ज्ञान का धरम है; यही इसकी विशेषता है। इसके बाद 'राजविद्या राजगुह्य योग' नामक नवें अध्याय का आरंभ कृष्णजी यह कहकर करते हैं:—

"इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामनुसूयवे।
ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात् ।।"

अर्थात दोषदृष्टि रहित तेरे लिए मैं अतयंत गोपनीय यह ज्ञान विज्ञान सहित कहूंगा जिसे जानकर तू अशुभ (यानी अकल्याण) से मुक्त हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि विज्ञान की जानकारी अकल्याण को दूर करने वाली होती है, और यह राजविद्या राजगुह्य यानी सर्वश्रेष्ठ विद्या है एवं परम गोपनीय भी है जिसका पात्र दोषदृष्टि रहित व्यक्ति ही हो सकता है। दुषित दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों द्वारा विज्ञान के दुरूपयोग के फलस्वरूप संसार कितना त्रस्त है यह सभी जानते हैं।

सत्य की खोज ही विज्ञान है और परमेश्वर ही सर्व श्रेष्ठ सत्य है, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। भारतीय दर्शन के व्याख्याता और विख्यात शिक्षाशास्त्री भूतपूर्व राष्ट्रपति डा.सर्वपल्ली राधाकृष्णन् कहते हैं कि यह संसार एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसके आदि के और अंत के कुछ पृष्ठ खो गए हैं तथा यह नहीं पता लगता कि पुस्तक का आरंभ कैसे हुआ, अंत कैसे होगा और इसका रचयिता कौन है। इसी प्रकार संसार का आदी कैसा था, अंत कैसा होगा, और इसका रचयिता कौन है इस की खोज में दार्शनिक लगे हुए हैं। इस प्रकार हमारे ऋषियों ने अध्यात्म विद्या और ब्रह्म विद्या को विज्ञान के अंतर्गत माना है। अध्यात्म विद्या आत्मा का सम्यक् ज्ञान है और ब्रह्म विद्या ब्रह्म का सम्यक ज्ञान है। हमारी सारी गीता में ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र का ही विवेचन है, ऐसा उल्लेख उसके प्रत्येक अध्याय के अंत मे मिलता है। आत्मा इस शरीर में रहता है और ब्रह्म सारे ब्रहमाण्ड में व्याप्त है। इसलिए आत्मा के आश्रय इस शरीर का ज्ञान यानी शरीर-रचना और चिकित्सा शास्त्र विज्ञान के अंग हैं। इसी प्रकार ब्रह्मांड का ज्ञान या अंतरिक्ष विज्ञान और ज्योतिर्विज्ञान भी इसी के अंग हैं। वास्तव में सारी की सारी कलाएं, क्रियाएं और योग शास्त्र आदि विज्ञान में समाहित हैं, और 'योग : कर्मसु कौशलम्' के अनुसार किसी भी कार्य में कुशलता प्राप्त करना ही योग है। कार्य में कुशलता प्राप्त करने और कुशलतापूर्व क कार्य करने का विज्ञान में बहुत महत्व है, बल्कि ब्रह्म-विद्या का यही तत्व है।

और विज्ञान करता क्या है ? विज्ञान यक्षं तनुते.....' अर्थात् विज्ञान यज्ञ का प्रसार करता है। यहां यज्ञ का अर्थ केवल 'अग्निहोत्र या ब्राह्मण–भोजन करना/कराना' समझना हमारी संकुचित मनोवृति का परिचायक है ; वास्तव में लोक-कल्याण के समस्त कार्य यज्ञ ही हैं जिन्हें सम्पन्न करने के लिए विज्ञान आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। 'यज्ञै : परिभूषत श्रिये' (सामवेद पू.प्र, 6 अर्द्ध प्र. 2 द8 मं. 3) से स्पष्ट है कि कल्याणकारी कार्य ही यज्ञ है। कल्याण भी किसी एक व्यक्ति या किसी एक वर्ग का नहीं वरन् सारे प्राणीमात्र का, सारे विश्व का हो। भारतीय मानीषा की यह आकांक्षा सर्वे सुखिन : सर्वे सन्तु निरामया ; सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहु : स्वभाक् भवेत में व्यक्त हुई है। तात्पर्य यह है कि सबका कल्याण हो, कोई एक भी प्राणी दुखी न हो। यहां बहुमत, अल्पमत आदि नहीं, निरपवाद रूप से सबके कल्याण की कामना है। हमारे वेदों में जितनी भी कामनाएं हैं उनके कहीं भी 'अहम्' यानी मैं का प्रयोग नहीं है; सभी जगह 'वयं' यानी सब का उल्लेख किया गया है। यह भारतीय विचारधारा की ही विशेषता है जो विश्व–बन्धुत्व का बिगुल बनकर सनातन काल से गूंजती आई है और विज्ञान के भारतीय दृष्टिकोण के रूप में संसार पर छा रही है। विज्ञान के प्रति स्वार्थपूर्ण संकुचित विचारधारा का फल पश्चिम भोग रहा है और उसका अंधानुकरण करने स भारत की भी कुछ कम क्षति नहीं हुई, किन्तु वह बराबर संभलने की कोशिश भी करता रहा है।

साहित्य

अब आइए साहित्य को देखें। जिस प्रकार हिन्दी के विज्ञान शब्द का अर्थ अंग्रेज़ी के साइंस शब्द हैं, जो संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है, पूरी तरह नहीं होता, उसी प्रकार हिन्दी के साहित्य शब्द का अर्थ अंग्रेज़ी के शब्द Literature से भली भांति व्यक्त नहीं होता। Literature का संबंध शब्दों से है, और शब्दों में जो कुछ भी लिख दिया जाए वह Literature होना चाहिए। किन्तु हिन्दी के साहित्य का जोर केवल शाब्दिक अभिव्यक्ति पर नहीं है, बल्कि इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है।

'साहित्य' 'से' और 'हित' से व्युत्पन्न है और यह अनिवार्यतः सबका हित साधन करने वाला होना चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि वह शब्दों में ही व्यक्त हो; रेखाओं और रंगों से बनी हुई रचना भी इसके क्षेत्र में आ सकती है। इसी प्रकार यह भी आवश्यक नहीं कि वह भोजपत्र, चर्मपत्र या आधुनिक कागज पर ही अंकित हो, बल्कि

ईंट, पत्थर, मिट्टी, चूना आदि की रचनाएं भी इसके अन्तर्गत आनी चाहिए, शर्त केवल एक है कि वे हितकारी हों। साहित्य पर यह रोक कि वह कागज पर ही, नागरी, रोमन, तमिल, तेलुगु आदि किसी लिपि में ही हो, अनुचित भी है और अवांछनीय भी। हितकर विचारों की अभिव्यक्ति अगर रेखाओं या रंगों से किसी भी सतह पर हो सकती है तो वह रचना भी साहित्य ही होगी। इसी प्रकार यदि कोई कृति पत्थर पर छेनी-हथौड़ी की सहायता से अंकित हो तो वह भी उत्तम साहित्य-रचना मानी जानी चाहिए। उत्तम इसलिए कि उसमें अधिक यथार्थता और अधिक श्रम निहित है; विचार तो व्यक्त हुए ही हैं, कर्म भी उनके साथ है और उतना ही प्रमुख है। मुण्डकोपनिषद में स्पष्ट कहा गया है कि 'क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः, यानी ब्रह्मज्ञानियों में यह कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। इसलिए ऐसी कृतियों के रचयिता को भी साहित्यकार की मान्यता मिलनी चाहिए।

अलमतिविस्तरेण। हम तो यही कहेंगे कि साहित्य के अन्तर्गत कविता, कहानी, उपन्यास आदि तो आते ही हैं, अन्य सब कुछ, जो भी हितकर रचना हो, आ जानी चाहिए। कहीं पढ़ा था कि ताजमहल संगमरमर पर अंकित विश्व का श्रेष्ठतम प्रेम काव्य है। वेद-ऋचा में वर्णित दो वृक्षस्थ पक्षियों का चित्रण जो मोहन-जो-दारो में एक टाइल पर मिला है, किस सहृदय को अभिभूत नहीं कर लेगा? किन्तु यहां तो हम देखते हैं कि विज्ञान-लेखन को हिन्दी साहित्य के धुरन्धर, लोग साहित्य की मान्यता देने में ही हिचकिचाते रहे हैं, फिर चित्रकला मूर्तिकला और वास्तुकला आदि की कौन कहे?

पहिले कहा जा चुका है कि हिन्दी में विज्ञान-लेखन का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। हिन्दी के वयोवृद्ध विद्वान पं० श्री नारायण चतुर्वेदी दो-टुक बात कहने के लिए प्रसिद्ध हैं। आप अपनी पुस्तक 'आधुनिक हिन्दी का आदि काल (1857–1908)' के पृ० 243 पर लिखते हैं :—

"साहित्य देवता को हाथ-पैर और जीवनी-शक्ति देने के लिए सर्जनात्मक साहित्य के अतिरिक्त ज्ञान-विज्ञान, नाना प्रकार के संदर्भ ग्रंथों की भी आवश्यकता होती है। इन सब का बीज-वपन आदि काल में हो गया था। किन्तु दुर्भाग्य से हमारे साहित्य का एकांगी विकास हुआ।.....हिन्दी में ज्ञान-विज्ञान की अच्छी पुस्तकों के अभाव के अनेक कारण हैं, किन्तु उनमें एक बड़ा कारण यह है कि हमारे साहित्य-जगत में उनके लेखकों का समुचित आदर नहीं है।

अन्य कारण शायद यह रहा हो कि यह विधा पाठक के लिए समझने में कुछ दुरूह होती है, और लेखक के लिए भी कुछ कठिन और श्रमसाध्य होती है, जैसे आगे बताया जाएगा। डा० सम्पूर्णानन्द को भी विज्ञान साहित्य की कमी खटकती थी। उन्होंने इस दिशा में अपना हाथ भी लगाया और 1953 में प्रथम उपन्यास 'पृथ्वी से सप्तर्षि-मण्डल' लिखकर मार्ग-दर्शन किया।

वैज्ञानिक साहित्य या विज्ञान साहित्य

वैज्ञानिक साहित्य का शाब्दिक अर्थ यह होना चाहिए कि ऐसा साहित्य जो अवैज्ञानिक न हो यानी विज्ञान-सम्मत हो, साहित्य के लिए निर्धारित विधि-निषेधों और नियमों आदि से नियंत्रित हो तर्कसंगत कसौटियों पर कसा जा सके, और उसका एक उद्देश्य हो। हम समझते हैं, अवैज्ञानिकता का एक-आध उदाहरण देने से यह स्पष्ट हो जाएगा। "भैंस बियानी है महुवे मां, पड़वा गिरा जहानाबाद," या "योजन चार नासिका बाढ़ी" नितांत बेतुके प्रलाप लगते हैं। महोबा और जहानाबाद के बीच कुछ भी नहीं तो पचास किलोमीटर की दूरी होगी; तो फिर महोबा में भैंस बच्चा दे और उसका बच्चा 50 किलोमीटर दूर जहानाबाद में गिरे, यह किसी भी संतुलित, दिमाग वाले की समझ में जाने वाली बात नहीं है। सारे हिन्दी साहित्य में कितना कुछ अंश वैज्ञानिक हैं और कितना अवैज्ञानिक, इस पर कुछ कहना यहां सम्भव नहीं है। यहां तो हम विज्ञान शब्द के बहुप्रचलित वर्तमान अर्थ में ही विज्ञान साहित्य यानि विज्ञान संबंधी या विज्ञान विषयक साहित्य की ही चर्चा करके संतोष करेंगे।

हमारा जीवन आजकल कुछ ऐसे ढांचे में ढल गया है कि सवेरे उठने से लेकर रात होने तक हमें बहुत सी अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। नहाने-धोने के लिए तेल, साबुन, कंघा, शीशा आदि; खाने पीने के लिए अन्न, पानी, सब्जी, मिठाई, नमक, घी, मसाले और शीत अलमारी आदि, चलने-फिरने के लिए सड़क, साइकिल, स्कूटर, मोटर, रेल, जहाज आदि; पढ़ने-लिखने के लिए पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, कागज कलम, स्याही आदि; रहने-पहिनने के लिए घर-द्वार, कपड़े, हीटर, शीतक आदि; सोने के लिए चारपाई, पंखा मसहरी आदि; प्रकाश के लिए दीपक, लालटेन, बिजली की बत्ती आदि जितनी चीजें भी हम इस्तेमाल करते हैं, इन सब में, इनके उत्पादन करने, बनाने, गढ़ने से किसी न किसी रूप से विज्ञान की आवश्यकता अवश्य होती है। इसलिए लगभग सभी को इसकी जानकारी होनी चाहिए चाहे वह कोई सामान्य व्यक्ति हो या विद्वान, खेतिहर हो या व्यवसायी, कर्मचारी हो या अधिकारी या कोई उद्योगपति ही हो। किसी के लिए यह जानकारी स्थूल रूप में ही पर्याप्त हो सकती है और किसी के लिए सूक्ष्म रूप में। इसलिए जनता की भाषा में विज्ञान साहित्य की आवश्यकता है। आइए विचार करे कि यह आवश्यकता पूरी करने के लिए विज्ञान साहित्य कैसा होना चाहिए।

विज्ञान साहित्य कैसा हो

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यदि विज्ञान साहित्य की रचना निम्नलिखित तीन उद्देश्यों की तिपाई पर खड़ी की जाए तो वह सार्थक होगी :

1–विज्ञान के शुष्क तथ्य रोचक शैली से प्रस्तुत करना, जिससे पाठक या अध्येता का मन न ऊबे;

2–विज्ञान के गंभीर तथ्य सरल भाषा में प्रस्तुत करना, जिससे वे आसानी से समझे–समझाए जा सकें; और

3–नई–नई शोधों और गवेषणाओं की तर्कसंगत कल्पना करके उनके लिए मार्ग सुझाना और भावी संभावनाओं की ओर इंगित करना जिससे पाठकों में धैर्यपूर्वक काम से लगे रहने और परिश्रम करने की प्रवृत्ति बढ़ सके।

उपर्युक्त उद्देश्य पूरे करने में क्या सावधानी रखनी चाहिए, उस पर भी कुछ विचार करना उपयोगी होगा।

कोई भी तथ्य शुष्क होते हैं या सरस, यह तथ्यों पर नहीं, उनके व्यक्त करने के ढंग पर निर्भर होता है। एक बहुत पुराना उदाहरण है "सूखा ठूंठ खड़ा है आगे" कविता नहीं, शुष्क तथ्य है, किन्तु यदि इसे ही कहें "गतरस तरुवर विलसत सनमुख," तो वही तथ्य रसात्मक वाक्य या काव्य बन जाता है। अर्थात् भाषा में लालित्य और शैली से रोचकता हो तो विज्ञान के तथ्य रूखे–सूखे नहीं रहें। विज्ञान की अधिकतर पाठ्य पुस्तकों की भाषा नीरस होती है जिसकी ओर छात्र

आकर्षित नहीं होते, पढ़ने में उनका मन नहीं लगता, और विषय उन्हें कठिन प्रतीत होता है।

लालित्य और रोचकता बढ़ाने के लिए रस और अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा और रुपक आदि की साहित्य में भरमार है और प्रतिष्ठा भी। किंतु विज्ञान लेखन में हमें फूंक–फूंक कर कदम रखने की जरूरत है, नहीं तो अत्युत्साहवश नमक–मिर्च मिलाने से हमारा लेखन भी पोंगा–पुराण (मिथक) और गल्प (या गप्प) की श्रेणी में पहुंच जाएगा। एक उदाहरण से यह भली भांति स्पष्ट हो जाएगा।

किसी समय विद्वानों ने बताया कि गणतंत्र का स्वामी (राजा या शासक) ऐसी होना चाहिए जिसका दिमाग बड़ा हो ताकि वह सारे गण की छोटी बड़ी समस्याओं पर भली–भंति विचार कर सके (दिमाग बड़ा होगा तो सिर बड़ा होगा ही, किन्तु अंग्रेजी का (Swollen head) नहीं; आंखें भले ही छोटी हो (यानी सुंदरता की प्रतीक बड़ी–बड़ी आंखें न हों तो कोई हर्ज नहीं), किन्तु नासिका दूर–दूर तक की दुरभिसंधियों की गंध पा लेने में अवश्य सक्षम होनी चाहिएं; कान भी बड़े हो ताकि विशाल गणतंत्र की सदस्य जनता के दुख–दर्द की आवाज सुन सकें; और बलवान तो वह होना ही चाहिए। कोई उदाहरण ही देना हो तो हाथी उपयुक्त है, जिसका सिर भारी, कान बड़े, आंखें छोटी और नाक लंबी होती है। हाथी के दांत भी खाने के और, दिखाने के और होते हैं; उसी प्रकार राजा के काम करने के ढंग भी गुप्त होने चाहिए, दिखाने के लिए कुछ और ही व्यवस्था करनी पड़ सकती है ताकि उसके भेद न खुल जाएं, नहीं तो उस अंत न होई निबाहू, हां दिखाने के दांत दो नहीं एक ही पर्याप्त होगा जिससे कोई उसके दिखावटी होने का संदेह न कर सके।

शेर भी बलवान होता है, किंतु वह जंगल का ही राजा हो सकता है। जंगल के राज में अपना पेट भरने के लिए दूसरे जानवरों का शिकार किया जा सकता है। किंतु गणतंत्र का शासक तो अत्यंत दयालु होगा, वह अन्य प्राणियों का रक्षक होगा, भक्षक नहीं, पोषक होगा, शोषक नहीं। उसकी उपमा के लिए तो हाथी ही ठीक है, शेर नहीं। हाँ, उसका पेट बड़ा होना जरूरी है ताकि वह सब कुछ पेट में रख सके, हजम कर सके, क्योंकि जिसके पेट में बात न पचती हो, वह गणतंत्र के भेद कैसे गुप्त रख सकेगा? फिर उसकी पहुंच भी सर्वत्र हो सकनी चाहिए, जैसे चूहा सभी जगह अपना मार्ग निकाल लेता है। लोग ऐसे शासक का स्मरण अपने कार्य आरंभ करते समय करते हैं ताकि वे निर्विघ्न पूर्ण हो जाएं। आज कल भी परिपाटी है राजपुरुषों का सहयोग लेने की–उनसे कार्यारंभ या शिलान्यास करवाकर। उनके पास सब साधन होते हैं और वे इतने सामर्थवान होते हैं मानों उनके चार हाथ हों।

साहित्य में लंबे–लंबे रूपकों की, सर्वांग संपूर्ण उपमाओं की प्रशंसा की जाती है। कालिदास अपनी उपमाओं के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं। तुलसी के भी कुछ रूपक तो कई–कई पृष्ठों तक चलते हैं, और कुछ का निर्वाह तो रचना के आदि से अंत तक भी होता है। ऐसे कवि श्रेष्ठ समझे जाते हैं। बस, किसी कविश्रेष्ठ ने किसी गणतंत्र के प्रमुख (गणपति या गणेश) का वर्णन कर डाला–विघ्नहरण, करिवरवदन, एकदंत, दयावंत, चार भुजा धारी, लंबोदर, मूसे की सवारी, आदि–आदि। फिर हमारे कला–कुशल चित्रकार और छेनी के धनी मूर्तिकार भी अपना उत्साह दिखाने में पीछे क्यों रहते। श्रेष्ठ कवियों ने गणपति वर्णन के चित्रकाव्य तैयार कर रखे थे। उन्हीं के आधार पर बढ़िया से बढ़िया चित्र बने, और सुन्दर से सुन्दर मूर्तियां गढ़ी गई, जिनमें हाथी का सिर जिसमें एक दांत टूटा हुआ हो, चार भुजाएं, भारी तोंद और चूहे की सवारी आदि बड़े कलात्मक ढंग से प्रस्तुत हुए। बस, लोगों का ध्यान विद्वानों द्वारा गणतंत्र के शासक में अपेक्षित गुणों की ओर नहीं, बल्कि कोई कार्य निर्विघ्न पूर्ण करने के उद्देश्य से उसके आरंभ में गणेश जी की इसी मूर्ति की पूजा की ओर ही केन्द्रित हो कर रह गया।

कहने का तात्पर्य यह है कि हमें लालित्य और रोचकता बढ़ाने के लिए, रस–सृष्टि करने के लिए, भाषा तो संवारनी चाहिए, किंतु इतना नमक–मिर्च लगाने की आवश्यकता नहीं है कि केवल नमक–मिर्च ही हाथ रहे और मूल तथ्य कहीं खो जाए। हमारा बहुत सा पुराना साहित्य ऐसा ही पुराण–साहित्य है जिसमें वैभवशाली वाणी–विलास के भार के नीचे दबे हुए हितकर अंश या मूल तथ्य को खोज निकालना बड़े परिश्रम का काम है; और आज–कल भला इतनी जहमत कौन उठा सकता है? आदि इंजीनियर राजा भगीरथ के भारी प्रयास से गंगा गगनचुंबी हिमशिखर से निकलकर घने जंगलों से ढकी पहाड़ी उपत्यकाओं में खो गई। गंगावतरण के इस भौगोलिक तथ्य का चित्र गगन से गिरकर गिरीश की जटाओं में विहार करने वाली गंगानाम्नी किसी स्त्री के रूप में करके कवियों, चित्रकारों और मूर्तिकारों ने यश भले ही लटा हो जन–सामान्य तो साहित्य के हितकारी अंश से बहुत-कुछ वंचित ही रहा है और सत्य की तो उसे झलक भी नहीं मिल पाई। विज्ञान–लेखक को इस प्रवृत्ति से सतर्क रहना चाहिए।

विज्ञान लेखन की विशेष समस्याएं

विज्ञान–लेखन सामान्य कथा–कहानी लिखने जैसा नहीं होता। इसमें तो लेखक की पूरी अग्नि–परीक्षा ही हो जाती है। इस संबंध में कुछ विशेष समस्याओं की चर्चा यहां अप्रसांगिक न होगी।

सामान्य कहानी या उपन्यास में व्यक्ति, काल, स्थान आदि काल्पनिक हुआ करते है। कभी–कभी तो सत्य कथाओं में भी कानूनी पेचीदगियोंसे बचने के लिए जान–बूझ कर, या मात्र सुविधा के लिए पात्रों और स्थानों के नाम बदल दिए जाते हैं। अधिकतर कहानियां या उपन्यास मात्र मनोरंजन की दृष्टि से लिखे जाते हैं, तथ्य उद्घाटन की दृष्टि से नहीं। इसलिए पात्र आदि के सही नाम हो या काल्पनिक, कोई फर्क नहीं पड़ता। किंतु विज्ञान लेखक तो सत्य का अनन्य पुजारी होता है। उसे तो तथ्यों की तलवार की धार पर ही चलना होता है, हेर–फेर की इंच मात्र भी गुंजाइश नहीं होती। यदि कोई लेखक भूल से, अज्ञान से या जल्दबाजी में ही सही, गति संबंधी सिद्धांतों के प्रणेता का नाम न्यूटन के बजाय मिल्टन (या कुछ और ही) लिख दे, तो उसकी सारी रचना तो रद्दी की टोकरी मे जाने योग्य होगी ही, वह स्वयं भी अपराधी की कोटि में आ सकता है। इसलिए जिसको विज्ञान के छोटे–बड़े सभी संबंधित तथ्यों की पूरी–पूरी और सही जानकारी होगी, वही विज्ञान लेखन के लिए कलम उठाने का साहस कर सकता है। अधकचरे ज्ञान से यहां काम नहीं चलता, यह सबसे बड़ी कठिनाई है।

भविष्य की कहानी प्रस्तुत करने वाली कहानियों उपन्यासों में तो लेखक को और भी अधिक कठिनाई होती है। भविष्य के बारे में किसी भी विचार को तथ्य कह नहीं सकते, होगा वह भविष्य–कथन के ही ढंग का, बेशक उसका आधार वैज्ञानिक विवेचन और प्रयोगों से

प्राप्त निष्कर्ष होंगे आकाश के ग्रह तारे या हाथ की रेखाएं नहीं। उसकी नियति भी उसी प्रकार की होगी। यानी यदि वह विचार, कुछ समय बाद ठीक सिद्ध होता है या ठीक दिशा से सोचा हुआ लगता है, तो रचनाकार की और रचना की प्रतिष्ठा बराबर बढ़ती जायेगी। किन्तु यदि उसके सही होने की कोई संभावना ही नहीं दीख पड़ती, तो रचना दो कौड़ी की मान ली जाएगी।

हिन्दी विज्ञान साहित्य कितना है ?

तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन में नई दिल्ली में हिन्दी की प्रसिद्ध विदुषी डा. महादेवी वर्मा ने कहा था :

"हिन्दी की घोड़ा–गाड़ी में गाड़ी चलाने के लिए लगाया गया विकास रूपी घोड़ा आगे के बजाय पीछे की ओर जोड़ दिया गया है जो हिन्दी को विकास की मंजिल पर आगे ले जाने के बजाय उसे पीछे की ओर खींच रहा है और दोष दिया जा रहा है कि हिन्दी विकसित नहीं है। जब विकसित हो जाएगी तब इससे काम करने की सोचेंगे। अरे भईया अब दोष देना छोड़ो, और हिन्दी की घोड़ागाड़ी से विकासरूपी घोड़ा पीछे के बजाय आगे जोड़ो। तब आप देखेंगे कि हिन्दी तो चलती नहीं है बल्कि दौड़ती है।"

वास्तव में कमी यही है कि हमारे इरादे साफ नहीं है। हमारी शिक्षा-नीति आज़ादी के 38 साल बाद भी अभी तक बदली नहीं है। बहुत से आयोग और समितियां इसके लिए गठित होती रही हैं, किंतु उन सब की रिपोर्टें अलमारियों में पड़ी धूल फांक रही है, और हम देश–काल की दृष्टि से अत्यन्त ही अनुपयुक्त मेकाले की नीति छोड़ने का नाम नहीं ले रहे, उस बंदरिया की भांति जो अपने मरे हुए बच्चे को भी मोहवश चिपकाय रहती है। जब तक शिक्षा का माध्यम नहीं बदलेगा, पुस्तकों का उपयोग न हो सकेगा, और फलस्वरूप नए साहित्य का प्रणयन भी अधिक न होगा। हिंन्दी का विकास तब होगा जब उसका प्रयोग किया जाएगा। पानी में उतरे बिना कोई कैसे तैराक बन जाएगा ?

और साहित्य न होने का बहाना भी कितना लचर है, यह विद्यमान साहित्य की मात्रा पर एक दृष्टि डालने से ज्ञात हो जाएगा। लगभग पचास साल पहिले विशुद्ध विज्ञान की पढ़ाई हिंन्दी माध्यम से हुआ करती थी और पाठ्य पुस्तकें मौजूद थीं। जब स्नातक स्तर की पढ़ाई हिंन्दी से होने लगी हिन्दी की विज्ञान पुस्तकें भी उपलब्ध हो गई। किन्तु तकनीकी शिक्षा का माध्यम नहीं बदला, फिर भी प्रचुर साहित्य मौजूद है। लगभग पांच–छह सात साल पहिले इंस्टिट्यूशन आफ इंजीनियर्स के हिन्दी जरनल में उपलब्ध इंजीनियरी पुस्तकों की एक सूची प्रकाशत हुई थी। यद्यपि वह सूची पूरी नहीं कही जा सकती थी, फिर भी पुस्तकों की संख्या 300 से अधिक थी। फिर कृषि विज्ञान की पुस्तकों की एक सूची 1982 में छपी जिसमें एक सौ से अधिक पुस्तकें थीं। सन् 1966 से 1980 तक 15 वर्षों में प्रकाशित हिन्दी वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य की एक निदेशिका वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने प्रकाशित की है जिसके अनुसार तीन हजार से भी अधिक पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है। ये चिकित्सा विज्ञान से लेकर इंजीनियरी, कृषि तथा अन्य सभी जन सामान्य के तथा स्कूल-कालेजों केवैज्ञानिक विषयों की है। 1980 के बाद भी बहुत सा साहित्य प्रकाशित हुआ है। शिक्षा का माध्यम पूरी तरह हिन्दी हो जाए तो साहित्य–सृजन और भी तेजी से होने लगा। मौलिक विज्ञान-साहित्य-लेखन के लिए भारत सरकार अनेक पुरस्कार भी देती है। इससे भी लेखन को प्रोत्साहन मिला है।

एक रोचक तथ्य यह भी है कि हिंन्दी में वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिकाओं की भी कमी नहीं है। आज कृषि, चिकित्सा, इंजीनियरी, भूविज्ञान, प्राणिविज्ञान आदि अनेक विषयों पर हिंन्दी में नियमित रूप से लगभग 321 पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। इनमें से 82 ऐसी पत्रिकाएं हैं जिनमें हिंन्दी के साथ अंग्रेजी या अन्य भारतीय भाषोंओं में भी सामग्री प्रकाशित होती है। यहां यह बता देना उपयुक्त होगा कि हिन्दी में शोध पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती हैं। इनमें से विज्ञान परिषद अनुसंधान पत्रिका और दि इंस्टिट्यूशन आफ इंजीनियर्स का हिंन्दी जरनल प्रमुख हैं। इस जरनल की इस समय 11000 प्रतियां छपती हैं और समय–समय पर विशेषांक भी निकलते हैं जिनमें उच्चकोटि के शोध निबंध रहते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि अनेक वैज्ञानिक पत्रिकाएं गत 60–70 साल से नियमित रूप से प्रकाशित हो रहीं हैं। उदाहरण के लिए आयुर्वेद महासम्मेलन पत्रिका 1933 से, विज्ञान 1915 से और उद्यम 1919 से निकल रही हैं। इनके अतिरिक्त उच्चस्तर की विज्ञान कथाएं साप्ताहिक हिन्दुस्तान, धर्मयुग तथा विज्ञान प्रगति में भी प्रकाशित होती रहती हैं। साप्ताहिक हिन्दुस्तान, विज्ञान प्रगति, मेला पाक्षिक, पराग और विज्ञान पत्रिकाओं के विज्ञान कथा विशेषांक भी समय–समय पर निकले हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी विज्ञान साहित्य के बारे में हमारी दशा दिन पर दिन सुधर रही है। साहित्य के प्रयोग की दशा भले ही निराशाजनक हो, उसके प्रणयन की स्थिति निराशाजनक नहीं है।

सी-154, लोक विहार, दिल्ली–110034

हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने में कार्यपालकों की भूमिका

–हरिनाथ बौहरा

(भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वाधान में 18 जनवरी 1985 को अहमदाबाद में आयोजित सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं आदि के वेत्तम अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के ऊपर प्रस्तुत निबन्ध)

प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में आम आदमी और सरकार के बीच भाषा की खाई नहीं रहनी चाहिए और प्रशासन का कार्य जनता की भाषा में किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए भारत के संविधान में हिन्दी को संघ की राजभाषा बनाया गया है। सभी स्तरों पर इस बात के लिए गहन प्रयत्न किए जा रहे हैं कि कर्मचारियों में हिन्दी का प्रयोग राजभाषा के रूप में करने की इच्छा निरन्तर बलवती होती रहे तथा केन्द्र सरकार के कार्यालयों में रोजमर्रा का काम हिन्दी में बराबर बढ़े। यह बात हम सभी जानते हैं कि हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने की दिशा में केन्द्र सरकार के कार्यालयों तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों आदि में काफी काम हुआ है। हिन्दी में मूल पत्राचार बढ़ रहा है; हिन्दी पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही प्रेषित किए जाते हैं; हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण देने पर बराबर बल दिया जा रहा है; अहिन्दी भाषी कर्मचारी हिन्दी सीख रहे हैं, हिन्दी टंकण मशीनें कार्यालयों में दी जा रही हैं, हिन्दी में टिप्पण और प्रारुप लिखने का अभ्यास कराने के लिए अनेक स्थानों पर हिन्दी कार्यशालाएं लगाई जा रही हैं; विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में हिन्दी प्रशिक्षण को प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियमित अंग बना दिया गया है; लगभग सभी प्रशासनिक कार्यालयों में हिन्दी कक्ष स्थापित किए गए हैं; जांच बिन्दु बनाए गए हैं तथा निरीक्षण अधिकारियों, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अधिकारियों एवं संसदीय राजभाषा समिति द्वारा भी समय-समय पर शाखाओं/कार्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है।

इस संदर्भ में हम कुछ आँकड़ों का अवलोकन करना चाहते हैं। मैं अपने विश्लेषण को सरकारी क्षेत्र के बैंकों आदि में हिन्दी के कार्य में हुई प्रगति तक ही सीमित रखना चाहता हूँ। मेरे विश्लेषण का आधार 30 जून, 1984 को समाप्त तिमाही की वह रिपोर्ट है जो भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग के पास सरकारी क्षेत्र के 26 बैंकों के कार्य निष्पादन के बारे में प्रेषित की थी तथा जिसे वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग ने नई दिल्ली में 27 नवम्बर, 1984 को आयोजित अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 34वीं बैठक में प्रस्तुत किया था। इसलिए मैं यह कह सकता हूँ कि ये आँकड़े अद्यतन हैं। इन आँकड़ों से निम्नलिखित बातों का पता चलता है :–

1. हिन्दी टंककों की संख्या –3,671
2. हिन्दी आशुलिपिकों की संख्या –288
3. देवनागरी टंकण मशीनों की संख्या –1,582
4. द्विभाषिक सामान्य आदेशों आदि की संख्या –70,255
5. द्विभाषिक प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टों की संख्या –14,547
6. द्विभाषिक टेंडर फार्मों और नोटिसों आदि की संख्या –91,212
7. ऐसे हिन्दी पत्रों की संख्या जो हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर में लिखे गए –5,00,097
8. हिन्दी में मूल रूप में लिखे गए पत्रों की संख्या –21,88,690

उपर्युक्त आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि बैंकों में भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की दिशा में हमने किस हद तक सफलता प्राप्त की है। यह तस्वीर निःसंदेह काफी प्रेरणादायक है।

अब हम सिक्के के दूसरे पहलू पर विचार करें। मैं जो विवरण अब आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसमें से कुछ बातें चौंका देने वाली हैं क्योंकि हिन्दी के प्रयोग के बारे में इन आंकड़ों से हमारे सामने जो चित्र आ रहा है वह भारत के संविधान में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने के 34 वर्षों बाद अर्थात् 1984 का है :

(1) तिमाही प्रगति रिपोर्टें समय पर प्राप्त नहीं होतीं।

(2) जहाँ तक अहिन्दी भाषी कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रश्न हैं, इस दिशा में अभी बहुत काम बाकी है। कुछ बैंकों में तो 70 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना है। इन आँकड़ों में उन नए अहिन्दीभाषी कर्मचारियों की संख्या सम्मिलित नहीं की गई है जो बैंकों में नियुक्त हो रहे हैं।

(3) कुछ बैंकों में हिन्दी टंककों और हिन्दी आशुलिपिकों की संख्या अँग्रेज़ी टंककों और अँग्रेज़ी आशुलिपिकों की तुलना में बहुत कम है। जहाँ अँग्रेज़ी के 40,998 टंकक हैं वहाँ हिन्दी के केवल 3,671 टंकक हैं। इसी प्रकार अँग्रेज़ी के 3,370 आशुलिपिकों की तुलना में हिन्दी के केवल 288 आशुलिपिक हैं।

(4) लगभग सभी बैंकों में अँग्रेज़ी टंकण मशीनों की तुलना में हिन्दी टंकण मशीनों की संख्या बहुत कम है। बैंकों में फिलहाल 26,036 रोमन टंकण मशीनों की तुलना में देवनागरी की 1,582 टंकण मशीनें हैं।

(5) यह नोट किया गया है कि कुछ बैंकों में हिन्दी का कार्य-साधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक है, परन्तु ऐसे कर्मचारियों की संख्या जो अपना 25 प्रतिशत से अधिक काम हिन्दी में करते हैं, 20 प्रतिशत से भी कम है। यह भी नोट किया गया है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) की अवहेलना करते हुए अब भी सामान्य आदेश, संकल्प, अधिसूचना, रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्ति, टेंडर नोटिस, टेंडर फार्म आदि केवल अँग्रेज़ी में जारी किए जा रहे हैं। आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि 23,831 सामान्य आदेश, 1,124 प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट, 1,836 संकल्प, 90 प्रेस विज्ञप्तियां और 1,325 टेंडर नोटिस और टेंडर समीक्षाधीन तिमाही के दौरान केवल अँग्रेजी में जारी किए गए।

(6) हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अब भी अँग्रेज़ी में दिया जाता है। रिपोर्ट से यह बात स्पष्ट होती है कि हिन्दी में प्राप्त 5,397 पत्रों का उत्तर अँग्रेज़ी में दिया गया।

(7) बहुत से फार्म, रजिस्टरों के शीर्ष, मैनुअल, कोड आदि अभी तक द्विभाषिक रूप से प्रकाशित नहीं हुए हैं।

(8) कुछ बैंकों में हिन्दी के कार्य के लिए न्यूनतम पदों का सृजन नहीं हुआ है और जहाँ ऐसे पदों का सृजन हुआ भी है, वहाँ उन्हें अभी तक किसी कारणवश नहीं भरा जा सका है।

(9) रिपोर्ट से यह बात स्पष्ट होती है कि 1983 की रिजर्व बैंक राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता में 'क' क्षेत्र के लिए 7 बैंकों ने, 'ख' क्षेत्र के लिए 7 बैंकों ने, 'ग' क्षेत्र के लिए 8 बैंकों ने और 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों के लिए तीन वित्तीय संस्थाओं ने भाग ही नहीं लिया।

(10) बैंकों द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट आदि में प्रेषित आँकड़ों की सत्यता के बारे में संदेह किए गए हैं।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अभी हमें इस दिश में कितना कार्य और करना है।

प्रश्न यह है कि बैंकों को नेतृत्व कौन प्रदान करेगा जिससे कि उपर्युक्त कमियाँ दूर की जा सकें। मेरे विचार से यह कार्य पालकों का उत्तरदायित्व है कि वे अपने-अपने बैंकों में नेतृत्व प्रदान करें। वस्तुतः किसी भी संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य पालक तभी प्रभावी हो सकते हैं जब कि उनकी सूचना प्रणाली सुदृढ़ हो और उनमें दक्षता, दूरदर्शिता और समर्पण की भावना हो। कार्यपालक अपने कार्य में किस हद तक प्रभावी होंगे यह इस बात पर ही निर्भर करता है कि उनकी प्रयोजन मूलक, संगठनात्मक और परिवेश संबंधी सूचना प्रणाली कैसी है तथा उनमें प्रयोजनमूलक और अन्तर-वैयक्तिक दक्षता अन्तरदृष्टि और दूरदर्शिता कितनी है। उनकी उपलब्धि, शक्ति, लोकप्रियता और व्यवस्था के प्रति आदर की भावना पर भी उनकी कार्यकुशलता निर्भर करती है। कार्यपालकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी तकनीकी और प्रशासनिक दक्षता से संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों का मार्ग-निर्देशन करें, उनमें उपलब्धि की भावना भरें, कार्य के प्रति उनमें समर्पण की भावना पैदा करें और इस बात को स्पष्ट करें कि संस्था के द्वारा किए जा रहे कार्य का समाज पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। राष्ट्रीयकरण के पश्चात् सरकारी क्षेत्र के बैंकों का एक पुनीत उद्देश्य यह भी है कि वे हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में काम करें। इसलिए कार्यपालकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उपर्युक्त कमियों को यथाशीघ्र दूर करने के उपायों पर विचार करें। इस संदर्भ में उन्हें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित बातों की ओर भी ध्यान देना चाहिए :—

(1) कार्यपालकों को हिन्दी के कार्य के लिए अपना कुछ और समय निकालना चाहिए। यह अनुभव किया गया है कि वे बैंक के विभिन्न कार्यकलापों में इतने डूबे रहते हैं कि उन्हें हिन्दी के कार्य में कुछ सोचने का समय ही नहीं मिल पाता। उन्हें यह बात सावधानी पूर्वक नोट करनी चाहिए कि भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन इतना ही जरूरी है जितना कि बैंक का कोई अन्य कार्य।

यह भी नोट किया गया है कि बहुत से कार्यपालक भारतीय रिज़र्व बैंक, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय आदि द्वारा आयोजित बैठकों, समारोहों, सम्मेलनों आदि में भाग नहीं ले पाते हैं। मेरा यह विचार है कि उन्हें ऐसे सम्मेलनों आदि में यथासम्भव भाग लेना चाहिए। इससे उन्हें हिन्दी की समस्याओं को विस्तार से समझने का मौका मिलेगा। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सम्मेलन ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ विचार-विमर्श के पश्चात् आपस में मिलजुल कर समूचे उद्योग के स्तर पर निर्णय लिए जा सकते हैं। इसलिए ऐसे मंचों पर कार्यपालकों की उपस्थिति का अपना विशेष महत्व है।

(2) मुझे यह ज्ञात हुआ है कि कुछ स्तरों पर कुछ कार्यालयों में हिन्दी अधिकारियों की उपेक्षा की जाती है। मैं यह सोचता हूं कि हिन्दी अधिकारियों के काम की अब प्रधान कार्यालय के स्तर पर मान्यता मिलने लगी है, परन्तु मंडल कार्यालय स्तर या शाखा स्तर पर उनके काम को मान्यता नहीं मिल पाई है। दिनांक 29 जुलाई, 1984 के धर्मयुग के पृष्ठ 13 पर यह खबर प्रकाशित हुई थी कि किसी बैंक के प्रबंधकर्ता द्वारा उपेक्षित रहने के कारण एक हिन्दी अधिकारी मौत का शिकार हुआ। मुझे इस मामले के बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि बैंक के प्रबंधतंत्र को राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से जुड़े हुए अधिकारियों और कर्मचारियों सहित अपने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का समूचित ध्यान रखना चाहिए।

(3) सभी स्तरों पर इस बात के प्रयास किए जाने चाहिए कि राजभाषा संबंधी आदेशों के प्रति सभी कर्मचारियों में जागरूकता आए। इस दिशा में भी कार्यपालक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। जब भी कभी वे विभिन्न

मंडल कार्यालयों आदि का किसी भी उद्देश्य से दौरा करें, उन्हें राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित समस्याओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

(4) मुख्य कार्यपालक, वरिष्ठ कार्य पालक आदि के स्तर पर मूल समस्या,संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ हद तक महत्वपूर्ण एवं पेचीदे निर्णय लेने से संबंधित और कुछ हद तकसंस्था के नियंत्रण एवं उसकी योजना के संबंध में निर्णय लेने से संबंधित होती है। इसलिए कार्यपालकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के बारे में भी निर्णय लेने में तत्परता दिखालाएँ।

(5) राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए बैंकों में पर्याप्त स्टाफ होना चाहिए और इस संबंध में जो कमियाँ हैं उन्हें दूर करने के लिए यथाशीघ्र प्रयास किए जाएँ। कार्यपालकों को इस समस्या पर भी विचार करना चाहिए कि विभिन्न प्रशिक्षण, कार्यक्रमों में प्रशिक्षित कर्मचारियों का सही उपयोग प्रशिक्षण के पश्चात् किस प्रकार सुनिश्चित किया जाए। हम कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के महत्व को समझते हैं, परन्तु प्रशिक्षण का उपयोग बैंक के कार्य में अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

बैंकों में हिन्दी के काम को बढ़ाने के लिए कार्यपालकों की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर मैंने संक्षेप में ऊपर प्रकाश डाला है। यह सम्मेलन भारतीय रिज़र्व बैंक और वित्त मंत्रालय के सुयोग्य मार्ग-निर्देशन में तथा सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के सक्रिय सहयोग से अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित किया गया है। मुझे आशा है कि इससे बैंकों आदि में हिन्दी का कार्य बढ़ाने की दिशा में हमारा मार्ग और प्रशस्त होगा।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि हमें दो प्रमुख सिद्धांतों अर्थात् मिलजुलकर और समझा बुझाकर कार्य करने की भावना के आधार पर ही हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाना है। इसका परिणाम होगा कि हिन्दी पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए पूरे देश में प्रयुक्त हो सकेगी। सम्भव है इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें कुछ समय और लगे, परन्तु ऐसे मामलों में जल्दबाजी करना कभी–कभी घातक सिद्ध हो सकता है। यदि हमारे लक्ष्य स्पष्ट, हमारे मार्ग सही हैं और हम में संकल्प–शक्ति है तो निश्चित ही हमें अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी।

महाप्रबन्धक
यूनाइटिड कमर्शियल बैंक

"आज भी में वही कहता हूं जो पहले कहता था, सब को हिन्दी सीखनी चाहिए। इसके द्वारा उत्तर और दक्षिण के काम में तथा भाव-विनिमय म सुविधा होगी।"

——चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

भारतीय भाषाओं में साम्य मूलक आन्दोलन का सूत्रपात

—प्रो० विजयेन्द्र स्नातक

(दिल्ली विश्वविद्यालय के भूतपूर्व अध्यक्ष प्रो० विजयेन्द्र स्नातक हिन्दी साहित्य में एक जाना माना नाम है। स्नातक जी हिन्दी के केवल अध्यापक ही नहीं बल्कि हिन्दी को राजभाषा के रूप में प्रतिस्थापित करने की दिशा में भी सतत प्रयत्नशील रहे हैं। प्रस्तुत लेख में भारत की भाषा समस्या पर स्नातक जी के अपने व्यक्तिगत विचार हैं। पर जो भी मुद्दे स्नातक जी ने उठाए हैं वे विचाराधीन हैं)

स्वतंत्र भारत को आज ऐसी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिन का समाधान सरलता से खोज पाना कठिन है। भाषा-समस्या भी उनमें एक है। भाषावार प्रान्तों के निर्माण के बाद कुछ निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों ने इसे और अधिक जटिल बना दिया है। पर-तन्त्र भारत में हमारे देश के नेताओं ने भाषा विषयक प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया था और इस प्रश्न का हल ढूंढ निकाला था। उस समय राष्ट्रीय एकता ही हमारे नेताओं और समाज सुधारकों का लक्ष्य था। यदि हम पुनर्जागरण काल से लेकर सन् 1947 तक भारत के मनीषियों की विचारधारा का आकलन करें तो पायेंगे कि पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण सभी प्रदेशों के विचारशील व्यक्ति भारत की एकता के लिए एक सम्पर्क भाषा की आवश्यकता पर बल देते रहे हैं। आज इनके नाम गिनाने की जरूरत नहीं है। शिक्षित वर्ग में उनके नाम उनकी राष्ट्र सेवा के संदर्भ में विख्यात हैं। किन्तु इधर पन्द्रह-बीस वर्षों से भारत में भाषा भी एक विकट पहेली बन गई है। उसका सही समाधान अब राजनेताओं को नहीं, भारत की जनता को स्वयं पारस्परिक सौहार्द, सद्भाव, सहयोग, समन्वय और आदान-प्रदान से खोजना होगा।

भाषा-साम्य की तलाश

भारत एक बहुभाषा भाषी देश है। हमारे राष्ट्रीय संविधान में तो केवल पन्द्रह प्रमुख भाषाओं को ही स्थान दिया गया है किन्तु इन प्रमुख भाषाओं के सिवाय उपभाषा और बोलियों की संख्या तो एक हजार से ऊपर है। इन बोलियों को बोलने वाले, उन बोलियों को अपनी मातृ-भाषा कहते हैं। हिन्दी भाषा की उपभाषाओं में सर्वाधिक बोलियां समाविष्ट है। बयालीस प्रतिशत व्यक्ति हिन्दी या हिन्दुस्तानी भाषा को बोलते और समझते हैं। भारत में अभारतीय भाषाओं का प्रयोग करने वाले व्यक्ति भी हैं और ऐसी भाषाओं की संख्या 103 है। ऐसी स्थिति में भारतीय भाषाओं का पारस्परिक आदान-प्रदान होना सच्चे लोकतंत्रीय शासन प्रणाली वाले देश के लिए वांछनीय ही नहीं, अनिवार्य आवश्यकता है। यदि सभी भारतीय भाषाएं अपना-अपना झंडा लेकर प्रादेशिक स्तर पर अपना प्रचार करने में जुटेंगी तो राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक होंगी। यह तथ्य सन् 1965 के बाद हुए हिन्दी-अंग्रेजी विरोधी आन्दोलनों के परिवेश में भलीभांति समझा जा सकता है। उस समय हिन्दी-विरोध का जो उग्र आन्दोलन तमिलनाडु में फैला उससे राष्ट्रीय एकता के स्वभाव को धक्का लगा। अलगाव की प्रवृत्ति ने जोर पकड़ा। प्रान्तीयता की संकीर्ण भावना ने भारतीयता को ठेस पहुंचाई। सारे देश ने यह अनुभव किया कि अपने राष्ट्रीय संविधान में स्वीकृत भाषा का विरोध राष्ट्र हित में नहीं है। उसकी प्रतिक्रिया अंग्रेजी प्रतिरोध के रूप में सामने आई उससे भी राष्ट्र का अहित ही हुआ। फलतः आज बीस वर्ष बाद हम यह अनुभव करते हैं कि यदि राष्ट्र में सच्ची भावात्मक एकता की स्थापना अभीष्ट है तो हमें सभी भारतीय भाषाओं के पारस्परिक सौहार्द और समन्वय के तत्व तलाशने होंगे। सभी भाषा भाषियों का यह पुनीत कर्तव्य होगा कि वे अपनी मातृभाषा के प्रति अनन्य निष्ठा रखते हुए दूसरी भाषाओं से भी स्नेह, सद्भाव और भाषा-विषयक तालमेल पैदा करें।

भाषा विधायक तत्व

भाषा के चार मुख्य पक्ष हैं, ध्वनियां, व्याकरण, मुहावरा और शब्दावली। यदि किसी भाषा की ध्वनियां हमारी भाषा से भिन्न हैं तो उन विशिष्ट ध्वनियों के उच्चारण में हमें कठिनाई होती है। सामान्य नियम यह है कि अपरिचित ध्वनि के लिए निकटतम ध्वनि का प्रयोग किया जाए। ध्वनि में कुछ विपर्यय भी आवे तो उसकी परवाह न की जाय। शुद्ध उच्चारण अच्छी बात है किन्तु अन्य भाषा-भाषी यदि हमारी ध्वनियों को कुछ भिन्न ढंग से बोलें तो हमें उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, न उसका उपहास करना चाहिए। ध्वनि विषयक वैसम्य विश्व की प्रत्येक भाषा में लक्षित किया जा सकता है। हमारे देश में ही बंगाली और मद्रासी भाई अंग्रेजी भाषा की ध्वनियों को बिल्कुल भिन्न स्वर में बोलते हैं। हमें उनके उच्चारण से कोई कष्ट नहीं होता। यह सरलीकरण की प्रवृत्ति है जो भाषाओं को एक दूसरे के पास लाती है। इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना ठीक ही है।

व्याकरण भी भाषा की एक मुख्य मेरुदण्ड है। भारत की भाषाओं में हिन्दी और उर्दु का व्याकरण तो लगभग समान है किन्तु अन्य भाषाओं में व्याकरण का भेद पाया जाता है। हिन्दी में क्रिया और नामवाचक शब्दों के लिंग भेद का प्रश्न कुछ जटिल है किन्तु इसको हल करने का उपाय यही है कि प्रयोग को छूट दी जाए कि वह अपनी मातृभाषा के अनुरूप शब्दों के लिंग का प्रयोग करे। दही, हाथी, आलू, गेंद, हालचाल आदि हिन्दी शब्द भिन्न-भिन्न लिंगों में प्रयुक्त हो रहे हैं। समझने वाला उन्हें ठीक समझ रहा है तो लिंग भद की कठिनाई को व्याकरण की पेचीदा समस्या न माना जाय। भाषाओं में पारस्परिक सहयोग की प्रक्रिया में व्याकरण की जकड़ को यदि जोड़ना अभीष्ट न हो तो ढील अवश्य देनी होगी। भाषा का सम्प्रेषणीय प्रयोजन मुख्य है, व्याकरण नहीं।

मुहावरा भाषा के जीवन्त रूप का सूचक होता है। जो भाषा जन-जीवन के व्यवहार में व्याप्त होकर विकसित होती है उसमें मुहावरा अपने आप ढल कर निकलने लगता है। आंख, हाथ, नाक, आदि से बीसियों मुहावरे बनते हैं। भारत की सभी भाषाओं में ऐसे मुहावरे पाये जाते हैं। यदि हम अपनी-अपनी भाषाओं के मुहावरों को भारतीय भाषाओं के मेल में रख कर देखें तो हमें आश्चर्य होगा कि इनमें पर्याप्त रूप में एकरूपता है। हमें चाहिए कि हम अन्य भारतीय भाषाओं से मुहावरे ग्रहण करें और आदान प्रदान की प्रक्रिया से भाषा-साम्य स्थापित करें।

शब्दावली के आदान प्रदान की बात पिछले पच्चीस–तीस वर्षों से बड़े जोर के साथ कही जा रही है। द्विभाषा-भाषी कोश बनने के साथ यह बात स्पष्ट हो गई है कि समानार्थक समरूप शब्दों को स्वीकार करने पर भाषा समृद्ध होती है। यदि आपकी मातृभाषा में किसी संज्ञा या क्रिया के लिए सरल-सुष्ठु शब्द नहीं है तो दूसरी किसी भी भारतीय भाषा से उसे ग्रहण करने में संकोच नहीं करना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में लगभग दो हजार शब्द हमारी भाषाओं से पहुंच गए हैं। हमने भी अंग्रेजी से सैंकड़ों शब्द लेकर अपनी भाषा को समृद्ध बनाया है। बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में सैंकड़ों शब्द संस्कृत के हैं, यदि हम उन्हें ज्यों का त्यों ग्रहण कर लें तो सरलता होगी। भाषा को समृद्ध और लोकप्रिय बनाने के साथ हम भाषा के स्तर पर भी भावात्मक एकता का पथ प्रशस्त करने में सफल होंगे। हमारी भाषाओं में सभी प्रकार के भावों, मनोविकारों और विचारों को प्रकट करने की पूरी क्षमता है, केवल आदान-प्रदान की कमी है। सैयद अहमद देहलवी ने अपने कोश "फहरंग आसफिया" में हिन्दी के शब्दों की संख्या 54,009 लिखी है जिसमें हिन्दी के 21,644 शब्द हैं। शेष शब्द विदेशी भाषाओं के हैं। अरबी, फारसी, तुर्की, यूनानी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि के शब्दों को भी हिन्दी में स्थान मिला है। अंग्रेजी के 500 शब्द उस समय भी थे। यदि हम आज पारस्परिक भाषा-शब्दों का आदान-प्रदान क्रम जारी रखें तो हजारों शब्द हमें अपनी भारतीय भाषाओं में ही सुलभ हो जायेंगे। हिन्दी म इस समय 3500 शब्द फारसी, 2500 अरबी, 100 के लगभग तुर्की शब्द प्रचलित हैं। अंग्रेजी शब्दों की संख्या अब गिनती से बाहर है। अब समय आ गया है कि बंगाली, मराठी, पंजाबी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि के शब्दों को सामान्य मात्रा में स्थान मिले। भाषा के साम्य मूलक आन्दोलन में यह प्रक्रिया सर्वग्राह्य होगी। हम शब्दों के लिए परमुखापेक्षी नहीं होंगे।

राष्ट्रीय एकता

राष्ट्रीय एकता के दो महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं: सांस्कृतिक और भावात्मक। भाषागत एकता सांस्कृतिक पक्ष के अन्तर्गत है। साथ ही, भावात्मक एकता में भी भाषा का पर्याप्त प्रभाव रहता है। किसी देश की संस्कृति के माध्यम हैं—धर्म, दर्शन, साहित्य, कला और भाषा। जब तक इन माध्यमों में एकता नहीं होगी, उस संस्कृति में भी एकता का विकास नहीं हो सकता। भारत में इन माध्यमों में पर्याप्त एकता रही है। केवल भाषा के क्षेत्र में विगत कुछ शताब्दियों से एकता में बाधा आई है। गुलामी के कारण भारत पर एक बहुत ही शक्तिशाली और आक्रामक भाषा ने अधिकार जमा लिया है। फलतः भारतवासी भावात्मक एकता की दिशा में अपनी एक भाषा की खोज में पथभ्रष्ट और विवेकशून्य हो गये हैं। कोई विदेशी भाषा चाहे वह फारसी हो या अंग्रेजी भारत की भावात्मक एकता की कड़ी नहीं बन सकती। भारत की भावात्मक एकता के लिए भारत के संविधान में स्वीकृत भाषाएं ही यह स्थान ले सकती हैं। इसके लिए भारतीय भाषाओं में तालमेल के साथ घनिष्ठ पारस्परिकता की आवश्यकता है। अभी तक हमने अपनी-अपनी मातृभाषाओं के संवर्धन के विषय में ही सोचा है किन्तु आज आवश्यकता है सभी भारतीय भाषाओं के पारस्परिक मेल-मिलाप और सहयोग की। तत्सम शब्दों के लिए संस्कृत से और तद्भव शब्दों के लिए प्रादेशिक भारतीय भाषाओं से हमें सहायता लेनी होगी। यह प्रक्रिया जितनी जल्दी प्रारंभ हो उतना ही भावात्मक एकता के लिए श्रेयस्कर होगा।

शब्द निर्माण प्रक्रिया

शब्द निर्माण का कार्य केन्द्रीय शासन के द्वारा विगत पच्चीस वर्षों से हो रहा है। पारिभाषिक और तकनीकी शब्द निर्माण में भारतीय भाषाओं के प्रचलित शब्द हमारे शब्दकोश में स्थान पा रहे हैं। यह एक शुभ लक्षण है। पंजाब और बंगाल दो सीमाएं हैं किन्तु दोनों भाषाओं में ऐसे शब्द हैं जो समस्त भारत में स्वीकार्य हो सकते हैं। इस संक्रांति काल में भाषा की शुद्धता पर अधिक जोर देने की जरूरत नहीं है। प्रयोग से शब्द में निखार आता है, अर्थ ग्रहण की शक्ति आती है और फिर शुद्धता भी स्वयं आ जाती है। शब्दकोश विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान डा० रघुवीर ने हिन्दी की शब्द सम्पदा के बारे में लिखा है—"हिन्दी की शब्द-संभावना अत्यधिक है। वह अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, जर्मन आदि भाषाओं के सारे शब्दों के लिए कम से कम पांच-पांच पर्याय प्रस्तुत कर सकती है। हिन्दी में एक धातु से दो सौ स अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं। रोमणी से लेकर थाईलैंड की भाषाओं तक हमारे शब्द फैले हुए हैं, वे कश्यप और कुमार जीव के साथ मंगोल और चीन तक गये हैं, जापान की वर्णमाला में भी वे छपे हैं और मध्य एशिया के अभिलेखों में भी सुरक्षित हैं।"

हिन्दी की स्थिति

भारतीय भाषाओं में साम्य-मूलक आन्दोलन का सूत्रपात करते समय हमें हिन्दी की वर्तमान स्थिति पर भी उदार एवं व्यापक दृष्टि-कोण से सोचना होगा। आज हिन्दी किसी एक प्रान्त की सीमित भाषा नहीं है। बिहार प्रान्त की भाषा भोजपुरी, मैथिली, मागधी, संथाली, मुंडारी, उराँव आदि है। इसी प्रकार राजस्थान में भी कई भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर प्रदेश में भी दो दर्जन बोलियां प्रचलित हैं। हिमाचल और हरियाणा में भी तीन-तीन चार-चार बोलियां हैं। अतः हिन्दी किसी एक क्षेत्र की भाषा नहीं है अनेक भाषा और बोलियों के संगम का नाम हिन्दी है। अब यह संगम सभी भारतीय भाषाओं के लिए उन्मुक्त होना चाहिए। हिन्दी का क्षेत्र व्यापक और विस्तृत है। हिन्दी-भाषी क्षेत्र की आबादी रूस और अफ्रीका की आबादी से भी यह आबादी ज्यादा है। अतः हिन्दी-भाषी जनता का दायित्व भी बड़ा है। हिन्दी भाषी जनता को पारस्परिकता और साम्यमूलक आन्दोलन में आगे बढ़ कर अन्य भारतीय भाषाओं का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। हिन्दी ने पिछले हजार वर्षों से विचार विनिमय का

85-M/PN(D)373MofHA—4

जो उत्तरदायित्व निभाया है उसे और अधिक सक्षमता से निभाना चाहिए। उदाहरण के लिए असम प्रदेश को लीजिए। असम या काम-रूप प्रदेश राजनीतिक दृष्टि से सर्वदा शेष भारत से अलग रहा। परन्तु मध्ययुगीन असम के संत शंकर देव तथा माधव देव ने ब्रजबुलि नामक एक हिन्दी असमिया मिश्रित भाषा के जरिये अपने धार्मिक विचारों का प्रचार किया। इन दोनों भाषाओं का सम्मिश्रण एक अद्भुत घटना है जो आज भी घट सकती है, घटनी चाहिए। भाषा-साम्य का यह आन्दोलन हमारी प्राचीन परम्परा में व्याप्त रहा है, उसे पुनः जागृत करना है। ब्रजबुलि हिन्दी नहीं, भाषा के सांस्कृतिक परिवेश की पहचान है।

अंग्रेजी की स्थिति

भारतीय भाषाओं की सामर्थ्य को हम भूल गये हैं। हमने अंग्रेजी की दासता के कारण एक ऐसी मानसिकता बना ली है जो हीनग्रंथि से भरी हुई है। हम समझते हैं कि अंग्रेजी विश्व-भाषा है और उससे समझने वाले सबसे अधिक हैं किन्तु भाषा के आंकड़े बताते हैं कि चीनी भाषा 46 करोड़, हिन्दी भाषा 30 करोड़, अंग्रेजी भाषा 25 करोड़, स्पेनिश भाषा 15 करोड़, रूसी 13 करोड़ और जापानी 10 करोड़ लोग बोलते-समझते हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि अंग्रेजी का दबदबा केवल भ्रम है। एक बड़ा भारी भ्रम यह भी है कि अपनी भाषाओं में विज्ञान और तकनीकी ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती। जापान के प्रो. युकावर ने बिना अंग्रेजी पढ़े, अपनी जापानी भाषा में ही अनुसंधान कर भौतिक विज्ञान में सन् 1950 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। हमारे देश के वैज्ञानिक भी इस मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। हम यह न भूलें कि भारतीय भाषाएं जापानी से बहुत अधिक प्राचीन और समृद्ध हैं।

अनुवाद-सेतु

भारतीय भाषाओं के साम्य-मूलक आन्दोलन को व्यापक बनाने के लिए और पारस्परिक सहयोग एवं समझ के लिए अनुवाद एक आवश्यक सेतु है। यदि भारत सरकार अनुवाद कार्य के निमित्त एक विराट योजना बना कर सार्वदेशिक स्तर पर कार्य करे तो हमारी भाषाओं की साहित्यिक सम्पदा सभी भारतीयों के लिए सुलभ हो सकती है। यह कार्य योजना-स्तर पर अभी तक नहीं हुआ है। साहित्यकारों तथा भाषा प्रेमियों का ध्यान इस दिशा में जाना चाहिए। हमारे भाषा-साम्य आन्दोलन के लिए यह एक हितावह योजना सिद्ध होगी। अनुवाद एक ऐसा सेतु है जो हमें भाव और विचार के स्तर पर समान भूमि पर लाता है।

संक्षेप में, भारत की भावात्मक एकता की दिशा में भाषा-साम्य को स्थान मिलना परमावश्यक है साम्य मूलक आन्दोलन से हम अपने देश की भाषा-सम्पदा से परिचित होंगे, एक-दूसरे को समझेंगे और अपनी भाषा को प्रादेशिकता की सीमा से बाहर निकाल कर सार्वदेशिक बना सकेंगे। भाषा के स्तर पर मातृभाषा प्रेम को प्रमुख स्थान देते हुए भी हम अपनी राष्ट्रीय भाषाओं के महत्व को आंक सकेंगे। उस समय हमें अनुभव होगा कि भारत की पन्द्रह संविधान स्वीकृत भाषाओं का साहित्य तथा एक हजार से अधिक उपभाषा और बोलियों का शब्द भंडार मिल कर विश्व की किसी भी भाषा से चौगुना सिद्ध होगा। उस समय हमें किसी विदेशी भाषा की गुलामी स्वीकार्य नहीं होगी। अपनी भाषाओं की समृद्धि का बोध हमारे मन में स्वाभिमान और आत्मगौरव का भाव उत्पन्न करेगा। भारतीय भाषाओं में साम्य की खोज वास्तव में हमारी अपनी राष्ट्रीय निधि की खोज है। आर्यभाषा और द्रविड़भाषा का भेद हमें साम्य मूलक आन्दोलन से निर्मूल करता है। हमें सिद्ध करना है कि 'अनेकता में एकता' ही भारत की विशेषता है। इस एकता को हम धर्म, संस्कृति, साहित्य, कला और दर्शन के साथ भाषाओं में भी स्थापित कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य भारत की अखंडता, एकता और पारस्परिक सद्भावना है। हम इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए भारतीय भाषाओं में साम्य की खोज पर बल देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि साम्य मूलक यह आन्दोलन सभी भारतीय भाषाओं के क्षेत्र में फैले और भारत की भावात्मक एकता को सुदृढ़ करे।

विविधता में एकता

'सर्वेषां अविरोधेन' ही भाषा-समस्या का सर्वहितकारी समाधान होगा। जिस प्रकार हमारा देश न किसी विशेष सम्प्रदाय या धर्म का है, उसी प्रकार यह किसी एक विशेष भाषा से भी बंधा नहीं है। यह सभी सम्प्रदायों, धर्मों, भाषाओं एवं संस्कृतियों का देश है। कबीर और तुलसी के गीत आज भी इस देश के घरों में गाये जाते हैं। नानक और गोबिन्द सिंह की वाणी आज भी हिन्दू और सिख घरों को समान रूप से पवित्र करती है। हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी आदि सभी के ताने-बाने से यह महान् देश विश्व क मानचित्र पर सीना ताने खड़ा है। 'अनेकता में एकता' हमारी अपनी विशेषता है, यह आज ही नहीं सहस्राब्दियों की प्राचीन परम्परा है। हमने सैंकड़ों भाषाओं और बोलियों के साथ भारत माता की जय बोली है। हमें अपनी भाषाओं पर गर्व है। हम इस गौरवशाली परम्परा को समृद्ध बनाने के लिए एक बार फिर सजग हो कर भाषा साम्य के द्वारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचने का संकल्प करते हैं। भाषाओं के बीच साम्य खोजना और प्रत्येक भारतीय भाषा की सम्पदा से अपने को सम्पन्न बनाना ही हमारा पावन लक्ष्य है। यह भाषायी सांस्कृतिक साम्य मूलक एकता का आन्दोलन है। किसी एक भाषा के प्रभुत्व से इसका कोई सरोकार नहीं है।

--भूतपूर्व हिन्दी
विभागाध्यक्ष
दिल्ली विश्वविद्यालय
राणा प्रताप बाग दिल्ली

राजभाषा हिन्दी में पारिभाषिक शब्दों का व्यक्तित्व

—डॉ० किशोर वासवानी

(पुणे स्थित टेलीफोन्स के हिन्दी अधिकारी डा० किशोर वासवानी का यह लेख वस्तुतः एक शोध पत्र ही है। लेखक ने लगभग 12 शब्दावलियां तथा संदर्भ ग्रन्थों के आधार पर प्रस्तुत किया है। पारिभाषिक शब्दों का मानकीकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है। लेखक ने इस दिशा में जो विवेचना की है उससे शब्दावली निर्माण को विचार करने के लिए मार्गदर्शन मिलेगा)

राजभाषा शब्द की परिभाषा

अब तक हिंदी में राजभाषा, राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा शब्दों को लेकर काफी भ्रम था। प्रथम बार अपने शोध (प्रबंध) में इनके अलग-अलग अर्थ दर्शाकर इन्हें परिभाषित किया गया है जब कि सिर्फ राजभाषा शब्द के 20 शब्द प्रचलित पाये गए। परन्तु राजभाषा शब्द की सही परिभाषा नहीं मिली। प्रथम बार राजभाषा शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है—

"राजभाषा सांविधानिक मान्यता प्राप्त वह कोई भी, वैधभाषा है जो किसी प्रकार की सरकार की, शासन या प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए उसके सरकारी तंत्र का संवैधानिक माध्यम बनती है।"

1.1. इस आधार पर भारत में जहां हिन्दी राजभाषा है वहीं अंग्रेजी भी सह-राजभाषा है तथा अन्य कोई भी, विधानमंडल द्वारा स्वीकृत राजभाषा के रूप में परिभाषित होगी। चूंकि राजभाषा संवैधानिक भाषा है। अतः इस भाषा में प्रयुक्त शब्दावली संवैधानिक ही होती है।

पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा

पारिभाषिक शब्द का अर्थ है वह शब्द जिसके अर्थ को एक विशिष्ट अर्थ में परिभाषित कर दिया गया है यहां शब्द का रूपक अर्थ लुप्त हो जाता है शब्द की अभिधा शक्ति ही बची रहती है। अतः उसके अन्य अर्थ की संभावना लुप्त प्रायः रहती है। यहां उन पारिभाषिक शब्दों के व्यक्तित्व की चर्चा की जाएगी जो कि प्रशासन कार्य से जुड़े हैं।

राजभाषा हिंदी में पारिभाषिक शब्दों का व्यक्तित्व

सूक्ष्मता से देखा जाए तो भारत के संविधान में हिंदी की सात प्रयुक्तियों/उपप्रयुक्तियों का ज़िक्र है। (अनुच्छेद 120(1)(2) 210(1)(2) 345, 346, 347 341(1)(2)(3) 344(1)(2)(3)(4)(5)(6) 348 (1) (2) (3), 349,350 351+आठवीं अनुसूची में वर्णित हिंदी। परंतु स्थूल रूप में इन्हें तीन रूपों में देखा जा सकता है।

1. राजभाषा हिंदी

   (भारत का संविधान भाग 17-अनुच्छेद 341)

2. संपर्क भाषा हिंदी (Lingua Franca) (अनुच्छेद 351)
3. संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज हिंदी।

उपरोक्त मुद्दों में से यहां केवल राजभाषा के संदर्भ में ही चर्चा करनी है।

यह अपने आप में स्पष्ट है कि राजभाषा शासन कार्यों से जन्म लेती है। भारत पर जिन-जिन शासकों का शासन रहा उनमें संस्कृत-भाषी, फारसी-भाषी (बाद में उर्दूभाषी) तथा अंग्रेजों की प्रधानता रही। अतः भारत में राजभाषा से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली इन तीनों भाषाओं के त्रिकोणात्मक रूप को लेकर पनपती रही।

चूंकि खड़ी बोली हिंदी, उत्तरी, पूर्वी तथा पश्चिमी भारत की अनेक भाषाएं इण्डोआर्यन समूह में से ही विकसित हुईं, जिनकी पृष्ठभूमि में संस्कृत भाषा थी, अतः न केवल राजभाषा हिंदी में वरन् अन्य क्षेत्रीय राजभाषाओं में भी संस्कृत के शब्द पर्याप्त मात्रा में आ गए।

इस प्रकार संप्रति राजभाषा हिंदी में पारिभाषिक शब्द संस्कृत+उर्दू+अंग्रेजी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के, पर्याप्त रूप से पाए जाते हैं। हिंदी को भारत संघ तथा 7 राज्यों में राजभाषा का पद मिलने के उपरांत इसमें राजभाषा संबंधी पारिभाषिक शब्द भंडार विकसित करने की दिशा में काफी प्रयास किये गए।

1950 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली बोर्ड की स्थापना की गई, तत्पश्चात् 1960, अक्तूबर में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई, और पारिभाषिक शब्दों का रचना कार्य प्रारंभ हुआ।

इस आयोग ने कई पारिभाषिक शब्दावलियां अंग्रेजी-हिंदी, हिंदी-अंग्रेजी में निर्मित की हैं।

1963 (संशोधित 1967) के राजभाषा अधिनियम तथा 1976 के राजभाषा नियमों के बन जाने के उपरांत कार्यालयों के कार्यों में कुछ-कुछ हिंदी का प्रयोग होने लगा अतः कुछ प्रचलित पारिभाषिक शब्द भी पनपे। इन पारिभाषिक शब्दों को देखने पर स्पष्ट रूप से पता चलता है कि शब्दों की रचना में संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों तथा संस्कृत शब्दावली भरपूर प्रयोग किया गया है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि संस्कृत राजभाषा हिंदी के पारिभाषिक शब्दों का मेरुदण्ड है।

संस्कृत का एक शब्द अपने सशक्त उपसर्गों तथा प्रत्ययनों के साथ अर्थ की सार्थकता प्रदान करता है।

यथा: संस्कृत का एक उपसर्ग "उप" अंग्रेजी के पांच शब्दों। (उपसर्ग-संज्ञा, विशेषण) को ध्वनित कर देता है। यथा: Vice, Sub, Deupty, By/Bye, Lieutenant

ठीक इसी प्रकार अंग्रेजी में, विभक्त करने वाले भाव को अभिव्यक्त करने वाले उपसर्ग " De " के लिए संस्कृत में "वि" उपसर्ग है।

यथा:	Part	भाग
	De-Part	विभाग
	Department	विभाग (संज्ञा)

संस्कृत के "भाग" शब्द को लेकर प्रशासनिक शब्दावली में कई शब्द बन जाते हैं यथा: अनुभाग, प्रभाग, सम्भाग जो अंग्रेजी के क्रमश: Section, Division तथा Division के अर्थ में है।

संस्कृत में "देश" शब्द का अर्थ देश, स्थान, जगह के अलावा अध्यादेश से भी है। (अधि+आदेश)–एक प्राधिकृत आदेश/अंग्रेजी में इसके लिए " Ordinance " है। इस एक "देश" शब्द को लेकर अनेक पारिभाषिक शब्द निर्मित होते हैं। जैसे आदेश, निदेश, समादेश; अनुदेश जो अंग्रेजी के क्रमश: Order, Direction, Commands, Instruction(s) को ध्वनित करते हैं।

अर्थ-भाव तथा पारिभाषिक शब्द

अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों में अर्थ के भाव का कहीं-कहीं पता चलता है, परंतु संस्कृत पर आधारित पारिभाषिक शब्दों में प्रशासन संबंधी भाव का अर्थ स्पष्ट है। अपनी बात की अपील करने के लिए अंग्रेजी में Application शब्द है परंतु Representation, Request तथा Report में "अपील" का शाब्दिक अंश नहीं है। जब कि इस प्रकार का पत्राचार कर्मचारी की पीड़ा, कठिनाई, परेशानी, संताप, कष्ट तथा वेदना के भाव को अभिव्यक्त करता है—संस्कृत से "वेदनम्" शब्द लेकर उपरोक्त अंग्रेजी शब्दों के लिए क्रमश: आवेदन, अभ्यावेदन, निवेदन, प्रतिवेदन जैसे पारिभाषिक शब्द बने, इन सब में "वेदन" शब्द जुड़ा हुआ है।

क्रियात्मक अर्थ बोध (Action)

अंग्रेजी में क्रियात्मक अर्थ बोध को लेकर जो पारिभाषिक शब्द बने हैं उनमें कई शब्दों की शाब्दिक संरचना में उस बोध का अर्थ भाव प्रत्यक्षत: स्पष्ट नहीं होता जैसे :– Inspection, Examination, Superintendence, Observation, Supervision,

उपरोक्त क्रियाएं (कार्य) (Action) अवलोकन, से संबंधित है जब कि केवल Supervision तथा Inspection में Vision और Specs (स्पेक्स) में चश्मे के अर्थ में जुड़ा हुआ है।

संस्कृत की ईक्ष-धातु का अर्थ देखना, ताकना, अवलोकन करना, आलोचना करना, टकटकी लगाकर देखना, घूरना से है। इसी "ईक्ष" धातु को लेकर उपरोक्त क्रियात्मक शब्दों के लिए निरीक्षण, परीक्षण अधीक्षण, प्रेक्षण तथा पर्यवेक्षण शब्द बने/यही ईक्ष-धातु आगे चलकर अक्षि-अखि (सिंधी भाषा में) अखियां तथा आंख के रूप में एक सार्थक तद्भव शब्द बन गई। इनसे व्युत्पन्न संज्ञा रूप भी इसी प्रकार हैं :— निरीक्षक, परीक्षक, अधीक्षक, प्रेक्षक, पर्यवेक्षक।

इसी संदर्भ में परिपत्र, प्रवरण तथा संलग्नक/अनुलग्नक शब्द लिए जा सकते हैं। अंग्रेजी में इनके लिए क्रमश: Circular, Selection तथा Enclosure शब्द हैं। Circular में Circle का भाव निहित है अर्थात् वह पत्र जो जिस जगह से निकला घूम-फ़िर कर वहीं आ जाए। संस्कृत का उपसर्ग "परि" इसी भाव को अभिव्यक्त करता है अत: शब्द, परि+पत्र बना अर्थात् वह पत्र जो घूम-फ़िर कर जारी करने वाले बिंदु तक आ जाए।

प्रवरण तथा अनुलग्नक शब्दों को सामाजिक संदर्भों में भी देखा जा सकता है। इनमें मूल शब्द क्रमश: "वर" तथा "लग्न" है। इनका क्रमश: अर्थ श्रेष्ठ तथा बांधना या लगाना है। "वर" से शब्द स्वयंवर है–अर्थात् स्वयं,श्रेष्ठ का चुनाव करना–इसी से शब्द वरण, प्रवरण तथा प्रवरण समिति जैसे शब्द बने ठीक इसी प्रकार "लग्न" का अर्थ विवाह के अर्थ में भी है। जहां प्रतीकात्मक रूप में वर-वधु को बांध दिया जाता है, हमेशा के लिये जोड़ दिया जाता है। विधि की गांठ के समान ही पत्र के साथ कुछ काग़ज़ात जोड़ दिये जाते हैं। जिन्हें अनुलग्नक कहते हैं।

संस्कृत के अलावा कई पारिभाषिक शब्द अंग्रेजी से भी आ गए हैं– जैसे रेल, सिगनल, रेफरी, बॉयलर मेकर, डायरी-फोरमैन, फोटो स्टेट, फ्लाइंग आफ़िसर, फ्लाइट, कार, बस, स्कूटर, टेरिफ पार्किंग साथ ही सेना के सभी पदनाम, केप्टन, मेजर, जनरल लेफ्टिनेंट आदि।

राजभाषा हिंदी में उर्दू भाषा के शब्दों का आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है उदाहरण स्वरूप शिकायत, बेतार, सरकार, तबादला, तनख्वाह, मुआयना मिसिल, तरक्की, पेशगी, दस्तख़त, काग़ज़ात, अदालत, तारीख़वार, मामला, नायब, शर्तें, किश्त, अर्जी आदि पारिभाषिक शब्द हैं जो हिंदी में घुल-मिल गए हैं।

अंग्रेजी उर्दू के पारिभाषिक शब्दों के अलावा राजभाषा हिंदी में अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द भी आ गए हैं–यथा : पगार, माला, (Storey) रजा, निर्देशक (Guide) आदि।

कई पारिभाषिक शब्द अंग्रेजी-हिंदी, उर्दू-संस्कृत, जैसी भाषाओं के मिश्रण से भी बने हैं–जैसे डायरीकार, रेलगाड़ी, ट्रामगाड़ी, बजट-प्राक्कलन, बेतार प्रचालक, ज़मानत बंध, चालू वित्त वर्ष, विचाराधीन काग़ज़ात, निलम्बित मामले। सत्यापन रिपोर्ट आदि। परंतु कहीं-कहीं (फारसी) शब्द के साथ संस्कृत का उपसर्ग जोड़ देने से अर्थ का अनर्थ भी हुआ है–यथा : सरकारी के साथ "अ" उपसर्ग जोडा गया जिससे वह असरकारी हो गया जब कि ग़ैर-सरकारी होना चाहिए था।

हिंदी राजभाषा के पारिभाषिक शब्दों के लिंग निर्धारण में भी संस्कृत का ही आधार लिया गया है। चाहे शब्द अंग्रेजी या उर्दू का ही क्यों न हो।

यथा : अंग्रेजी के File शब्द के लिए हिंदी में "फाइल" तथा "मिसिल" शब्द प्रचलित हैं। दोनों शब्दों को स्त्रीलिंग में रखा गया है। संस्कृत में फाइल के लिए संचिका शब्द है—अकारांत संस्कृत शब्द स्त्रीलिंग है अत: फाइल शब्द अकारांत होते हुए भी स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयुक्त होता है। मिसिल तो अरबी का शब्द है तथा स्त्रीलिंग है। पदनामों से संबंधित संज्ञाएं पुल्लिंगी ही हैं जैसे राष्ट्रपति, फोरमैन, चार्जमेन, अधीक्षक, निरीक्षक, प्रबंधक आदि परन्तु इन पदों पर किसी स्त्री के

कार्य करने पर भी इनका रूप क्रमशः राष्ट्रपत्नी; फोरवूमेन, चार्जवूमेन; अधीक्षिका, निरीक्षिका, प्रबंधिका नहीं होता।

भ्रमवश कभी-कभी पदनाम को स्त्रीलिंग लेने से गड़बड़ हो जाती है। एक कार्यालय अध्यक्ष को सूचित किया गया कि उनके यहां 5 कार्यालय सहायिकाएं भेजी जा रही हैं जिनकी सहायता से वे कार्यालय में हिंदी कार्य आरंभ करें। अध्यक्ष खुश हुए सोचा पांच सहायिकाएं आ रही हैं बाद में "कार्यालय सहायिका" नामक पांच पुस्तकें उन्हें मिलीं, तो वे बड़े उदास हो गए।

हिंदी में एक ही अर्थ के कुछ शब्दों को एकवचन तथा उनके पर्यायों को हमेशा बहुवचन में लिया गया है।
यथा—

हस्ताक्षर	बहुवचन
दस्तख़त	बहुवचन
सही	एकवचन
आद्याक्षर	बहुवचन
छोटी सही	एकवचन

हिंदी में कहीं-कहीं अमानक पारिभाषिक शब्द स्वीकृत पारिभाषिक शब्द को हटा कर जम गया है।

यथा :– Television के लिए "दूरदर्शन" शब्द भारत सरकार द्वारा प्रकाशित (1962) पारिभाषिक शब्दावली में नहीं था। Television के लिए टेलीविज़न, दूरवीक्षण, दूरचित्रवाणी जैसे शब्द थे परंतु बाद में समाचार-पत्रों द्वारा "दूरदर्शन" का ऐसा प्रचलन हुआ कि यह शब्द जम गया और बाद में भारत सरकार ने इसे अपनी पारिभाषिक शब्दावली में लिया। पारिभाषिक शब्दों के निर्माण की क्रिया अबाध रूप से चलती रहती है–परन्तु समय तथा जनता द्वारा भाषा के प्रयोग से भी पारिभाषिक शब्द बनते चले जाते हैं। हिंदी पारिभाषिक शब्दों के लिए आधार संस्कृत तथा कहीं-कहीं उर्दू लेना उपयुक्त होगा उदाहरणार्थ Telepathy शब्द के लिए डा. हरदेववाहरी ने विचार संक्रमण, दूरानुभूति, बोधवहन-पारेन्द्रिय शब्द दिए हैं। परंतु ये शब्द सही अर्थ में नहीं आ पा रहे चूंकि Tele उपसर्ग के लिए हिंदी में संस्कृत "दूर" शब्द बहुत प्रचलित है। यथा : दूरदर्शन, दूरभाषा, दूरसंचार, दूरमुद्रण–दूरटंकण आदि । साथ ही (Path) के लिए "पथ" शब्द हिंदी में भी है अतः Telepathy के लिए "दूरपथचेतना" शब्द ज्यादा साथक हो सकता है ठीक इसी प्रकार Telex के लिए "दूर"+"टंकण" ज्यादा उपयुक्त है जबकि Telex के लिए टेलेक्स ही दिया जा रहा है।

पारिभाषिक शब्दों की रचना कार्य प्रत्येक भाषा में अपनी पूर्वज भाषा के आधार पर ही होता है–अंग्रेजी में आज भी Adhoc, Status quo, De Facto, De-Jure, Inter alia तथा In toto लैटिन तथा इटालियन शब्द हैं।

इन शब्दों के लिए हिंदी में संस्कृत/तथा उर्दू के आधार पर शब्द बनाए गए हैं यथा क्रमशः तद्‌र्थ, यथापूर्व स्थिति, वस्तुतः, कानूनन, पूर्णतः तथा संपर्क भाषा। ठीक इसी प्रकार अगर अफ्रीका तथा दक्षिण लातीन अमेरिका के विकासशील राष्ट्रों की राजभाषाओं के बारे में अध्ययन किया जाए तो यह बात देखने में आती है कि इन देशों की राजभाषाओं में भी अपने शासकों की भाषा (अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच तथा स्पेनिश) के अनेक पारिभाषिक शब्द घर कर गए हैं (पेरुवे, पेरु, अल्जिरिया, सेनेगाल, घाना, गिनीबसाऊ, नाइजिरिया आदि में अकन, स्वाहिली, गुवारनी भाषाओं का नाम इस संदर्भ में देखा जा सकता है)।

राजभाषा हिंदी में कई पारिभाषिक शब्द अंग्रेजी शब्दों के शब्दानुवाद तथा उसी तर्ज़ पर बने हैं–

यथा

Overtime	समयोपरि
No Objection	अनापत्ति
Certificate	प्रमाणपत्र
No Demand Certificate	बेबाकी प्रमाणपत्र
Contributory Provident Fund	अंशदाई भविष्य निधि आदि

पारिभाषिक शब्दों का मानक रूप

राजभाषा हिंदी को केंद्र-सरकार के कार्यालयों तथा कहीं-कहीं राज्यों की सरकारों के कार्यालयों के बीच पत्राचार के रूप में अपनाया जा रहा है।

केंद्र सरकार के कार्यालय देशभर में फैले हुए हैं अतः विभिन्न प्रांतों के लोग इन सेवाओं में कार्य करते हैं। अतः गौर से देखने पर ज्ञात होता है कि प्रत्येक प्रांत की अपनी भाषा का हिंदी पारिभाषिक शब्दों पर प्रभाव पड़ता है।

महाराष्ट्र में मराठीभाषी केंद्र सरकार का कर्मचारी Revenue Director, Research, Wireless, Punishment तथा Circular के लिए क्रमशः महसूल, संचालक, समाधान, बिनतारी, ———शिक्षा तथा परिपत्रक प्रयोग का करता पाया गया है–जबकि राजभाषा हिंदी में इनके लिए क्रमशः राजस्व, निदेशक, बेतार, दण्ड (सज़ा) तथा परिपत्र का प्रयोग किया जाता है–जबकि हिंदी में महसूल, संचालक, संशोधन तथा शिक्षा जैसे शब्द–क्रमशः Levy, Conductor, Amendment तथा Education के अर्थों में आते हैं तथा बिनतारी और परिपत्रक के लिए क्रमशः बेतार या परिपत्र है। ठीक इसी प्रकार दक्षिण भाषी (तेलुगु, तमिल) History के लिए "चरित्र" शब्द का प्रयोग करते हैं जबकि हिंदी में इतिहास है साथ ही चरित्र के लिए Character है।

हिंदीतर भाषी राजभाषा हिंदी में भाषा के प्रभावों के कारण त्रुटियां करते हैं परंतु स्वयं राजभाषा हिंदी के कोशों में एक ही पारिभाषिक शब्द के अलग-अलग रूप देखे जा सकते हैं।

यथा—

1. Absorb, के लिए	अंतर्लयन, अवशोधन, आमेलित, संविलीन।
2. Administration	प्रशासनिक, प्रशासकीय, प्रशासी, प्रशासन।
3. Allowance	भत्ता, छूट, मोक, अनुज्ञा, अधिदेय, रिआयत, अनुमति।

4. Levy		उगाही, महसूल, उद्ग्रहण-आरोपण
5. Upper		प्रवर/उच्च।

यह सच है कि राजभाषा हिंदी इस समय संक्रमणकाल के दौर से गुजर रही है, फिर भी पारिभाषिक शब्दों का एक मानक रूप भारत सरकार के सभी कार्यालयों में समान रूप से प्रचलित किया जाना चाहिए।

इसके लिए पारिभाषिक शब्दों को लेकर व्यतिरेकी विश्लेषण के आधार पर पारिभाषिक कोशों की रचना की जानी चाहिए साथ ही राज्य सरकारों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए कि संस्कृत तथा उर्दू के पारिभाषिक शब्दों को लेकर केंद्र की शब्दावली के साथ-साथ एकरूपता स्थापित करें। यथा : महाराष्ट्र सरकार के कार्यालयों में परिपत्रक के स्थान पर परिपत्र तथा बिनतारी के लिए बेतार आसानी से किया जा सकता है।

पारिभाषिक शब्दावली के मानकीकरण का कार्य वास्तव में वृहत् कार्य है। इस पर बराबर सतर्कता से कार्य लेना चाहिए परंतु इस समय तो भारत सरकार केवल इस बात पर जोर दे रही है कि फाइलों पर देवनागरी में लिखाई आरंभ हो अतः पारिभाषिक शब्दों की मानकता/अमानकता पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द देवनागरी में बिना वर्तनी को ध्यान में रखे लिखे जा रहे हैं बीच-बीच में रोमन लिपि में भी शब्द लिख दिये जाते हैं।

यही कारण है कि आज भी राजभाषा हिंदी के पारिभाषिक शब्द वैधानिक रूप से प्राधिकृत नहीं हो पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे देश का संविधान, जिसका हिंदी अनुवाद पाठ आज तक प्राधिकृत नहीं हो पाया है।

हिंदी अधिकारी
पुणे टेलीफोन्स
टेलीफोन भवन
बाजीराव रोड, पुणे

"हिन्दी सीखने का कार्य एक ऐसा त्याग है जिसे दक्षिण भारत के निवासियों को राष्ट्र की एकता के हित में करना चाहिए।"

—ऐनी बेसेन्ट

हिन्दी टाइपलेखन एवं आशुलिपि प्रशिक्षण की आवश्यकता, प्रशिक्षण व्यवस्था और उसके लाभ

—देवकीनन्दन बिष्ट

(हिन्दी टाइपलेखन एवं आशुलिपि प्रशिक्षण का परिचय भी देवकीनन्दन बिष्ट प्रस्तुत लेख में दे रहे हैं। आशा है इस लेख में इस संबंध में पर्याप्त परिचय मिलेगा।)

भारतीय संविधान में हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। इसके साथ ही सभी राज्यों की विधानसभाओं को राज्य की राजभाषा निश्चित करने का भी अधिकार दिया गया है ताकि वे किसी क्षेत्रीय भाषा अथवा हिन्दी को राज्य की राजभाषा के रूप में स्वीकार कर सकें। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो कार्य केन्द्र अथवा राज्यों में एक विदेशी भाषा अंग्रेजी में सम्पन्न हो रहा है उसे केन्द्र में राजभाषा हिन्दी में तथा राज्यों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राज्य की भाषा में सम्पन्न किया जाये।

कार्यालयों का कार्य किसी भी भाषा में सम्पन्न करने के लिए उस भाषा के टंककों और आशुलिपिकों के महत्व से इन्कार नहीं किया जा सकता। पर्याप्त संख्या में इस वर्ग के कर्मचारियों की उपलब्धि के बिना हम किसी भाषा में कार्यालयीन कार्य सम्पन्न करने में असमर्थ रहेंगे। यही कारण था कि जब कार्यालयों में हिन्दी में कार्य करने की बात सामने आयी तो लगभग सभी विभागों से हिन्दी टाइपिस्टों और स्टेनोग्राफरों की बहुत बड़ी मांग उठी। ऐसी मांग उठाना स्वाभाविक भी था क्योंकि, जैसा मैं पहले कह चुका हुं, बिना इस वर्ग के कर्मचारियों के वास्तविक रूप में हिन्दी में कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता था। सरकार के लिए यह सम्भव नहीं था कि वह तुरन्त इतनी बड़ी संख्या में हिन्दी टाइपिस्टों और हिन्दी आशुलिपिकों के पदों का सृजन कर सके। इसके लिए समय और अधिक धन की आवश्यकता थी। अतः सरकार ने राजभाषा विभाग की हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी टाइपलेखन एवं आशुलिपि के प्रशिक्षण की व्यवस्था की और केन्द्र तथा केन्द्र सरकार के स्वामित्व में स्थापित सरकारी उपक्रमों, स्वायत्त/अर्ध-स्वायत्त संगठनों और सांविधिक निकायों आदि में कार्यरत सभी लिपिकों/टंककों और आशुलिपिकों (स्टेनोग्राफरों) के लिए क्रमशः हिन्दी टाइपलेखन और हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण अनिवार्य किया ताकि सभी लिपिक/टाइपिस्ट तथा स्टेनोग्राफर द्विभाषिक दक्षता प्राप्त कर सकें और कार्यालयों में हिन्दी में कार्य सम्पन्न कराया जा सके। इसके लिए देश में विभिन्न स्थानों में प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं। इस योजना से अब तक बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी प्रशिक्षित किये जा चुके हैं और उनकी सहायता से अब कार्यालयों में हिन्दी में बहुत कार्य होने लगा है।

इस योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को कार्यालय समय में ही प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण की सफलतापूर्वक समाप्ति पर अनेक प्रोत्साहन, जिनका विवरण आगे दिया गया है, भी दिये जाते हैं। इस तकनीकी प्रशिक्षण का लाभ सभी उठा सकें इसलिए मैं इसकी कुछ जानकारी अपने इस लेख द्वारा पाठकों को दे रहा हूं। आशा है आप इसका समुचित लाभ उठायेंगे। प्रशिक्षण विधि, पात्रता आदि के सम्बन्ध में निर्धारित नियम निम्न प्रकार हैं :—

प्रशिक्षण सत्र

प्रशिक्षण दो सत्रों में दिया जाता है। प्रति-वर्ष पहला सत्र फरवरी तथा दूसरा अगस्त से आरम्भ होता है।

फरवरी सत्र में प्रवेश के लिए 15 जनवरी तक तथा अगस्त सत्र में प्रवेश के लिए 15 जुलाई तक नाम भेज दिये जाने चाहिए। कुछ परिस्थितियों में इसके बाद भी नाम स्वीकार किये जा सकते हैं।

प्रशिक्षण अवधि

हिन्दी टाइपलेखन प्रशिक्षण की अवधि 6 महीने तथा हिन्दी आशुलिपि की एक साल निर्धारित की गई है।

कक्षाओं का समय और प्रकार

हिन्दी टाइपलेखन की कक्षाएं एकान्तर दिनों में एक घन्टे के लिए और हिन्दी आशुलिपि की कक्षाएं प्रति-दिन एक घन्टे के लिए लगाई जाती हैं। ये कक्षाएं कार्यालय समय में ही चलती हैं।

प्रवेश के लिए योग्यताएं

हिन्दी टाइपलेखन एवं आशुलिपि प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए कम से कम निम्नलिखित में से कोई एक हिन्दी योग्यता अनिवार्य है :—

1. किसी बोर्ड की हाईस्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा हिन्दी माध्यम से पास की हो।
2. किसी बोर्ड की हाईस्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा हिन्दी के साथ (अनिवार्य विषय के रूप में) पास की हो।
3. किसी स्वैच्छिक संस्था से हिन्दी की परीक्षा, जिसे हाईस्कूल या उसके समकक्ष स्तर की सरकारी मान्यता प्राप्त हो, पास की हो।
4. हिन्दी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा पास की हो।

परीक्षाएं

परीक्षाएं प्रतिवर्ष जनवरी और जुलाई में आयोजित की जाती हैं।

प्रशिक्षण सुविधाएं

1. प्रशिक्षण कार्यालय समय में दिया जाता है।
2. कार्यालय से प्रशिक्षण केन्द्र की दूरी 1.6 किलोमीटर या उस से अधिक होने पर सम्बंधित विभागों द्वारा नियमानुसार यात्रा भत्ता दिया जाता हैं।
3. प्रशिक्षण के लिए कर्मचारियों से कोई फीस आदि नहीं ली जाती हैं।
4. एक सरकारी प्रशिक्षण के रूप में कर्मचारी इस तकनीकी प्रशिक्षण का लाभ उठाते हैं।
5. प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के अनेक विभागों में तथा विभिन्न सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए भी वरीयता दी जाती है।

प्रोत्साहन पुरस्कार

1. वैयक्तिक वेतन

हिन्दी टाइपलेखन अथवा आशुलिपि परीक्षा पास करने पर; उन कर्मचारियों को जिनके लिए प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है, एक अग्रिम वेतन-वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन 12 महीनों के लिए दिया जाता है। अहिन्दी भाषी कर्मचारियों को हिन्दी स्टेनोग्राफी परीक्षा पास करने पर, दो अग्रिम वेतन वृद्धियों के बराबर वैयक्तिक वेतन, भविष्य की वेतन-वृद्धियों में समायोजन के आधार पर, दिया जाता है।

2. नकद पुरस्कार

वैयक्तिक वेतन के अतिरिक्त प्राप्त अंको के आधार पर निम्न प्रकार से नकद पुरस्कार भी दिये जाते हैं :–

पुरस्कार राशि	टाइपलेखन	आशुलिपि
रुपये		
300	97% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	95% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर।
200	95% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर।	92% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर।
100	90% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर।	88% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर।

3. टाइपलेखन अथवा आशुलिपि में प्रशिक्षित टाइपिस्टों और स्टेनोग्राफरों को अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी कार्य करने के लिए क्रमशः 20/- और 30/- प्रतिमास, विशेष भत्ते के रूप में, दिये जाने की व्यवस्था भी कर दी गई है।

विशेष

किसी कर्मचारी को प्रशिक्षण के लिए नामित करने से पूर्व प्रत्येक कार्यालय को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कर्मचारी की हिन्दी योग्यता प्रशिक्षण की पात्रता के अनुरूप है या नहीं। बिना पर्याप्त योग्यता के कर्मचारी को इस प्रशिक्षण के लिए नामित नहीं किया जाना चाहिए अन्यथा कर्मचारी को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने में कठिनाई तो होगी ही, प्रशासनिक असुविधाएं भी हो सकती हैं।

—सहायक निदेशक (टंकण एवं आशुलिपि)
हिन्दी शिक्षण योजना

हिन्दी की पहल कौन करे ?

—हरिबाबू कंसल

राजभाषा विभाग के भूतपूर्व उप सचिव श्री हरिबाबू कंसल राजभाषा भारती के सुपरिचित लेखक हैं। प्रस्तुत लेख में लेखक ने अपने अनुभवों के आधार पर प्रस्तुत किया है—"हिन्दी की पहल कौन करे"। आशा है यह बहुत प्रेरणादायी सिद्ध होगा।

हिन्दी से प्रेम रखने वाले व्यक्तियों की संख्या कम नहीं है, किन्तु एसे अनेक हिन्दी प्रेमी मिलेंगे जो दूसरों को कहेंगे कि वह अपना काम हिन्दी में करें, किन्तु स्वयं अपने अनेक काम अंग्रेजी में करते रहते हैं। जब भी कोई काम जरूरी कराना होता है तो एक प्रश्न बार बार मन में उठता है कि यदि वह काम हिन्दी में किया जाये तो क्या वह हो पायेगा भी कि नहीं। इस डर के कारण कि हिन्दी का प्रयोग करने से काम में सफलता नहीं मिलेगी, कई लोग हिन्दी में कार्य करना प्रारम्भ नहीं करते।

कुछ लोग जो इस बात का आग्रह नहीं करते हैं कि समस्त कामों में अथवा अधिकांश कामों में हिन्दी का ही प्रयोग किया जाये, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे सिद्धान्त की बातें न करें, अपितु व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाये। "व्यवहारिक दृष्टिकोण" अपनाने का अर्थ होता है कि उन्होंने जो कुछ किसी सरकारी विभाग को अथवा व्यापारिक अथवा औद्योगिक प्रतिष्ठानों को लिखना है, अंग्रेजी में ही लिखें। "सिद्धान्त" तथा "व्यवहार" में यह अन्तर काफी समय से चल रहा है। वास्तव में जब तक "सिद्धान्त" और "व्यवहार" में इस प्रकार की दूरी बनी रहेगी, हिन्दी की वास्तविक प्रगति कभी नहीं हो पायेगी।

हिन्दी में काम करने से वह काम बन पायेगा या नहीं इसकी सिद्धान्तिक चर्चा करते रहने से विशेष लाभ नहीं होगा। अच्छा हो कि जीवन के कुछ उदाहरण सामने रखकर इसके विषय में कुछ विचार किया जाये। अब से लगभग 20 वर्ष पूर्व पहले की बात है। मेरे एक मित्र दिल्ली में एक सरकारी क्वार्टर अपने नाम अलाट कराना चाहते थे। उस समय विशेष परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारियों को बिना बारी के आवंटन किए जाने की प्रथा थी। मेरे मित्र ने अपना आवेदन हिन्दी में दिया। सक्षम अधिकारी की निगाह उस आवेदन पर विशेष रूप से पड़ी। इसी प्रकार के अन्य सभी आवेदन अंग्रेजी में थे। इस हिन्दी आवेदन पर सर्वप्रथम विचार हुआ और उन्हें बिना बारी के सरकारी मकान मिल गया। आप स्वयं विचार कीजिए कि उनके कार्य में हिन्दी साधन बनी अथवा बाधक।

सन् 1969 में मैंने नई दिल्ली में अपने मकान के निर्माण के लिए नक्शा हिन्दी में बनवाया जब नक्शा पास हो गया तो मैंने अपने आर्कीटेक्ट से पूछा कि क्या इसको पास कराने में कोई कठिनाई हुई। विचित्र बात मालूम पड़ी कि सम्बन्धित कार्यालय में नीचे के जिस अधिकारी ने नक्शे को जांचा वह हिन्दी भाषी था और उसके ऊपर का अधिकारी बंगला भाषी। हिन्दी जानने वाले अधिकारी ने ऊपर के अधिकारी से पूछा कि नक्शा हिन्दी में है, क्या इसे पास किया जा सकता है ? बंगला भाषी अधिकारी ने प्रश्न पूछा "क्या नक्शा नियमों के अनुकूल है अथवा उनके विपरीत?" यह बताये जाने पर कि नक्शा नियमों के अनुसार बना है, बंगला भाषी अधिकारी ने कहा तब उसको पास करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नक्शा पास हो गया। जब मकान बनाने लगा और ईंटों की बिक्री करने वाले व्यापारी से ईंटों का सौदा हुआ तो देखा मकान पर जो ईंटें उतर रहीं हैं उन सब पर ईंट बनाने वाली कम्पनी का नाम हिन्दी में लिखा है अंग्रेजी में नहीं, और सारा ही मकान हिन्दी की ईंटों से बन गया। जब बिजली का कनैक्शन लेने के लिए आवेदन किया, आवेदन हिन्दी में दिया, तो कांउटर पर बैठे लिपिक ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि आवेदन हिन्दी में भरा है। आश्चर्य इसलिए कि उसे प्रतिदिन अंग्रेजी में लिखे आवेदन ही प्राप्त होते थे। किन्तु दूसरे ही क्षण उसने बड़े प्रेम से सारा ही काम बहुत शीघ्र निपटा दिया।

सिंडीकेट बैंक में अनेक कर्मचारी दक्षिण भारत के हैं। एक बार अपने खाते से रुपये निकलवाने के लिए वहां गया था। कांउटर बन्द होने में कुछ ही क्षण बाकी थे। काउंटर पर बैठा लिपिक दक्षिण भारतीय था। उसने पूछा 'आपका कोई चैक है'। मैंने कहा 'हां'। उसने दूसरे केबिन की ओर झांका और अंग्रेजी में कहा 'हां, एक चैक वहां पड़ा है, हिन्दी में लिखा है, क्या आपका है ?' मैंने हिन्दी में नम्रतापूर्वक कहा, "जी हां वह चैक मेरा ही होगा, मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूं।" वह मुस्कराया और बोला, "आपका चैक कितने रुपये का है। अपना टोकन मुझे दीजिए।" जितने रुपये मैंने बताए उतने रुपये उसने मेरे हाथ पर रखे, तब तक उसके पास मैनेजर द्वारा पास किया गया चैक पहुंचा नहीं था। बाद में एक दिन और उस व्यक्ति ने मेरे हिन्दी चैक का भुगतान, मेरे मौखिक रूप से बताने पर, बिना चैक प्राप्त हुए इसलिए कर दिया कि मेरा चैक हिन्दी में था और मैंने उससे नम्रतापूर्वक बात की थी। क्या ऐसे उदाहरण कहीं आपको मिलेंगे कि मौखिक आधार पर अंग्रेजी के चैक का भुगतान इस प्रकार से किया गया हो।

कई लोग सरकारी कार्यालयों में अपना आवेदन इसलिए अंग्रेजी में देते हैं कि उनको विश्वास है कि अंग्रेजी में लिखे आवेदनों पर जल्दी कार्यवाही होगी। मैंने हिन्दी प्राध्यापकों को अपने मामलों से सम्बन्धित आवेदन अंग्रेजी में ही देते देखा है। ऐसे कुछ व्यक्तियों को जब मैंने कहा कि क्या आपके अंग्रेजी में आवेदनों पर क्या सचमुच जल्दी कार्यवाही होती है तो उन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया कि अंग्रेजी में लिखे हुए उनके आवेदन भी सम्बन्धित अनुभागों में 5-5, 6-6 महीने पड़े रहते हैं। अंग्रेजी में लिखे पत्रों पर कार्यवाही होने में कितना विलम्ब

85-M/P(D)373MofHA—5

6. मरम्मत के लिए मिश्रण कैसे बनाए

मरम्मत के लिए मिश्रण एपाक्सी-एम-सील एथासिव को ग्रेफाईड चूर्ण के साथ मिला कर तैयार किया जाता है ।

बिरोजा और कठोर जो दो विभिन्न शीशियों में प्राप्त है को बराबर घनफल में चाईना डिश में पलेट चाकू की सहायता से मिलाया जाना चाहिए । जब यह पूर्णतः मिल जाए उसके पश्चात् इसमें ग्रेफाईड चूर्ण डाल कर पूरी तरह से मिलाए ताकि मिश्रण दूसरे घटकों के साथ एक रूप में मिल जाए। एथेसीव और ग्रेफाईड चूण का मिश्रण अनुपात निम्न रूप से हैं ।

1. बिरोजा..... 1 भाग
2. कठोरक..... 1 भाग
3. ग्रेफाईड चूर्ण..... डेढ़ भाग

जब एथेसीव और ग्रेफाईड का चूर्ण आंशिक रूप से कड़ा हो जाए, यह ब्लाक के मरम्मत कार्य पर लगाने के लिए तैयार हो जाता है । मरम्मत कार्य मिश्रण की उक्त प्रकार का कड़ापन परखते हुए प्रारम्भ कर देना चाहिए । यदि मिश्रण कठोर हो जाए तो यह मुद्रक के लिए ब्लाक पर लगाने में कठिनाई उत्पन्न करता है । बहुत कठोर मिश्रण ब्लाक पर नहीं लगाया जा सकता ।

7 मिश्रण को कैसे लगाए

जैसा कि पूर्व पैरा में बताया गया है कि जब मिश्रण आंशिक उचित रूप में कड़ा हो जाए तभी इसे 3 पाईंट सीसे की सहायता से लगाया जाए । मिश्रण लगाते हुए यह ध्यान देना आवश्यक है कि इसकी ज्यादा मात्रा लेने पर यह व्यर्थ जाएगा और ब्लाक को भद्दा करेगा । मिश्रण को गड्ढे में डाल कर इसे समतल सीसे की सहायता से गड्ढे पर चलाएं । सीसे की सहायता से थोड़ा दबाव भी दें ताकि मिश्रण और गड्ढे के तल के मध्य वायु छीद्र न रहें । इस प्रकार प्रवीणता-पूर्ण भराव सुनिश्चित है । फिर भी अन्तिम रूप से मिश्रण का उचित भराव सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि यह स्थान अन्य ब्लाक जैसा हो गया है । अब ब्लाक को लगभग 20 से 30 मिनट तक सूखने के लिए रख दें । गड्ढे की गहराई और बड़ा घनफल देखते हुए अधिक समय की आवश्यकता पड़ेगी । ब्लाक पर एथेसीव के सुखने के पश्चात् सतह ऊंगली के अग्र भाग से स्पर्श से इसकी परख करें, अब मरम्मत किए स्थान की पालिश करें ।

8. चमकाना और पूरा करना

चमकाने और पूरा करने के लिए थोड़ा सा ग्रेफाईड चूर्ण गड्ढे पर डाले और एमरी कपड़े की सहायता से रगड़ें । यह प्रक्रिया तब तक जारी रखें जब तक कि सतह ब्लाक के अन्य भाग के समान चिकनी न हो जाए, क्षतिग्रस्त भाग को चमकाने और पूरा करते समय बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है । चमकाने के कार्य की परिपक्वता उंगली के अग्र भाग को मरम्मत किए स्थान पर लगा कर देखी जा सकती है । सतह की समीक्षा पीतल की छड़ ब्लाक और मरम्मत किए स्थान पर रख कर भी करें । यदि सतह ब्लाक के अन्य भाग के समान है तो ब्लाक मुद्रण के लिए तैयार है अन्यथा ऊपर के निदेशों के अनुरूप चमकाने और पूरा करने की आवश्यकता है ।

9. मुद्रक के लिए सावधानियां

1. जैसा कि मुद्रणालयों में मुद्रण का कार्य दो या तीन पारियों में किया जाता है, मुद्रक जिसने उपरोक्त मरम्मत कार्य सम्पन्न किया है का कर्त्तव्य है कि वह पारियों के अन्य परिचालकों को इस प्रकार के ब्लाक हस्तगत करने के बारे में जानकारी दें ताकि ग्रेफाईड के रंग के कारण दूसरी पारी के परिचालक को मरम्मत का भाग बाहय वस्तु प्रतीत होने से वह इसे हटा कर ब्लाक को क्षति न पहुंचाए । इस परि-स्थिति में मरम्मत की प्रतिक्रिया दोहरानी पड़ेगी ।

2. मुद्रक मुद्रण कार्य तभी प्रारम्भ करे जब उसे सुनिश्चित हो जाए कि मरम्मत का स्थान पूर्ण रूप से सूख गया है ।

3. मुद्रक जिसने ब्लाक का मरम्मत कार्य किया है कम से कम 20 से 30 मिनट का समय उसे सुखाने के लिए रखें । मरम्मत का घनफल ज्यादा होने पर ए क घंटे से लेकर 24 घंटे तक के समय की आवश्यकता है ।

4. मुद्रक मरम्मत किए स्थान को चमकाने में पूर्ण ध्यान दें । उसे मुद्रण से पूर्व पालिश के संबंध में स्वयं संतुष्ट होना चाहिए ।

5. मरम्मत के मिश्रण को क्षतिग्रस्त स्थान पर लगाते समय उसे उसकी कड़ाई के बारे में संतुष्ट होना चाहिए । मिश्रण न अधिक कठोर और न ही ढीला होना चाहिए अपितु यह औसत रूप से स्थिर होना चाहिए ।

10. लाभ

यह उक्त प्रकार के ब्लाकों की मरम्मत की शायद सबसे सस्ती प्रक्रिया है । मरम्मत का खर्च छोटे गड्ढे के लिए 50 पैसे और बड़े आकार के गडढे के लिए केवल एक रुपए से अधिक नहीं बैठता ।

11. एथेसीव और ग्रेफाईड चूर्ण के मूल्य

एपाक्सी एम सील एथेसीव और ग्रेफाईड चूर्ण ब्लाक के मरम्मत कार्य में प्रयुक्त होने वाले विशेष घटक हैं । इन सामग्रियों का मूल्य निम्न हैं :—

1. **एपाक्सी एम-सील एथेसीव** 36 ग्राम.....
2. **ग्रेफाईड चूर्ण** :—(लीनो टाईप).... 450 ग्राम टैक्स सहित रु. 35

12. सामग्री प्राप्ति के स्त्रोत

1. **एपाक्सी एम-सील एथेसीव** :—
   (1) मै. महिन्द्रा इलेक्ट्रो कैमिकल्स प्रोडक्टस, पिम्परी, पूना-411018 (भारत)
   (2) मै. महिन्द्रा सिंह एण्ड कम्पनी, सैक्टर 8, मकान नं० 77, चण्डीगढ़ –160008.
2. **ग्रेफाईड चूर्ण** :–
   मै. लीनो टाईप एसोसिएटस इण्डिया लि०, 14, मदन स्ट्रीट कलकत्ता ।

—सहायक प्रबंधक (तकनीकी)
भारत सरकार मुद्रणालय,
शिमला–171004.

हिन्दी की पहल कौन करे ?

–हरिबाबू कंसल

राजभाषा विभाग के भूतपूर्व उप सचिव श्री हरिबाबू कंसल राजभाषा भारती के सुपरिचित लेखक हैं। प्रस्तुत लेख में लेखक ने अपने अनुभवों के आधार पर प्रस्तुत किया है—"हिन्दी की पहल कौन करे"। आशा है यह बहुत प्रेरणादायी सिद्ध होगा।

हिन्दी से प्रेम रखने वाले व्यक्तियों की संख्या कम नहीं है, किन्तु ऐसे अनेक हिन्दी प्रेमी मिलेंगे जो दूसरों को कहेंगे कि वह अपना काम हिन्दी में करें, किन्तु स्वयं अपने अनेक काम अंग्रेजी में करते रहते हैं। जब भी कोई काम जरूरी कराना होता है तो एक प्रश्न बार बार मन में उठता है कि यदि वह काम हिन्दी में किया जाये तो क्या वह हो पायेगा भी कि नहीं। इस डर के कारण कि हिन्दी का प्रयोग करने से काम में सफलता नहीं मिलेगी, कई लोग हिन्दी में कार्य करना प्रारम्भ नहीं करते।

कुछ लोग जो इस बात का आग्रह नहीं करते हैं कि समस्त कामों में अथवा अधिकांश कामों में हिन्दी का ही प्रयोग किया जाये, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे सिद्धान्त की बातें न करें, अपितु व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाये। "व्यवहारिक दृष्टिकोण" अपनाने का अर्थ होता है कि उन्होंने जो कुछ किसी सरकारी विभाग को अथवा व्यापारिक अथवा औद्योगिक प्रतिष्ठानों को लिखना है, अंग्रेजी में ही लिखें। "सिद्धान्त" तथा "व्यवहार" में यह अन्तर काफी समय से चल रहा है। वास्तव में जब तक "सिद्धान्त" और "व्यवहार" में इस प्रकार की दूरी बनी रहेगी, हिन्दी की वास्तविक प्रगति कभी नहीं हो पायेगी।

हिन्दी में काम करने से वह काम बन पायेगा या नहीं इसकी सिद्धान्तिक चर्चा करते रहने से विशेष लाभ नहीं होगा। अच्छा हो कि जीवन के कुछ उदाहरण सामने रखकर इसके विषय में कुछ विचार किया जाये। अब से लगभग 20 वर्ष पूर्व पहले की बात है। मेरे एक मित्र दिल्ली में एक सरकारी क्वार्टर अपने नाम अलाट कराना चाहते थे। उस समय विशेष परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारियों को बिना बारी के आवंटन किए जाने की प्रथा थी। मेरे मित्र ने अपना आवेदन हिन्दी में दिया। सक्षम अधिकारी की निगाह उस आवेदन पर विशेष रूप से पड़ी। इसी प्रकार के अन्य सभी आवेदन अंग्रेजी में थे। इस हिन्दी आवेदन पर सर्वप्रथम विचार हुआ और उन्हें बिना बारी के सरकारी मकान मिल गया। आप स्वयं विचार कीजिए कि उनके कार्य में हिन्दी साधन बनी अथवा बाधक।

सन् 1969 में मैंने नई दिल्ली में अपने मकान के निर्माण के लिए नक्शा हिन्दी में बनवाया जब नक्शा पास हो गया तो मैंने अपने आर्कीटेक्ट से पूछा कि क्या इसको पास कराने में कोई कठिनाई हुई। विचित्र बात मालूम पड़ी कि सम्बन्धित कार्यालय में नीचे के जिस अधिकारी ने नक्शे को जांचा वह हिन्दी भाषी था और उसके ऊपर का अधिकारी बंगला भाषी। हिन्दी जानने वाले अधिकारी ने ऊपर के अधिकारी से पूछा कि नक्शा हिन्दी में है, क्या इसे पास किया जा सकता है ? बंगला भाषी अधिकारी ने प्रश्न पूछा "क्या नक्शा नियमों के अनुकुल है अथवा उनके विपरीत?" यह बताये जाने पर कि नक्शा नियमों के अनुसार बना है, बंगला भाषी अधिकारी ने कहा तब उसको पास करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नक्शा पास हो गया। जब मकान बनाने लगा और ईंटों की बिक्री करने वाले व्यापारी से ईंटों का सौदा हुआ तो देखा मकान पर जो ईंटें उतर रहीं हैं उन सब पर ईंट बनाने वाली कम्पनी का नाम हिन्दी में लिखा है अंग्रेजी में नहीं, और सारा ही मकान हिन्दी की ईंटों से बन गया। जब बिजली का कनैक्शन लेने के लिए आवेदन किया, आवेदन हिन्दी में दिया, तो कांउटर पर बैठे लिपिक ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि आवेदन हिन्दी में भरा है। आश्चर्य इसलिए कि उसे प्रतिदिन अंग्रेजी में लिखे आवेदन ही प्राप्त होते थे। किन्तु दूसरे ही क्षण उसने बड़े प्रेम से सारा ही काम बहुत शीघ्र निपटा दिया।

सिंडीकेट बैंक में अनेक कर्मचारी दक्षिण भारत के हैं। एक बार अपने खाते से रुपये निकलवाने के लिए वहां गया था। कांउटर बन्द होने में कुछ ही क्षण बाकी थे। काउंटर पर बैठा लिपिक दक्षिण भारतीय था। उसने पूछा 'आपका कोई चैक है'। मैंने कहा 'हां'। उसने दूसरे केबिन की ओर झांका और अंग्रेजी में कहा 'हां, एक चैक वहां पड़ा है, हिन्दी में लिखा है, क्या आपका है ?' मैंने हिन्दी में नम्रतापूर्वक कहा, "जी हां वह चैक मेरा ही होगा, मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूं।" वह मुस्कराया और बोला, "आपका चैक कितने रुपये का है। अपना टोकन मुझे दीजिए।" जितने रुपये मैंने बताए उतने रुपये उसने मेरे हाथ पर रखे, तब तक उसके पास मैनेजर द्वारा पास किया गया चैक पहुंचा नहीं था। बाद में एक दिन और उस व्यक्ति ने मेरे हिन्दी चैक का भुगतान, मेरे मौखिक रूप से बताने पर, बिना चैक प्राप्त हुए इसलिए कर दिया कि मेरा चैक हिन्दी में था और मैंने उससे नम्रतापूर्वक बात की थी। क्या ऐसे उदाहरण कहीं आपको मिलेंगे कि मौखिक आधार पर अंग्रेजी के चैक का भुगतान इस प्रकार से किया गया हो।

कई लोग सरकारी कार्यालयों में अपना आवेदन इसलिए अंग्रेजी में देते हैं कि उनको विश्वास है कि अंग्रेजी में लिखे आवेदनों पर जल्दी कार्यवाही होगी। मैंने हिन्दी प्राध्यापकों को अपने मामलों से सम्बन्धित आवेदन अंग्रेजी में ही देते देखा है। ऐसे कुछ व्यक्तियों को जब मैंने कहा कि क्या आपके अंग्रेजी में आवेदनों पर क्या सचमुच जल्दी कार्यवाही होती है तो उन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया कि अंग्रेजी में लिखे हुए उनके आवेदन भी सम्बन्धित अनुभागों में 5-5, 6-6 महीने पड़े रहते हैं। अंग्रेजी में लिखे पत्रों पर कार्यवाही होने में कितना विलम्ब

85-M/P(D)373MofHA—5

होता रहा है इस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, हम अकारण इस भय से आक्रान्त रहते हैं कि हिन्दी में लिखे आवेदन पर देरी हो जायेगी। तथ्य यह है कि हिन्दी के लिखे पत्रों पर कोई विशेष देरी नहीं होती और यदि होती भी हो तो क्या हिन्दी से सचमुच प्रेम रखने वाले व्यक्ति स्वयं इतनी असुविधा शुरू की अवस्था में सहन करने को तैयार नहीं होंगे। यदि उस असुविधा को सहन करने के लिए स्वयं कोई तत्पर नहीं होगा और दूसरों से ही यह आशा की जाती रहेगी कि असुविधा सह करके भी दूसरे लोग ही हिन्दी के प्रयोग की शुरूआत करें, तब तो हिन्दी का व्यवहार प्रारम्भ ही नहीं हो पायेगा और न उसका क्षेत्र विस्तृत बन सकेगा। जिन लोगों ने हिन्दी का प्रयोग प्रारम्भ किया है और विश्वासपूर्वक प्रारम्भ किया है उनका अनुभव यही बताता है कि हिन्दी में कार्य करने से न तो काम रुकता है और न ही प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है। प्रारम्भ में कुछ लोगों को हिन्दी में लिखा पत्र देखकर कौतूहल जरूर होता है और उसके बारे में कुछ पूछाताछी भी होती है, किन्तु यदि उसको हम सहज और सामान्य रूप से ले और थोड़ा धैर्य बरतें तो उन व्यक्तियों को भी हम अपने अनुकूल बना सकते हैं, जिन्हें अभी तक हिन्दी के प्रति कोई लगाव नहीं था।

सन् 1972 की बात है। मैं कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमरीका जाने का कार्यक्रम बना रहा था। पासपोर्ट के लिए आवेदन दिया। यह आवेदन हिन्दी में भरा। काउंटर पर बैठे लिपिक ने उसे इस आधार पर वापस कर दिया कि फार्म हिन्दी में भरा गया है। जब मैं इसे ले कर उसके अधिकारी के पास गया तो उसने भी लिपिक वाली बात दोहरायी। शायद उस कार्यालय के लिए यह बिल्कुल नवीन बात थी कि विदेश जाने का इच्छुक कोई व्यक्ति पासपोर्ट के लिए अपना आवेदन हिन्दी में प्रस्तुत करे। मैंने नम्रतापूर्वक कहा कि सरकारी कार्यालयों में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में विभिन्न फार्म उपलब्ध रहते हैं और उन्हें चाहे हिन्दी में भरा जाये या अंग्रेजी में, स्वीकार किया जाता है। यह कहते हुए कि "मुझे अंग्रेजी का ज्ञान कम है और फार्म हिन्दी में भर दिया है, इसे स्वीकार कर लीजिए", उस अधिकारी ने पूछा, "क्या आपका पासपोर्ट हिन्दी में बनेगा ?" मैंने पुनः नम्रतापूर्वक कहा, "यह आपकी इच्छा है कि पासपोर्ट हिन्दी में बनाये या अंग्रेजी में, वैसे अन्य देश पासपोर्ट पर अपनी भाषा का प्रयोग भी करते हैं।" कुछ देर की बातचीत के बाद उस अधिकारी ने कहा, "अच्छा आप अपना आवेदन छोड़ दीजिए मैं इसका अनुवाद करवा लूंगा।" मैंने कहा "इसमें मेरा नाम तथा पिताजी का नाम हिन्दी के साथ अंग्रेजी में भी लिखा है तथा अन्य कालमों में जो बातें लिखी गई हैं वे अत्यन्त साधारण क़िस्म की हैं। यदि उन्हें कोई बात स्पष्ट न हो तो उसे मौखिक रूप में बता सकता हूं।" इस बात को वह अधिकारी नहीं माना और कहा कि यह महत्वपूर्ण दस्तावेज है। वह उसका अनुवाद करवायेगा। मैंने इस पर कोई आपत्ति नहीं की और कहा कि यदि अनुवाद की आवश्यकता है तो करवा लिया जाये और ऐसा करने में यदि 2–4 दिन लग जाते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। वह अधिकारी बोला 2-3 दिन नहीं अधिक समय लग जायेगा। मैं इस बात के लिए भी तैयार था कि 3-4 सप्ताह भी लग जायें तो कोई चिन्ता नहीं। उस अधिकारी ने फिर डराया कि इससे भी अधिक विलम्ब हो सकता है, कितना समय अधिक लगेगा वह नहीं बता सकता। मैंने अपना धैर्य नहीं खोया और कहा कि यदि 3-4 महीने भी अधिक लग जायें तब भी कोई चिन्ता की बात नहीं। यह भी कह दिया कि "यदि 3-4 महीने बाद यह निर्णय हो कि हिन्दी में आवेदन देने के आधार पर पासपोर्ट नहीं दिया जा सकता है तो भी मुझे दुःख नहीं होगा क्योंकि मुझे विदेश में कोई जरूरी काम नहीं है, केवल घूमने-फिरने जाना है। यदि पासपोर्ट नहीं मिला तो मेरे जो 10-12 हजार रुपये व्यय होने थे वे बच जायेंगे।" इसके पश्चात् और आगे बातचीत नहीं हुई, मेरा आवेदन रख लिया गया। मैंने देखा कि मुझे 13-14 दिन के भीतर पासपोर्ट मिल गया। शायद यह धैर्य परीक्षा मात्र थी। हिन्दी में आवेदन देने के कारण मेरे पासपोर्ट बनने में कोई बाधा उपस्थित नहीं हुई। और अब सन् 1985 में नया पासपोर्ट बनवाया। आवेदन हिन्दी में ही भरा था। पासपोर्ट आसानी से बन गया तथा 20 दिन में डाक द्वारा घर आ गया।

पासपोर्ट के आवेदन को सत्यापित करवाने के लिए आवेदनकर्ता भारत सरकार के उपसचिव अथवा उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी के पास जाता है। मैं जब गृहमंत्रालय में उपसचिव के पद पर था तो मेरे कई मित्रअथवा सम्बन्धी पासपोर्ट के लिए अपन आवदन का सत्यापन करवाने के लिए मेरे पास आते थे। मैं उनसे कहा करता था कि इसके लिए फीस लूंगा। एक बार तो उन्हें आश्चर्य होता कि उनका मित्र अथवा सम्बन्धी होने पर भी मैं फीस लेने की बात किस प्रकार कर रहा हूं, लेकिन जब मैं उन्हें अपनी फीस बताता तो वह कुछ क्षण के लिए सोच विचार में पड़ जाते। मेरी फीस होती थी, "आप अपने आवेदन को हिन्दी में भी भर दीजिए।" कुछ लोग तो ऐसा तुरन्त कर देते थे लेकिन कुछ के मन में डर रहता था कि यदि उन्होंने आवेदन पत्र के कालम हिन्दी में भर दिये तो उनका पासपोर्ट बन ही नहीं पायेगा किन्तु अन्त में वह मेरी बात मान ही लेते थे और कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई कि उनमें से किसी के पासपोर्ट बनने में कोई बाधा उपस्थित हुई हो।

हिन्दी से प्रेम रखने वाले जो व्यक्ति अपने आवेदन अथवा पत्र आदि अंग्रेजी में लिखते हैं उनसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या वह ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हिन्दी में विभिन्न विषयों के विचार अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य नहीं है। उत्तर मिलेगा कि ऐसी बात नहीं है, हिन्दी में भी सभी विषयों के विचार भली प्रकार व्यक्त किये जा सकते हैं। तब प्रश्न उठता है कि यदि हिन्दी समर्थ भाषा है तो क्या लिखने वाले में हिन्दी लिखने की सामर्थ्य नहीं है। लिखने वाला कहेगा कि यह बात भी नहीं, वह अच्छी हिन्दी जानता है और सभी विषयों पर हिन्दी में अधिकारपूर्वक लिख सकता है। यदि हिन्दी समर्थ भाषा है और लिखने वाला हिन्दी में समर्थ है, फिर भी हिन्दी में नहीं लिखता तब फिर यह प्रश्न उठता है कि क्या लिखने वाले की हिन्दी में आस्था नहीं। किसी हिन्दी प्रेमी के हृदय में हिन्दी के प्रति आस्था न हो यह भी अकल्पनीय है। फिर यदि आस्था भी है तो हमारी लेखनी हिन्दी क्यों नहीं लिखती। यदि हमारी लेखनी हिन्दी नहीं लिखती तो दूसरों की लेखनी किस तरह हिन्दी लिखेगी। यदि हम चाहते हैं कि हिन्दी का प्रयोग बढ़े, सभी लोग अपना कामकाज हिन्दी में करें और अधिकतम मात्रा में करें तो उसके लिए हमें स्वयं अपना उदाहरण प्रस्तुत करना होगा।

शब्दों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

—डा० इन्द्र चन्द्र शास्त्री

दिल्ली विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट आफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के संस्कृत विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष डा० इन्द्र चन्द्र शास्त्री, शास्त्राचार्य, वेदान्त वारिधि, न्याय तीर्थ, का प्रस्तुत लेख जहां पत्रिका की एक रसता को तोड़ेगा उसी के साथ अनेक प्रचलित शब्दों की सांस्कृतिक व्याख्या भी करेगा जिसके फलस्वरूप उन शब्दों का प्रयोग करने में एक सही दिशा मिलेगी।

भाषा और संस्कृति का अटूट सम्बन्ध है। संस्कृति भाषा की सम्पत्ति है और उसे समृद्ध बनाती है। भाषा संस्कृति का वाहन है जो उसे अभिव्यक्ति प्रदान करता है। कालिदास ने संस्कृति को शिव और भाषा को शक्ति कहा है। शक्ति के बिना शिव पंगु है, शव के समान है। शव के बिना शक्ति बर्बरता, है पशुता है। संस्कृति और भाषा में परस्पर सतत आदान प्रदान होता आया है और यही कारण है कि जन-साधारण की मनोवृत्ति में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया अनेक प्रचलित शब्दों के अर्थ बदलते गये।

भारत ही नहीं संसार की समस्त भाषाओं में ऐसे शब्द विद्यमान हैं जिनके पीछे रोचक इतिहास है। अंग्रेजी का ज्यू (Jew) शब्द जिसका अर्थ है यहूदी जाति का सदस्य, अब स्वार्थी कृपण का पर्यायवाची बन गया है। इसका कारण यहूदियों की संकुचित धार्मिक वृत्ति और सूद पर रुपया देने का धन्धा रहा है जिसने उन्हें बदनाम कर दिया। वे अपने को "ईश्वर के चुने हुए बन्दे" (Choosen few of the God) मानते रहे और ईसाइयों के साथ सैकड़ों वर्षों तक उनके युद्ध चलते रहे। परिणामस्वरूप विश्वबन्धुत्व का सिद्धांत मानने वाले ईसाइयों की दृष्टि में "ज्यू" शब्द हृदयहीन स्वार्थी का द्योतक बन गया।

प्रस्तुत लेख में कुछ प्रचलित भारतीय शब्दों का विवरण है जिनके पीछे मनोरंजक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है।

देवानां प्रिय—इसका शाब्दिक अर्थ है देवों अर्थात् सज्जनों का प्यारा। अशोक की धर्मलिपियों का प्रारम्भ निम्नलिखित शब्दों के साथ होता है—

"देवानं पियो पिय दंसी श यां एव्वमाह"

अर्थात्—देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा इस प्रकार घोषणा करता है।

अशोक को यह विशेषण उदारता एवं गुणानुराग के कारण प्राप्त हुआ होगा किन्तु संस्कृत साहित्य में इसका अर्थ सर्वथा उलट दिया गया। पाणिनीय व्याकरण में भाष्यकार पंतजलि की इष्टि है—"देवानां इति च मूर्खे" अर्थात् "देवानां प्रिय" यह अलुक समास मूर्ख अर्थ में होता है। यह निश्चित है कि पाणिनी के समय यह अर्थ नहीं था। कालांतर में अर्थ का बदल जाना साम्प्रदायिक विद्वेष की सूचना देता है। बौद्ध परम्परा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो वास्तविक अर्थों में प्रतिष्ठासूचक होने पर भी लोकभाषा में निन्दा के लिये प्रयुक्त किये जाने लगे।

बुद्धू—बुद्ध शब्द का प्रथमा एकवचन पाली में "बूद्धो" होता है और अपभ्रंश में बुद्धू"। हिन्दी में यही प्रचलित है जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जो अपना स्वार्थ सिद्ध करना नहीं जानता। बौद्धों की महायान परंपरा में बोधिसत्व (बुद्ध) को दूसरों के कल्याण की जितनी चिन्ता है उतनी अपने कल्याण की नहीं। ऐसे भिक्षुकों का निर्देश भी मिलता है जिन्होंने कीड़े मकोड़े तथा हिंसक जन्तुओं की भूख मिटाने के लिये अपना बलिदान कर दिया। सम्भवतः इन्हीं को लक्ष्य में रखते हुए अर्थ बदल गया और निन्दा सूचक बन गया।

फारसी तथा उर्दू में "बुत" शब्द का अर्थ मूर्ति है और मूर्तिपूजक को "बुत परस्त" कहा जाता है। धर्मों के इतिहास से पता चलता है कि मूर्तिपूजा का प्रारम्भ सर्वप्रथम बौद्ध धर्म में हुआ। अशोक ने बुद्ध की हजारों मूर्तियां बनवायीं और उन्हें स्थान स्थान पर प्रतिष्ठित किया। सम्भवतः इन्हीं को देखकर मुसलमानों ने "बुद्ध" शब्द से बिगड़ते हुए "बुत" शब्द को मूर्ति का समानार्थक मान लिया।

भोन्दू—बौद्ध और जैन परम्परा में आदरणीय भिक्षु के लिये "भन्ते" सम्बोधन मिलता है। "भन्त" शब्द भगवान का ही रूपान्तर है। सौरसेनी में "त" का "द" हो जाता है। भाषा विज्ञान के अनुसार वर्गीय व्यंजन के साथ लगे हुए "अ" का उच्चारण "ओ" के समान हो जाता है। इस प्रकार भन्त का प्रथमा एक वचन "भोन्दू" बन गया। इस शब्द का प्रयोग भी उसी व्यक्ति के लिए होता है जिसे अपने हिता-हित का ज्ञान नहीं है।

बावला—लोक भाषाओं में इसका अर्थ है पागल/बकुल एक प्रकार के सन्यासी होते थे जो प्रायः घूमते रहते थे। आत्मचिन्तन में लीन रहने के कारण उन्हें बाह्य सुधबुध नहीं रहती थी। अब भी बंगाल तथा अनेक अन्य स्थानों पर "बाउल" नाम के सन्यासियों का वर्ग विद्यमान है।

पासत्था—यह जैन परम्परा का शब्द है। इसका अर्थ है चरित्र में ढीला साधु। इसका संस्कृत रूपान्तर पार्श्वस्थ है जिसका अर्थ है "जो साधु पार्श्वनाथ परम्परा में टिका हुआ है।" जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर थे और तेरहवें पार्श्वनाथ जो कि महावीर से ढाई सौ वर्ष पहले हुए। महावीर के समय तक पार्श्वनाथ के अनुयायियों में शिथिलता आ चुकी थी। अतः महावीर ने नया संगठन किया और कठोर चर्या का विधान किया। उस समय पार्श्वनाथ को मानने वाले अनेक साधु महावीर के संघ में सम्मिलित हो गये और आत्मसाधना के लिये कठोर धर्म का पालन करने लगे।

जो नहीं आये वे पार्श्वनाथ या पासत्थ कहे गये। उन्हीं को लक्ष्य में रख कर पासत्था शब्द का अर्थ ढीली चर्या वाले साधु बन गया।

पाखण्डी–अशोक की धर्मलिपियों तथा प्राचीन बौद्ध एवं जैन साहित्य में "पाखंड" शब्द का अर्थ केवल पन्थ या सम्प्रदाय है और उसमें निन्दा का कोई भान नहीं है। किन्तु कालान्तर में वही ढोंगी का वाचक बन गया। जब से भारत स्वतन्त्र हुआ और हमारे गणतन्त्र ने धर्मनिरपेक्ष नीति को स्वीकार किया है तब से "साम्प्रदायिक" तथा अंग्रेजी का "सेक्टेरियन" शब्द भी ऐसे ही बनते जा रहे हैं। उनका अर्थ हो गया है संकुचित मनोवृत्ति वाला।

व्रात्य––मनुस्मृति तथा उत्तरकालीन ब्राहमण-साहित्य में व्रात्य उन लोगों को कहा गया है जो आचार तथा संस्कारों से हीन हैं। ब्राहमण, क्षत्रिय तथा वैश्य भी वैदिक मर्यादा का पालन न करने पर व्रात्य बन जाते थे। उन्हें प्रायश्चित देकर पुनः अपने वर्ण में सम्मिलित कर लिया जाता था। इसी शुद्धि के लिय "व्रात्यस्तोम" नाम का सूक्त है। किन्तु वास्तव में व्रात्य वे लोग थे जो जीवन में अनुशासन लाने के लिये विविध प्रकार के व्रतों का अनुष्ठान किया करते थे। उनका अस्तित्व आर्यों के पहले से चला आ रहा है। सांस्कृतिक दृष्टि से वे पर्याप्त विकसित थे। जैन, बौद्ध आदि श्रमण परम्पराएं उन्हीं का आवान्तर रुप हैं। वर्तमान हिन्दु धर्म को देखा जाय तो उस परम्परा ने वैदिक परम्परा को अभिभूत कर दिया है। फिर भी वेद बाह्य होने के कारण यह शब्द घृणा का सूचक बन गया जिसका आधार साम्प्रदायिक विद्वेष है।

मलेच्छ––इसका अर्थ है गन्दा रहने वाला, संस्कारहीन व्यक्ति। वास्तव में म्लेच्छ देश विशेष का सूचक है जो बहुत दिनों तक आर्यों के प्रभाव से मुक्त रहा। सम्भवतः यह मगध या उसके आस पास के प्रदेश का नाम है जो अपनी समुन्नत संस्कृति के कारण बहुत दिनों तक वैदिक प्रभाव से बचा रहा। तृतीय शताब्दी के जैनाचार्य उमास्वाति ने भारतीय प्रदेशों का आर्य तथा मलेच्छ दो विभागों में विभाजन किया है। भाष्यकार पंतजलि ने मलेच्छों के लिए बताया है कि वे अस्पष्ट भाषा बोलते हैं। र के स्थान पर ल का उच्चारण करते हैं और स के स्थान पर श का। यह विशेषता मगध में अब भी पायी जाती है। पाणिनीय धातु पाठ में म्लेच्छ धातु का अर्थ बताया गया है अव्यक्त शब्द बोलना। हम जिस भाषा को नहीं समझते वह सदा अस्पष्ट अथवा अव्यक्त प्रतीत होती है। इन सबसे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि काशी तक फैले हुए आर्यों ने गंगा के दूसरी ओर रहने वालों को म्लेच्छ कहा। क्रमशः जाति विद्वेश के कारण वही घृणा का प्रतीक बन गया।

हिन्दू––फारसी में इस शब्द का अर्थ डाकू या लुटेरा है। वास्तव में यह शब्द सिन्धु का बिगड़ा हुआ रूप है। जहां दो देशों की सीमा मिलती हैं वहां एक देश वालों का दूसरे देश में जाकर चोरी, डकैती, तथा लूटमार करना चिरकाल से चला आया है। सिन्धु नदी चिरकाल तक भारत की सीमा रही है। उसके इधर बसे हुए लोग दूसरी ओर बसे हुए लोगों में जाकर लूट मार करते होंगे। अतः उन लोगों के शब्दकोष में सिन्धु का बिगड़ा हुआ हिन्दू शब्द डाकू का वाचक बन गया। कालिदास ने अपने रघुवंश मे रघु की दिग्विजय का वर्णन करते हुए सिन्धु के तटवर्ती प्रदेशों का भी निर्देश दिया है। उससे प्रतीत होता है कि ईसा के पश्चात् चतुर्थ शताब्दी में भारतवासियों का सिन्धु के उत्तरवर्ती प्रदेशों में आतंक फैल चुका था।

भाटी––राजस्थान में भाटी राजपूतों का एक वंश है जिनका जैसलमर पर अब तक राज्य रहा है। उन्हीं के नाम से पंजाब में भटिंडा नामक नगर बसा। यह शब्द "भतृत" से बिगड़ कर बना है जिसका अर्थ है––स्वामी या मालिक। संस्कृत नाटकों की प्राकृत में राजा के लिए भट्टा तथा महारानी के लिये भट्टिनी शब्द का प्रयोग बाहुल्य से मिलता है। जैन साहित्य में प्रधानाचार्य के लिये भट्टारक शब्द का प्रयोग मिलता है। हिन्दी का भाड़ा शब्द भी इसी से निकला है जिसका मूल अर्थ है–स्वामी अथवा राजा का भाग। व्यापार, वाणिज्य, कृषि आदि व्यवसायों में जो भाग राजा अथवा मालिक का होता था उसे भाड़ा कहा जाता था। अब इसका अर्थ किराये के अर्थ में होता है। प्रतीत होता है भाड़े पर आजीविका चलाने वाली जाति का नाम भाटिया पड़ गया। यह भाटिया जाति भारत के गुजरात, पंजाब तथा अनेक राज्यों में फैली हुई है और मुख्यतः व्यापार करती है।

मेहतर––वर्तमान हिन्दी में यह शब्द भंगी का वाचक है। किन्तु इसका अर्थ है अपेक्षाकृत बड़ा/संस्कृत नाटकों में "भंगी" को "स्वजाति महत्तर" अर्थात् अपनी जाति में बड़ा कह कर पुकारा जाता है। कालान्तर में "स्वजाति" शब्द का लोप हो गया और केवल महत्तर रह गया जो बिगड़ते बिगड़ते मेहतर बन गया।

सम्भ्रान्त––हिन्दी में इसका प्रयोग "कुल" शब्द के साथ किया जाता है और इसका अर्थ होता है ऊंचा खानदान। वास्तव में सम्भ्रान्त का अर्थ है अज्ञात, जिसके विषय में भ्रम फैला हुआ हो। सम्भवतः इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जयशंकर प्रसाद ने मगध के राजवंशी व्यक्तियों के लिए किया। यह भी सम्भव है कि उनका अभिप्राय प्राचीन अथवा जिसके आदि का पता नहीं है, ऐसे वंश से हो। किन्तु वर्तमान हिन्दी ने उसे उच्च एवं श्रेष्ठ अर्थ के रूप में अपना लिया है सार्वजनिक सभाओं में भी किसी कुलीन व्यक्ति का परिचय देते हुए उसका संबंध सम्भ्रान्त कुल से जोड़ा जाता है।

बाबू––यह शब्द बापू का बिगड़ा हुआ रूप है जिसका अर्थ होता है––पिता। बंगाल तथा बिहार में भूमिहीन कृषक अपने आश्रयदाता जमींदारों को इस नाम से पुकारते थे। ईस्ट इंडिया कम्पनी का राज्य स्थापित होने पर वे जमींदार अंग्रेजों के सहायक बने और बाबू इस वर्ग को कहा जाने लगा जो अंग्रेज शासक और जन साधारण के बीच सम्बन्ध जोड़ने का कार्य करता था। धीरे-धीरे आफिसों में कार्य करने वाला प्रत्येक भारतीय बाबू कहा जाने लगा। जब भारतीय उच्च पदों पर पहुंचने लगे तो उसके भी दो विभाग हो गये। अंग्रेजों की कुर्सियों पर बैठने वाले उच्च पदाधिकारी साहब कहे गये और क्लर्क का काम करने वाले बाबू।

भगतन––यह शब्द भगत का स्त्रीलिंग है। किन्तु राजस्थान में इसका प्रयोग वेश्या के अर्थ में होता है। सम्भवतः दक्षिण भारत के समान राजस्थान में भी देवदासियों की प्रथा रही होगी और वही वर्ग पतित होकर वेश्यावृत्ति करने लगा।

देवर––इसका अर्थ है पति का छोटा भाई। यास्क 400 ई. पू. ने अपने निरुक्त में इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है––"देवरोहि द्वितीयो वरो भवति" अर्थात् देवर ही दूसरा वर होता है। प्राचीन समय में नियोग की प्रथा थी जबकि पति के मर जाने पर उसके छोटे भाई के साथ

विवाह कर लेती थी। पति के रहते हुए भी सन्तान की इच्छा से देवर के साथ सहवास का विधान था। कहीं-कहीं पहाड़ी जाति में केवल बड़ा भाई ही विवाह करता है और वह स्त्री अपने आप छोटे भाइयों की पत्नी भी मान ली जाती है। द्रोपदी का उदाहरण इसी प्रथा को उपस्थित करता है। वर्तमान समाज में भी देवर और भाभी का जैसा सम्बन्ध है उससे उपरोक्त तथ्यों का संकेत मिलता है फिर भी वर्तमान युग उसे द्वितीय वर के रूप में स्वीकार नहीं करता।

विवाह—यह शब्द संस्कृत की "वह" धातु और "वि" उपसर्ग से बना है। इसका अर्थ है विशेष रूप से ले जाना। भारत में विवाह प्रथा एक प्रकार से युद्ध का दृश्य उपस्थित करती है। वह अपने साथियों के साथ सजधज कर घोड़े पर सवार आता है और तलवार की नोक से कन्या के तोरणद्वार को ठुकराता है। युद्ध का भय देखकर कन्या का मामा चुपचाप कन्या को उठा कर लाता है और वर को सौंप देता है। वर पक्ष विजय की खुशी मनाता हुआ वापिस चला जाता है। कन्या का दूसरे ग्राम तथा गोत्र का होना भी विवाह के लिए आवश्यक माना जाता है। क्योंकि अपने गांव की कन्या का अपहरण अनुचित माना जाता था। भारत के अतिरिक्त अन्य किसी देश में यह प्रतिबन्ध नहीं है। पंजाबी में बरात को जन्म कहते हैं जो कि संस्कृत के "जन्य" शब्द का विकृत रूप है। "जन्य" शब्द का अर्थ है एक जन का दूसरे जन के साथ युद्ध। कालान्तर में विशाल साम्राज्यों की स्थापना होने पर विवाह का रूप बदल गया और वह परस्पर प्रेम सम्बन्ध के रूप में परिणत हो गया।

संग्राम—इसका अर्थ है युद्ध। पाणिनीय धातुपाठ में भी यही अथ दिया गया है। किन्तु इसका वास्तविक अर्थ है—ग्रामों का एकत्रित होना। अत्यन्त प्राचीन काल में प्रत्येक ग्राम अपने आप में इकाई था। प्रत्येक ग्राम के निवासी आपस में सहायक होते थे, साथ ही दूसरे ग्राम के साथ युद्ध की तैयारी करते रहते थे। दो ग्रामों का परस्पर व्यवहार सदा शत्रुतापूर्ण रहता था। एक गांव के पशुओं का दूसरे गांव के खेतों में घुस जाना, एक गांव के लोगों का दूसरे गांव की खेती काट लेना अथवा दूसरे गांव में चोरी या डकैती करना आदि किसी भी कारण से दोनों ग्राम के निवासी अपनी अपनी सीमा पर युद्ध के लिए आ डटते थे। इसी का नाम संग्राम था। धीरे-धीरे जब राज्य संस्था ने ग्राम की सीमाओं को लांघ कर विशाल क्षेत्र की बड़ी-बड़ी इकाइयों में बांधना शुरु किया तो गांवों में परस्पर युद्ध की भावना शिथिल हो गई किन्तु संग्राम शब्द का वही अर्थ बना रहा।

मौखरी—यह शब्द "मुखर" से बना है जिसका अर्थ है हिम्मत के साथ आगे बढ़कर बोलने वाला। इसका प्रयोग अच्छे अर्थ में भी मिलता है और बुरे अर्थ में भी। बाणभट्ट ने अपनी "कादम्बरी" के प्रारम्भ में मौखरी शब्द का प्रयोग अग्रण्य सामन्तों के लिए किया है। जैन साहित्य मौखरिकता एक प्रकार का दोष माना गया है। वहां गृहस्थ के लिए बारह व्रतों का विधान है। आठवां व्रत अनर्थदण्ड का परित्याग है अर्थात् जैन गृहस्थ को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे अपना कोई प्रयोजन सिद्ध न हो और दूसरों को व्यर्थ कष्ट पहुंचे। मौखरिकता इसी व्रत का एक अतिचार है। इसका अर्थ है बढ़ चढ़ कर व्यर्थ की बातें करना भी अनुशासनहीनता है और सभ्य एवं सुसंस्कृत जीवन के लिए दोष है। संस्कृत में वाचाल तथा वाग्मी शब्द मिलते हैं। दोनों एक ही धातु से बने हैं और उनका अर्थ है बोलने वाला। किन्तु वाचाल शब्द निन्दा में प्रयुक्त होता है और वाग्मी प्रशंसा में। वे मुखर शब्द के दोनों रूपों को प्रकट करते हैं।

हल्लीश—हल्लीश एक प्रकार का उपरूपक है। इसमें एक पुरुष पात्र बीच मे खड़ा रहता है और बारह स्त्रियां घूम घूम कर नृत्य करती हैं। यह उपरूपक यूनान से भारत में आया। वहां इसका नाम है हलयोकस जिसका अर्थ होता है सूर्य-नृत्य। सूर्य के स्थान पर पुरुष रहता है और बारह स्त्रियां बारह राशियों का अभिनय करती हैं। इस प्रकार सूर्य का बारह राशियों में संक्रमण दिखाया जाता है।

वैधेय—इस शब्द का प्रयोग संस्कृत नाटकों में मूर्ख के अर्थ में होता है। इसका व्युत्पत्यर्थ है—विधि अर्थात् शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार चलने वाला। जो व्यक्ति परिस्थिति का ध्यान नहीं करता और बुद्धि से काम लेना छोड़कर केवल शास्त्रों के शब्दों पर जाता है सम्भवतः उसके लिए इस शब्द का प्रयोग होने लगा और क्रमशः मूर्ख का पर्यायवाची बन गया।

रासौ—राजस्थान में एक मुहावरा है "रासो कर दियो" जिसका अर्थ है "गुड़ गोबर कर दिया" या झमेला खड़ा कर दिया। वास्तव में रास शब्द का अर्थ है वह अभिनय या काव्य जिसमें अनेक रासों का प्रदर्शन हो। संस्कृत साहित्य में रास या रासक उपरूपकों में गिना गया है। हिन्दी तथा राजस्थानी साहित्य में रासों के नाम से अनेक काव्य एवं रूपक उपलब्ध हैं किन्तु बोलचाल की राजस्थानी में इसका प्रयोग गुड़गोबर या झमेले के अर्थ में ही होता है।

लीक—लीक भाषाओं में यह शब्द लकीर अथवा रेखा के अर्थ में आता है। किन्तु इसका मूल रुपक अलीक है। संस्कृत साहित्य में इसका अर्थ कलंक या अपवाद है। नाटकों में किसी स्त्री या पुरुष पर जब कोई लांछन लग जाता था वो सर्वसाधारण वर्ग कानाफूसी करते समय उसे अलीक कहता था, अर्थात् अमुक व्यक्ति के चरित्र पर कलंक की मलिन रेखा लग गई। किन्तु वर्तमान भाषाओं में यह शब्द निन्दा का बोधक नहीं रहा।

घास—यह शब्द संस्कृत की "घसल्" अदने धातु से बना है। इसका अर्थ है भोजन करना। महाभारत में गृहस्थ धर्म का उपदेश देते हुए कहा गया है कि गृहस्थ को विघसाशी होना चाहिए। विघस का अर्थ है अतिथि, परिवार तथा नौकरों के भोजन कर लेने के बाद बचा हुआ अन्न। उस अन्न को अत्यन्त पवित्र माना जाता था। उसी घस धातु स बना हुआ घास शब्द वर्तमान भाषा में पशुओं के चारे का बोधक बन गया है।

डाकिन—यह संस्कृत डाकिनी का अपभ्रंश है। तंत्र साहित्य में डाकिनी का वर्णन महा काली की उपासिका के रूप में आता है। षट्चक्र निरुपण में डाकिनी का अधिष्ठान मणिचूरचक्र बताया गया है किन्तु शिवपुराण में "डांक" एक प्रदेश का नाम है और वहां निवास करने वाली प्रत्येक स्त्री डाकिनी है। तन्त्र साहित्य में "डाकार्णव" नाम का महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। सम्भवतः भूत तथा पिशाच शब्दों के समान डाक डकारों तथा डाकिन शब्दों का भी सम्बन्ध प्रदेश विशेष से है और क्षेत्रीय घ्रणा को प्रकट करता है।

जिन—बुद्ध तथा महावीर के समय में यह शब्द अत्यन्त प्रतिष्ठा का सूचक था। इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसने रागद्वेषादि आत्म-शत्रुओं को जीत लिया। तत्कालीन विविध मतानुयायी अपने अपने धर्म प्रवर्तकों को जिन कहने में गौरव का अनुभव करते थे। उनमें यह विवाद भी चला करता था कि अन्य मत का प्रवर्तक जिन है नहीं। मुख्यतः इस शब्द का प्रयोग आजीवक मत के प्रवर्तक गोशालक के साथ होता था। वह नग्न रहता था और नियतिवाद को मानता था। उसका सिद्धान्त था कि विश्व में जो कुछ होना है होकर रहेगा। यज्ञ, दान तपस्या एवं पुरुषार्थ के द्वारा उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता।

वर्तमान लोकभाषाओं में इस शब्द का प्रयोग किसी डरावने आकार के लिये होता है। महावीर और गोशालक अपने साधना काल में अरण्यवासी थे और वृक्षों के नीचे, खण्डहरों या श्मशान में बनी हुई छतरियों में रात बिताया करते थे। अंधेरे में उन्हें देखकर लोग डर जाते थे। सम्भवतः उसी संस्कार के कारण जिन शब्द भूत पिशाच की कोटि में आ गया।

भूत—यह शब्द भूटान के निवासी का वाचक है। जिस प्रकार ईरान आर्याना से बिगड़ कर बना है। वहां की भाषा भूत भाषा कहलाती है। वर्तमान लोकभाषाओं में इस शब्द का प्रयोग ऐसी प्रेतात्मा के लिये होता है जो शरीर या घर में घुस कर उत्पात करती रहती है। प्रतीत होता है भूटान के प्राचीन निवासी तन्त्र मंत्र आदि विद्याओं में कुशल रहे होंगे और उनके द्वारा सर्वसाधारण को ठगा करते होंगे। इसी कारण भूत शब्द कष्ट देने वाली प्रेतात्मा के लिये प्रयुक्त होने लगा।

पिशाच—यह भी एक प्रदेश का नाम है जो कश्मीर की तलहटी में बसा हुआ है। यहां की भाषा का नाम पैशाची है। महाकवी गुणाढ्य यहीं का रहने वाला था और उसने बृहत्कथा की इसी भाषा में रचना की थी जो भारतीय कथा साहित्य का विश्वकोष था। उपरोक्त पुस्तक क्यों नष्ट हो गई इसके लिये ऐतिहासिक तथ्य नहीं मिलते। कहा जाता है गुणाढ्य ने राज-सम्मान न मिलने के कारण उसे स्वयं जला दिया।

संस्कृत नाटकों में पैशाची जल्लाद आदि क्रूर पात्रों द्वारा बोली जाती है। अब भी वहां के निवासी अत्यन्त बलिष्ठ हैं और पश्तो बोलते हैं। निर्बल जाति को विरोधी संस्कारों वाली बलिष्ठ जाति सदा क्रूर प्रतीत होती है। यही भावना पिशाच देश के निवासियों के प्रति भी रही है। हिन्दी में पिशाच शब्द का प्रयोग क्रमर प्रेतात्माओं के लिए होता है जो कि क्षेत्रीय विद्वेष का सूचक है।

राक्षस—यह शब्द भी देश विदेश के निवासियों का बोधक है किन्तु कालान्तर में जातीय विद्वेष के कारण निन्दा का बोधक बन गया है।

यक्ष—वर्तमान लोकभाषा में यह शब्द भयंकर मानवाकृति के लिए प्रयुक्त होता है। किन्तु यह एक जाति का नाम है जो सम्पन्न, सुखी एवं विलासी थी और हिमालय पर निवास करती थी। कुबेर इनका राजा था। कालिदास ने अपने मेघदूत काव्य में यक्ष और यक्षिणी के प्रेम का सुन्दर चित्र उपस्थित किया है। भारतीय मूर्तिकला में यक्षिणी सर्वांग सुन्दर, विकसित यौवना नारी के रूप में उपस्थित की जाती है। प्रत्येक देव मंदिर में मंगल के रूप मे उसकी मूर्ति मिलती है। यक्ष दम्पति अपने प्रेम के लिए भारतीय साहित्य में आदर्श माने गये हैं।

गन्धर्व—वर्तमान समय में यह शब्द संगीतज्ञों के लिये प्रयुक्त होता है किन्तु प्राचीन समय में एक जाति का बोधक रहा है जो अपनी संगीतप्रियता के लिए प्रसिद्ध थी।

किन्नर—इसका अर्थ होता है कुत्सित नर। संस्कृत काव्यों में इसके शरीर का वर्णन आधे मनुष्य आधे घोड़े के रूप में किया जाता है किन्तु वास्तव में यह एक पहाड़ी जाति है जो घोड़े अथवा खच्चरों का व्यापार करती है।

–10/17, शक्ति नगर
दिल्ली–110007

लैटर प्रैस (अक्षर संयोजन मुद्रणालय) के क्षतिग्रस्त ब्लाकों की मरम्मत पर शोध पत्र

—शोधकर्ता—जोगिन्दर सिंह

प्रायः यह कहा जाता है कि हिन्दी में तकनीकी विषयों पर शोध पत्र नहीं लिखा जा सकता। इस भ्रान्ति को दूर करेगा प्रस्तुत शोध पत्र। इसके शोधकर्ता हैं भारत सरकार मुद्रणालय शिमला के सहायक तकनीकी प्रबंधक श्री जोगिन्दर सिंह जी। अहिन्दी भाषी 40 वर्षीय जोगिन्दर सिंह मेधावी छात्र रहे हैं। हिन्दी के प्रति उनका अनुराग राष्ट्रीय भावना से प्रेरित हुआ। शिमला आकाशवाणी से मुद्रण तकनीकी पर हिन्दी में अनेक वार्तायें प्रस्तुत कीं।

क्षतिग्रस्त ब्लाकों की मरम्मत करने का श्री जोगिन्द्र सिंह जी ने सफल प्रयोग किया है। ब्लॉकों के मरम्मत की जो प्रणाली जोगिन्दर सिंह ने निकाली है वह मुद्रण क्षेत्र के लिए अत्यन्त उपयोगी है। इससे मुद्रणालयों में धन की बड़ी बचत होगी और मुद्रण का स्तर उठेगा। क्योंकि यह लेख न हो कर हिन्दी में तैयार किया गया शोध पत्र है इसलिए हम उसे अविकल रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं।

1. प्रस्तावना

अक्सर यह पाया गया है कि पारागमन में परिवाहक द्वारा उचित सम्भाल न रखने के कारण ठोस ब्लाक्स क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। मुद्रक की लापरवाही जैसा कि हैम्पल क्वाईन जैसे कठोर खण्ड इत्यादि ठोस ब्लाकों के ऊपर फैंकने/गिरने के कारण भी ब्लाक्स क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। मुद्रणालय में गोदाम की खराब व्यवस्था भी ब्लाक्स की क्षति का कारण बनती है। तथा कभी-कभी दुर्घटना में यन्त्र के पूर्जों के साथ-साथ ब्लाक्स भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।

क्षति सामान्यता ब्लाकों में छोटे या बड़े गड्ढ़ों और दरार के रूप में पाई जाती है। गड्ढ़ों का आकार अलग-अलग होता है और यह मुद्रण के पश्चात् कागज पर बहुत बुरा प्रतीत होता है। मुद्रक के पास इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं रह जाता कि वह ब्लाक को अस्वीकार कर नए ब्लाक की मांग करे ताकि मुद्रण में कोई त्रुटि नजर न आए और इस प्रकार वह अपनी साख खो बैठता है। इस प्रकार मुद्रक को काफी नुक्सान उठाना पड़ता है क्योंकि एक ए-3 आकार के ठोस ब्लाक का मूल्य लगभग रु. 200- बैठता है। यह प्रक्रिया मुद्रक द्वारा ब्लाक बदलने क भारी नुक्सान और नए ब्लाक बनवाने में होने वाले नष्ट समय, जिसके कारण मुद्रक ग्राहक के साथ किया गया वायदा पूरा नहीं कर पाता को ध्यान में रखकर विकसित की गई है।

2. मुख्य प्रारूप

इस प्रक्रिया द्वारा मरम्मत करने पर मरम्मत किया गया ब्लाक मुद्रण उपरान्त अच्छे परिणाम प्रदान करता है। यहां तक कि एक तीक्षण दृष्टि वाला मुद्रक भी त्रुटि ढूंढ निकालने में सफल नहीं हो सकता। मरम्मत के पश्चात् जब ब्लाक मुद्रण के लिए लिया जाता है तब यह पाया गया है कि ब्लाक से स्याही का स्थानान्तरण उसी प्रकार होता है जैसा कि जस्त और तांबे के ब्लाक द्वारा प्राप्त होता है। मरम्मत किया हुआ ब्लाक विशेषकर जिस स्थान पर मरम्मत की गई है मुलायम होता है और वह स्याही सोखने और स्थानांतरित करने में पूणतः सक्षम होता है।

3. मरम्मत की सीमा

इस प्रक्रिया द्वारा मुद्रक जिस ब्लाक में 1 वर्ग इन्च के परिमाप का छोटा या बड़ा गड्ढ़ा हो की स्वयं मरम्मत कर सकता है तथापि मुद्रक के इस मरम्मत काय में दक्ष हो जाने के पश्चात् वह इससे बड़े गड्ढ़ों की मरम्मत भी कर सकता है। यदि थोड़ा ध्यान दिया जाए तो यहां तक कि बड़ी क्षतियों की मरम्मत भी की जा सकती है। यह मरम्मत मुद्रण की गुणवत्ता में कोई अन्तर नहीं डालती।

4. मरम्मत के लिए सामग्री

1. एपोक्सी एम-सील एथेसीव
2. ग्रेफाईड चूर्ण
3. छोटी चाईना डिश
4. एक इन्च चौड़ा पलेट चाकू
5. तीन पाईन्ट सीसे की छड़
6. पुराना प्रयोग किया हुआ एमरी कपड़ा जिसमें बड़े सिलिकोणी कण न हों।

सामग्री की प्रयोग विधि और गुण

1. **एपोक्सी एम-सील एथेसीव** :—यह एक बहुत अच्छा चिपकाव माध्यम है जो बहुत गुणवत्ता वाला जोड़ प्रदान करता है। यह एथेसीव दो शीशीयों, एक में बिरोजा और दूसरी में कठोरक के मिश्रण से प्राप्त होता है।

2. **ग्रेफाईड चूर्ण** :—यह चूण गहरे धूसर रंग का होता है और अन्तिम रूप में आधार है। इसके छोटे-छोटे कण बहुत नरम और चिकने होते हैं। इसका संकचन गणक .0000044 प्रति डिग्री फारनहाईट है जो कि टाइप धातु मिश्रण से बहुत कम है। इसका टाइप धातु से बहुत कम संकुचन गुणक देखते हुए यह सामग्री मरम्मत कार्य के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि इस पर मुद्रण के समय पैदा हुई गर्मी का प्रभाव नहीं होगा। मरम्मत से तयार सतह ग्रेफाईड के गुणों के कारण काफी चिकनी होगी।

3. **छोटी चाईना डिश** :—यह डिश एथेसीव और ग्रेफाईड चूण मिलाने में प्रयुक्त होती है।

4. **तीन पाईन्ट सीसे की छड़** :—यह मिश्रित सामग्री को ब्लाक क मरम्मत कार्य पर लगाने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसा कि सीसा प्राकृतिक रूप में नरम होता है, यह ब्लाक पर कोई निशान नहीं छोड़ता।

5. **पुराना और प्रयोग किया हुआ एमरी कपड़ा** :—पुराने और प्रयोग किए हुए एमरी कपड़े में से 90 प्रतिशत सीलीकान कण छूट जाते हैं इसलिए यह मरम्मत की हुई सतह को थोड़े से ग्रेफाईड चूर्ण के साथ पालिश करने के लिए अति उत्तम है। अन्ततः 0 शक्ति का एमरी कपड़ा जो थोड़ा प्रयोग किया हुआ हो भी सतह पर पालिश करने में सहायक है। जितनी चिकनी सतह होगी उतना ही अच्छा मुद्रण होगा।

6. मरम्त के लिए मिश्रण कैसे बनाए

मरम्मत के लिए मिश्रण एपाक्सी-एम-सील एथासिव को ग्रेफाईड चूर्ण के साथ मिला कर तैयार किया जाता है ।

विरोजा और कठोर जो दो विभिन्न शीशियों में प्राप्त है को बराबर घनफल में चाईना डिश में पलेट चाकू की सहायता से मिलाया जाना चाहिए । जब यह पूर्णतः मिल जाए उसके पश्चात् इसमें ग्रेफाईड चूर्ण डाल कर पूरी तरह से मिलाए ताकि मिश्रण दूसरे घटकों के साथ एक रूप में मिल जाए । एथेसीव और ग्रेफाईड चूण का मिश्रण अनुपात निम्न रूप से हैं ।

1. बिरोजा..... 1 भाग
2. कठोरक..... 1 भाग
3. ग्रेफाईड चूर्ण..... डेढ़ भाग

जब एथेसीव और ग्रेफाईड का चूर्ण आंशिक रूप से कड़ा हो जाए, यह ब्लाक के मरम्मत कार्य पर लगाने के लिए तैयार हो जाता है । मरम्मत कार्य मिश्रण की उक्त प्रकार का कड़ापन परखते हुए प्रारम्भ कर देना चाहिए । यदि मिश्रण कठोर हो जाए तो यह मुद्रक के लिए ब्लाक पर लगाने में कठिनाई उत्पन्न करता है । बहुत कठोर मिश्रण ब्लाक पर नहीं लगाया जा सकता ।

7 मिश्रण को कैसे लगाए

जैसा कि पूर्व पैरा में बताया गया है कि जब मिश्रण आंशिक उचित रूप में कड़ा हो जाए तभी इसे 3 पाईट सीसे की सहायता से लगाया जाए । मिश्रण लगाते हुए यह ध्यान देना आवश्यक है कि इसकी ज्यादा मात्रा लेने पर यह व्यर्थ जाएगा और ब्लाक को भद्दा करेगा । मिश्रण को गड्ढे में डाल कर इसे समतल सीसे की सहायता से गड्ढे पर चलाएं । सीसे की सहायता से थोड़ा दबाव भी दें ताकि मिश्रण और गड्ढे के तल के मध्य वायु छीद्र न रहें । इस प्रकार प्रवीणता-पूर्ण भराव सुनिश्चित है । फिर भी अन्तिम रूप से मिश्रण का उचित भराव सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि यह स्थान अन्य ब्लाक जैसा हो गया है । अब ब्लाक को लगभग 20 से 30 मिनट तक सूखने के लिए रख दें । गड्ढे की गहराई और बड़ा घनफल देखते हुए अधिक समय की आवश्यकता पड़ेगी । ब्लाक पर एथेसीव के सुखने के पश्चात् सतह ऊंगली के अग्र भाग से स्पर्श से इसकी परख करें, अब मरम्मत किए स्थान की पालिश करें ।

8. चमकाना और पूरा करना

चमकाने और पूरा करने के लिए थोड़ा सा ग्रेफाईड चूर्ण गड्ढे पर डाले और एमरी कपड़े की सहायता से रगड़ें । यह प्रक्रिया तब तक जारी रखें जब तक कि सतह ब्लाक के अन्य भाग के समान चिकनी न हो जाए, क्षतिग्रस्त भाग को चमकाने और पूरा करते समय बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है । चमकाने के कार्य की परिपक्वता उंगली के अग्र भाग को मरम्मत किए स्थान पर लगा कर देखी जा सकती है । सतह की समीक्षा पीतल की छड़ ब्लाक और मरम्मत किए स्थान पर रख कर भी करें । यदि सतह ब्लाक के अन्य भाग के समान है तो ब्लाक मुद्रण के लिए तैयार है अन्यथा ऊपर के निदेशों के अनुरूप चमकाने और पूरा करने की आवश्यकता है ।

9. मुद्रक के लिए सावधानियां

1. जैसा कि मुद्रणालयों में मुद्रण का कार्य दो या तीन पारियों में किया जाता है, मुद्रक जिसने उपरोक्त मरम्मत कार्य सम्पन्न किया है का कर्त्तव्य है कि वह पारियों के अन्य परिचालकों को इस प्रकार के ब्लाक हस्तगत करने के बारे में जानकारी दें ताकि ग्रेफाईड के रंग के कारण दूसरी पारी के परिचालक को मरम्मत का भाग बाह्य वस्तु प्रतीत होने से वह इसे हटा कर ब्लाक को क्षति न पहुंचाए । इस परिस्थिति में मरम्मत की प्रतिक्रिया दोहरानी पड़ेगी ।

2. मुद्रक मुद्रण कार्य तभी प्रारम्भ करे जब उसे सुनिश्चित हो जाए कि मरम्मत का स्थान पूर्ण रूप से सूख गया है ।

3. मुद्रक जिसने ब्लाक का मरम्मत कार्य किया है कम से कम 20 से 30 मिनट का समय उसे सुखाने के लिए रखें । मरम्मत का घनफल ज्यादा होने पर एक घंटे से लेकर 24 घंटे तक के समय की आवश्यकता है ।

4. मुद्रक मरम्मत किए स्थान को चमकाने में पूर्ण ध्यान दें । उसे मुद्रण से पूर्व पालिश के संबंध में स्वयं संतुष्ट होना चाहिए ।

5. मरम्मत के मिश्रण को क्षतिग्रस्त स्थान पर लगाते समय उसे उसकी कड़ाई के बारे में संतुष्ट होना चाहिए । मिश्रण न अधिक कठोर और न ही ढीला होना चाहिए अपितु यह औसत रूप से स्थिर होना चाहिए ।

10. लाभ

यह उक्त प्रकार के ब्लाकों की मरम्मत की शायद सबसे सस्ती प्रक्रिया है । मरम्मत का खर्च छोटे गड्ढे के लिए 50 पैसे और बड़े आकार के गडढे के लिए केवल एक रुपए से अधिक नहीं बैठता ।

11. एथेसीव और ग्रेफाईड चूर्ण के मूल्य

एपाक्सी एम सील एथेसीव और ग्रेफाईड चूर्ण ब्लाक के मरम्मत कार्य में प्रयुक्त होने वाले विशेष घटक हैं । इन सामग्रियों का मूल्य निम्न हैं :—

1. **एपाक्सी एम-सील एथेसीव** 36 ग्राम.....
2. **ग्रेफाईड चूर्ण** :—(लीनो टाईप).... 450 ग्राम टैक्स सहित रु. 35

12. सामग्री प्राप्ति के स्त्रोत

1. **एपाक्सी एम-सील एथेसीव** :—
   (1) मै. महिन्द्रा इलेक्ट्रो कैमिकल्स प्रोडक्टस, पिम्परी, पूना-411018 (भारत)
   (2) मै. महिन्द्रा सिंह एण्ड कम्पनी, सैक्टर 8, मकान नं० 77, चण्डीगढ़ –160008.
2. **ग्रेफाईड चूर्ण** :–
   मै. लीनो टाईप एसोसिएटस इण्डिया लि०, 14, मदन स्ट्रीट कलकत्ता ।

—सहायक प्रबंधक (तकनीकी)
भारत सरकार मुद्रणालय,
शिमला–171004.

शब्दों का अर्थ

—जवाहर लाल नहरु

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू अपनी व्यस्त राजनीति से समय निकाल कर साहित्य, संस्कृति और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर लिखते रहते थे। हम उनके एक महत्वपूर्ण लेख "राष्ट्रभाषा" को राष्ट्रभाषा भारती के 25 वें अंक में इसी स्तम्भ के अन्तर्गत प्रकाशित कर चुके हैं। अब प्रस्तुत किया जा रहा है अगस्त 1915 में श्री जवाहर लाल नेहरु द्वारा लिखे गए विचारोत्तेजक लेख "शब्दों का अर्थ"। इसमें उठाए गए मुद्दे आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि उस समय थे।

एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना बहुत कठिन काम है और सच पूछिये तो जरा भी गहरी बातों का ठीक-ठीक अनुवाद हो ही नहीं सकता। किसी भाषा का क्या काम है? वह हमको सोचने में मदद करती है। भाषा तो एक तरह से जमे हुए विचार हैं। उसके द्वारा हवाई ख्यालात एक मूर्ति बन जाते हैं। उसका दूसरा काम यह है कि उसके जरिये हम अपने विचारों का इजहार कर सकें और उनको औरों तक पहुंचा सकें, दो या अधिक आदमियों में ख्यालात की आमदरफ्त हो। भाषा और भी कई तरह से काम में आती है, लेकिन इसमें इस समय हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। एक शब्द या एक वाक्य हमारे दिमाग में किसी-न किसी मूर्ति की शक्ल में आता है। मामूली सीधे-सादे शब्द, जैसे मेज, कुर्सी, घोड़ा, हाथी आदि से, आसान और साफ मूर्तियां बनती हैं, और जब हम उनको कहते हैं तब सुनने वालों के दिमाग में भी अक्सर करीब-करीब वैसी ही मूर्तियां बन जाती हैं। इससे हम कह सकते हैं कि वे हमारे मानी समझ गए।

लेकिन जहां हम इन सीधे और आसान शब्दों से आगे बढ़े, वहां फौरन पेचीदगी पैदा हो जाती है। एक मामूली वाक्य भी दिमाग में कई तसवीरें पैदा करता है, और यह सम्भव है कि सुनने वाले के दिमाग में कुछ और ही तस्वीर पैदा हो। बहुत-कुछ दोनों की मानसिक शक्ति पर निर्भर है—उनकी पढ़ाई पर, उनके तजुरबे पर, उनके ज्ञान पर, उनकी प्रेरणाओं पर और उनकी भावनाओं पर। अब एक कदम और आगे बढ़िए और ऐसे शब्दों को लीजिए जो अमूर्त और पेचीदा हैं, जैसे सत्य, सौन्दर्य, अहिंसा, धर्म, मजहब इत्यादि। हम रोज सैकड़ों दफ इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर हमको उनके मानी पूरी तौर पर समझाने पड़ें तो हमें काफी कठिनाई हो। हम यह देख सकते हैं कि ऐसे शब्द दो आदमियों के दिमाग में कभी एक-सी मूर्तियां या तसवीरें पैदा नहीं करेंगे। इसके मानी यह हैं कि हम अपने मानी दूसरे को नहीं समझा सके, हालांकि हम दोनों बात एक ही कहते हैं, पर दोनों का अर्थ अलग-अलग है। यह दिक्कतें बढ़ती जायेंगी, जितने अधिक पेचीदा और अमूर्त विचार हम पेश करेंगे और यह भी हो सकता है (और हुआ है) कि हम इसी गलतफहमी की वजह से आपस में लड़ें और एक दूसरे का सिर फोड़ें।

यह सब कठिनाईयां दो ऐसे आदमियों में भी, जो एक ही भाषा के बोलने वाले हैं, सभ्य और पढ़े हुए हैं और एक ही संस्कृति के पले हुए हैं, पैदा हो सकती है। अगर एक पढ़ा और दूसरा अनपढ़ और जाहिल हुआ तब उनके बीच में बड़ा भारी फासला हो जाता है और उनका एक-दूसरे को पूरी तौर से समझना असम्भव हो जाता है। वे दो दुनियाओं में रहते हैं।

लेकिन यह सब कठिनाइयां छोटी मालूम होती हैं, जब हम इनका मुकाबला करते हैं ऐसे दो आदमियों से, जो अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं और एक दूसरे की संस्कृति को अच्छी तरह से नहीं जानते। उनके मानसिक विचारों से दिमागी तसवीरों में तो जमीन-आसमान का फरक है वे एक दूसरे को बहुत कम समझते हैं। फिर आश्चर्य क्या, जब वे एक दूसरे पर भरोसा न करें, एक दूसरे से डरें या आपस में लड़ें?

एक भाषातत्वज्ञ प्रोफेसर जे. एस. मेकनजी ने, जिन्होंने भाषाओं पर उनके सम्बन्ध पर बहुत गौर किया है, लिखा है :—

"An English man, a French man, a German and an Italian cannot by any means bring themselves to think quite alike, at least on subjects which involve any depth of sentiment: They have not the verbal means."

अर्थात्—एक अंग्रेज, एक फ्रांसीसी, एक जर्मन और एक इटालियन किसी प्रकार एक प्रकार से नहीं सोच सकते, कम-से-कम भावनाओं की गहराई से सम्बन्ध रखने वाले विषयों पर तो हर्गिज नहीं। उनके पास शब्दों का साधन ही नहीं है।

यह याद रखने की बात है कि एक अंग्रेज, एक फ्रांसीसी एक जर्मन और एक इटालियन एक सी संस्कृति की औलाद हैं और उनकी भाषाओं में बहुत करीब का संबंध है। फिर भी यह कहा जाता है कि वे किसी गहरे विषय पर एक-सा नहीं सोच सकते, क्योंकि उनकी भाषाओं में अंतर है। अगर यह हाल उनका है तो एक हिन्दुस्तानी और अंग्रेज का या उनकी भाषाओं का क्या कहा जाय? धोती-कुर्ता पहनने से एक अंग्रेज हिन्दुस्तानी की तरह नहीं सोचने लगता और न कोट-पतलून पहनने और छुरी-कांटे से खाने से एक हिन्दुस्तानी यूरोप की सभ्यता को ही समझ जाता है।

जब एक-दूसरे को समझने में यह कठिनाइयां हैं तब बेचारा अनुवादक क्या करे? कैसे इन मुसीबतों को हल करे?

पहली बात तो यह है कि वह इनको महसूस करे और यह जान ले कि अनुवाद करना सिर्फ कोष को देखकर शाब्दिक अर्थ देना नहीं है। उसको दोनों भाषाओं को अच्छी तरह समझना है और उनके पीछे जो संस्कृति है, उसको भी जानना है। उसको कोशिश करनी चाहिए कि अपने को भूल जाय और मूल लेखक की विचार-धाराओं में गोते खाकर फिर उन विचारों को अपने शब्दों में दूसरी भाषा में लिखें।

मेरा ख्याल है कि हमारे अनुवादक लोग इस गहराई में जाने की कोशिश कम करते हैं और ज्यादातर अखबारी तौर पर अनुवाद करते हैं। अक्सर ऐसे शब्द और वाक्य मुझे हिन्दी में मिलते हैं, जिनको देखकर मुझे आश्चर्य होता है। "ट्रेड

85-M/P(D)373MofHA—6

यूनियन" का अनुवाद "मैंने व्यापार संघ" पढ़ा। यह शब्दों के हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन जो इस चीज़ को नहीं जानता, वह कभी नहीं समझ सकता कि व्यापार-संघ व्यापारियों का नहीं, बल्कि मजदूरों का है। ट्रेड यूनियन शब्दों के पीछे सौ बरस से अधिक का इतिहास है। जो उसको कुछ नहीं जानता है, वह समझेगा कि कैसे यह नाम पड़ा। फ्रांस में यह नाम नहीं है, न इसका अनुवाद है। वहां इसको Syndicate कहते हैं। अगर फ्रेंच से हिन्दी में अनुवाद हो तो क्या हम उसे "सिंडिकेट" कहेंगे या कुछ और ? यह तो बिल्कुल सीधा उदाहरण है। असल कठिनाई तो ज्यादा पेचीदा बातों में आती है।

दूसरी बात यह है कि अनुवादक लोग जहां तक हो सके, छोटे और आसान शब्दों का प्रयोग करें, जिनके कई मानी न हों, जो धोखा दे सकें। वाक्य लम्बे-चौड़े न हों। दुनिया की अनेक भाषाओं में जो प्रसिद्ध साहित्य की पुस्तकें हैं, उनका अनुवाद प्रायः बहुत भाषाओं में हो गया है और बहुत अच्छी तरह से हुआ है। कोई वजह नहीं मालूम होती कि हिन्दी में भी ऐसे ही अच्छे अनुवाद क्यों न हों। मुझे तो पूरी आशा है कि जब हमारे साहित्यकार इधर ध्यान देंगे तो यह आवश्यक कार्य भी सफल होगा। बड़ी कठिनाई तो यह है कि हमारे विश्वविद्यालयों के बी. ए. और एम. ए. अंग्रेजी बहुत कम जानते हैं और अन्य विदेशी भाषाएं तो जानते ही नहीं।

साहित्य की मामूली किताब अनुवाद हो सकती हैं, लेकिन धर्म और दर्शनशास्त्र की तथा ऐसे ही अमूर्त विषयों की किताबों का ठीक अनुवाद करना तो असम्भव मालम होता है। उनमें एसे शब्द आते हैं, जिनके बहुत से जुदा-जुदा मानी होते हैं—एक पोशाक दर्जनों आदमी पहनते ह, उनको पहिचानें कैसे? वे एक शब्द होने पर भी एक शब्द नहीं है और तरह-तरह की तसवीर दिमागों में पैदा करते हैं, जैसे सौन्दर्य, सत्य, धर्म, मजहब वगैरह। सौन्दय को ही लीजिए। औरत का, प्रकृति का, किसी विचार का, किसी कला का, सत्य का, वाक्य का, चाल-चलन का, उपन्यास का एसे ही अनगतिणत प्रकार के सौन्दर्य कहे जा सकत ह। इन सब बातों में एकता क्या है? अगर यह कहा जाय कि जो चीज लोगों को पसन्द हो और उनको प्रसन्न करे, उसी में सौन्दर्य है तो यह एक बिलकुल गोल बात हो गई, फिर लोगों की राय एक-सी नहीं होती।

हर भाषा में बहुत-से शब्द ऐसे गोल हैं, जिनके कई मानी हो सकते हैं। कुछ ऐसे ह, जो बिल्कुल खराब हो गये हैं, और जिनके खास मानी रहे ही नहीं। कुछ भिखमंगे शब्द हैं, जिनकी निस्वत मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा था—

"Terms thrown out, so to speak, at a not fully grasped object of the speakers conciousness."

कुछ शब्द खानाबदोश (nomads) होते हैं, जो इधर-उधर फिरते हैं, जिनके कोई खास मानी नहीं हैं।

ऐसे शब्द हर भाषा में होते हैं और जिन लोगों के विचार साफ नहीं होते, वे खास तौर से इनका प्रयोग करते हैं। वे अपने दिमाग की कमजोरी को लम्बे और गोल और किसी कदर मेमानी शब्दों में छिपाते हैं। जिस भाषा में ऐसे शब्दों का अधिक प्रयोग हो (मेरा मतलब इस समय सौंदर्य सत्य आदि से नहीं है) उसकी शक्ति कम हो जाती है। उसके साहित्य में तलवार की तेजी नहीं होती न वह तीर की तरह से कमान को छोड़कर अपना मतलब हल करता है।

हम कोशिश कर सकते हैं कि इन घिसे हुए, भिखमंगे और आवारा, शब्दों को हम अपने बोलने और लिखने में, जहां तक हो सके, पनाह नदें अपराध तो बेचारे शब्दों का क्या है, वे तो कम सीखे हुए और अनुशासन रहित दिमागों के हैं। बोलने वाले और लिखने वाले भाषा को जानते हैं, लेकिन फिर उतना ही असर उस भाषा का उन नये आदमियों पर होता है, जो उसका प्रयोग करते हैं। पुरानी भाषाओं में संस्कृत, ग्रीक, लेटिन आदि में —शब्दों की या विचारों की ढील बहुत कम मिलती है, उनमें एक चुस्ती और हथियार की-सी तेजी पाई जाती है और बेकार शब्द बहुत कम मिलते हैं। इससे उनमें एक शान और बड़प्पन आ जाता है, जो कि खास असर पैदा करता है। आजकल की भाषाओं में शायद फ्रेंच सबसे अधिक साफ-सुथरी है और फ्रेंच लोग प्रसिद्ध हैं अपने मानसिक अनुशासन और अपने विचारों को बहुत शुद्धता से प्रकट करने के लिए।

जो किसी कदर निकम्मे शब्द हैं, उनका सामना तो हम इस तरह से करें, लेकिन जो हमारे ऊंचे दर्जे के abstract शब्द हैं, उनका क्या किया जाय वे हमें प्रिय हैं, वे हमारे लिए जरूरी हैं और अक्सर हमें उभारने में वे सहायता देते हैं। लेकिन फिर भी वे गोल हैं, और कभी-कभी इतने मानी रखते हैं कि मेमानी हो जाते हैं। ईश्वर ही के ख्याल को लीजिए। हर मजहब में और हर भाषा में उसकी तारीफ में हजारों शब्द कहें गयें हैं। मालूम होता है कि इन्सान का दिमाग इस ख्याल को समझ नहीं सका और अपनी कमजोरी छिपाने को कोष खोलकर जितने बड़े और जोरदार शब्द मिले, वे सब ईश्वर के मत्थे डाल दिए गये। उन शब्दों का अर्थ समझना मानसिक शक्ति के बाहर था, लेकिन बहुत-कुछ कह और लिख देने से एक तरह का सन्तोष हुआ कि हमने अपना फर्ज अदा कर दिया और कम-से-कम ईश्वर को अब हमसे कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। अल्लाह के हजार नाम हैं। गोया कि नाम बढ़ाने से असलियत ज्यादा साफ हो जाती है। God को अंग्रेजी में Absolute, Omnipotent, Omnicient, Omnipresent, Perfect' Unlimited, Immutable, Eternal इत्यादि कहते हैं। यह सब सुनकर किसी कदर दिल सहम अवश्य जाता है, लेकिन अगर इन शब्दों पर कोई गौर करने की धृष्टता करे तो उसकी समझ में बहुत कुछ नहीं आता : मनोविज्ञान के प्रसिद्ध अमेरिकन पंडित विलियम जोज ने लिखा है:—

"The ensemble of the metaphysical attributes imagined by the theologians is but a shuffling and matching of pedantic dictionary objectives. One feels that in the theologians' hands they are only a set of titles obtained by a mechanical manipulation of synonyms; verbality has stepped into the place of vision, professionalism that of life"

इसी तरह से इटालियन दार्शनिक क्रोस ने परेशान होकर sublime शब्द के मानी यह बतलाये हैं—"The sublime is every-thing that is or will be so called by those who have employed or shall employ the name."

इसके बाद कुछ ज्यादा कहने की गुंजाइश नहीं रह जाती और हर एक को इतमीनान हो जाना चाहिए।

हर सूरत से यह ऊचें दर्जे की हवाई बातें मामूली आदमी की पहुंच के बाहर हैं। बड़े पंडित और आचार्य तय करें कि अमूर्त शब्दों का प्रयोग हो और उनका कैसे अनुवाद हो। लेकिन फिर भी हम मामली आदमियों

को यह नहीं भूलना चाहिए कि शब्द खतरनाक वस्तु है और जितना ही वह अमूर्त है, उतना ही वह हमको धोखा दे सकता हैं। शायद सबसे अधिक खतरनाक शब्द धर्म या मजहब है। हर एक आदमी अपने दिल में अलग ही उनके मानी निकालता है। हरएक के मन में नई तसवीरें रहा करती हैं। किसी का ध्यान मन्दिर, मस्जिद या गिर्जे पर जायेगा, किसी का चन्द पुस्तकों पर, या पूजा-पाठ पर, या मूर्ति पर, या दर्शनशास्त्र पर, या रिवाज पर, या आपस की लड़ाई पर इस तरह से एक शब्द लोगों के दिमागों में सैंकड़ों अलग-अलग तसवीरें पैदा करेगा और उनसे तरह-तरह के विचार निकलेंगे। यह तो भाषा की कमजोरी मालूम होती है कि एक ही शब्द ऐसा असर पैदा करे। होना तो यह चाहिए कि एक शब्द का सम्बन्ध एक ही मानसिक तसवीर से हो : इसके मानी यह हैं कि धर्म या मजहब के सौ टुकड़े हों और हर एक टुकड़े के लिए अलग शब्द हों ! सुनने में आया है कि अमेरिका की पुरानी भाषा में प्रेम करने के लिए दो सौ से अधिक शब्द थे। उन सब शब्दों का हम अब कैसे ठीक अनुवाद कर सकते हैं ?

शब्दों के प्रयोग के बारे में किसी कदर माहात्मा गांधी भी गुनाहगार हैं। यों तो जो कुछ वे कहते हैं या लिखते हैं, वह साफ-सुथरा और प्रभावशाली होता है। उसमें फिजूल शब्द नही होते और न कोई कोशिश होती है, सजावट देने की। इसी सफाई में उसकी शक्ति है। लेकिन जब वे ईश्वर या सत्य या अहिंसा की चर्चा करते है— और वे अक्सर कहते हैं— तब उस मानसिक सफाई में कमी हो जाती है। God is truth, Truth is God, Non-violence is truth, Truth is non-violence,

अर्थात ईश्वर सत्य है, सत्य ईश्वर है, अहिंसा सत्य है, सत्य अहिंसा है— यह सब उन्होंने कहा है। इस सब के कुछ-न-कुछ मानी अवश्य होंगे, लेकिन वे साफ बिलकुल नहीं हैं। मुझको तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना उनके साथ कुछ अन्याय करना मालूम होता है

"राजभाषा हिन्दी देश को एकता को सूत्र में बांधने की एक कड़ी है।"

मारीशस का हिन्दी साहित्य

--सोमदत्त बखोरी

आज 1976 में जब मारिशस अपने आठवें स्वतन्त्र साल में पदार्पण कर चुका है और द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के लिए तैयार हो रहा है तो उसके हिन्दी साहित्य के स्वरूप को समझना आवश्यक है।

हिन्दी साहित्य की स्थिति को समझने के लिए हिन्दी भाषा की स्थिति को भी समझना आवश्यक है। आमतौर पर भारतीयों का जीवन यहाँ पर सहज नहीं रहा है। जीने के बदले वे जिन्दा रहने की कोशिश करते रहे। कुछ सुख-सुविधा के आ जाने पर हिन्दी भी जीवन में अपना स्थान बनाने लगी—भोजपुरी तो हरदम मौजूद थी ही। ऐसी अवस्था में साहित्य का विकास कैसे हो सकता था?

1966 में मारिशस के हिन्दी साहित्य का सिंहावलोकन करते हुए मैंने अपनी अंग्रेजी पुस्तक "हिन्दी इन मारिशस" में कहा था—"साफ है कि हम उस स्थिति में नहीं हैं जबकि एक लेखक यहां की कृतियों को गर्व के साथ प्रस्तुत कर सके। इस विषय पर लिखना दुःख के साथ एक खाई को निहारने के समान है। इस खाई को पाटना हमारा कर्तव्य हो जाता है।" पर कोई यह न समझे कि मेरी पुस्तक के प्रकाशन के समय तक कुछ लिखा ही न गया था। कुछ साहित्य जरूर था, पर संतोषजनक नहीं। इने-गिने लोग ही लिखते थे। लगता था कि तब लोग भाषा के अखाड़े ही में अभ्यास कर रहे थे।

इतना होते हुए भी 1967 में मारिशस की यात्रा करके दिनकरजी ने यह मत प्रकट किया था कि भारत से बाहर मारिशस ही वह देश है जहां प्रवासी हिन्दी साहित्य का सृजन हो रहा है।

साहित्य में हिन्दी परिषद् का योगदान

लोगों को साहित्य-सृजन की ओर आकर्षित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत थी, केवल भाषण झाड़ने से कुछ नहीं हो सकता था। वह कदम हिन्दी परिषद् ने उठाया। हिन्दी परिषद् की स्थापना 1963 में राजधानी पोर्ट लुई में एक स्थानीय संस्था के रूप में हुई थी। आगे चलकर प्रांतीय स्तर पर 18 परिषदों की स्थापना हुई और अंत में एक ही राष्ट्रीय परिषद् बनी। जिसका ध्येय साहित्य सृजन रहा है। परिषद् का अपना त्रैमासिक पत्र "अनुराग" है जिसका प्रकाशन अक्तूबर 1969 में आरम्भ हुआ।

हिन्दी के क्षेत्र में मारिशस की और भी बड़ी-बड़ी संस्थाएं सक्रीय हैं पर उनका प्रमुख ध्येय साहित्य-सृजन नहीं है। साहित्य-सृजन पर जोर देकर हिन्दी परिषद् ने हिन्दी जानने वालों को भाषा के क्षेत्र में आने को प्रेरित किया और आज इतने लोग लिखने लगे हैं कि कभी-कभी यह कहा जाने लगा है कि कुछ रोक-थाम की जरूरत है।

1971 में जब डा. शिवमंगल सिंह सुमन यहां दूसरी बार आये हुए थे तब उनको यहाँ के आधुनिक लेखकों से मिलने तथा उनकी रचनाओं से परिचित होने का काफी मौका मिला था। जो कुछ कमजोर था उसको ध्यान में रखते हुए कहा करते थे कि पानी गंदा भी हो तो उसे बहने देना चाहिए, तभी तो वह साफ हो सकता है। बात ठीक ही है। लोगों में लिखने की आदत डालनी थी। वह आदत अब घर करने लगी है। लिखते-लिखते कुछ अच्छे लेखक अब सामने आने लगे हैं जिनमें से कुछ की रचनाएं भारत की पत्र-पत्रिकाओं में भी छपती ह।

मारिशस म भारतीय लेखक

पुराने लेखकों में से जो अब न रहे, पं. आत्माराम का नाम आदर के साथ लिया जाता है। पं. आत्माराम वास्तव में भारतीय थे। वह वहां 1912 में श्री मणिलाल के अनुरोध पर आये थे। याद रहे कि वह ऐसा समय था जब मारिशस के भारतीयों के बीच नेता पैदा नहीं हुए थे। श्री मणिलाल स्वयं महात्मा गांधी के अनुरोध पर भारतीयों के हक में लड़ने के लिए आये थे। महात्मा गांधी ही का आगमन यहां 1901 में हुआ था। पं. आत्माराम खासकर अपनी दो पुस्तकों के लिए मशहूर हुए। "मारिशस का इतिहास" (1912) और "हिन्दू मारिशस" (1936)। कहा जाता है कि कुल मिलाकर उन्होंने चौदह-पुस्तिकाएं प्रकाशित की थीं। उनका देहांत 1955 में 74 वर्ष की आयु में हुआ।

भारत के एक—दूसरे लेखक पं. लक्ष्मीनारायण चतुर्वदी रसपुंज ने दो पुस्तकें प्रकाशित कीं—"रसपुंज कुंडलियां" (1923) और "शताब्दी सरोज" (1935)। अपने गीतों द्वारा यहां के तीन लेखकों ने अपना योगदान दिया। पं. हरिप्रसाद रिसाल मिश्र, पं. यदुनंदन शर्मा और पं. कन्हैयालाल। हीरालाल गुन्त ने मणिलाल डाक्टर पर एक पुस्तक लिखी।

जीवित लेखकों में प्रो. वासुदेव विष्णुदयाल सबसे पुराने हैं। इनका जन्म 1906 में हुआ था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एम. ए. किया है। पढ़कर वे 1939 के अंत में घर लौटे। तभी से उन्होंने एक ऐसा आन्दोलन शुरू किया जिसका असर हिन्दू समाज पर पड़े बिना न रह सका। कहा जा सकता है कि तभी से हिन्दी के इतिहास का एक नया अध्याय भी शुरू हुआ।

लेखक के रूप में उनकी प्रसिद्धि कम नहीं है। हिन्दी के अलावा वे अंग्रेजी और फ्रेंच में भी लिखते हैं। उन्होंने अनेक विषयों पर लिखा है। "मारिशस का परिचय", "कुछ महत्वपूर्ण ग्रन्थ", "गीता का अद्भुत संदेश" और "वेद भगवान बोले" उनकी कुछ विशिष्ट रचनायें हैं। भारतीय पत्र-पत्रिकाओं में उनके सैकड़ों लेख छप चुके हैं। "विष्णुदयाल रचनावली", "विष्णुदयाल लेखावली" (तीन जिल्दों में) और "विष्णुदयाल निबंधावली" कुछ लेखों के संग्रह हैं। समय निकालकर, कुछ तो जेल में उन्होंने

बेनार्द दे से प्येर के विख्यात उपन्यास, "पाल ए विर्जिनी" का हिन्दी अनुवाद किया है। उसी लेखक की एक दूसरी पुस्तक का अनुवाद "भारतीय कोठरी" के नाम से किया है।

प्रो. विष्णुदयाल के समकालीन जयनारायण राय ने 1941 में "जीवन संगिनी" नामक नाटक प्रकाशित किया। मारिशस के लिए यह बिल्कुल नई बात थी।

कालक्रम के अनुसार प्रो. विष्णुदयाल की पीढ़ी के बाद ब्रजेन्द्र कुमार भात मधुकर ने बहुत कुछ प्रकाशित किया है पर वह अपने गीतों के लिए मशहूर हैं। वह भोजपुरी में भी रचना करते हैं उनकी कुछ पुस्तकें भारत में भी छपी हैं। उनकी पहली रचना "मधुपर्क" 1948 में प्रकाशित हुई थी। उनकी पुस्तकों में "मधुकरी", "अमर संदेश", "रसरंग", "गुंजन", "रसवंती", "हिन्दी गौरव गान", "मधुबन", "मधुमास", "मधुकलश" और "गोस्वामी तुलसीदास" उल्लेखनीय हैं।

"मधुकर" की पीढ़ी के लोगों में मेरी भी चर्चा हो जाती है। मेरा जन्म 1921 में हुआ था। हालांकि मैंने कहानी 1943 में लिखना शुरू किया और कुछ नाटक और निबंध भी लिखे हैं, (हिन्दी साहित्य की एक झांकी) मेरी गणना कवियों में होती है। जब मेरा पहला कविता-संग्रह 1967 में प्रकाशित हुआ तब उसमें लोगों को कुछ नया स्वर सुनाई दिया। 1971 में मेरा दूसरा कविता-संग्रह "बीच में बहती धारा" निकला। 1972 में मेरी भारत यात्रा संबंधी पुस्तक, "गंगा की पुकार" भारत के शिक्षा-मंत्रालय के सहयोग से दिल्ली में प्रकाशित हुई।

हमारे बाद जो लेखक हुए हैं। उनमें सबसे मशहूर अभिमन्यु अनंत "शर्मा" हैं। अनंत कथा-साहित्य में प्रसिद्ध हैं, पर याद रहे कि वह कवि, नाटककार और चित्रकार भी हैं। उनकी अनेक कहानियां भारत की पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। भारत में उनके पांच उपन्यास भी छप चुके हैं—"और नदी बहती रही" (1970), "आंदोलन", "एक बीघा प्यार", "जम गया सूरज" और "चौथा प्राणी"।

अधिकांश आधुनिक लेखक या तो कविता में दिलचस्पी लेते हैं या कहानी में। प्राय: सभी के सभी हिन्दी अध्यापक हैं उनमें मुनीश्वरलाल चिंतामणि और प्रहलाद रामशरण का विशेष उल्लेख किया जा सकता है। दोनों ने भारत में उच्च शिक्षा पाई है। चिंतामणि 1960 से कविता और गीत लिखने लगे। आज जहां चिंतामणि हमारे हिन्दी साहित्य के उद्भव और विकास में रुचि रखते हैं (मारिशस में हिन्दी साहित्य के आधार-स्तंभ) वहां रामशरण को लोक-कथा आकर्षित करती है। दिल्ली में प्रकाशित, रामशरण की "मारिशस की लोक-कथाएं" को उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरस्कृत किया है।

कविता की स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले सामूहिक संकलनों का सिंहावलोकन करना ठीक होगा।

1966 में इण्डियन कल्चरल एसोसिएशन की 30वीं वर्षगांठ मनाने के लिए राजधानी में पोर्ट लुई हिन्दी परिषद् ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। कार्यक्रम में 6 कवियों का कविता पाठ भी था। बाद में कविताओं का संग्रह "कवि-सम्मेलन" के नाम से प्रकाशित हुआ।

मानिक बच्छावत द्वारा सम्पादित कलकत्ता की "अक्षर" नामक पत्रिका का 10वां अंक (1970) एक विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। उसमें यहां के आठ कवियों की रचनाएं सम्मिलित की गई थीं। आगे चलकर उन कविताओं ने "मारिशस की हिन्दी कविताएं" नामक पुस्तक का रूप धारण किया।

1970 ही में "आकाश-गंगा" संग्रह सामने आया। इसका सम्पादन पूजानंद नेमा ने किया था। इसमें 9 कवियों की 18 कविताएं हैं।

काव्य रचनाएं

स्थानीय कविता का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला संग्रह "प्रवासी स्वर" 1971 में प्रकाशित हुआ। उसको हिन्दी परिषद् ने प्रकाशित किया था। इसमें 55 कविताएं हैं, इन 11 कवियों की पांच-पांच—ब्रजेन्द्र कुमार भात, "मधुकर", सोमदत्त बखोरी, रविशंकर, कौलेशर, ठाकुरदत्त पांडेय, अभिमन्यु अनंत "शर्मा", जनार्दन कालीचरण "सचित", हरिनारायण सीता, मुनीश्वरलाल चिंतामणि, इन्द्रदैव भोला, मोहनलाल हरदयाल, और मोहनलाल बृजमोहन। इस संग्रह के द्वारा पहली बार स्थानीय हिन्दी कविता इस प्रकार प्रस्तुत की गई थी जिससे उसकी प्रगति का अनुभव किया जा सकता था।

सबसे अंतिम संग्रह, "मारिशस की कविता" (1976) का प्रकाशन महात्मा गांधी संस्थान की ओर से हुआ है। इसका सम्पादन, संस्थान के हिन्दी सम्पादक, अभिमन्यु अनंत ने किया है। इसमें 12 कवि आ गये हैं। नये लोगों में सूर्यदेव सिबरत, नारायणपत दसोई पूंजान नेमा और महेश रामजी यावन हैं।

इन सामूहिक संग्रहों के अलावा कुछ व्यक्तिगत संग्रह भी हैं। यथा "मारिशस में बाढ़" (1972) (गिरजानन रंगू) "वरदान" (इन्द्रदैव भोला) "हृदय की निधि" (स्व. जगलाल रामा) "मैं हूं कलयुगी भगवान" (कृष्ण लाल बिहारी) "प्रधत रश्मि" (जनार्दन कालीचरण) "रवि आंशु" (लालमन बसराम) "अभिशाप" (परमेश्वर बिहारी) और "चेतना" (हेमराज सुन्दर)।

मुनीश्वरलाल चिंतामणि का एक संग्रह, "नव-निर्माण की बेला" (1972) में प्रकाशित हुआ। इससे पहले उनकी कविताओं एवं गीतों की पुस्तिकाएं छप चुकी थीं "प्रथम किरण" (1960), "शांतिनिकेतन की ओर" और "लोकप्रिय गीत"। विष्णुदत्त मधु "चंद्र" का पहला संग्रह 1966 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद उनकी और दो काव्य पुस्तकें सामने आईं—"हास्य वाटिका" और "मारिशस भारती"। ठाकुरदत्त पांडेय ने भारत में दो संग्रह प्रकाशित किए हैं—"निशा" और "श्रद्धांजलि" (बच्चों के लिए) पं. ठाकुरदत्त मिश्र की याद उनकी "दीपावली" के लिए की जाती है, तो देवबंशलाल रामनाथ की हमारे राष्ट्रगान के अनुवाद के लिए। स्व. पं. रामरत्न रिसाल मिश्र के "बिखरे सुमन" का भी उल्लेख किया जा सकता है।

कहानी का क्षेत्र

कहानी के क्षेत्र में भी हमारे लेखकों ने काफी प्रगति की है। दिसम्बर 1969 में सारिका का जो विशेषांक निकला था उसमें यहां के चार लेखकों की कहानियां छपी थीं। कहानी-लेखन के विकास में "अनुराग" का विशेष हाथ रहा है। जब "अनुराग" अक्तूबर 1975 में अपने

सातवें वर्ष में पदार्पण कर रहा था जब तक उसमें 34 लेखकों की 65 कहानियां छप चुकी थीं। उसके जरिए इन लोगों जैसे कहानीकार, प्रकाश में आये—श्रीमती भानुमती नागदान, हरिनारायण महावीर, रामदेव धुरंधर, ईश्वर जागा सिंह, दामोदर सोमोरी, जनार्दन काली-चरण, दीपचंद बिहारी, सूर्यदेव सिबरत, रघुनाथ दयाल, बेणिमाधव रामखेलावन, सोनालाल नेमाधारी और नारायणप्रत दसीई। मार्के की बात है कि इनमें से कुछ कहानीकारों की रचनाएं भारतीय पत्र-पत्रिकाओं में छप चुकी हैं।

बहुत कम कहानी संग्रह सामने आये हैं। दीपचंद बिहारी ने एक "सागर पार" के नाम से प्रकाशित किया है तो बृजलाल रामती ने एक संग्रह "परख" नाम से। प्रेमचंद भूली का एक छोटा संग्रह "चिराग और तूफान" है। इन संग्रहों से स्थानीय कहानी की वास्तविक स्थिति का परिचय नहीं प्राप्त हो सकता।

अभिमन्यु अनंत को छोड़कर अन्य कोई प्रमुख उपन्यासकार नहीं है। 1960 में कृष्ण लालबिहारी ने एक लघु उपन्यास, "पहला कदम" प्रकाशित किया था। 1976 में विष्णुदत्त मधु का "फट गई धरती" नामक उपन्यास सामने आया। ऐसा लगता है कि प्रकाशन की सुविधा न होने के कारण बहुत-सी पांडुलिपियां दराजों में पड़ी हुई होंगी।

निबंध-संग्रह या नाटक संग्रह नहीं के बराबर हैं। इसका यह मतलब नहीं कि निबंध और नाटक लिखे ही नहीं गये हैं। नाटक लिखे गये हैं पर रेडियो, टेलीविजन, स्टेज और पत्रिकाओं के लिए। ठाकुरदत्त पांडेय का एक नाटक-संग्रह, "पांच एकांकी एक सपना" नाम से प्रकाशित हुआ है। 1966 में प्रसाद गणपत ने "जीवन प्रदीप" नामक पुस्तक में अपने चौदह निबंध प्रकाशित किए।

विविध प्रकाशनी में इनका उल्लेख किया जा सकता है "जर्गना की जीत" (स्व. अनिरूद्ध द्वारका), "भारत की संगीत कला" (डा. ईश्वर दत्त नंदलाल), "डा. सर शिवसागर रामगुलाम की राजस्थान यात्रा" (प्रहलाद रामशरण), "आर्य सभा मारिशस का इतिहास" (मोहन-लाल मोहित) और "नये मारिशस के निर्माता सर शिवसागर रामगुलाम" (पं. रामलगन शर्मा) सुरेन्द्र नाथ वर्मा द्वारा संपादित "प्रवासी साहित्य" की भी चर्चा वांछनीय है।

प्रकाशन संस्थाएं

प्रकाशकों के नितांत अभाव में, स्थानीय लेखकों को स्वयं अपना प्रकाशक बनना पड़ता है। अधिकांश लोग स्थानीय मुद्रकों की शरण लेते हैं। सृजन को पीड़ा को सहन करने के बाद उनको उत्पादन की पीड़ा को सहन करना पड़ता है, अपने पसीने की कमाई खर्च करके और जब पुस्तकें छपकर तैयार हो जाती हैं तब उनको स्वयं पुस्तक-विक्रेता भी बनना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में इन लेखकों की साहित्य-साधना खेदजनक नहीं तो फिर क्या है?

साहित्य-सृजन को बढ़ावा देने के लिए हिन्दी प्रचारिणी सभा और हिन्दी लेखक संघ का योगदान उल्लेखनीय है। हर साल हिन्दी प्रचारिणी सभा एक साहित्यिक पुरस्कार प्रदान करती थी और इस साल दो पुरस्कार प्रदान करने वाली है। हिन्दी लेखक संघ कुछ न कुछ प्रकाशित करता रहता है। हिन्दी प्रचारिणी सभा ने दो पुरस्कृत काव्य-संग्रहों को प्रकाशित किया है—"सुधा कलश" (स्व. जयरूद्ध दोसियां) और "प्रभात" (हरिनारायण सीता) "मारिशस में हिन्दी भाषा का संक्षिप्त इतिहास", उसके प्रधान, जयनारायण राय की अनूदित पुस्तक है, जो भारत में प्रकाशित हुई है। हिन्दी लेखक संघ के निम्नलिखित प्रकाशन हैं, "नया अकुंर (एक छोटा कहानी-संग्रह), "गांधी-स्मृति" और "सुरभिस उद्यान" एक निबंध एक कविता और कहानी संग्रह।

विशेष अवसरों पर हिन्दू महासभाएं और त्रिवेणी जैसी संस्थाएं क्रमशः "शिवरात्रि" और "त्रिवेणी" जैसी स्मारिकाएं प्रकाशित किया करती हैं। प्रशिक्षण महाविद्यालय (ट्रेनिंग कालेज) और कुछ दूसरे कालेज भी समय-समय पर पत्रिकाएं निकालते रहते हैं। नियमित रूप से "अनुराग" के समान त्रैमासिक "दर्पण" और समय-समय पर "आभा" भी लेखकों को प्रोत्साहन देते हैं। उसी तरह आर्य सभा का पाक्षिक पत्र "आर्योदय" और साप्ताहिक "जनता" का भी योगदान है? पाक्षिक "जमाना" को भी नहीं भुला सकते।

यह मानना चाहिए कि भारत से दूर भाषा के अस्तित्व को कायम रखना ही सहज नहीं है उस पर यदि साहित्य-सृजन भी हो रहा है तो यह कम आश्चर्यजनक बात नहीं। हमारे साहित्य पर दृष्टिपात करते हुए भारत वालों को ये बातें ध्यान में रखनी चाहिएं।

अपनी भारत-यात्रा के दौरान 1967 में मैंने दिल्ली के "हिन्दी भवन" में कहा था कि भारत को प्रवासी हिन्दी साहित्य को अंगीकार करना चाहिए। बात लोगों को पंसद आई थी। हम चाहते हैं कि हमारा साहित्य भारत के हिन्दी साहित्य का एक अभिन्न अंग बन जाय। इससे हमको एक ओर जहां प्रोत्साहन मिलेगा दूसरी ओर वहाँ भारतीय साहित्य की वृद्धि भी हो सकती है।

चित्र समाचार

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा संचालित अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (दिल्ली) के 46 वें सत्र के समापन समारोह के अवसर पर बोलती हुई गृह राज्य मंत्री श्रीमती रामदुलारी सिन्हा। उनके बायें हैं, संयुक्त सचिव (रा. भा.) श्री देवेन्द्र चरण मिश्र एवं उनकी दाइ ओर हैं, सचिव, राजभाषा एवं भारत सरकार की हिन्दी सलाहकार कु. कुसुमलता मित्तल एवं ब्यूरो के निदेशक श्री बी. एन. सिंह।

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा संचालित अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (दिल्ली) के 46वें सत्र में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली श्रीमती प्रियंवदा को रजतपदक पहनाती हुई गृह राज्य मंत्री श्रीमती रामदुलारी सिन्हा। बीच में खड़े हैं ब्यूरो के निदेशक श्री बी. एन. सिंह।

संघ लोक सेवा आयोग में हिन्दी कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर सभागार में प्रवेश करते हुए डा. पाण्डरंगराव, निदेशक (हिन्दी), श्री चन्द्रधर त्रिपाठी, अतिरिक्त सचिव, सं. लो. से. आ., श्री सुरेश माथुर, सचिव स. लो. से. आ. एवं कु. कुसुमलता मित्तल, सचिव रा. भा. एवं भारत सरकार की हिन्दी सलाहकार।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा प्रकाशित कोशों का विमोचन करते हुए शिक्षा मंत्री श्री कृष्णचन्द्र पंत, उनके दायीं ओर बैठे हैं समारोह के अध्यक्ष शिक्षा सचिव श्री आनन्द स्वरूप और बाईं ओर खड़े हैं निदेशालय के निदेशक श्री राजमणि तिवारी।

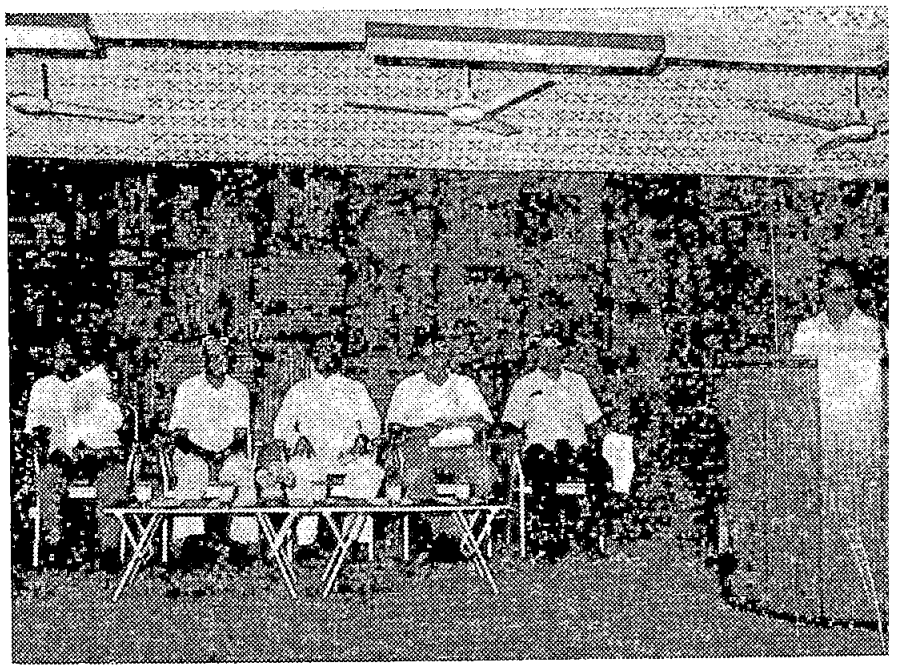

मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में हिन्दी कार्यान्वयन के उद्घाटन अवसर पर-बांए से-श्री एस. गणेशन, उपाध्यक्ष, मद्रास पोर्ट ट्रस्ट, श्री के. पी. मिश्र, उपनिदेशक, हि. शि. यो. मद्रास, श्री सौरीराजन, सदस्य हिन्दी सलाहकार समिति, नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय, श्री अशोक जोशी आई. ए. एस. अध्यक्ष मद्रास पोर्ट ट्रस्ट, श्री टी. वी शिवरामकृष्ण सचिव, मद्रास पोर्ट ट्रस्ट एवं डा. आर. एन. श्रीवास्तव, हिन्दी अधिकारी पोर्ट ट्रस्ट।

पुणे टेलीफोन्स में हिन्दी में अधिक कार्य के लिए पुरस्कृत हिन्दी अधिकारी डा. किशोर वासवानी राजभाषा शील्ड के साथ।

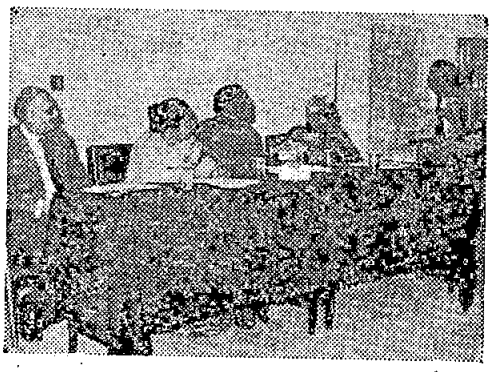

संघ लोक सेवा आयोग में हिन्दी कार्यशाला के आयोजन के अवसर पर प्रशिक्षार्थियों को संबोधित करते हुए श्री चन्द्रधर त्रिपाठी, अतिरिक्त सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक, सं. लो. से. आ. बैठे हैं–क्रमशः श्री सुरेश माथुर, सचिव, सं. लो. से. आ. कु. कुसुमलता मित्तल, सचिव रा. भा एवं प्रो. मलिक मोहम्मद, अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग एवं डा. नगेन्द्र, प्रसिद्ध हिन्दी विद्वान।

भिलाई इस्पात संयंत्र में हिन्दी कार्यशाला के आयोजन के अवसर पर–सामने बैठे हुए–श्री बालकृष्ण मुख्य कार्मिक प्रबन्धक, श्री वेदस्वरूप गुप्ता, प्रमुख संपर्क एवं प्रशासन, श्री अभिय माधव घोष राजभाषा अधिकारी तथा (बोलते हुए) डा. एम. एल. साहू. हिन्दी अधिकारी।

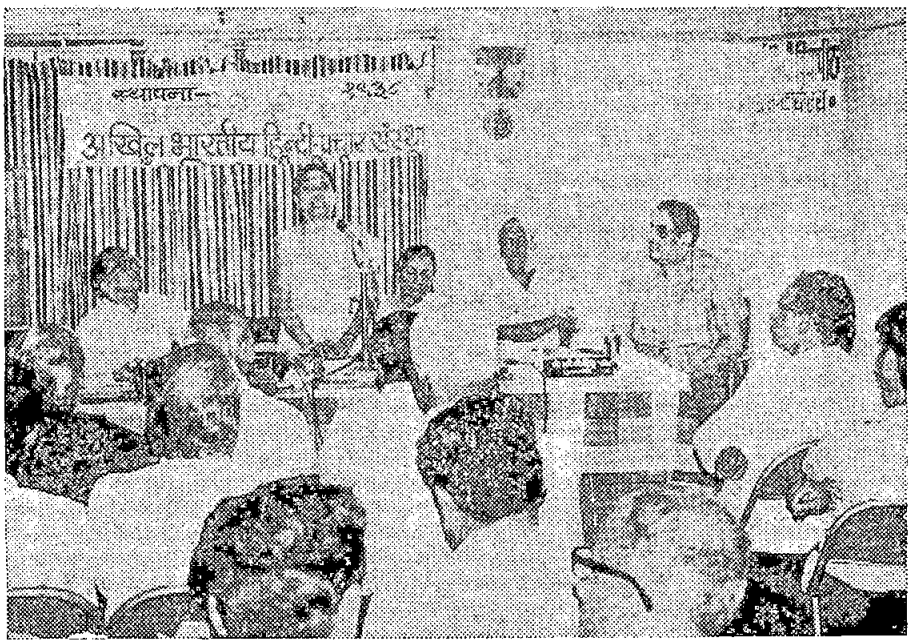

बम्बई हिन्दी विद्यापीठ द्वारा आयोजित गोष्ठी में अपने उद्‌गार व्यक्त करती हुई गृहराज्य मंत्री श्रीमती रामदुलारी सिन्हा, डा. मो. दि. पराड़कर (दाएं) विद्यापीठ के कुलपति बांये हैं सचिव राजभाषा कु. कुसुमलता मित्तल, विद्यापीठ के प्रधानमंत्री प्रो. सी. पी. सिंह, "अनिल" तथा संयुक्त सचिव राजभाषा श्री देवेन्द्रचरण मिश्र ।

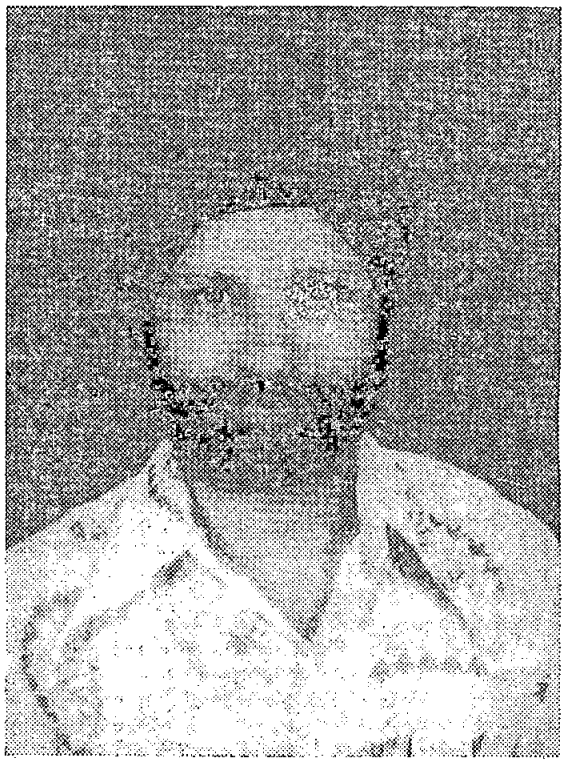

भारत सरकार मुद्रणालय, शिमला के सहायक प्रबंधक (तकनीकी) श्री जोगिन्दर सिंह जिन्होंने क्षतिग्रस्त ब्लॉकों की मरम्मत की अत्यन्त उपयोगी प्रणाली का सफल प्रयोग किया है। इनका शोधपूर्ण लेख इस अंक में प्रकाशित किया गया है ।

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के वैज्ञानिक श्री शिवकुमार शुक्ल द्वारा लिखित पुस्तक "विस्फोटक-विज्ञान" का विमोचन करते हुए रक्षामंत्री श्री पी. वी. नरसिंहराव, उनके दाएं बैठी हैं सचिव, रा. भा. कुसुमलता मित्तल ।

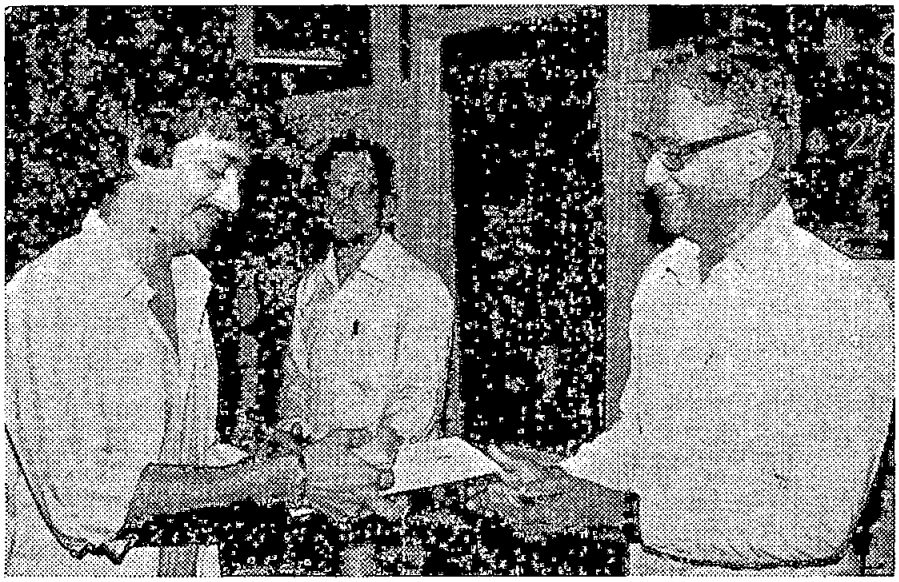

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो संचालित अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम बम्बई केन्द्र के द्वितीय सत्र में प्रथम स्थान प्राप्त श्री जनकराज कविरत्न को रजत पदक प्रदान करते हुए महाराष्ट्र सरकार के भाषा निदेशक डा. एन. बी. पाटिल।

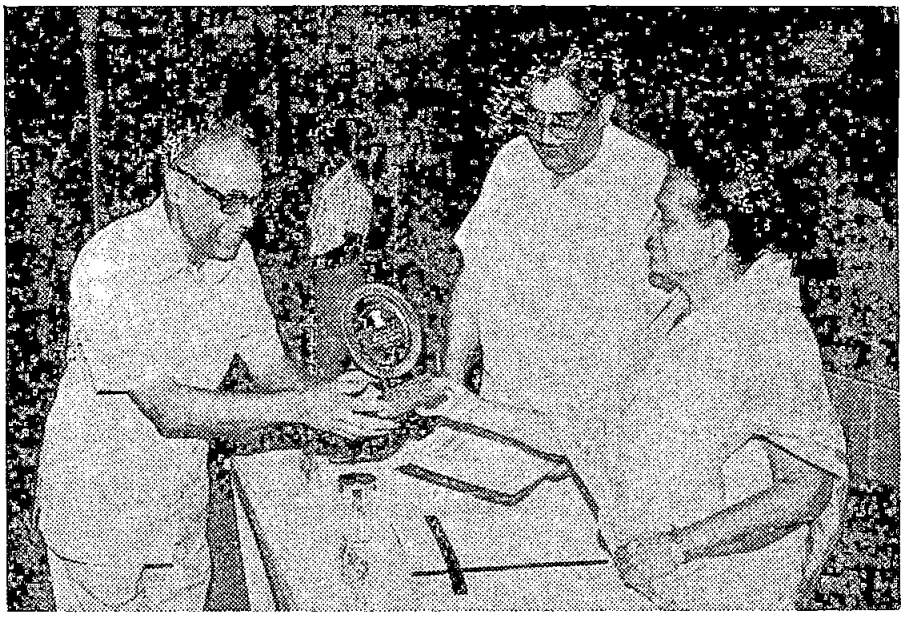

गृह राज्य मंत्री श्रीमती रामदुलारी सिन्हा से राजभाषा हिन्दी के सफल कार्यान्वयन के लिए ट्राफी प्राप्त करते हुए श्री पी. एस. शिवराम, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक। साथ में हैं राजभाषा विभाग के संयुक्त श्री देवेन्द्र चरण मिश्र।

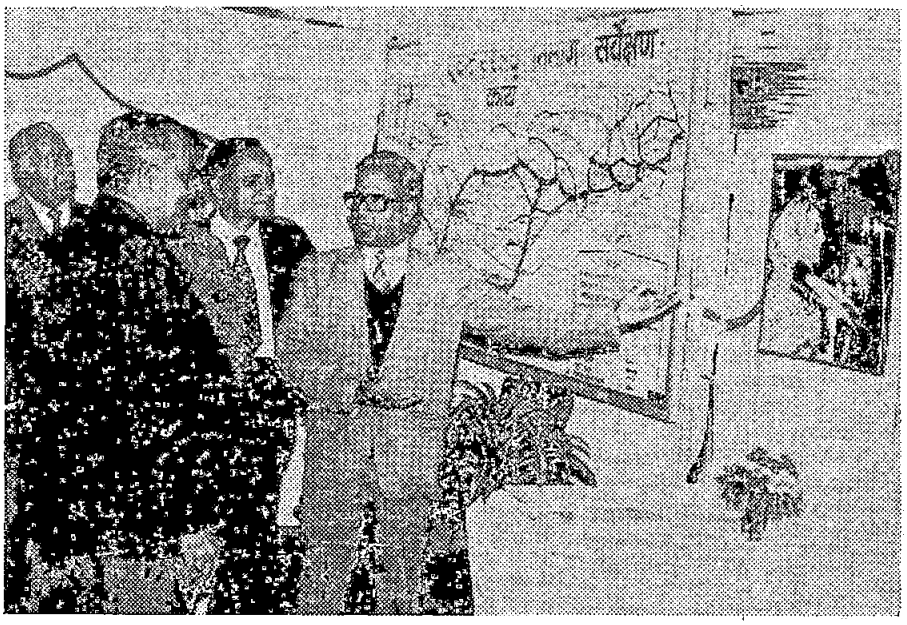

गोरखपुर, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का एक दृश्य।

समिति समाचार

तिरूवंतपुरम

तिरूवंतपुरम, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की छठी बैठक तारीख 10-4-1985 को 1500 बजे कनकक्कुन्नु स्थित राजमहल के सम्मेलन कक्ष में समिति के अध्यक्ष और केरल डाक परिमंडल के पोस्टमास्टर जनरल श्री एम. एस. रामन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में केन्द्रीय कार्यालयों के 40 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय ने बैठक का शुभारंभ किया। प्रशासनिक भाषा संबंधित सरकारी नीति के अनुसार राजभाषा अधिनियम और नियमों के यथा अपेक्षित अनुपालन के लिए यथासंभव सभी प्रयत्न करने का आवश्वासन देते हुए, अध्यक्ष महोदय ने अपना स्वागत भाषण समाप्त किया।

पोस्टमास्टर जनरल के कार्यालय के हिन्दी अधिकारी एवं तिरूवंतपुरम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव श्री डी. कृष्ण पणिक्कर ने रिपोर्ट अवधि के दौरान, समिति के कार्यकलापों की एक संक्षिप्त रिपोर्ट समिति के सम्मुख प्रस्तुत की। उन्होंने हिन्दी कार्यान्वयन में हुई प्रगति का जायजा लेने के लिए सदस्य कार्यालयों का निरीक्षण किया था। उनकी राय में यद्यपि कुछ सदस्य कार्यालयों में हिन्दी कार्यान्वयन के काम में अभूतपूर्व प्रगति हुई है तो भी, बहुत से कार्यालयों में इस दिशा में हुई प्रगति संतोषजनक नहीं है। उनका कहना था कि हिन्दी अधिकारी/कर्मचारी के अभाव के कारण ही राजभाषा के कार्यान्वयन का काम रुका पड़ा है। इसलिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हिन्दी कार्यान्वयन का काम शुरू करने के लिए जरूरी पदों का सृजन तुरंत करके उनमें बिना विलंब, भर्ती की जानी चाहिए। उन्होंने उन सभी कार्यालयों को वार्षिक कार्यक्रम के मुताबिक हिन्दी कार्यशाला चलाने के लिए बधाई दी और बाकी कार्यालयों से भी अनुरोध किया कि वे भी अपने अपने यहां कम से कम एक कार्यशाला चलाकर कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिए बढ़ावा दें। सहायक साहित्य संबंधी पुस्तिकाएं प्रकाशित करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय और दूरसंचार के महाप्रबंधक के कार्यालय की सराहना की गई। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख था कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और पोस्टमास्टर जनरल, केरल के कार्यालय नियमित रूप से हर महीने सहायक साहित्य उपलब्ध कराकर कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिए जरूरी मदद पहुंचा रहे हैं। बाकी कार्यालयों से भी आह्वान किया गया कि वे भी अपने यहां इस प्रकार के सहायक साहित्य उपलब्ध कराने की कोशिश करें। उन्होंने चाहा कि इन बैठकों को सौद्देश्य और उपयोगी बनाने के लिए कोशिश की जानी चाहिए। शहर में गत हिन्दी सप्ताह धूमधाम से मनाकर, हिन्दी के प्रति अनुकूल वातावरण तयार करने के लिए केरल हिन्दी प्रचार सभा ने जो सहयोग दिया, उसकी सराहना की गई। इस बात का विशेष उल्लेख किया गया था कि सभी सदस्य कार्यालयों द्वारा हिन्दी में प्राप्त सभी संसूचनाओं के उत्तर हिन्दी में ही देकर राजभाषा नियम 5 का पूरा-पूरा अनुपालन किया जा रहा है। सचिव ने समिति को सहर्ष सूचित किया कि समिति के अनुरोध का अनुपालन करते हुए राजभाषा विभाग से समिति को बैठकों के खर्च के लिए 4,000 रुपये का वार्षिक अनुदान प्राप्त हुआ है।

कुछ सदस्यों ने फरियाद की कि तिरूवंतपुरम में द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) में रबड़ की मोहरें बनाने की कोई सुविधा नहीं। समिति के सचिव ने इसका खंडन किया और सदस्यों से अनुरोध किया कि वे इस संबंध में जरूरी मदद के लिए सचिव से संपर्क करें।

सभी सदस्यों ने एकमत से बताया कि जरूरी हिन्दी कर्मचारियों के अभाव के कारण ही हिन्दी कार्य अपेक्षित मात्रा में नहीं हो पा रहा है। बार-बार अनुरोध किए जाने पर भी हिन्दी पदों के सृजन के लिए जरूरी मंजूरी संबंधित मंत्रालयों/विभागों/निदेशालयों/मुख्यालयों से नहीं प्राप्त हो रही है। समिति की राय थी कि प्रस्तावित पदों की मंजूरी कराने के लिए उच्च स्तर पर राजभाषा विभाग द्वारा असरदार कार्रवाई की जानी चाहिए। सभी सदस्य कार्यालयों से अनुरोध किया गया कि इस मद पर तुरंत कार्रवाई करके अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत करा दें ताकि अगली बैठक के पहले जरूरी अनुवर्ती कार्रवाई की जा सके।

केनरा बैंक के हिन्दी अधिकारी ने बताया कि राजभाषा विभाग के किसी अधिकारी का बैठक में उपस्थित न होना निराशाजनक है क्योंकि उनकी अनुपस्थिति के कारण सदस्यों की दिलचस्पी और चर्चा की सजीवता कम हो जाने का डर है। इस कमी की ओर राजभाषा विभाग का ध्यान आकर्षित करने का निश्चय किया गया।

केनरा बैंक के हिन्दी अधिकारी ने समिति को सूचित किया कि नगर में स्थित बैंकों के लिए एक अलग कार्यान्वयन समिति उनके मुख्यालय के निदेशानुसार बनाई जा रही है। समिति के सचिव ने बताया कि राजभाषा विभाग से इस संबंध में उन्हें कोई सूचना अब तक नहीं मिली है।

अध्यक्ष महोदय ने फरमाया कि प्रशासनिक व्यवस्था में हिन्दी अधिकारियों को भी दूसरे अधिकारियों के बराबर उचित स्थान है। उन्होंने सदस्य कार्यालयों से अनुरोध किया कि ऐसी शिकायतों को मौका दिए बिना, हिन्दी अधिकारियों को भी उचित स्थान, पूरा-पूरा सहयोग और सभी संभव सुविधाएं अवश्य दी जानी चाहिएं। बहस के दौरान एक सदस्य ने चाहा कि राजभाषा कार्यान्वयन का काम उच्च अधिकारियों द्वारा शुरू किया जाना चाहिए ताकि नीचे के कर्मचारी भी उनकी देखा-देखी करके हिन्दी में कार्यालयीन काम करना शुरू करें। केरल डाक परिमंडल के हिन्दी अधिकारी ने उपर्युक्त राय का समर्थन करते हुए बताया कि उनके कार्यालय के प्रधान हिन्दी में भी लिखते हैं तथा छोटे से छोटे आदेश, अनुदेश भी देते हैं। इसके फलस्वरूप कर्मचारियों ने भी उनकी देखा-देखी करके हिन्दी में काम करने लगे हैं।

समिति ने चाहा कि सभी अधिकारी जिन्ह हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, हिन्दी म भी काम करने की कोशिश करें ताकि कार्यालयों में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को आगे ले जाने के लिए अनुकूल वातावरण आ जाए।

समिति के ध्यान में यह लाया गया कि रेलवे स्टेशन के रेल डाक सवा कार्यालय के साइन-बोर्ड में हिन्दी वर्तनी की अशुद्धियां बहुत समय से हैं। पोस्टमास्टर जनरल ने आश्वासन दिया कि वर्तनी की यह गलती जल्दी ही ठीक कर दी जाएगी।

समिति ने राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत केन्द्रीय कार्यालयों को भारत के राजपत्र में अधिसूचित करने के मामले पर विस्तार से विचार करके यह निर्णय लिया कि सभी कार्यालय अपने मुख्यालयों/निदेशालयों/मंत्रालयों को इस संबंध में अलग-अलग पत्र भेजकर वस्तु-स्थिति से उन्हें अवगत कराएं।

समिति के सचिव ने अपनी रिपोर्ट के दौरान, हिन्दी में कार्यालयीन काम शरू करने के लिए सदस्यों को बधाई देते हुए बताया–"अंततोगत्वा सभी सरकारी पत्र व्यवहार हिन्दी में किया जाना है। अतः सदस्य कार्यालयों द्वारा हिन्दी में पत्र व्यवहार करने का यह शुभारंभ सराहनीय है।"

दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधि ने सदस्य कार्यालयों से अनुरोध किया कि टेलीफोन नम्बर 177 में उपलब्ध हिन्दी विशेष सेवा का उपयोग करके हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को आगे ले जाएँ।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के प्रतिनिधि ने निम्नलिखित सुझाव पेश किएं :–

1. हिन्दी टंकण और आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र इस नगर में खोला जाना चाहिए।
2. सरकारी कार्यालयों के लिए उपयोगी राजभाषा संबंधी सहायक साहित्य, शब्दकोष, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के दूसरे प्रकाशन इत्यादि तिरूवंतपुरम स्थित प्रकाशन विभाग के पुस्तक-बिक्री केन्द्र म उपलब्ध कराये जान चाहिएं।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और कार्यालयों को भी हिन्दी निदेशालय की पस्तकों की खरीदारी में प्रोत्साहजनक घटौती दी जानी चाहिए।

इस सिलसिल में, अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि हिन्दी टंकण और आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का मामला राजभाषा विभाग के विचाराधीन है। राजभाषा विभाग ने पोस्टमास्टर जनरल से अनुरोध किया कि वे नगर में हिन्दी शिक्षण योजना के केन्द्र का कार्यभार संभाल लें। उन्होंने काम की अधिकता और स्थान की कमी के कारण उक्त ज़िम्मेदारी लेने में अपनी असमर्थता प्रकट की है। यदि कोई सदस्य कार्यालय, सर्वकार्यभारी अधिकारी की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो तो टंकण प्रशिक्षण केन्द्र भी उनके अधीन शुरू किए जा सकते हैं। दूसरे सुझावों के सबंध में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि संबंधित कार्यालयों से यथोचित अनुरोध किया जाएगा।

कुछ सदस्यों ने राय दी कि कार्यशालाओं की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और अफसरों के लिए अलग कार्यशाला चलाई जानी चाहिए क्योंकि वे अत्यधिक उपयोगी हैं। अध्यक्ष ने चाहा कि सदस्य कार्यालय तदनुसार कार्रवाई करें।

आकाशवाणी के केन्द्र निदेशक ने सलाह दी कि हिन्दी प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में पत्र व्यवहार शुरू किया जाना वांछनीय है। उनकी राय में दक्षिण भारत स्थित केन्द्रीय कार्यालयों में 10 प्रतिशत कर्मचारी, उत्तर भारत के होने चाहिएं और उन्हें स्थानीय भाषाओं में काम चलाऊ ज्ञान भी होना चाहिए। वे यह जानना चाहते थे कि क्या नगर समिति को प्राप्त अनुदान का एक अंश उनको भी दिया जाएगा। सचिव ने बताया कि यह अनुदान नगर समिति की बैठक के खर्च के लिए मात्र हैं। अतः बंटवारे का सवाल ही नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय ने सचिव के इस अनुरोध का पूरा-पूरा समर्थन किया कि समिति के सदस्यों को चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेकर इसे सौद्देश्य और उपयोगी बना लेना चाहिए। सिर्फ उपस्थिति मात्र से बैठक का उद्देश्य पूरा नहीं हो पायेगा। हर सदस्य से रचनात्मक सुझाव का स्वागत है जिससे राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को आगे ले जा सकें।

––एम. एम. रामन
पोस्टमास्टर जनरल, केरल परिमंडल
एवं अध्यक्ष, नगर राजभाषा
कार्यान्वयन समिति,
तिरूवंतपुरम

दुर्गापुर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक श्री डी. मुखर्जी, प्रबंध निदेशक, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे।

श्री उत्पल राय, प्रबंध निदेशक, वी. ओ. जी. एल., श्री चन्द्रनाथ मुखर्जी, मुख्य अभियंता, मेकन, श्री विनय कृष्ण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एच. एफ. सी., श्री साधन कुमार बनर्जी, शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, दुर्गापुर, श्री छन्नुलाल शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी (हिन्दी), एम. ए. एम. सी., श्री अनिवार्य बंदोपाध्याय, वरिष्ठ अभिकल्पन अभियंता, मेकन, श्री रामप्रताप सिंह, सहायक निरीक्षण अधिकारी (धातु/रसायन), उप निदेशक निरीक्षण (धातु), श्री बैकुंठ नारायण त्रिवेदी, स्नातकोत्तर अध्यापक, हिन्दी के. वि. दुर्गापुर केन्द्रीय विद्यालय, सी. एम. ई. आर. आई. दुर्गापुर, श्री बालकृष्ण सोनी, हिन्दी अनुवादक, ग्रुपकेन्द्र, के० रिपु० बल, दुर्गापुर, श्री दविन्दर सिंह सीहरा, उप प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक, दुर्गापुर, श्री कंवल दत्त भाटिया, सहायक कमांडेंट सी. आई. एस. एफ., श्री एस. के. पौल, हिन्दी अधिकारी, एच. एफ. सी, श्री जे. एन. गौड़, मुख्य नगर प्रशासक एवं सदस्य सचिव, श्री टी. एन. पाण्डेय, राजभाषा अधिकारी, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र।

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए ब्यूरो आफ पब्लिक इन्टरप्राइसेज द्वारा अनुमोदित मानक श्रमशक्ति का सभी प्रतिष्ठानों में अनुपालन किया जाना चाहिए जहां हिन्दी अनुभाग नहीं हैं वहां हिन्दी अनुभाग का सृजन किया जाय एवं हिन्दी श्रम शक्ति उपलब्ध कराई जाए।

विभिन्न उपक्रमों/संस्थानों के उपस्थित सदस्यों ने सूचना दी कि अनेक विभागों में हिन्दी कक्ष खोले गये हैं और आवश्यकतानुसार श्रम शक्ति उपलब्ध करायी गई।

नगर समिति से संबंधित अध्यक्ष, सचिव, राजभाषा अधिकारी एवं कार्यालयीन सहायकों को प्रतिमास निम्न प्रकार के मानदेय देने का प्रस्ताव राजभाषा सम्मेलन द्वारा किया गया है :—

अध्यक्ष	500 रुपये प्रतिमास
सदस्य सचिव	400 रुपये प्रतिमास
राजभाषा अधिकारी	300 रुपये प्रतिमास
कार्यालय अधीक्षक	150 रुपये प्रतिमास
टंकक/आशुलिपिक	75 रुपये प्रतिमास

सचिव महोदय ने बताया कि यह एक प्रस्ताव मात्र है। इस संबंध में जब तक राजभाषा विभाग अपनी अनुमति नहीं देता तब तक इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। अध्यक्ष ने सलाह दी कि इस विषय में राजभाषा विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। इस संबंध में सचिव महोदय राजभाषा विभाग को पत्र लिखेंगे।

दुर्गापुर स्थित सरकारी प्रतिष्ठानों में हिन्दी कार्यकलापों का निरीक्षण करने हेतु निम्नांकित सदस्यों को लेकर एक निरीक्षण उप-समिति गठित की गई ताकि उप-समिति अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष को पेश करती रहे।

1. श्री छन्नुलाल शर्मा—प्रशासनिक अधिकारी (हिन्दी) एम.ए. एम. सी.।
2. श्री बैकुंठ नारायण त्रिवेदी—स्नातकोत्तर अध्यापक, केन्द्रीय विद्यालय, सी. एम. ई. आर. आई.।
3. श्री टी एन. पाण्डेय—उप प्रबन्धक एवं राजभाषा अधिकारी, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र।

श्री टी. एन. पाण्डेय, समन्वय अधिकारी का कार्य करगे। समिति विभिन्न उपक्रमों से संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रत्येक माह सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति को पेश करेगी जिसे सचिव कार्यान्वियन समिति के सामने पेश करेंगे।

समिति ने सिफारिश की कि विभिन्न उपक्रमों/कार्यालयों में हिन्दी पुस्तकालय/क्लब की स्थापना की जाय जहां हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु हिन्दी पुस्तकें, संदर्भ साहित्य एवं हिन्दी की पत्र-पत्रिकाएं उपलब्ध करायी जाएं।

सभी उपस्थित सदस्यों ने सूचित किया कि उनके संस्थानों में इस राजभाषा कार्यान्वियन समिति का गठन किया जा चुका है।

नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति ने यह महसूस किया कि सभी प्रतिष्ठानों में हिन्दी प्रचार-प्रसार एवं कार्यालय के कामकाज के निपटान हेतु हिन्दी टाइपराइटरों की नितांत आवश्यकता है। अतः सरकारी कामकाज के, निपटाने हेतु कार्यालयों में निम्नलिखित टाइपराइटर उपलब्ध करवायी जाएं :

1. देवनागरी हिन्दी टाइपराइटर।
2. द्विभाषी (रोमन-देवनागरी) इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर।
3. देवनागरी इलैक्ट्रिक टाइपराइटर।

वर्ष 1985-86 के लिए कार्यान्वियन समिति ने हिन्दी के कार्यान्वियन हेतु निम्नलिखित प्रोग्राम बनाया :

क. विभिन्न संस्थानो के बीच एक एकांकी हिन्दी नाटक प्रतियोगिता दुर्गापुर इस्पात संयंत्र द्वारा आयोजित की जायेगी।

ख. वाक् प्रतियोगिता का आयोजन भारतीय खाद निगम, दुर्गापुर करेगा।

ग. टप्पण व प्रारूप लेखन प्रतियोगिता दुर्गापुर इस्पात संयंत्र करेगा।

इन प्रतियोगिताओं के आयोजन पुरस्कार वितरण तथा प्रमाण पत्र इत्यादि सारी व्यवस्था सचिव द्वारा की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय का प्रस्ताव था कि नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति की बैठक क्रम से विभिन्न उपक्रमों में हो। इस संबंध में आगामी बैठक भारत आफथालमिक में अप्रैल 85 में आयोजित की जायेगी। इस प्रस्ताव से सभी सदस्यों ने सहमति व्यक्त की तथा भारत आफथालमिक ग्लास लि. के प्रबंध निदेशक ने इसे स्वीकार किया। उन्हें अनुरोध किया गया कि वे एक माह समय रहते ही तिथि निश्चित करेंगे तथा इसकी सूचना समिति को देंगे ताकि अन्य कार्रवाई की जा सके।

डी. मुखर्जी
प्रबन्धक निदेशक, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, एवं अध्यक्ष नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति दुर्गापुर—3

भावनगर

नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति की दिनांक 31-3-85 को समाप्त छमाही की दसवीं बैठक, माननीय मंडल रेल प्रबन्धक श्री सु. वेंकटरामन की अध्यक्षता में मंडल कार्यालय पश्चिम रेलवे, भावनगर परा में कार्यालय सभा कक्ष में शुक्रवार दि. 25-5-85 को 15.30 बजे संपन्न हुई। बैठक में राजभाषा विभाग क्षेत्रीय कार्यालय, गृह मंत्रालय बम्बई के उपनिदेशक (कार्यान्वियन) श्री हरिओम श्रीवास्तव विशेष तौर से उपस्थित थे।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य कार्यालय उपस्थित थे : 1. श्री सु. वेंकटरामन, मंडल रेल प्रबंन्धक एवं अध्यक्ष, 2., जे. सी. पुरोहित, मंडल राजभाषा अधिकारी, प. रेलवे-भावनगर, 3. ह. सी. लश्करी, सहायक हिन्दी अधिकारी एवं सचिव, 4. सूर्यनारायण साह, हिन्दी अधिकारी, केन्द्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर, 5. पी सी. वैष्णव, सहायक केन्द्रीय तार घर, भावनगर, 6. गो. भी. जोगड़िया, यातायात सहायक, इण्यिन एयरलाइन्स, भावनगर, 7. शा. चा. पवार, स्टेशन प्रबन्धक इण्डियन एयरलाइन्स, भावनगर, 8. गजानन्द आर्य, सहायक भारतीय खाद्य निगम, 9. भरत पटट्णी, लिपिक, बैंक ऑफ बरोडा, भावनगर, 10. बी पी. व्होरा, प्रबंधक युनाइटेड कमर्शियल बैंक भावनगर, 11. एम. एन. मकवाणा, प्रबंधक बैंक ऑफ महाराष्ट्र भावनगर, 12. संजीव निगम, राजभाषा अधिकारी, देना बैंक, भावनगर, 13. एन अवेध, प्रतिनिधि भारतीय पैट्रोलियम, भावनगर, 14. विजय अ. दवे, लिपिक, स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र भावनगर,

15. किशोर स. व्होरा, आयकर अधिकारी, भावनगर, 16. जे. एच. लालवाणी, शाखा प्रबंधक, जीवन बीमा निगम, भावनगर।

बैठक के प्रारंभ में अध्यक्ष ने सदस्यों का स्वागत किया। सदस्यों की कम उपस्थिति पर अध्यक्ष महोदय ने दुःख प्रकट किया और बताया कि हिन्दी की प्रगति में इससे ढीलेपन का असर नजर आ रहा है। सरकार की राजभाषा नीति और तत्संबंधी बनाये गये वार्षिक कार्यक्रम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष महोदय ने जोर दिया। अध्यक्ष जी ने बताया कि कार्यालय में कर्मचारियों के प्रशिक्षण का काम यथाशीघ्र पूर्ण किया जाना चाहिए जिससे हिन्दी की प्रगति में और तेजी आ सकती है। आपने छोटे छोटे पत्रों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने पर भी बल दिया। सदस्यों का ध्यान विशेष तौर से प्रशिक्षण, हिन्दी में पत्र व्यवहार, हिन्दी टाइप मशीनों की अनुपलब्धि आदि के बारे में आकृष्ट किया और अपने-अपने कार्यालयों में गृह मंत्रालय द्वारा बनाये गये वार्षिक कार्यक्रम के अनुपालन पर अधिक जोर देकर अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए अनुरोध किया।

विविध मदों के विचार-विमर्श के दौरान केन्द्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान के हिन्दी अधिकारी श्री सूर्यनारायण साह ने कर्मचारियों के प्रशिक्षण के बारे में कठिनाइयां बताईं। आपने कहा कि भावनगर में प्रशिक्षण केन्द्र शुरू किया जाना चाहिए। आपने कहा कि हालांकि हमारे संस्थान में वैज्ञानिकों के लिए हिन्दी की अधिक आवश्यकता नहीं रहती फिर भी तकनीकी अधिकारियों की संख्या ज्यादा होने से उनके प्रशिक्षण की समस्या है। इसके लिए अलग से निधि उपलब्ध न होने से प्रशिक्षण के लिए होने वाले खर्च की भी समस्या है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अगर उनके कार्यालय से पांच-सात कर्मचारियों को प्रशिक्षण लेने के लिए मंडल कार्यालय में भेजने की कोई समस्या नहीं है तो रेलवे द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। अध्यक्ष महोदय का विचार था कि राजभाषा के लिए रेलवे हर प्रकार की सुविधा दे सकता है। चर्चा में भाग लेते हुए विभाग क्षेत्रीय कार्यालय, बम्बई के उप निदेशक श्री हरिओम श्रीवास्तव जी ने स्पष्ट किया कि खर्च के बारे में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि नियमों के अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी को प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। सरकार ने पत्राचार पाठ्यक्रम की भी व्यवस्था की है। कर्मकारी निजी तौर से भी परीक्षाओं में बैठ कर पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। हिन्दी में काम करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए विविध प्रतियोगिताओं के आयोजन के विषय में भी बैठक में चर्चा हुई। अध्यक्ष महोदय ने नगर के विविध कार्यालयों को सम्मिलित रूप से निबंध, वाक् टिप्पण आदि प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सुझाव दिया।

जे. सी. पुरोहित
मंडल राजभाषा अधिकारी,
एवं वरिष्ठ मंडल इंजीनियर,
पश्चिम रेलवे
भावनगर

कलकत्ता

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के वार्षिक कार्यक्रम के अन्तर्गत दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता की राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जिसके अध्यक्ष श्री निर्मल सिकदार, निदेशक दूरदर्शन केन्द्र हैं, की ओर से दिनांक 12-3-85 को एक राजभाषा आशु वाक् प्रतियोगिता का आयोजन केन्द्र के अधीक्षक अभियंता श्री पी. के. सुब्रमणियम की अध्यक्षता में केन्द्र के नये भवन गोल्फ् ग्रीन में सम्पन्न हुआ। इसमें 28 केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों/उपक्रमों ने योगदान किया।

प्रतियोगियों की संख्या अधिक होने के कारण प्रतियोगिता का कार्यक्रम दो निर्णायक मण्डलों के नेतृत्व में दो चरणों में पृथक-पृथक कक्ष में अपराह्न 2.00 बजे से 4.00 बजे तक चला। निर्णायक मण्डल के सदस्य थे सुभाष चन्द्र पालीवाल, आयकर विभाग, श्री (डा.) ओम प्रकाश शर्मा, हिन्दी अधिकारी, हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि. और कुमारी सुशील गुप्ता, प्रस्तुतकर्ता (हिन्दी) दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता।

केन्द्र के हिन्दी अधिकारी श्री कृष्ण चन्द्र तिवारी द्वारा स्वागत भाषण के पश्चात प्रतियोगियों ने लाटरी पद्धति पर निकाले गए विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। इसके बाद मुख्य अतिथि श्रीमती (डा.) प्रतिभा अग्रवाल ने अपना प्रेरणादायक भाषण दिया। मुख्य निर्णायक श्री पालीवाल द्वारा विजेताओं के नामों की घोषणा एवं संक्षिप्त भाषण के पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए। प्रथम पुरस्कार श्री सुव्रत दास, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, द्वितीय पुरस्कार श्री सत्यरंजन सरकार, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं तृतीय पुरस्कार सु. श्री नीला दास न्यू बैंक आफ इण्डिया को प्राप्त हुआ।

श्री पी. के सुब्रमणियम, अधीक्षक अभियंता ने हिन्दी में अध्यक्षीय भाषण दिया जो बड़ा प्रभावशाली रहा।

कृष्ण चन्द तिवारी
हिन्दी अधिकारी

गोवा

गोवा क्षेत्रीय कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठक, दिनांक 1-6-85 को दोपहर के 4.00 बजे प्रभागीय प्रबंधक श्री चमनलाल की अध्यक्षता में उन्हीं के कमरे में हुई। बठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे।

श्री चमनलाल, प्रभागीय प्रबंधक-अध्यक्ष, श्री पी. रामलिंगमूर्ति, वित्त व लेखा प्रबंधक सदस्य, श्री जे. पी. माथुर उप प्रभागीय प्रबंधक सदस्य, श्री निखिलचंद्र, सहायक प्रबंधक (विधि) सदस्य, श्री जे. जे. पिटर्स, कार्यालय प्रबंन्धक (हिन्दी-सदस्य) सचिव।

सर्वप्रथम श्री पिटर्स, सदस्य सचिव ने पिछली बैठक का कार्यवृत्त पढ़कर सुनाया तथा उसकी पुष्टि की गयी।

सदस्य सचिव ने सदस्यों को बताया कि अब तक 17 कर्मचारियों ने हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत "प्रबोध" की परीक्षा पास की है। निर्णय किया गया कि जुलाई, 1985 से शुरू होने वाले सत्र में प्रवीण की कक्षा चलाई जाएगी। सदस्य सचिव ने सदस्यों को यह सूचित किया कि

हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत वास्को केंद्र खुला है परन्तु यह कक्षाएं एम. पी. टी, हारवर में चलाई जा रही हैं इसलिए हमें हमारे कर्मचारियों को वहां भेजना असंभव है। उन्होंने कहा कि वे वास्को केन्द्र के मुख्य अधिकारी से विचार विमर्श करेंगे तथा यदि हिन्दी शिक्षण योजना का हिन्दी अध्यापक हमें उपलब्ध नहीं होता तो कक्षाएं निजी अध्यापक की सहायता से चलाई जाएंगी ।

हिन्दी की पुस्तकें खरीदने के बारे में विचार विमर्श के पश्चात समिति ने 2000 रुपये की पुस्तकें खरीदने के लिए स्वीकृति दे दी । सदस्यों ने यह सलाह दी कि क्योंकि गोवा के अधिकत्तर अधिकारी कर्मचारी अहिन्दी भाषी हैं अतः हिन्दी की सरल व सुलभ पुस्तकें खरीदी जाएं। सदस्य सचिव ने सदस्यों को यह स्पष्ट किया कि किसी अपरिहार्य कारणवश हिन्दी संगोष्ठी का आयोजन नहीं हो सका। अतः यह तय किया गया कि जुलाई 1985 में एक हिन्दी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा तथा विजेताओं को आकर्षित पुरस्कार दिए जाएंगे तथा अगस्त 1985 में हिन्दी दिवस का आयोजन किया जाएगा।

जे. जे. पीटर्स
कार्यालय प्रबंधक (हिन्दी)
सदस्य सचिव

दिल्ली

दिल्ली परिवहन निगम की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक श्री पी. वी. वेंकटकृष्णन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में 27-6-85 को आयोजित की गई। इनमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे ।

1. श्री रघुराज सिंह, अतिरिक्त महाप्रबंधक (यातायात) ।
2. श्री सैयद अब्दूल बारी, मुख्य लेखा अधिकारी ।
3. श्री ए. एस. लाकडा, मुख्य यांत्रिक इंजीनियर ।
4. श्री यशपाल गक्खड़, उप महाप्रबन्धक (आई. आर.) ।
5. श्री ओम शर्मा, हिन्दी अधिकारी ।

पद्म श्री आचार्य क्षेमचन्द्र सुमन ने प्रेक्षक के रूप में और श्री मनोहर लाल मैत्रेय अनुसंधान अधिकारी ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की ओर से भाग लिया ।

सर्वप्रथम दिनांक 28-2-85 को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों और उन पर की गई कार्यवाही तथा कार्यसूची पर विचार-विमर्श हुआ और निम्नलिखित निर्णय लिए गए :—

1. **देवनागरी टाइपराइटर:**—निगम में उपलब्ध 51 देवनागरी टाइप-मशीनों का पुन : वितरण उपयोगिता के आधार पर किया जाए और अगली बैठक में सूची प्रस्तुत की जाए ।

2. **यूनिटों का निरीक्षण :**—हरिनगर डिपो-1, 2 तथा 3 और सरोजिनी नगर डिपो के निरीक्षण की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श हुआ। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि राजभाषा हिन्दी की प्रगति के संबंध में यूनिटों के निरीक्षण का कार्यक्रम जारी रखा जाए ।

3. **टर्मिनलों/टाइम-कीपिंग बूथों पर लगे हुए सूचना पट्ट आदि :—** नगर के सभी प्रमुख टर्मिनलों/टाइप-कीपिंग बूथों पर यात्रियों की सुविधा के लिए रूट आदि सम्बन्धी सूचना बोर्ड हिन्दी और अंग्रेजी में उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए । इस सम्बन्ध में यातायात विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया जाए और पता लगाया जाए कि कहां-कहा सूचना-बोर्ड आदि हिन्दी-अंग्रेजी अर्थात् द्विभाषिक रूप में नहीं है । सूचना-बोर्डों की द्विभाषिक रूप में अपेक्षित व्यवस्था की जाए और अगली बैठक में कार्यान्वयन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए ।

4. **दि. प. नि. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक :—** दि. प. नि. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन प्रत्येक तिमाही के दूसरे मास में किया जाए जिसमें पूर्ववर्ती तिमाही की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श अपेक्षित है ताकि संबंधित कमियां विभाग प्रमुखों की जानकारी में आ सकें ।

5. **विभाग प्रमुखों द्वारा प्रत्येक माह में कम से कम एक दिन हिन्दी में काम करना:** —(क) अध्यक्ष महोदय ने इस बात पर बल दिया कि विभाग प्रमुखों को चाहिए कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा हिन्दी के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से हर माह कम से कम एक दिन हिन्दी में काम किया जाए । (ख) इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने आगे कहा कि नेमी कार्यालय टिप्पणियां जो हिन्दी अनुभाग द्वारा छपाई गई हैं, विभाग प्रमुखों को उपलब्ध कराई जाएं। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ सहायक पुस्तकें जो केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् द्वारा प्रकाशित की गई हैं, मंगवाई जाएं और विभाग प्रमुखों को दी जाएं ताकि उन्हें हिन्दी में काम करने में सुविधा हो।

6. **वर्ष 1985 में हिन्दी सप्ताह 1 से 7 नवम्बर :—** अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि समिति की आगामी बैठक में हिन्दी-सप्ताह की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की जाए ।

7. **राजभाषा वार्षिक-कार्यक्रम 1985–86 :—** राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम 1985-86 के आधार पर दि. प. नि. का वार्षिक-कार्यक्रम 1985-86 तैयार किया जाए और कार्यान्वयन के लिए सभी विभागों/अनुभागों को शीघ्रातिशीघ्र भेजा जाए।

8. **नकद पुरस्कार योजना :—** दि. प. नि. बोर्ड द्वारा अनुमोदित नकद पुरस्कार योजना विभाग प्रमुखों को प्रेषित की जाए ताकि वे अपने-2 विभागों से सम्बद्ध अधिक से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को इस पुरस्कार योजना में भाग लेने का निदेश जारी कर सकें ।

9. **हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में भेजें :—** इस विषय में यह निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष महोदय की ओर से एक ऐसा कार्यालय ज्ञापन जारी किया जाए जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख हो कि भारत सरकार की राजभाषा

नीति के अनुसार हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में भेजना अनिवार्य है।

10. **बैज/नाम-पट्टी हिन्दी में बनवाना** :—यह निर्णय किया गया कि भविष्य में सभी बैज और नाम पट्टिया केवल हिन्दी में या द्विभाषिक रूप में अर्थात् हिन्दी-अंग्रेजी में ही तैयार कराई जाएं।

11. **राजभाषा विचार-गोष्ठी का आयोजन** :—निकट भविष्य में राजभाषा विचार-गोष्ठियों का आयोजन किया जाए ताकि निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा नीति से अवगत कराया जा सके।

—पी. वी. वेंकटकृष्णन
अध्यक्ष

रक्षा मंत्रालय, दिल्ली

रक्षा मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की एक बैठक रक्षा मन्त्री माननीय श्री पी. वी. नरसिंह राव की अध्यक्षता में 20 अप्रैल, 1985 को हुई। इस अवसर पर रक्षा मन्त्री महोदय ने विस्फोटक विज्ञान विषय पर रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के वैज्ञानिक श्री शिवकुमार शुक्ल द्वारा रचित पुस्तक "विस्फोटक विज्ञान" का विमोचन किया। इस पुस्तक पर श्री शुक्ल को रक्षा मंत्रालय द्वारा वैज्ञानिक/तकनीकी विषयों पर लिखी जाने वाली पुस्तकों पर पुरस्कार की योजना के अंतर्गत वर्ष 1982 का पहला पुरस्कार मिला है।

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की चण्डीगढ़ स्थित चरम प्रोक्षेपिकी अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिक श्री विशवकुमार शुक्ल द्वारा लिखित इस पुस्तक का प्राक्कथन रक्षा मन्त्री के वैज्ञानिक सलाहकार डा. वी. एस. अरुणाचलम्, ने लिखा है। इस पुस्तक का आमुख केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के निदेशक श्री राजमणि तिवारी ने लिखा है तथा पुस्तक पर टिप्पणियां ले. जनरल देवेन्द्र स्वरूप, अति विशिष्ट सेवा मेडल, अवकाश प्राप्त मुख्य नियन्त्रक महोदय ने लिखी है। इस पुस्तक में लेखक ने विस्फोटकों की प्रकृति, वर्गीकरण उनके उत्पादन तथा सम्बद्ध अन्य पहलुओं पर प्रकाश डाला है। इस पुस्तक का प्रकाशन भागीरथ सेवा संस्थान, गाजियाबाद ने किया है। यह प्रकाशन संस्थान विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में हिन्दी के योग को बढ़ाने के लिए पूर्णत: समर्पित है।

लेखक ने इस पुस्तक में ऋग्वेद के समय से लेकर विस्फोटकों के इतिहास तथा विकास को बड़े आकर्षक ढंग से निरूपित किया है। पुस्तक में युद्ध काल के दौरान विस्फोटकों की पारम्परिक विनाशकारी भूमिका के दिग्दर्शन के अतिरिक्त इसमें विस्फोटकों के शान्तिकालीन उपयोगों तथा राष्ट्र निर्माण तथा अर्थव्यवस्था के उत्थान में इनके उपयोग की रचनात्मक भूमिका का भी विशद विश्लेषण किया गया है।

भाषागत सादगी तथा परिपक्व स्टाइल के कारण सशस्त्र सेनाओं के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा खान उद्योग के अतिरिक्त साधारण पाठक के लिए भी यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी।

इस पुस्तक पर डा. हरिमोहन के हिन्दी में दिए गए उपयोगी विचार भी "फोटो कापी" के रूप में संलग्न हैं तथा सैनिक समाचार में प्रकाशन हेतु सामग्री का चयन उसमें से भी किया जा सकता है।

1. "विस्फोटक विज्ञान" पुस्तक के पापूलर संस्करण का मूल्य—रु. 26.50 पृ. सं. 252 है।
2. पुस्तकालय संस्करण का मूल्य—रु. 45.00 पृ. सं. 252 है।
3. लेखक—श्री शिव कुमार शुक्ल प्रकाशक तथा वितरक।
4. प्रकाशक तथा वितरक—भागीरथ सेवा संस्थान, आर-10/144, नया राजनगर, गाजियाबाद।

इस पुस्तक में लेखक ने विस्फोटकों का इतिहास तथा विकास नामक अध्याय भारत के प्राचीन ग्रन्थों से लेकर अब तक के इतिहास का लेखा-जोखा इस प्रकार से दिया है कि कोई भी इसको पढ़कर यह अन्दाज लगा सकता है कि आधुनिक विस्फोटकों का निर्माण भारत के प्राचीन ग्रन्थों में उल्लेख किए गए, अग्नि वर्षा, भीषण गर्जन, प्रचण्ड चक्रवात और प्रलयकारी दृश्य इन सबको आधुनिक रूप देकर विश्व के वैज्ञानिकों ने किस प्रकार के रसायनों के प्रयोग से ऐसा सब कर दिखाया। आजकल के युग मेथक मापाम बम, स्फोटी बम आदि में प्रयोग में आने वाले रसायनों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

जो एज़ाइड और फुल्मीनेट इन विस्फोटकों में इस्तेमाल में लाये जाते हैं इनका बनाने का तरीका विस्तृत रूप में बताया गया है। साथ ही इसी प्रकार के विस्फोटकों के निर्माण की विधियां विस्तृत रूप में दी गयी हैं। इन विस्फोटकों के गुणों और संरचनाओं का भी उल्लेख किया गया है।

विशेष प्रकार से विस्फोटकों को हैंडल करने और उनको सुरक्षित रूप से रखने के लिए भी पूर्ण और विस्तार से जानकारी दी गयी है। जहां तक विस्फोटकों के प्रयोग का सवाल है इस पुस्तक में इनके शांतिमय उपयोग से लेकर जैसे सुरंगें बनाने में, खनन में, ऊबड़-खाबड़ भूमि को समतल बनाने में इन सभी में विस्फोटकों के इस्तेमाल का पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। यही नहीं युद्ध के अवसर पर किस प्रकार के विस्फोटक इस्तेमाल किए जाते हैं, इसका भी पूरा-पूरा विवरण दिया गया है।

इस पुस्तक से एक साधारण पाठक को यह जानकारी मिलेगी कि विस्फोटक न केवल युद्ध के लिए प्रयोग में लाये जाते हैं वरन् रोजमर्रा के काम में दियासलाई जैसे और आतिशबाजी जैसे विस्फोटक प्रयोग में लाये जाते हैं।

आज विस्फोटक मात्र विध्वंसक ही नहीं है, ये राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में अपूर्व रचनात्मक भूमिका अदा करते हैं। यह पुस्तक स्कूल के छात्रों के लिए भी उपयोगी है क्योंकि इस पुस्तक से उनको यह जानकारी मिलेगी कि वह नये-नये विस्फोटक पदार्थ किस प्रकार बना सकते हैं जिससे कि नदियों के जल प्रवाह को रोकने, तोड़ने और काबू में लाने के लिए किस प्रकार के विस्फोटक अब तक उपलब्ध हैं और किस-प्रकार के विस्फोटक बनाये जा सकते हैं। यही नहीं आजकल राकेट और मिसाइल में जो विस्फोटक पदार्थ इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनके विवरण से उनको यह खासी जानकारी प्राप्त होगी कि वास्तव में विस्फोटक विज्ञान में जो कुछ भी हमें

ज्ञात-है वह बहुत प्रारंभिक अवस्था में है। लेखक द्वारा दी हुई विस्तृत जानकारी उनको अनुसंधान के लिए अवश्य प्रेरित करेगी।

जो वैज्ञानिक, इंजीनियर और रक्षा विभाग में कार्यरत हैं उनको भी यह पुस्तक लाभदायक होगी क्योंकि इसमें आरंभ से लेकर अब तक की स्थिति तक का लेखा-जोखा दिया है।

हिन्दी में वैज्ञानिक विषय पर यह पुस्तक सभी वर्गों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

—डा. हरि मोहन
प्रवक्ता
मोतीलाल नेहरू डिग्री कालेज

गृह मंत्रालय, दिल्ली

गृह मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक संयुक्त सचिव (प्रशासन) श्री एस. आर. आर्य की अध्यक्षता में 30 अप्रैल, 1985 को 119 सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :—

श्री एस. आर. आर्य, संयुक्त सचिव (प्रशासन)—अध्यक्ष, श्री मदन मोहन शर्मा, उप सचिव (प्रशासन)—सदस्य, श्री पी. ए. नरायण, उप सचिव (प्रिजन एंड सी. डी.)—सदस्य, श्री पी. विजयराघवन, उप सचिव (विदेश)—सदस्य, श्री जी. एस. बोयला, उप सचिव (टी. डी. सी.)—सदस्य, श्री एम. के. अग्रवाला, उप सचिव (सी. पी. ओ)—सदस्य, श्री मोती लाल चतुर्वेदी, उप निदेशक (राजभाषा विभाग)—सदस्य, श्री एम. बालागोपालन, अवर सचिव (रोकड़)—सदस्य, श्री ख्वाजा एम. शाहिद, वित्त सलाहकार—सदस्य, श्री विनय लेखडी, अनुभाग अधिकारी ((यू. टी. एस.)—सदस्य, श्री एम. एम. कपूर, अनुभाग अधिकारी (ए. एन. एल.)—सदस्य, श्री विजय सेठी, डेस्क अधिकारी—सदस्य, श्री टी. आर. सोढी, अनुभाग अधिकारी (एफ. सी. आर. ए.)—सदस्य, श्री पी. एल. कनौजिया, अनुभाग अधिकारी (आर. एण्ड आई.)—सदस्य, श्री गुरचरण सिंह, अनुभाग अधिकारी (प्रशासन-III)—सदस्य, श्री कैलाश चन्द्र हिन्दी अधिकारी–सदस्य–सचिव, श्री एम. एम. दरगन, हिन्दी अधिकारी।

अध्यक्ष महोदय संयुक्त (प्रशासन) ने उपस्थित सदस्यों तथा अधिकारियों का स्वागत करते हुए सभी से अनुरोध किया कि मंत्रालय के सरकारी काम में हिन्दी का प्रयोग राजभाषा नियमों व वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अधिकारी अपने स्तर पर फाइलों में रूटीन किस्म के नोट हिन्दी में लिखें। उन्होंने बताया इससे हिन्दी में काम करने की झिझक दूर होगी और साथ ही स्टाफ को भी हिन्दी में काम करने की प्रेरणा व प्रोत्साहन मिलेगा।

निम्नलिखित मदों पर विचार के बाद निर्णय लिए गए :—

1. मंत्रालय के सरकारी काम में हिन्दी के प्रयोग तथा राजभाषा नियमों के अनुपालन की स्थिति का निरीक्षण विस्तार से किया जाए और उन कारणों का पता लगाया कि यह कमी किस वजह से है।

मंत्रालय के सरकारी काम में हिन्दी का प्रयोग अधिक न बढ़ पाने के निम्नलिखित कारण हैं :—

(क) प्रत्येक अनुभाग अलग हिन्दी टाइपिस्ट की मांग करता है।

इस बारे में यह महसूस किया गया कि जब तक हिन्दी टाइपिस्टों के अतिरिक्त पद बनाने की व्यवस्था नहीं होती है तब तक स्वीकृत स्टाफ के अलावा अतिरिक्त हिन्दी टाइपिस्ट देना संभव नहीं होगा।

(ख) प्रशिक्षण रिजर्व के अभाव में हिन्दी टाईपिंग व स्टेनोग्राफी के प्रशिक्षण के लिए कर्मचारियों को छोड़ना संभव नहीं है।

इस संबंध में यह सहमति थी कि अच्छा यह होगा कि राजभाषा विभाग (1) हिन्दी स्टेनोग्राफी व हिन्दी टाइपिंग के लिए पूर्णकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चालू करने पर विचार करे ताकि ट्रेनिंग रिजर्व तैनात किए जा सके। (2) समिति ने यह भी सुझाव दिया कि राजभाषा विभाग हिन्दी टाइपिंग व हिन्दी स्टेनोग्राफी के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की व्यवस्था करें जहां पर हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन प्रशिक्षण केन्द्र विद्यमान हैं ताकि सरकारी कर्मचारी पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से हिन्दी टाईपिंग व हिन्दी स्टेनोग्राफी का प्रशिक्षण ले सके।

(ग) हिन्दी टाईपिंग, स्टेनोग्राफी व नोटिंग ड्राफ्टिंग को प्रोत्साहन राशि आकर्षक नहीं है।

इस बारे में समिति की यह राय थी कि राजभाषा विभाग हिन्दी में काम करने के लिए वर्तमान प्रोत्साहन राशि को और अधिक बढ़ाने पर विचार करे ताकि स्टाफ सरकारी काम हिन्दी में करने के लिए आकर्षित हो सके।

2. हिन्दी टाईपिंग व हिन्दी स्टेनोग्राफी के प्रशिक्षण के लिए नामित करते समय उप सचिव (प्रशा.) संबंधित अधिकारियों से बात कर लें ताकि नामित कर्मचारी ट्रेनिंग कक्षाओं में नियमित रूप से आते रहें।

इस बारे में अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि संबंधित प्रशासन अनुभाग उन क्लर्कों तथा स्टेनोग्राफरों की प्रभागवार सूचियां बनाए जिन्हें क्रमशः हिन्दी टाईपिंग व हिन्दी स्टेनोग्राफी में प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रत्येक प्रभाग से हर सत्र में हिन्दी टाईपिंग व हिन्दी स्टेनोग्राफी में प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रत्येक प्रभाग से हर सत्र में हिन्दी टाईपिंग व हिन्दी स्टेनोग्राफी के लिए क्रमशः एक क्लर्क और स्टेनोग्राफर अवश्य भेजा जाए।

3. मंत्रालय में स्थापित चैक प्वाइन्टों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आर. एण्ड आई. से अनुरोध किया जाए।

4. आर. एण्ड आई. सरकूलेशन और मेलिंग लिस्ट हिन्दी में तैयार करें ताकि पते हिन्दी में सही ढंग से लिखे जा सकें।

5. फर्नीचर आदि पर एम. एच. ए. के साथ साथ हिन्दी में "गृह मंत्रालय" भी लिखा जाए।

अवर सचिव (रोकड़) ने आश्वासन दिया है कि वह मंत्रालय के फर्नीचर आदि पद हिन्दी में गृह मंत्रालय शीघ्र लिखवाएंगे।

राजभाषा हिन्दी के बढ़ते चरण

1. खान विभाग में हिन्दी

खान विभाग यों तो मूलतः सभी प्रकार के खनिजों (परमाणु खनिजों को छोड़कर) के लिए सर्वेक्षण खोज और विकास तथा सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा, एल्यूमिनियम आदि अलोह धातुओं के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, लेकिन वह अपने सचिवालय, दोनों अधीनस्थ कार्यालयों और छहों सरकारी उपक्रमों में राजभाषा अधिनियम और उसके अन्तर्गत बने नियमों के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन में भी सन् 1981 से ही समान रूप से अग्रणी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। इस उपलक्ष्य में उसे विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के बीच 1981-82 का द्वितीय पुरस्कार "राजभाषा ट्राफी" तथा 1982-83 का प्रथम पुरस्कार "राजभाषा शील्ड" प्राप्त हुए हैं।

संविधान के अनुच्छेद 351 में हिन्दी के विकास के बारे में दिए गए विशेष निर्देशों के अनुसरण में खान विभाग ने खानों और खनिजों स उत्पन्न विवादों पर प्राप्त पुनरीक्षण याचिकाओं की सुनवाई के लिए गठित अपने न्यायाधिकरण में 1981 में यह तय किया था कि हिंदी क्षेत्रों के खनन पट्टों से संबंधित याचिकाओं पर अंतिम आदेश के रूप में पारित अर्द्ध-न्यायिक फैसले केवल हिन्दी में जारी किए जाएं। तद्नुसार 1981 से अब तक ऐसे लगभग 2000 फैसले और कलेंडर वर्ष 1984 में ऐसे 628 फैसले हिंदी में जारी किए जा चुके हैं।

गृह मंत्रालय द्वारा संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए जारी राजभाषा संबंधी वार्षिक कार्यक्रम का खान विभाग द्वारा बढ़-चढ़ कर पालन किया जा रहा है। विभाग के सचिवालय तथा सरकारी उपक्रम भारत एल्यूमिनियम कम्पनी और सुदूर कर्नाटक स्थित भारत गोल्ड माइन्स लि० ारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत सभी सामान्य आदेश, परिपत्र अधिसूचनाएं आदि शत-प्रतिशत द्विभाषी रूप में जारी की जाती हैं। हिन्दुस्तान जिंक लि०, खनिज गवेषण निगम, हिन्दुस्तान कॉपर लि०, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा भारतीय खान ब्यूरो द्वारा यह पालन 70–80 प्रतिशत के बीच हैं। हिन्दी पत्रों का सभी संगठनों द्वारा, भारतीय भू-सर्वे और भारतीय खान ब्यूरो के कुछ यूनिट कार्यालयों को छोड़कर, जहां हिंदी अनुवादक के पद नहीं हैं, हिंदी में जवाब दिया जा रहा है। मूल पत्राचार के प्रसंग में, हिंदी भाषी क्षेत्र की राज्य सरकारों, कार्यालयों और व्यक्तियों आदि को खान विभाग के सचिवालय, भारतीय एल्यूमिनियम कम्पनी तथा भारतीय खान ब्यूरो द्वारा क्रमशः 57 प्रतिशत, 37 प्रतिशत, और 36 प्रतिशत, मूल पत्र हिंदी में भजे गए। जबकि अन्य संगठनों से 2 से 20 प्रतिशत के बीच उपलब्धि यह है कि उसने भारतीय दूतावास ट्यूनीशिया को भी मूल पत्र हिंदी में भेजा तथा ईरान से फारसी में प्राप्त एक पत्र का उत्तर हिंदी में दिया।

मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति और विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से हुई। संगठनों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें उनके प्रधान अधिकारी की अध्यक्षता में हुई।

राजभाषा हिंदी के प्रयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में एक नया कदम हर वर्ष विभिन्न स्थानों पर बड़ी राजभाषा सेमिनार आयोजित करने का निर्णय किया है। खान विभाग की पहल पर अब तक दिल्ली, उदयपुर और विशाखापतनम में ऐसी तीन से मीनार का आयोजन किया जा चुका है। इसके अलावा, विभाग के सभी उपक्रमों और उनके प्रोजेक्ट कार्यालयों द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय दिवसों पर हिंदी कवि सम्मेलन, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं तथा नाटकों का आयोजन किया जाता है। इन सभी प्रयासों के फलस्वरूप, सभी जगह और विशेषतया आंध्र प्रदेश कर्नाटक और पं० बंगाल आदि में उन अहिंदी भाषी स्थानों पर हिन्दी के प्रति अच्छे वातावरण का सृजन हुआ है, जहां इन उपक्रमों के प्रतिष्ठान हैं।

विभाग के सभी संगठनों के पुस्तकालयों में हिंदी पुस्तक, पत्र-पत्रिकाएं खरीद कर कर्मचारियों को पढ़ने के लिए सुलभ की जाती हैं। उपक्रमों की प्रचार सामग्री और लेखन सामग्री मदें भी द्विभाषी रूप में तैयार की जाती हैं।

खान विभाग के अन्तर्गत तैयार माल सीसा, जस्ता, चांदी, ताम्बा और एल्यूमिनियम के पिण्डों व सिल्लियों पर तथा उर्वरक थैलों पर सभी प्रकार का अंकन हिंदी में करने का क्रम इस वर्ष भी जारी रहा।

इस वर्ष कर्मचारियों को हिंदी में प्रारूप और मसौदा लेखन का व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय खान ब्यूरो, हिंदुस्तान कॉपर लि०, खनिज गवेषण निगम और हिंदुस्तान जिंक कं० लि० के विभिन्न कार्यालय/केन्द्रों पर हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। हिन्दुस्तान जिंक लि० ने इस वर्ष अपनी विभिन्न इकाइयों में हिंदी के प्रसार-प्रचार के लिए लगभग 2.00 लाख रुपए का अलग बजट मंजूर किया है। भारत की अन्य प्रादेशिक भाषाओं के विकास में भी खान विभाग ने योगदान किया है। विभिन्न प्रदेशों में मौजूद खनिज सम्पदा के बारे में संबंधित प्रादेशिक भाषा में "अपना जिला जानिए" नामक पुस्तिकाएं बड़ी संख्या में जनता के पढ़ने के लिए सुलभ की गई हैं। इसके अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि प्रदेशों में स्थित विभाग के अधीन सरकारी कारखानों यूनिटों में कार्यरत स्थानीय मजदूरों को सभी हिदायतें और सूचनाएं हिन्दी और अंग्रेजी के साथ-साथ उनकी भाषा में जारी की जाती हैं। कुछ कारखाना स्थलों पर बहुभाषी कवि सम्मेलन और नाटकों का भी आयोजन किया जाता है।

खनिजों की खोज के लिए पूरे देश के व्यापक भू-सर्वेक्षण के क्षेत्रवार वार्षिक कार्यक्रम हिन्दी में भी जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा, खनिज वर्ष पुस्तक जैसे अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन भी हिन्दी में जारी किए जा रहे हैं। बाल्को वार्त्ता, बाल्को समाचार, जिंक वाणी, जिंक समाचार, खनिज संदेश, ताम्र संदेश, खान ब्यूरो समाचार आदि का सावधिक प्रकाशन इस वष भी नियमित रूप से जारी रहा।

ज्ञात-है वह बहुत प्रारंभिक अवस्था में है। लेखक द्वारा दी हुई विस्तृत जानकारी उनको अनुसंधान के लिए अवश्य प्रेरित करेगी।

जो वैज्ञानिक, इंजीनियर और रक्षा विभाग में कार्यरत हैं उनको भी यह पुस्तक लाभदायक होगी क्योंकि इसमें आरंभ से लेकर अब तक की स्थिति तक का लेखा-जोखा दिया है।

हिन्दी में वैज्ञानिक विषय पर यह पुस्तक सभी वर्गों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

—डा. हरि मोहन
प्रवक्ता
मोतीलाल नेहरू डिग्री कालेज

गृह मंत्रालय, दिल्ली

गृह मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक संयुक्त सचिव (प्रशासन) श्री एस. आर. आर्य की अध्यक्षता में 30 अप्रैल, 1985 को 119 सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :—

श्री एस. आर. आर्य, संयुक्त सचिव (प्रशासन)—अध्यक्ष, श्री मदन मोहन शर्मा, उप सचिव (प्रशासन)—सदस्य, श्री पी. ए. नरायण, उप सचिव (प्रिजन एंड सी. डी.)—सदस्य, श्री पी. विजयराघवन, उप सचिव (विदेश)—सदस्य, श्री जी. एस. बोयला, उप सचिव (टी. डी. सी.)—सदस्य, श्री एम. के. अग्रवाला, उप सचिव (सी. पी. ओ)—सदस्य, श्री मोती लाल चतुर्वेदी, उप निदेशक (राजभाषा विभाग)—सदस्य, श्री एम. बालागोपालन, अवर सचिव (रोकड़)—सदस्य, श्री ख्वाजा एम. शाहिद, वित्त सलाहकार—सदस्य, श्री विनय लेखडी, अनुभाग अधिकारी ((यू. टी. एस.)—सदस्य, श्री एम. एम. कपूर, अनुभाग अधिकारी (ए. एन. एल.)—सदस्य, श्री विजय सेठी, डेस्क अधिकारी—सदस्य, श्री टी. आर. सोढी, अनुभाग अधिकारी (एफ. सी. आर. ए.)—सदस्य, श्री पी. एल. कनौजिया, अनुभाग अधिकारी (आर. एण्ड आई.)—सदस्य, श्री गुरचरण सिंह, अनुभाग अधिकारी (प्रशासन-III)—सदस्य, श्री कैलाश चन्द्र हिन्दी अधिकारी—सदस्य—सचिव, श्री एम. एम. दरगन, हिन्दी अधिकारी।

अध्यक्ष महोदय संयुक्त (प्रशासन) ने उपस्थित सदस्यों तथा अधिकारियों का स्वागत करते हुए सभी से अनुरोध किया कि मंत्रालय के सरकारी काम में हिन्दी का प्रयोग राजभाषा नियमों व वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अधिकारी अपने स्तर पर फाइलों में रूटीन किस्म के नोट हिन्दी में लिखें। उन्होंने बताया इससे हिन्दी में काम करने की झिझक दूर होगी और साथ ही स्टाफ को भी हिन्दी में काम करने की प्रेरणा व प्रोत्साहन मिलेगा।

निम्नलिखित मदों पर विचार के बाद निर्णय लिए गए :—

1. मंत्रालय के सरकारी काम में हिन्दी के प्रयोग तथा राजभाषा नियमों के अनुपालन की स्थिति का निरीक्षण विस्तार से किया जाए और उन कारणों का पता लगाया कि यह कमी किस वजह से है।

मंत्रालय के सरकारी काम में हिन्दी का प्रयोग अधिक न बढ़ पाने के निम्नलिखित कारण हैं :—

(क) प्रत्येक अनुभाग अलग हिन्दी टाइपिस्ट की मांग करता है।

इस बारे में यह महसूस किया गया कि जब तक हिन्दी टाइपिस्टों के अतिरिक्त पद बनाने की व्यवस्था नहीं होती है तब तक स्वीकृत स्टाफ के अलावा अतिरिक्त हिन्दी टाइपिस्ट देना संभव नहीं होगा।

(ख) प्रशिक्षण रिजर्व के अभाव में हिन्दी टाइपिंग व स्टेनोग्राफी के प्रशिक्षण के लिए कर्मचारियों को छोड़ना संभव नहीं है।

इस संबंध में यह सहमति थी कि अच्छा यह होगा कि राजभाषा विभाग (1) हिन्दी स्टेनोग्राफी व हिन्दी टाइपिंग के लिए पूर्णकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चालू करने पर विचार करे ताकि ट्रेनिंग रिजर्व तैनात किए जा सके। (2) समिति ने यह भी सुझाव दिया कि राजभाषा विभाग हिन्दी टाइपिंग व हिन्दी स्टेनोग्राफी के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की व्यवस्था करें जहां पर हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन प्रशिक्षण केन्द्र विद्यमान हैं ताकि सरकारी कर्मचारी पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से हिन्दी टाइपिंग व हिन्दी स्टेनोग्राफी का प्रशिक्षण ले सके।

(ग) हिन्दी टाइपिंग, स्टेनोग्राफी व नोटिंग ड्राफ्टिंग को प्रोत्साहन राशि आकर्षक नहीं है।

इस बारे में समिति की यह राय थी कि राजभाषा विभाग हिन्दी में काम करने के लिए वर्तमान प्रोत्साहन राशि को और अधिक बढ़ाने पर विचार करे ताकि स्टाफ सरकारी काम हिन्दी में करने के लिए आकर्षित हो सके।

2. हिन्दी टाइपिंग व हिन्दी स्टेनोग्राफी के प्रशिक्षण के लिए नामित करते समय उप सचिव (प्रशा.) संबंधित अधिकारियों से बात कर लें ताकि नामित कर्मचारी ट्रेनिंग कक्षाओं में नियमित रूप से आते रहें।

इस बारे में अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि संबंधित प्रशासन अनुभाग उन क्लर्कों तथा स्टेनोग्राफरों की प्रभागवार सूचियां बनाए जिन्हें क्रमशः हिन्दी टाइपिंग व हिन्दी स्टेनोग्राफी में प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रत्येक प्रभाग से हर सत्र में हिन्दी टाइपिंग व हिन्दी स्टेनोग्राफी में प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रत्येक प्रभाग से हर सत्र में हिन्दी टाइपिंग व हिन्दी स्टेनोग्राफी के लिए क्रमशः एक क्लर्क और स्टेनोग्राफर अवश्य भेजा जाए।

3. मंत्रालय में स्थापित चैक प्वाइन्टों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आर. एण्ड आई. से अनुरोध किया जाए।

4. आर. एण्ड आई. सरकूलेशन और मेलिंग लिस्ट हिन्दी में तैयार करें ताकि पते हिन्दी में सही ढंग से लिखे जा सकें।

5. फर्नीचर आदि पर एम. एच. ए. के साथ साथ हिन्दी में "गृह मंत्रालय" भी लिखा जाए।

अवर सचिव (रोकड़) ने आश्वासन दिया है कि वह मंत्रालय के फर्नीचर आदि पद हिन्दी में गृह मंत्रालय शीघ्र लिखवाएंगे।

6. छोटे-छोटे नेमी किस्म के अंग्रेजी वाक्यांशों, नोटों का सरल हिन्दी रूपान्तर उपलब्ध कराया जाए ताकि फाइलों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ सके।

7. गृह मंत्रालय में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन।

यह निर्णय लिया गया कि बजट सत्र के बाद यथा-प्रस्तावित प्रतिदिन 2-2 घंटे की कार्यशाला चलाई जाए जिसकी अवधि एक सप्ताह होगी।

उप सचिव (सी. पी. ओ.) ने प्रस्ताव किया कि मंत्रालय के उन अधिकारियों को हिन्दी स्टेनोग्राफर की सुविधा उपलब्ध की जाए जो समय-समय पर डिक्टेशन देना चाहते हैं। इस प्रस्ताव पर समिति ने विचार किया। आम सहमति यह थी कि मंत्रालय में स्टेनोग्राफरों का एक पूल बनाने के बारे में विचार किया जाए ताकि जो अधिकारी हिन्दी में डिक्टेशन देना चाहे वे इस पूल की सेवाएं ले सकें।

समिति के सामने यह प्रस्ताव भी आया कि उन आगुन्तकों (विजिटर्स) के पास हिन्दी में बनाए जाए जो स्वागत कार्यालयों (रिसेप्शन आफिसों) के रजिस्टरों (विजिटिंग रजिस्टर्स) में प्रविष्टियां हिन्दी में करते हैं।

समिति ने इस प्रस्ताव पर विचार किया और इस प्रस्ताव पर पूर्ण सहमति प्रदान की।

कैलाश चन्द्र,
हिन्दी अधिकारी
गृह मंत्रालय

हिसार

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति हिसार की बैठक उत्तरी क्षेत्र कृषि यान्त्र प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, हिसार के सभाकक्ष में दिनांक 9-4-85 को 3-00 बजे, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि श्री एम. एल. मैत्रेय की उपस्थिति में, बैठक की अध्यक्षता उत्तरी क्षेत्र कृषि यान्त्र प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, हिसार के निदेशक श्री वी. ए. पाटिल ने की। हिसार स्थित निम्नलिखित केन्द्रीय कार्यालयों बैंकों तथा भारत सरकार के अन्य उपक्रमों/निगमों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया :—

1. श्री वी. ए. पाटिल, निदेशक, उ. क्षे. कृ. या. प्रशि. एवं परी. संस्थान, हिसार।
2. श्री एम. एल. मैत्रेय, अनु. अधि. रा. भा. वि. गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. श्री एस. पी. सिंगला, प्रबंधक-पंजाब नेशनल बैंक, हिसार।
4. राजेन्द्र तिवारी, वरि. परी. अभि. उ. क्षे. या. प्रशि. एवं परी, संस्थान, हिसार।
5. श्री जे. सी. सहगल, शाखा प्रबंधक-सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया, हिसार।
6. श्री सुखबीर सिंह छिक्कारा, भण्डारी-क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, हिसार।
7. श्री बी. डी. झाब, वरि. प्र. अधि. उ. क्षे. कृ. या. प्रशि. एवं, परी. संस्थान हिसार।
8. श्री महेश विश्वकर्मा, वरि. प्रशिक्षक, उ. क्षे. कृ. या. प्रशि. एवं परी. संस्थान, हिसार।
9. कु. कैलाश रानी, नि. श्रे. लि., क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन कन्द्र हिसार।
10. डा. वी. वासुदेवन, निदेशक केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म हिसार।
11. नरेन्द्र कश्यप, प्र.श्रे. लि., केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार।
12. श्री वी. पी. जैन, दूरदर्शन रिले केन्द्र हिसार।
13. श्री जे. एम. गुप्ता, भारतीय स्टेट बैंक, हिसार।
14. श्री बुध प्रकाश वर्मा, प्रश. अधि., उ. क्षे. कृ. या. प्र. एवं परी. संस्थान, हिसार।
15. श्री एल. आर. गोयल, शाखा प्रबंधक, बैंक आफ बड़ौदा. हिसार।
16. राम कुमार शर्मा, हिन्दी अनुवादक, उ. क्षे. क. या. प्र शि एवं परी. संस्थान, हिसार।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में विभागाध्यक्षों द्वारा भाग लेने के संबंध में अध्यक्ष ने कहा कि विभागाध्यक्षों द्वारा इन बैठकों में आने से सरकार को राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। साथ ही अनुरोध किया कि वे अपने-2 कार्य क्षेत्र में सरकार की राजभाषा नीति को कार्यान्वित करने के संबंध में सकारात्मक रवैया अपनाये।

राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि ने उपस्थित प्रतिनिधियों से उनके कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति के संबंध में जानना चाहा।

पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक श्री एस. पी. सिंगला ने बताया कि उनके बैंक में अधिकतर कार्य अंग्रेजी में हो रहा है। हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के संबंध में प्रयोग में आने वाले सभी फार्म द्विभाषी हैं। हिन्दी में प्राप्त चैकों को स्वीकृत किया जाता है। कोशिश करेंगे कि विभागीय पत्र-व्यवहार में हिन्दी का प्रयोग किया जाए।

उत्तरी क्षेत्र कृषि यन्त्र एवं प्रशिक्षण संस्थान हिसार के श्री बुध प्रकाश ने बताया कि इस संस्थान में हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाता है। और श्रेणी "घ" के कर्मचारियों से पत्र-व्यवहार हिन्दी में किया जाता है, सभी आदेश/परिपत्र अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी जारी किए जाते हैं और प्रयोग में आने वाली सभी रबड़ स्टैंपें द्विभाषी हैं या केवल हिन्दी में हैं। इसके साथ-साथ सभी फाम द्विभाषी हैं।

सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के शाखा प्रबंधक श्री ज. सी. सहगल ने बताया कि उनके बैंक में लगभग साठ प्रतिशत कार्य हिन्दी में हो रहा है। और सभी फार्म द्विभाषी हैं। पास बुक पर नाम, पता हिन्दी में लिखते हैं। खातों में प्रविष्टियां हिन्दी में की जाती हैं।

बैंक आफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक श्री एन. आर. गोयल ने बताया कि उनके बैंक के सभी नोटिस हिन्दी में जारी किए जाते हैं। रबड़ स्टेम्प बहुत सी हिन्दी में बनवा ली गई हैं और बहुत सी अंग्रेजी में भी हैं।

दूरदर्शन केन्द्र के श्री वी. पी. जैन ने बताया कि उनका मुख्यालय मण्डी हाउस दिल्ली में है और स्टाफ बहुत कम है जिसके कारण विभागीय पत्र व्यवहार न के समान है।

क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र के भण्डारी श्री सुखबीर सिंह छिक्कारा ने बताया कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिए जाते हैं और आदेश/परिपत्र आदि भी हिन्दी में निकाले जाते हैं।

केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म के निदेशक डा. वी. वासुदेव ने बताया कि उनके यहां 150 कर्मचारियों का स्टाफ है मगर हिन्दी अनुवादक व हिन्दी टंकक का कोई पद नहीं है, जबकि इस संबंध में मंत्रालय को कई बार लिखा जा चुका है इसके साथ यह भी बताया कि उनकी हर संभव कोशिश यह रहती है कि हिन्दी का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाय।

हिसार "क" क्षेत्र में आता है। इसलिए इस क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से जारी होने वाले कुल पत्रों में से दो-तिहाई पत्र हिन्दी में होने चाहिए। 50 प्रतिशत टाइपराइटर हिन्दी के हों तथा प्रत्येक कार्यालय में एक देवनागरी टाइपराइटर का होना जरूरी है। हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का अनिवार्य रूप से हिन्दी में उत्तर दिया जाता है। राष्ट्रपति महोदय के आदेशानुसार भारत सरकार के कार्यालयों के निम्न श्रेणी लिपिकों/आशुलिपिकों के लिए क्रमशः हिन्दी टंकण/हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण अनिवार्य है। हिन्दी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रतिमास रुपये 20 व 30 प्रतिमास विशेष भत्ता दिए जाने का प्रावधान है। केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पण और आलेखन में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों और उनके अधीनस्थ कार्यालय अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए स्वतंत्र रूप से इस योजना को लागू कर सकते हैं जिसमें पहला पुरस्कार (2) प्रत्येक 400 रु., दूसरा पुरस्कार (3) प्रत्येक 200 रु., तृतीय (5) प्रत्येक 150 रु.।

कर्मचारियों/अधिकारियों को हिन्दी में कार्य करके पुरस्कार योजना का लाभ उठाना चाहिए।

—बुध प्रकाश शर्मा
सचिव नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
एवं प्रशासन अधिकारी

अजमेर

अपर मण्डल रेल प्रबन्धक, अजमेर की अध्यक्षता में मण्डल कार्यालय पश्चिम रेलवे, अजमेर के सभा कक्ष में दिनांक 22-4-85 को 11.00 बजे नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अध्यक्षता श्री अमरेन्द्र सहाय, अध्यक्ष नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के आवश्यक तथा अपरिहार्य कार्यवश जयपुर चले जाने के कारण श्री हजारीलाल बरुआ, अपर मण्डल रेल प्रबन्धक एवं उपाध्यक्ष नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने की। उन्होंने बैठक में पधारे सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया तथा कहा कि बैठक का मुख्य प्रयोजन केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में हिन्दी का निरन्तर प्रयोग बढ़ाना तथा उसका प्रचार-प्रसार करना है। उन्होंने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे इस समिति की बैठकों में समय-समय पर लिये गये निर्णयों को अपने-अपने विभागों में लागू करने और समिति के समक्ष नए सुझाव प्रस्तुत करने में हमें अपना सहयोग दें।

तत्पश्चात् समिति के सचिव श्री नरेन्द्र नाथ मल्होत्रा ने हिन्दी की प्रगति के संबंध में मदवार समीक्षा प्रस्तुत की। उन्होंने सभी सदस्यों से विशेष रूप से उन कार्यालयों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि जहां प्रगति लक्ष्य से कम है, मूल पत्रों को हिन्दी में जारी करने के संबंध में अगामी 6 महीनों में उल्लेखनीय प्रगति करने का प्रयास करें।

सचिव ने समिति को बताया कि इस समिति को अधिक कारगर तथा प्रभावी बनाने के लिये 1983 में तीन उप समितियों का गठन किया गया था। उप समिति न. 1 की पिछले वर्ष एक बैठक आयोजित की गयी थी जबकि समिति न. 3 की बैठक बुलाई जा चुकी है।

समिति को बताया गया कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, अजमेर की ओर से स्मारिका प्रकाशित करने के संबंध में कुछ समय पहले निर्णय लिया गया था और समिति के अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया गया था कि इस उद्देश्य के लिए अधिक से अधिक धनराशि जुटाने का प्रयत्न करें। समिति को बताया गया कि कार्यालयों द्वारा विभिन्न विज्ञापनों के प्रकाशन के सम्बन्ध में अभी तक कुल 11,100.00 रुपये की राशि जुटायी गयी है।

सचिव ने श्री भाटिया, अवर सचिव, राजभाषा विभाग से अनुरोध किया कि वे हिन्दी के पदों के सृजन के लिए लगी रोक में छूट दिलाने के संबंध में इस समिति की भावना उच्च अधिकारियों के समक्ष रखें क्योंकि विभिन्न कार्यालयों में अनुवाद मशीनरी उपलब्ध न होने के कारण हिन्दी की प्रगति में काफी कठिनाई आती है।

सचिव ने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी प्रोत्साहन योजनाओं का अपने कर्मचारियों में व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करें और उन्हें इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें।

श्री सी. एल. भाटिया, अवर सचिव, राजभाषा विभाग ने समिति को संबोधित करते हुए कहा कि राजभाषा विभाग द्वारा 1985-86 का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के तथा माननीय गृह मंत्री जी के संदेश भी राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित कार्यक्रम में विद्यमान हैं। यह हम सबका कर्तव्य है कि हम सब उनकी भावना के अनुकूल कार्य करें। श्री भाटिया ने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे सभी कार्यालयों में चैक प्वाइन्टों को सुदृढ़ बनाये, धारा 3(3) का अक्षरक्षः पालन करें तथा मूल पत्रों के सम्बन्ध में भी और अधिक सुधार लाने का प्रयत्न करें। श्री भाटिया ने बताया कि वे हिन्दी के पदों के सृजन के संबंध में लगी रोक में छूट दिलाने के बारे में समिति के विचार उच्च अधिकारियों के समक्ष रखेंगे और आशुलिपिकों के हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण के बारे में भी अपेक्षित कार्रवाई की जायेगी।

डा. कृष्ण मोहन माथुर अपर पुलिस उप महानिरीक्षक पार्टी न. 2 ने बताया कि उनके कार्यालय में हिन्दी का केवल एक टाइपराइटर है। अतः अंग्रेजी टाइपराइटरों की कमी केवल तभी पूरी कर सकते हैं जब हिन्दी टाइपराइटरों की संख्या बढ़ाई जाये। उन्होंने अवर सचिव, राजभाषा विभाग से अनुरोध किया कि वे हिन्दी के और टाइपराइटर खरीदने के लिए गृह मंत्रालय की स्वीकृति भिजवाने का कष्ट करें। समिति

के सचिव द्वारा यह सुझाव दिया गया कि यदि नये हिन्दी टाइपराइटर खरीद पाना संभव न हो तो वे अपने कुछ अंग्रेजी टाइपराइटरों का "की-बोर्ड" रोमन से देवनागरी में बदलवा सकते हैं। डा. माथुर ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया।

एन. एन. मलहोत्रा,
सचिव नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति,
अजमेर।

कोटा

राजभाषा विभाग भारत सरकार की हिदायतों के अनुसार कोटा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सातवीं बैठक दिनांक 18 जून 1985 को मण्डल राजभाषा अधिकारी एवं अपर मण्डल रेल प्रबंधक श्री गगनप्रकाश हांडा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। श्री पूर्णानन्द जोशी वरिष्ठ भाषान्तरकार राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय नई दिल्ली इस बैठक में उपस्थित थे। समिति की सदस्य संख्या 42 है, जिनमें से 21 सदस्य उपस्थित हुए।

मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त नगर के अन्य कार्यालयों/प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि भी बैठक में उपस्थित थे।

प्रारम्भ में अध्यक्ष ने श्री जोशी जी व अन्य उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। अपने संभाषण में अध्यक्ष ने कई कार्यालयों के विभागाध्यक्षों की अनुपस्थिति पर खेद प्रकट किया साथ ही नगर के कार्यालयों में सम्पादित कार्य पर संतोष व्यक्त किया और अपेक्षा की कि राजभाषा अधिनियम/नियमों की अनिवार्यताएं शीघ्र पूरी की जाएं।

तत्पश्चात् समिति के सचिव एवं सहायक हिन्दी अधिकारी श्री ताराचन्द ने प्रारंभिक रिपोर्ट में भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम (1984-85) के कार्यान्वयन के संदर्भ में अनुवाद प्रशिक्षण एवं विभागों में हिन्दी से संबंधित प्रगति का ब्यौरा प्रस्तुत किया। हिन्दी अनुवादक, टाइपिस्ट के पदों का सृजन, कार्यशालाओं की समुचित व्यवस्था, अधिकारियों की हिन्दी के कार्य में रूचि जागृत करना, हिन्दी के सुगम शब्दों का अधिक प्रयोग, हिन्दी में काम करने वाले कर्मचारियों को अधिकाधिक पुरस्कार दिए जायें, अनुवाद संबंधी कठिनाइयों, प्रेस विज्ञप्ति में द्विभाषीकरण में छूट, रबड़ की मोहरों के द्विभाषीकरण एवं मानक प्रारूपों के संबंध में विभिन्न कार्यालयों से सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्राप्त सुझाव पढ़ कर सुनाएं।

चर्चा में जिला अफीम अधिकारी श्री रामकृष्ण खण्डेलवास, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के राजभाषा अधिकारी श्री प्रेमचन्द्र बैरवा, राजभाषा परमाणु विजलीघर के जनसंपर्क अधिकारी श्री किशनप्रसाद टण्डन, प्रबंधक पंजाब नैशनल बैंक, रामपुरा आजार श्री उदयशंकर भार्गव, सहायक आयुक्त भविष्य निधि श्री पुरूषोत्तमदास खण्डेवाल एवं सूचना अधिकारी पत्र सूचना कार्यालय श्री एस. पी. जैन ने भाग लिया।

तत्पश्चात् मुख्य अतिथि श्री पूर्णानन्द जोशी ने उपर्युक्त वक्ताओं द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं शंकाओं का समाधान करने से पूर्व राजभाषा के संबंध में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के संदेश को पढ़कर सुनाया तथा कतिपय कार्यालयों में धारा 3(3) के अनुपालन में तथा अन्य प्रावधानों के अनुपालन में आई शिथिलता को दूर करने पर जोर दिया। श्री जोशी ने रेलवे के मण्डल कार्यालय तथा अन्य कार्यालयों द्वारा दि॰ जा रहे कार्यों पर संतोष प्रकट करते हुए कहा कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एक समन्वित केन्द्रीय मंच है जिसमें जीवन्त चर्चा एवं सक्रिय प्रयासों के माध्यम से हिन्दी को उचित स्थान पर प्रतिष्ठित किया जा सकता है।

गगन प्रकाश हांडा
मंडल राजभाषा अधिकारी
एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक, कोटा

गोरखपुर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, गोरखपुर की बैठक श्री चिन्मय चक्रवर्ती, मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं मुख्य कार्मिक अधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे।

श्री उमाकान्त श्री वास्तव, प्रवर हिन्दी अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे एवं सदस्य सचिव, श्री चन्द्रोमौलि मणि, सर्व कार्यभारी अधिकारी, श्री के. के. पाण्डे, संयुक्त निदेशक (तकनीकी) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, श्री डी एन. दूबे, प्रबंधक पंजाब नैशनल बैंक, श्री आर. पी. गिरी, विंग कमान्डर (वायु सेना), श्री वी एन. सिंह, सहायक समाहर्ता (उत्पादन शुल्क), श्री एल. सी. दूबे. अधिकारी (स्टेट बैंक), श्री राम व्यास पाण्डेय, प्रवर अधीक्षक (डाक), श्री के. प्रसाद प्रवर अभियन्ता (बेतार अनुश्रवण), श्री अब्दुल हई अन्सारी, पेंशन भुगतान अधिकारी, श्री डी. डी. क्पूर, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (भारतीय उर्वरक निगम) श्री र. प्रसाद, श्रीवास्तव, आयकर अधिकारी (आयकर विभाग), श्री ए. के. गुप्ता, राजभाषा अधिकारी, (सैन्ट्रल बैंक), श्री वालेश्वर सिंह, प्रभारी अधीक्षक, केन्द्रीय तारघर, श्री सुखचन्द मिश्र, अधीक्षण इंजीनियर, आकाशवाणी, श्री उदयभान मिश्र, सहायक केन्द्र निदेशक, दूरदर्शन, श्री पंचदेव उपाध्याय, क्षेत्रीय प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, श्री रामलखन सिंह, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे, श्री विष्णु मोहन पाण्डेय, राजभाषा अधिकारी, मु. श्री देवेन्द्र कुमार भारती, सहायक हिन्दी अधिकारी, गोरखपुर, श्री कुवंर सिंह विष्ट. उर्वरक निगम, श्री विनोद कुमार मिश्र, आकाशवाणी, श्री टी. के, चटर्जी, आयकर आयुक्त, श्री ब्रह्मानन्द सिंह, मुख्य प्रचार निरीक्षक।

बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए समिति के अध्यक्ष, श्री चिन्मय चक्रवर्ती ने बताया कि यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब देश की रचना और अखंडता के लिए खतरा अनुभव किया जा रहा है। श्री चक्रवर्ती ने राजभाषा की उपादेयता पर प्रकाश डालते हुए व्यक्त किया कि देश की अखंडता सर्वोपरि है फलस्वरुप हमारे युवा प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने भी सभी देशवासियों को एकजुट होकर कार्य करने का आहवान किया है। उन्होंने आगे कहा कि देश का हर समझदार नागरिक यह अनुभव कर रहा है कि देश की राजभाषा हिन्दी ही है जो पूरे देश को एक बनाए रखने के लिए सहायक हो सकती है। अतः राजभाषा के प्रचार–प्रसार के लिए अथक प्रयास किया जाना

चाहिए। केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर इसके प्रचार-प्रसार के अनुपालन का दायित्व है। इसी उद्देश्य से क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न केन्द्रीय कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गयीं हैं।

श्री चक्रवर्ती ने बताया कि सभी सदस्य राजभाषा संबंधी संविधान की व्यवस्था से भलीभांति परिचित हैं, फिर भी कुछ मूलभूत बातों का उल्लेख करना चाहूंगा यथा :—

(क) राजभाषा नियम 1967 की धारा 3(3) के तहत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक या अन्य प्रशासनिक रपट, प्रेस विज्ञप्तियां, संविदा, करार, लाइसेंस, परमिट, नोटिस, टेंडर फार्म आदि सरकारी दस्तावेज हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करने की बाध्यता है।

(ख) राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4) के अन्तर्गत हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को टिप्पण, प्रारूप लेखन तथा पत्राचार हिन्दी में करनें की अनिवार्यता है।

(ग) इसी प्रकार राजभाषा नियम 1976 के अनुसार बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश तथा केन्द्र शासित दिल्ली प्रदेश "क" क्षेत्र के अन्तर्गत हैं, अतः इन राज्यों से पत्र-व्यवहार हिन्दी में ही किया जाना चाहिए।

श्री चक्रवर्ती ने गोरखपुर नगर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अनुरोध किया कि गोरखपुर पूर्वांचल का एक प्रमुख नगर है और राजभाषा नियम के अनुसार "क" क्षेत्र में स्थित है। फलस्वरूप यह आवश्यक है कि हम राजभाषा अधिनियमों/नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित् करें। गोरखपुर में कार्यरत अधिकांश अधिकारी कर्मचारी हिन्दी में प्रवीणता/कार्य साधक ज्ञान रखते हैं। उनके लिए राजभाषा अधिनियमों/नियमों के अनुपालन में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। उन कर्मचारियों को भी जो हिन्दी भाषी नहीं हैं या वे जिन्हें हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान है हिन्दी में काम करनें में कठिनाई अवश्य हो सकती है लेकिन वे प्रयास करें तो धीरे-धीरे हिन्दी में काम कर सकते हैं।

सरल हिन्दी के प्रयोग पर प्रकाश डालते हुए अध्यक्ष नें बताया कि हम सरकारी कामकाज में सरल, सुबोध और बोलचाल की भाषा का प्रयोग करें जिससे उन अधिकारियों को जो हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं, हिन्दी में लिखी गई फाइलों को निपटाने में कोई असुविधा न हो। हम कठिन हिन्दी का प्रयोग न करें बल्कि मिले-जुले शब्दों को ही देवनागरी लिपि में लिखे।

पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक एवं मुख्य अतिथि श्री विजयपाल चौबे ने राजभाषा नियम 1976 के अनुपालन की चर्चा करते हुए कहा कि नियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रत्येक कार्यालय का प्रधान कार्य है और राजभाषा नियमों का अनुपालन एक संवैधानिक दायित्व है। फलस्वरूप प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा अधिनियम/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित् किया जाना चाहिए।

समिति के सचिव एवं प्रवर हिन्दी अधिकारी श्री उमाकान्त श्रीवास्तव ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के उद्देश्य तथा समिति के गठन की चर्चा करते हुए बताया कि इस समय संपूर्ण भारत वष में लगभग 75 राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की जा चुकी हैं, अतः इन समितियों के गठन से निःसंदेह केन्द्रीय कार्यालयों के सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ा है।

प्रत्येक विभाग में अंग्रेजी तथा हिन्दी टाइपराइटरों के तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत करते हुए सचिव ने बताया कि कुछ विभागों में हिन्दी की अपेक्षा अंग्रेजी टाइपराइटरों की संख्या अधिक है जबकि राजभाषा नीति के अनुसार हिन्दी-अंग्रेजी टाइपराइटरों की संख्या लगभग बराबर होनी चाहिए। ऐसे विभागों का उल्लेख करते हुए सचिव ने बताया कि पंजाब नेशनल, बैंक, सीमाशुल्क विभाग ऐसे कार्यालय हैं जहां पर अभी भी हिन्दी टाइपराइटर अंग्रेजी टाइपराइटरों की तुलना में कम हैं। सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे प्रत्येक वर्ष हिन्दी के टाइपराइटर इस अनुपात में खरीदें जिससे कि प्रत्येक आशुलिपिकों और टंककों को हिन्दी टाइपराइटर उपलब्ध हो सकें।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का उल्लेख करते हुए सचिव ने बताया कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सभी इकाइयों में इस दिशा में संतोषजनक प्रगति हुई है तथा सभी इकाइयों में हिन्दी पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिये जाते हैं तथा पत्राचार भी हिन्दी में ही किया जाता है।

देवनागरी में तार भेजने संबंधी विषय पर चर्चा करते हुए सचिव ने बताया कि विगत 3 महीनों में भारतीय उर्वरक निगम से कुल 50 तार केवल अंग्रेजी में भेजे गए जबकि राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित कार्यों के अन्तर्गत 1984-85 के अन्तर्गत कम से कम 25 प्रतिशत तार देवनागरी में भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

राजभाषा संबंधी पुरस्कार योजनाओं के अन्तर्गत समय-समय पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी चाहिए। आशुलेखन टंकण प्रतियोगिताएं, हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिताएं अहिन्दी भाषी कर्मचारियों के लिए निबंध एवं वाक् प्रतियोगिताओं के आयोजन भी राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए सहायक हैं।

गोरखपुर में हिन्दी शिक्षण योजना की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए सचिव ने बताया कि गृह मंत्रालय के हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत पूर्वोत्तर रेलवे पर हिन्दी आशुलिपिक एवं हिन्दी टंकण प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने यहां के अप्रशिक्षित कर्मचारियों को इस केन्द्र में भेजकर प्रशिक्षण की व्यवस्था से लाभ उठाएं।

भारतीय उर्वरक निगम के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्री देवीदत्त कपूर ने बताया कि उर्वरक निगम में हिन्दी आशुलेखन एवं टंकण प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था है। उनके यहां इस समय 20 हिन्दी टंकण मशीनें हैं जो उनकी आवश्यकता के अनुरूप हैं।

डाक-तार विभाग के प्रवर अधीक्षक ने डाक-तार विभाग की राजभाषा प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया कि उनके विभाग में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि तारघर में हिन्दी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तार भेजने की सुविधा है। उन्होंने आगे बताया कि उनके विभाग में यदि कोई पत्र "क" क्षेत्र से अंग्रेजी में भी आता है तो उसका उत्तर हिन्दी में ही दिया जाता है।

बेतार अनुश्रवण केन्द्र के प्रतिनिधि ने अपने विभाग की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया कि अगर देवनागरी टेलीप्रिंटर की व्यवस्था हो जाए तो हिन्दी में तार भेजने में सुविधा हो सकती है।

दूरदर्शन विभाग के प्रतिनिधि डा. उदयभान मिश्र ने अपने विभाग से संबंधित राजभाषा की प्रगति की रपट प्रस्तुत करते हुए बताया कि अंग्रेज़ी की अपेक्षा हिन्दी में तार प्रेषण सस्ता पड़ता है और वह समय से ही गन्तव्य स्थान पर पहुंचता है।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के प्रतिनिधि ने अपने विभाग की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि उनके विभाग में 60 से 70 प्रतिशत पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग होता है। कुछ प्रशासनिक कार्यों में लगभग शत-प्रतिशत हिन्दी का प्रयोग किया जा रहा है। कुछ तकनीकी कार्यों में कठिनाई अवश्य महसूस की जाती है जिसके निराकरण के लिए प्रयास किया जाता है। उन्होंने अपने विभाग में हिन्दी टंकण मशीनों की कमी की चर्चा करते हुए बताया कि इस दिशा में वे प्रयास कर रहे हैं।

वायुसेना विभाग के विंग कमाण्डर श्री आर. पी. गिरि ने अपने विभाग की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि उनके विभाग में हिन्दी के कार्य के लिए एक हिन्दी सेल है जिसके माध्यम से हिन्दी में काम करने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा वायु सेना विभाग में अंग्रेजी जानने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की ही नियुक्ति होती है जो अंग्रेज़ी बोल सकें और लिख सकें। क्योंकि वायुसेना विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारी अंग्रेज़ी में ही वार्तालाप करते हैं और कार्य का निष्पादन सुनिश्चित् करते हैं। अब हिन्दी भाषी कर्मचारियों की भी नियुक्ति की जा रही है। जो पत्र रक्षा मंत्रालय से हिन्दी में आता है उसका उत्तर हिन्दी में ही दिया जाता है। अब कुछ नक्शे, चार्ट आदि भी हिन्दी में ही तैयार किए जा रहे हैं।

वायुसेना विभाग में हिन्दी टंकक एवं हिन्दी आशुलिपिक एवं हिन्दी अनुवादक की कठिनाई नहीं है लेकिन जो कर्मचारी अंग्रेज़ी नहीं जानता उसके साथ कठिनाई अवश्य है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण काल में भी उनको अंग्रेज़ी बोलने का अभ्यास कराया जाता है। उन्होंने अनुरोध किया कि रक्षा मंत्रालय में भी हिन्दी का प्रयोग होना चाहिए और अधिक से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति हिन्दी भाषी क्षेत्र से की जानी चाहिए। श्री गिरि ने गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री के. के. पाण्डेय से अनुरोध किया कि वे रक्षा मंत्रालय द्वारा वायु सेना विभाग में हिन्दीभाषी क्षेत्र के निवासियों की नियुक्ति की छूट प्रदान कराएं। उन्होंने यह भी बताया कि हमारे यहां "कोड" अंग्रेज़ी में है जो परम गोपनीय होता है। फलस्वरूप उनको आसानी से सार्वजनिक प्रयोग के लिए हिन्दी में नहीं बनाया जा सकता।

उमाकान्त श्रीवास्तव
सचिव, नगर राजभाषा
कार्यान्वयन समिति, गोरखपुर

आगरा

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, आगरा की बैठक सिंडीकेट बैंक के सौजन्य से दिनांक 19 दिसम्बर, 1984 को प्रात: 10.30 बजे होटल मुमताज आगरा में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता माननीय श्री त्रिलोकी नाथ पाण्डे, आई.आर.एस. आयकर आयुक्त, आगरा ने की और भारत सरकार के गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र चरण मिश्र मुख्य अतिथि थे। बैठक में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों विभागों, बैंकों एवं निगमों के अध्यक्षों ने भाग लिया।

मुख्य अतिथि श्री देवेन्द्र चरण मिश्र नें माँ सरस्वती देवी को माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित करके बैठक का शुभारंभ किया। कु. शबरी, आयकर आधिकारी द्वारा सरस्वती वंदना के बाद बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

सभी सदस्यों ने पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की। अधिकारियों ने अपने-अपने कार्यालयों में वर्ष 1984-85 के लिए निर्धारित वार्षिक कार्यान्वयन की स्थिति तथा हिन्दी की प्रगति पर प्रकाश डाला। सामान्य तौर पर देखने में आया कि प्रगति सभी कार्यालयों में हो रही है।

सिंडीकेट बैंक से राजभाषा अधिकारी डा. भारद्वाज ने कहा कि मध्यकाल में उर्दू के वर्चस्व के बावजूद भी हिन्दी सम्पूर्ण भारत की संपर्क भाषा थी और अंग्रेजी राज्य में अंग्रेजी का वर्चस्व होने पर भी स्वाधीनता आन्दोलन तक की भाषा बनी रही। पराधीन भारत सरकार का मतलब जनता पर हुकूमत करना था। आजाद भारत में सरकार का मतलब है जनता की सेवा करना और जनता की सेवा उसी की भाषा में की जा सकती है विदेशी भाषा में नहीं।

केनरा बैंक के मण्डल प्रबंधक श्री पी. के. एन. कामथजी ने अपने यहां की हिन्दी के प्रयोग से संबंधित स्थिति के बारे में बताते हुए कहा कि बैंक एक जनसेवी संस्था है जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए हमें उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हिन्दी को राजभाषा के रूप में अपनाएं जाने में उनका बैंक पीछे नहीं रहा है। राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संदभ आयोजित प्रतियोगिता में इस मण्डल ने "क" क्षेत्र में सवप्रथम स्थान प्राप्त कर शील्ड प्राप्त की है। इस स्थिति को वे आगे चलकर भी बनाये रखेंगे। उन्होंने कहा कि वह भरसक प्रयत्न करते रहेंगे, जिससे कि यह सम्मान भविष्य में भी उन के मण्डल को मिलता रहे।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि अधिकारी श्री आर. एस. माथुर ने कहा कि उनके यहां नक्शे आदि भी हिन्दी में बन रहे हैं।

केन्द्रीय जल आयोग के अधिशासी अभियन्ता श्री भगवान दास पटैरिया ने बताया कि व अब अपन कार्यालय से एक भी पत्र अंग्रेजी में नहीं भेजते। उनके यहां से लगभग 12 हजार पत्र आये जो या तो हिन्दी में हैं अथवा द्विभाषी।

भारतीय स्टेट बैंक के श्री कृष्ण कुमार भार्गव ने संक्षेप में अपने बैंक में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि अब उनके यहां 68 प्रतिशत मूल पत्र हिन्दी में भेजे जाते हैं जबकि मार्च, 1984 में यह प्रतिशत 42 प्रतिशत था। उनके अधीन कार्यरत 125

शाखाओं में से 30 शाखाएं ऐसी हैं जिनमें सारा कार्य हिन्दी में होता है। उन्होंने यह संकेत दिया कि वे मार्च 1985 तक यह लक्ष्य 77 प्रतिशत कर लेंगे और कुछ और शाखाओं को घोषित करेंगे। उनके यहां एडवांस सम्बन्धी सभी कार्य हिन्दी में हो रहा है। आगरा में कर्मचारी तथा अधिकारी वर्ग अंग्रेजी की अपेक्षा हिन्दी में काम करना अधिक पसन्द करते हैं। उन्होंने समिति को यह आश्वासन दिया कि इससे आगे उनके यहां हिन्दी में कार्य और अधिक बढ़ेगा।

आयकर विभाग के राजभाषा अधिकारी एवं निरीक्षण सहायक आयकर आयुक्त श्री मिथलेश कुमार मिश्र नें आगरा प्रभार की स्थिति अच्छी बताई। इसका श्रेय उन्होंने आयकर आयुक्त श्री त्रिलोकी नाथ पाण्डेय को दिया। उनका कहना था कि यदि वरिष्ठ अधिकारी स्वयं हिन्दी में काम करें तो अवश्य ही हमारे अधीन कायरत अधिकारी एवं कर्मचारी हिन्दी में काम करने के लिए उत्साहित होंगे। विभाग में 70 से 80 प्रतिशत कार्य हिन्दी में हो रहा है।

टेलीफोन के मण्डल अभियन्ता श्री बालकराम शुक्ल नें अपने यहां की हिन्दी प्रयोग सम्बन्धी स्थिति बताते हुए कहा कि उनके यहां कई प्रकार के पत्र, फार्म आदि हिन्दी में सुलभ कराये गये हैं। टाइपराटर तथा उपयोगी साहित्य भी सुलभ किया गया है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से हो रही हैं जिनमें विभाग में हिन्दी की प्रगति पर समीक्षा की जाती है और खामियां दूर करने लिए उपाय किए जाते हैं।

मध्य रेलवे के अधीक्षक श्री राजकृष्ण बंसल नें कहा कि वे स्वयं राजभाषा विभाग में कुछ समय तक रहे हैं उसके बाद जब वहां से आये थे तो उन्होंने यह अनुभव किया था कि लोगों में हिन्दी में काम करने की भावना पैदा की जाए और उन्हें हिन्दी में काम करने के लिए जुटाया जाए। इस संदर्भ में उन्होंने स्वयं यह संकल्प किया था कि वे किसी भी ऐसे पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे जो द्विभाषी नहीं है। हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही देंगे। इसका परिणाम यह हुआ अपेक्षित कार्य जिसका प्रतिशत पहले 10 प्रतिशत था वह शत-प्रतिशत हो गया और जहां स्वेच्छा से करने की बात थी वहां 25 प्रतिशत से अधिक कार्य हिन्दी में होने लगा। उनके यहां सारे फार्म द्विभाषी हैं। टिकट द्विभाषी, रसीद बुकें द्विभाषी हैं। अनिवार्य अपेक्षाएं लगभग पूरी की गई हैं। उनका विचार था कि इस क्षेत्र में केवल व्यक्तिगत मानसिकता ही बदलने की ओर ध्यान देना चाहिए।

मुख्य अतिथि श्री देवेन्द्र चरण मिश्र नें सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा कि हम हिन्दुस्तानियों की भाषा अंग्रेजी ही क्यों, हम अंग्रेजी के आश्रित क्यों हैं। हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं और हमारी संविधान सभा नें यह निश्चित् किया था कि हमारी राजभाषा हिन्दी होगी। यदि हम हिन्दी में काम करें तो जनता की वास्तविक सेवा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अर्थात् राजभाषा विभाग द्वारा 67 प्रतिशत काम ही हिन्दी में करने के लिए कहा गया है। चूंकि हम किन्हीं कारणों से यह लक्ष्य पूरा नहीं कर पाये हैं अतः यह वार्षिक कार्यक्रम प्रतिवर्ष दोहराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो विवरण यहां रखे गए हैं उनसे इस बात का प्रमाण मिलता है कि यहां इस दिशा में काफी अच्छी प्रगति हुई है। उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की कि भविष्य में यह प्रगति और बढ़ती ही जाएगी क्योंकि यहां के अध्यक्ष महोदय श्री पाण्डेय जी ने इस कार्य में काफी अधिक रूचि ली है और इसी वजह से यहां के लोग बड़े उत्साह से इस कार्य में लगे हुए हैं। किन्तु आप लोगों को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि आप ऐसा करक किसी के ऊपर अहसान कर रहे हैं। उन्होंन कहा कि आप सरकारी आदशों का पालन करें, कर्त्तव्यों का पालन करें। अगर दिल्ली से कोई पत्र अंग्रजी में आता है तो आप यह न सोचिए कि आप भी अंग्रेजी में ही उत्तर देंगे। आप हिन्दी भाषी क्षेत्र में हैं और आपकी जिम्मेदारिया दिल्ली वालों से भिन्न प्रकार की हैं। यह बात जरूर है कि हिन्दी भाषी प्रदेशों की कुछ जगहों पर जहां के लोग हिन्दी नहीं समझत दिल्ली थे से अंग्रेजी में सरकुलर आदि भेजे गए हैं। ग्रामीण बक की एक शाखा थी जो कि गाँव में थी उनके पास अनुवादक की व्यवस्था नहीं थी वहां सारे ट्रांजेक्शन बन्द कर दिए गए। ऐसा होना ही था। बैंक के प्रभाग से इसकी छानबीन की गई और तब अनेक सरकुलर इस कमी को दूर करने के लिए भेजे गए हैं। उन्होंने स्वयं अपना उदाहरण सदस्यों के सामने रखते हुए कहा कि उन्होंने लगभग 22 वर्ष तक अंग्रेजी में कार्य किया। राजभाषा विभाग में आकर ही हिन्दी में डिक्टेशन देना सीखा। आज स्थिति यह है कि वह अपने विभाग में केवल हिन्दी में ही कार्य कर रहे हैं। वह नोट बनाने में किसी से किसी प्रकार की सहायता नहीं लेते। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वरिष्ठ अधिकारी स्वयं हिन्दी में कार्य करें और अपने नीचे के अधिकारियों को भी हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने श्री बंसल द्वारा दिए गए इस तर्क का समर्थन किया कि अपनी मानसिक स्थिति बदलनी है और इसके लिए उचित प्रयत्न किए जाएं।

सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि सिन्डीकेट बैंक के प्रतिनिधि द्वारा दिया गया सुझाव कि नौकरियों में प्रवेश का माध्यम हिन्दी होना चाहिए, के बारे में बताया कि अब काफी नौकरियों में हिन्दी माध्यम कर दिया गया है। ऐसी नौकरियों में आई. ए. एस. भी है वहां अभी अंग्रेजी का प्रश्न-पत्र अनिवार्य है इस बारे में भी हिन्दी के विकल्प देने की बात चल रही है। चार्टर्ड एकाउन्टेंट परीक्षा में प्रारंभिक प्रश्न-पत्र में हिन्दी माध्यम की बात हो चुकी है। एम. बी.ए. की परीक्षा में भी हिन्दी की बात चल रही है।

जहां तक कि शब्दों की विविधता का प्रश्न है अभी भी किसी शब्द के दो-तीन शब्द प्रचलित हैं लेकिन इससे घबराने की बात नहीं। कोई सर्किल के लिए मण्डल कहे अथवा अंचल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 13 शब्द कोशों का उल्लेख किया। उन्होंने एक शब्द कोश ऐसा भी बनाया है जो 14 भाषाओं में है। प्रशासन सम्बन्धी शब्दावली सम्बन्धित शब्द कोष मुफ्त में ही प्राप्त कर सकते हैं।

समिति क अध्यक्ष श्री पाण्डेय जी न अपने अध्यक्षीय भाषण में समिति की बैठक आयोजन का उद्देश्य बताया कि हम यहां अपने यहाँ का लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए यह बैठक करते हैं। कितनी प्रगति हुई है और प्रगति क्यों नहीं हो रही है, उसका क्या कारण है। लेखा जोखा प्रस्तुत किए जाने से दूसरे के प्रयत्नों का लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं समिति के कार्य की मिश्रा जी ने प्रशंसा की है, उन्होंने उसका श्रेय समिति के सदस्यों को दिया जो हिन्दी की प्रगति में उत्साह से लगे हुए हैं। वे ही प्रशंसा के पात्र हैं।

राम चन्द्र मिश्र
सचिव, राजभाषा कार्यान्वयन समिति
व हिन्दी अधिकारी

राजभाषा हिन्दी के बढ़ते चरण

1. खान विभाग में हिन्दी

खान विभाग यों तो मूलतः सभी प्रकार के खनिजों (परमाणु खनिजों को छोड़कर) के लिए सर्वेक्षण खोज और विकास तथा सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा, एल्यूमिनियम आदि अलोह धातुओं के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, लेकिन वह अपने सचिवालय, दोनों अधीनस्थ कार्यालयों और छहों सरकारी उपक्रमों में राजभाषा अधिनियम और उसके अन्तर्गत बने नियमों के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन में भी सन् 1981 से ही समान रूप से अग्रणी भूमिका का निर्वाह कर रहा है । इस उपलक्ष्य में उसे विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के बीच 1981-82 का द्वितीय पुरस्कार "राजभाषा ट्राफी" तथा 1982-83 का प्रथम पुरस्कार "राजभाषा शील्ड" प्राप्त हुए हैं ।

संविधान के अनुच्छेद 351 में हिन्दी के विकास के बारे में दिए गए विशेष निर्देशों के अनुसरण में खान विभाग ने खानों और खनिजों स उत्पन्न विवादों पर प्राप्त पुनरीक्षण याचिकाओं की सुनवाई के लिए गठित अपने न्यायाधिकरण में 1981 में यह तय किया था कि हिंदी क्षेत्रों के खनन पट्टों से संबंधित याचिकाओं पर अंतिम आदेश के रूप में पारित अर्द्ध-न्यायिक फैसले केवल हिन्दी में जारी किए जाएं । तद्नुसार 1981 से अब तक ऐसे लगभग 2000 फैसले और कलेंडर वर्ष 1984 में ऐसे 628 फैसले हिंदी में जारी किए जा चुके हैं ।

गृह मंत्रालय द्वारा संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए जारी राजभाषा संबंधी वार्षिक कार्यक्रम का खान विभाग द्वारा बढ़-चढ़ कर पालन किया जा रहा है । विभाग के सचिवालय तथा सरकारी उपक्रम भारत एल्यूमिनियम कम्पनी और सुदूर कर्नाटक स्थित भारत गोल्ड माइन्स लि० ारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत सभी सामान्य आदेश, परिपत्र अधिसूचनाएं आदि शत-प्रतिशत द्विभाषी रूप में जारी की जाती हैं । हिन्दुस्तान जिंक लि०, खनिज गवेषण निगम, हिन्दुस्तान कॉपर लि०, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा भारतीय खान ब्यूरो द्वारा यह पालन 70–80 प्रतिशत के बीच हैं । हिन्दी पत्रों का सभी संगठनों द्वारा, भारतीय भू-सर्वे और भारतीय खान ब्यूरो के कुछ यूनिट कार्यालयों को छोड़कर, जहां हिंदी अनुवादक के पद नहीं हैं, हिंदी में जवाब दिया जा रहा है । मूल पत्राचार के प्रसंग में, हिंदी भाषी क्षेत्र की राज्य सरकारों, कार्यालयों और व्यक्तियों आदि को खान विभाग के सचिवालय, भारतीय एल्यूमिनियम कम्पनी तथा भारतीय खान ब्यूरो द्वारा क्रमशः 57 प्रतिशत, 37 प्रतिशत, और 36 प्रतिशत, मूल पत्र हिंदी में भेजे गए । जबकि अन्य संगठनों से 2 से 20 प्रतिशत के बीच उपलब्धि यह है कि उसने भारतीय दूतावास ट्यूनीशिया को भी मूल पत्र हिंदी में भेजा तथा ईरान से फारसी में प्राप्त एक पत्र का उत्तर हिंदी में दिया ।

मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति और विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से हुई । संगठनों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें उनके प्रधान अधिकारी की अध्यक्षता में हुई ।

राजभाषा हिंदी के प्रयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में एक नया कदम हर वर्ष विभिन्न स्थानों पर बड़ी राजभाषा सेमिनार आयोजित करने का निर्णय किया है । खान विभाग की पहल पर अब तक दिल्ली, उदयपुर और विशाखापतनम में ऐसी तीन से मीनार का आयोजन किया जा चुका है । इसके अलावा, विभाग के सभी उपक्रमों और उनके प्रोजेक्ट कार्यालयों द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय दिवसों पर हिंदी कवि सम्मेलन, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं तथा नाटकों का आयोजन किया जाता है । इन सभी प्रयासों के फलस्वरूप, सभी जगह और विशेषतया आंध्र प्रदेश कर्नाटक और पं० बंगाल आदि में उन अहिंदी भाषी स्थानों पर हिन्दी के प्रति अच्छे वातावरण का सृजन हुआ है, जहां इन उपक्रमों के प्रतिष्ठान हैं ।

विभाग के सभी संगठनों के पुस्तकालयों में हिंदी पुस्तक, पत्र-पत्रिकाएं खरीद कर कर्मचारियों को पढ़ने के लिए सुलभ की जाती हैं । उपक्रमों की प्रचार सामग्री और लेखन सामग्री मदें भी द्विभाषी रूप में तैयार की जाती हैं ।

खान विभाग के अन्तर्गत तैयार माल सीसा, जस्ता, चांदी, ताम्बा और एल्यूमिनियम के पिण्डों व सिल्लियों पर तथा उर्वरक थैलों पर सभी प्रकार का अंकन हिंदी में करने का क्रम इस वर्ष भी जारी रहा ।

इस वर्ष कर्मचारियों को हिंदी में प्रारूप और मसौदा लेखन का व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय खान ब्यूरो, हिंदुस्तान कॉपर लि०, खनिज गवेषण निगम और हिंदुस्तान जिंक कं० लि० के विभिन्न कार्यालय/केन्द्रों पर हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया । हिन्दुस्तान जिंक लि० ने इस वर्ष अपनी विभिन्न इकाइयों में हिंदी के प्रसार-प्रचार के लिए लगभग 2.00 लाख रुपए का अलग बजट मंजूर किया है । भारत की अन्य प्रादेशिक भाषाओं के विकास में भी खान विभाग ने योगदान किया है । विभिन्न प्रदेशों में मौजूद खनिज सम्पदा के बारे में संबंधित प्रादेशिक भाषा में "अपना जिला जानिए" नामक पुस्तिकाएं बड़ी संख्या में जनता के पढ़ने के लिए सुलभ की गई हैं । इसके अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि प्रदेशों में स्थित विभाग के अधीन सरकारी कारखानों यूनिटों में कार्यरत स्थानीय मजदूरों को सभी हिदायतें और सूचनाएं हिन्दी और अंग्रेजी के साथ-साथ उनकी भाषा में जारी की जाती हैं । कुछ कारखाना स्थलों पर बहुभाषी कवि सम्मेलन और नाटकों का भी आयोजन किया जाता है ।

खनिजों की खोज के लिए पूरे देश के व्यापक भू-सर्वेक्षण के क्षेत्रवार वार्षिक कार्यक्रम हिन्दी में भी जारी किए जा रहे हैं । इसके अलावा, खनिज वर्ष पुस्तक जैसे अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन भी हिन्दी में जारी किए जा रहे हैं । बाल्को वार्त्ता, बाल्को समाचार, जिंक वाणी, जिंक समाचार, खनिज संदेश, ताम्र संदेश, खान ब्यूरो समाचार आदि का सावधिक प्रकाशन इस वर्ष भी नियमित रूप से जारी रहा ।

वर्ष 1981 के दौरान विभाग के सचिवालय के विभिन्न अनुभागों के अलावा, भारतीय भू-सर्वेक्षण के कलकत्ता, लखनऊ, जयपुर, पुणे, अहमदाबाद और गंगटोक स्थित क्षेत्रीय सर्किल कार्यालयों, भारतीय खान ब्यूरो के अजमेर स्थित कार्यालय, हिन्दुस्तान जिंक लि० मुख्यालय, उदयपुर, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी मुख्यालय भुवनेश्वर, भारत एल्यूमिनियम कंपनी मुख्यालय दिल्ली, प्रोजेक्ट कार्यालय कोरबा (म० प्र०) में हिंदी प्रयोग की स्थिति का विभाग के विभिन्न अधिकारियों ने निरीक्षण किया ।

जयवीर सिंह चौहान
उप निदेशक (हिन्दी)

2. हिन्दी प्रयोग में बीकानेर मंडल के बढ़ते चरण

बीकानेर मण्डल का गठन भूतपूर्व बीकानेर राज्य रेलवे तथा बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे के कुछ हिस्सों को मिलाकर किया गया उत्तर रेलवे में ही नहीं, बल्कि समस्त भारत में यह मण्डल मीटर गेज का सबसे बड़ा मण्डल है । यह मंडल समीपवर्ती चार राज्यों राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली क्षेत्र में फैला हुआ है। इस मंडल के रेल पथ की लम्बाई 1823.56 कि० मी० है। इसमें, मीटर गेज की अतिरिक्त थोड़ा-सा अंश बड़ी लाइन का भी शामिल है ।

राजस्थान के अन्य ऐतिहासिक नगरों की तरह बीकानेर भी एक दर्शनीय नगर है । इसकी नीव राव बीका द्वारा 1485 ई० में रखी गई। बीकानेर दुर्ग का कला की दृष्टि से विशेष महत्व है। अन्य दर्शनीय स्थानों में लक्ष्मी नाथ जी, रतन बिहारी जी, रसिक शिरोमणि जी, दाऊजी, गोर्धन नाथ जी आदि मंदिर उल्लेखनीय हैं । ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं कला की दृष्टि से बीकानेर का विशेष महत्व है ।

बीकानेर मंडल राजस्थान में स्थित होने के कारण यहां हिन्दी का प्रचार-प्रसार दिनों-दिन बढ़ रहा है । यहां के अधिकांश कर्मचारियों अधिकारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है और वे अपना समस्त कार्य राजभाषा हिन्दी में करते हैं ।

राजभाषा अधिनियम 1976 की धारा 10(4) के अन्तर्गत इस मंडल के अतिरिक्त इसके अधीन अन्य 26 कार्यालयों को रेलवे बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जा चुका है । धारा 8(4) के अन्तर्गत आने वाले 12 विनिर्दिष्ट मदों में भी हिन्दी का अपेक्षित प्रयोग हो रहा है ।

कार्यान्वयन :

चूंकि इस मंडल के अधिकांश कर्मचारी अधिकारी वर्ग को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है, अतः वे अपना सारा कामकाज हिन्दी में करते हैं । विभिन्न कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है उनकी कठिनाइयों का समाधान किया जाता है । इससे वे प्रोत्साहित होते हैं और अपना अधिकाधिक कार्य हिन्दी में करते हैं । हिन्दी कर्मचारी/अधिकारी इसमें रुचि लेते हैं ।

मण्डल कार्यालय की बैठकों मे भी अधिकारियों से हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए विचार विमर्श किया जाता है ।

प्रशिक्षण :

इस मण्डल पर कुल 71 अधिकारी 8,490 तृतीय श्रणी क कमचारी तथा लगभग 9,233 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं । तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों में से 7,371 कर्मचारी परिचालन वर्ग के तथा 1,119 कर्मचारी प्रशासनिक वर्ग के हैं । इनमें से 70 अधिकारियों तथा 8,141 तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है या उन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है । इस मंडल पर रेवाड़ी में विभागीय व्यवस्था के अंतर्गत तथा दिल्ली सराय रोहिल्ला मे गृह मंत्रालय की योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं । तृतीय श्रेणी के शेष कर्मचारियों में से 62 को प्रशिक्षण हेतु नामित किया है । परिचालन वर्ग के जो कर्मचारी नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो पाते हैं उन्हें स्वयं पाठी रूप में हिन्दी सीखने के लिए सुविधा प्रदान की गई है ।

इस मंडल पर 28 आशुलिपिक तथा 20 टंकक हैं : इसमें आशुलिपिक तथा 15 टंकक हिन्दी प्रशिक्षित हैं । शेष आशुलिपिकों/टाइपिस्टों को निजी प्रयास से प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आदेश दिये गये हैं ।

हिन्दी कार्यशालाएं:

मण्डल कार्यालय में हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों को हिन्दी में मूल रूप से टिप्पणी तथा प्रारूप आदि लिखने का गहन अभ्यास कराने के उद्देश्य से समय-समय पर हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है । अब तक ऐसी तीन कार्यशालाएं संपन्न हो चुकी हैं । जिनमें इंजीनियरिंग तथा कार्मिक शाखा के 90 कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं । योजनाबद्ध कार्यक्रमानुसार सभी कर्मचारियों का प्रशिक्षण इस वर्ष के दौरान पूरा कर देने का प्रयास किया जा रहा है ।

स्टेशन संचालन नियम :

स्टेशन संचालन नियमों के अनुवाद तथा उन्हें जारी करने में बीकानेर मंडल का अग्रणी स्थान है । इस मंडल के सभी 146 स्टेशन संचालन नियमों को हिन्दी में अनुवाद करके उन्हें 9-1-85 तक जारी किया जा चुका था ।

हिन्दी पत्राचार :

इस मंडल में हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाता है । पिछली तिमाही अर्थात् 1-1-85 से 31-3-85 को समाप्त अवधि में कुल 13,166 पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए थे जिसमें 11,355 पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया । शेष 1,811 पत्र या तो सूचनात्मक थे या उनका उत्तर देना अपेक्षित नहीं था ।

मूल पत्राचार :

मूल पत्राचार में भी यह मंडल रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्य से आगे है । 31-3-85 को समाप्त तिमाही के दौरान कुल 14,432 पत्र मूल रूप से लिखे गये जिसमें से 12,828 पत्र हिन्दी में लिखे गये । इसका प्रतिशत 88.88 रहा । मूल पत्राचार को शत प्रतिशत करने के लिए यह मंडल सतत् प्रयत्नशील है ।

सामान्य आदेश परिपत्र आदि :

धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कागजात को शतप्रतिशत हिन्दी में अथवा हिन्दी-अंग्रेजी द्विभाषी रूप से जारी करने के लिए यह मंडल सतत प्रयत्नशील है। 31-3-85 को समाप्त तिमाही में इस मंडल पर कुल 1,498 परिपत्र सामान्य आदेश जारी किए गए जिसमें से केवल 33 अंग्रेजी में जारी किए। इस तरह धारा 3(3) के अनुपालन का प्रतिशत 97.79 रहा।

अनुवाद कार्य :

इस मंडल के सभी 146 स्टेशन संचालन नियमों का हिन्दी अनुवाद हो चुका है और उन्हें जारी भी किया जा चुका है। इस मंडल पर मूल रूप से काफी कार्य हिन्दी में हो रहा है। फिर भी विभिन्न शाखाओं से प्राप्त होने वाले अथवा चैक प्वायंटों से लौटाए गए पत्रों/परिपत्रों का अनुवाद करके उसी दिन संबंधित शाखाओं को लौटा दिया जाता है।

राजभाषा समितियां:

मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति को छोड़कर इस मंडल म 12 समितियां हैं। ये समितियां–दिल्ली क्वींज रोड, दिल्ली सराय रोहिल्ला, रेवाड़ी, सिरसा, चूरू, बीकानेर, लालढ़, हनुमानगढ़, हिसार, सादुल्लपुर, रतनगढ़ पर खोली गई हैं। इनकी त्रैमासिक बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी भी भाग लेते हैं। बैठकों में हिन्दी कार्य की प्रगति की समीक्षा की जाती है और हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाता है।

नामित स्टेशन :

इस मंडल पर हिन्दी में अधिकाधिक कार्य करन हेतु बीकानर रतनगढ़, चूरू, श्रीगंगानगर, सिरसा, रेवाड़ी, हिसार तथा हनुमानगढ़ को नामित किया गया है। इनमें से अधिकांश स्टेशनों पर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां भी गठित हैं। निरीक्षण एंव बैठकों के दौरान इन स्टशनों पर हिन्दी संबंधी कार्य का जायजा लिया जाता हैं।

पुस्तकालय :

इस मंडल पर मंडल कार्यालय के अतिरिक्त 6 अन्य स्टेशनों–बीकानेर रेवाड़ी, दिल्ली सराय रोहिल्ला, हनुमानगढ़ जं०, चुरू, तथा सिरसा में हिन्दी पुस्तकालय खोले गये हैं। इन स्टेशनों के कर्मचारी इन पुस्तकालयों का अधिकाधिक उपयोग करते हैं और ज्ञान वृद्धि करते हैं। कर्मचारियों के ज्ञान वृद्धि से हिन्दी की प्रगति में भी सफलता मिलती है। लालगढ़, हिसार तथा दिल्ली क्वींज रोड पर इस वर्ष नये पुस्तकालय खोले जा रहे हैं।

विशेष :

रेलवे बोर्ड के टिप्पण आलेखन पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 1984 में हिन्दी में अपने विभाग में सर्वाधिक कार्य करने वाले 40 कर्मचारियों को रेलवे सप्ताह के अवसर पर मंडल रल प्रबंधक द्वारा पुरस्कृत किया गया। भविष्य में हिन्दी की प्रगति में इसका अपेक्षित प्रभाव पड़ेगा।

योगेन्द्र मोहन गुप्ता
–वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी

3. मुख्य नियंत्रक आयात–निर्यात कार्यालय में हिन्दी

सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार, इस कार्यालय में राजभाषा अधिनियम, 1963, उसके अधीन बताए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों और इस सम्बन्ध में, राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों आदि के कार्यान्वयन के लिए प्रयास किए जाते रहे हैं।

2. इस कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों और जिन पत्तन कार्यालयों में ये समितियां गठित की गई है उनकी बैठकों में इस ओर की गई प्रगति की समीक्षा समय-समय पर की जाती रही है। उक्त समितियों की बैठकें नियमित रूप से होती रही हैं और उनकी बैठकों में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती रही है।

3. टिप्पण और आलेखन में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के विचार से 1 जनवरी, 1985 से एक परिशोधित "नकद पुरस्कार स्कीम" आरम्भ की गई है। इस स्कीम में भाग लेने वालों को उनके द्वारा 31 दिसम्बर, 1985 तक हिन्दी में किए गए कार्य का मूल्यांकन करने के बाद निम्नलिखित नकद पुरस्कार दिए जायेगें :–

–प्रथम पुरस्कार (2 पुरस्कार)–प्रत्येक 500 रुपए
–द्वितीय पुरस्कार (3 पुरस्कार)–प्रत्येक 300 रुपए
–तृतीय पुरस्कार (5 पुरस्कार)–प्रत्येक 150 रुपए

इसके अतिरिक्त हिन्दी में किए गए कार्य के अनुसार मूल्यांकन समिति द्वारा सान्त्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे।

4. इस कार्यालय में कार्यरत 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है और यह कार्यालय राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अन्तर्गत पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 5 पत्तन कार्यालय भी उक्त नियम के अन्तर्गत अधिसूचित कर दिए गए हैं। शष कमचारी जिनको अभी प्रशिक्षण देना है उनमें से 25 जनवरी, 1985 में गृह मंत्रालय की हिन्दी प्रशिक्षण स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण देने के लिए मनोनीत किया गया है। इस वर्ष के दौरान चार पत्तन कार्यालयों अर्थात् पटना, कानपुर, नई दिल्ली और जयपुर का निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण अधिकारियों द्वारा अपनी सम्बद्ध रिपोर्टों में बताई गई कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

5. राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग का वातावरण बनाने और उसके प्रयोग में तेजी लाने के विचार से इस कार्यालय में "हिन्दी सप्ताह" का आयोजन किया गया था और उस अवधि के दौरान सरकारी कार्य में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात के हस्ताक्षरों से एक अपील जारी की थी।

6. एक "निबन्ध प्रतियोगिता" का भी आयोजन किया गया था और 23-1-1985 को हुए एक विशेष समारोह में मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात ने नकद पुरस्कार वितरित किए थे इस समारोह में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों, गृह मंत्रालय और केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के प्रतिनिधियों को भी आमन्त्रित किया गया था। प्रथम द्वितीय एवं तृतीय आने वाले कमचारियों को क्रमशः 300 200 और 100 रुपये के नकद पुरस्कार दिए गए हैं और शेष प्रतियोगियों को सांतवना पुरस्कार के रूप में पचास-पचास रुपये दिए गए।

मुख्य निमंत्रक श्री प्रकाश चन्द्र जैन से पुरस्कार ग्रहण करते हुए हिन्दी अधिकारी श्री कृष्ण चन्द्र गुप्ता।

7. विभिन्न पत्तन कार्यालयों/अनुभागों के लगभग 104 मानक प्रारूपों का हिन्दी अनुवाद किया गया है ताकि उन्हें द्विभाषिक रूप में जारी किया जा सके। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा 1984-85 वर्ष के लिए जारी किए गए सरकारी प्रयोजनों के लिए वार्षिक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। इस कार्यक्रम में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों की उपलब्धियों के बारे में सूचना भी सभी संबंधितों से एकत्रित की जा रही है।

8. हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही भेजे जा रहे हैं। लगभग 253 रबड़ की मोहरें, साइन बोर्ड और नम्पपट्ट आदि द्विभाषिक रूप में तैयार किए गए हैं और सभी सम्बन्धितों को वितरित किए गए हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अपने टिप्पण और आलेखन हिन्दी में लिखने के अभ्यास के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए "हिन्दी कार्यशाला" का भी आयोजन किया गया था। इस कायशाला में 30 व्याख्यान दिए गए थे और इसके दौरान हिन्दी में टिप्पण और आलेखन लिखने के लिए प्रयोगात्मक अभ्यास कराया गया था। दिन प्रति दिन के सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रयोग को सुलभ बनाने के लिए अधिक सहायक और संदर्भ साहित्य उपलब्ध कराया गया है और सभी अधिकारियों/कर्मचारियों में वितरित किया गया है। हिन्दी-स्टाफ आदि से सम्बन्धित कुछ कठिनाइयों के बावजूद भी हिन्दी अनुभाग की यह एक भारी सफलता है कि इस कार्यालय न आयात-निर्यात नीति (खण्ड1 और 2) और आयात-निर्यात प्रक्रिया पुस्तकों का हिन्दी रुपान्तर तैयार किया है और यह तीनों पुस्तकें एक समयबद्ध अवधि में द्विभाषिक रूप में और अंग्रेजी के साथ-साथ मुद्रित कराई गई है। उसके अतिरिक्त संसद, अखिल भारतीय आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के लिए केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री के अभिभाषण द्विभाषिक रूप में तैयार किये गये हैं।

9. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) को कार्यान्वित करने के लिए प्रयास जारी हैं और अधिनियम की उक्त धारा में उल्लिखित सभी दस्तावेज अर्थात् संकल्प, अधिसूचनाएं, सार्वजनिक सूचनाएं आयात-निर्यात अनुदेश, निर्यात व्यापार नियंत्रण आयात व्यापार नियंत्रण आदेश, आर ई पी/आई पी सी निर्यात परिपत्र, नियम और आश्वासन आदि और संसद के दोनों सदनों के पटलों पर रखे जाने वाले कागज-पत्र द्विभाषिक रूप में अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी में तैयार किए गए हैं। पत्र/परिपत्र या ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि राजभाषा अधिनियम या उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार केवल हिन्दी में या हिन्दी और अंग्रेजी द्विभाषिक रूप में जारी किए जाने वाले अपेक्षित पत्र, परिपत्र, सामान्य आदेश आदि इसी प्रकार तैयार किए जाएं। और जारी किए जाएं अतः अधिकारियों से यह अनुरोध किया गया है कि ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पहले वे इस बात का सुनिश्चिय करलें कि यह हिन्दी में अथवा द्विभाषिक रूप में जारी किए जा रहे हैं।

4. आगरा, सिंडीकेट बैंक में हिन्दी वर्ष

हिन्दी हमारी राजभाषा है और सदियों से जनभाषा एवं सम्पर्क भाषा का दायित्व निभाती आ रही है, सदियों तक यह हमारी और निकटवर्ती देशों के वाणिज्य एवं व्यापार की भाषा रही है तथा अपनी सरलता सहजता से राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है।

आज हम स्वतंत्र हैं और प्रगतिशील भारत के निर्माण में लगे हैं, इस संकल्प को पूरा करने की बावत हमारा दायित्व बनता है, आम जनता की खुशहाली के लिए जुटना और उसकी सेवा करना। जनता की भली प्रकार सेवा उसी की भाषा में की जा सकती है और इस निमित्त हमारा बैंक सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करते हुए निरन्तर आगे बढ़ रहा है, इस ओर प्रधान कार्यालय के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन का लाभ उठाते हुए हमारे मंडल कार्यालय नें भी संतोषजनक परिणाम हासिल किये हैं, जिनका ब्यौरा निम्नवत हैं :—

राजभाषा कक्ष की स्थापना

यद्यपि मंडल कार्यालय, आगरा की स्थापना के साथ ही जुलाई 1982 में राजभाषा कक्ष की स्थापना हो गयी थी किन्तु राजभाषा अधिकारी की पदस्थापना 23 अप्रैल, 1984 को हुई है।

अतः उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 1-4-84 से 31-12-84 तक की प्रगति का उल्लेख यहां किया जा रहा है।

	मंडल कार्यालय	शाखायें	योग
1. कार्यालय शाखाओं की कुल संख्या	1	47	48
2. कर्मचारियों या हिन्दी विषयक ज्ञान			
(क) कुल कर्मचारी	31	461	492
(ख) हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी	29	452	481
(ग) प्रतिशतता (क के प्रति ख की)	93.5	98.0	97.7
(घ) 25 प्रतिशत से अधिक काम करने वाले कर्मचारी	12	331	343
प्रतिशतता (ख के प्रति घ की)	41.3	73.2	71.3
3. टाइपिस्टों की कुल संख्या :	5	3	8
(क) अंग्रेजी	4	3	7
(ख) हिंदी	1	—	1
4. आशुलिपिकों की कुल संख्या :			
(क) अंग्रेजी	1	—	1
(ख) हिंदी	—	—	—
5. सामान्य आदेश अनुदेश, परिपत्र आदि	22	—	22
(1) द्विभाषिक	22	—	22
6. हिन्दी में प्राप्त पत्रों का हिन्दी में उत्तर			
प्राप्त पत्रों की संख्या	359	5508	5867
कितनों का जवाब हिंदी में दिया गया	320	4583	5223
(39 पत्रों के उत्तर जरूरी नहीं थे)			
कितनों का जवाब अंग्रेजी में दिया गया		925	925
प्रतिशतता	100.0	83.2	89.6
7. मूल पत्राचार			
भेजे गये कुल पत्रों की संख्या	5580	19842	25422
हिंदी में प्रेषित	1438	10019	11459
अंग्रेजी में प्रेषित	4142	9823	13965
हिंदी पत्रों की प्रतिशतता	25.7	50.49	45.0

8. द्विभाषिक साइनबोर्ड

कुल	2	आंकड़े	2
द्विभाषिक	2	उपलब्ध	2
केवल अंग्रेजी	—	नहीं है	—
प्रतिशतता	100		100

9. नामपट्ट/रबड़ की मुहरें

कुल	92	आंकड़े	92
द्विभाषिक/हिंदी में	84	उपलब्ध	84
अंग्रेजी में	8	नहीं है	8
प्रतिशतता	91.3		91.3

10. राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन :

संख्या	1	—	1
वर्ष के दौरान आयोजित बैठकें	2	—	2

11. हिंदी पुस्तकालय की स्थापना

मंडल कार्यालय में हिंदी पुस्तकालय की स्थापना हो चुकी है, कर्मचारियों के पठन-पाठन के लिए हिंदी की दो पत्रिकायें-कादिम्बनी व धर्मयुग/साप्ताहिक हिन्दुस्तान मंगायी जा रही हैं, साथ ही 70 पुस्तकें जूटायी गयी हैं।

12. हिन्दी निबन्ध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन

दिनांक 18-8-84 को हमने हिंदी निबन्ध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया था, प्रतियोगिता में मंडल कार्यालय से 10 तथा शाखाओं से 16 कार्मिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया परिणाम इस प्रकार रहे:—

मंडल कार्यालय स्तर पर

1. प्रथम पुरस्कार	श्री आर नारायणन्	उप मंडल प्रबन्धक,
2. द्वितीय पुरस्कार	श्री अखिलेश कुमार सक्सैना	लिपिक,
3. तृतीय पुरस्कार	श्री राम प्रसाद	लिपिक

शाखा स्तर पर

1. प्रथम पुरस्कार	श्री ओम् प्रकाश	लिपिक	अलीगढ़
2. द्वितीय पुरस्कार	श्री अशोक कुमार वर्मा	लिपिक	नरीपुरा
3. तृतीय पुरस्कार	श्री प्रदीप कुमार	लिपिक	मानागढ़ी

उपरोक्त के अलावा श्री रमेश मल्होत्रा, श्री रविकांत सक्सैना, (दोनों मंडल कार्यालय) श्री राजकुमार अग्रवाल, श्री कृष्ण माधव सक्सैना (दोनों नरीपुरा शाखा) तथा श्री महेश चंद, अलीगढ़ शाखा के प्रयास भी सराहनीय रहे।

13. हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन

दिनांक 25-9-84 को हमने हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया था। समारोह की अध्यक्षता राजा बलवन्त सिंह कालेज, आगरा के हिंदी विभागाध्यक्ष डा० बृज किशोर सिंह ने की, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के प्रो० डा० ने० वी० राजगोपालन्, मुख्य अतिथि थे, डा० राजगोपालन् ने हिंदी की सरलता, सहजता पर अपने विचार प्रकट किये और हिंदी में काम काज करने के लिए कर्मचारियों से अपील की। समारोह के आयोजन में हमारे मंडल प्रबन्धक श्री वी० दक्षिणामूर्ति ने विशेष रूचि ली। समारोह की रिपोर्ट दि. 1-10-84 के "अमर उजाला" तथा "विकास शील भारत" में सविस्तार प्रकाशित हुई।

14. हिन्दी प्रशिक्षण

अभी हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन नहीं किया जा सका है, निकट भविष्य में हिंदी प्रशिक्षण हेतु कार्यशालाएँ आयोजित किये जाने की योजना विचाराधीन है, शाखाओं से इस बावत सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं।

15. अन्य कार्य

(1) दि. 22-8-84 को केंन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा द्वारा बुलायी गयी राजभाषा अधिकारियों की बैठक में हमारे राजभाषा अधिकारी ने भाग लिया तथा बैंक का प्रतिनिधित्व किया। इस बैठक में बैंक कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण सम्बन्धी विषयों पर विचार-विमर्श हुआ।

(2) दि. 23-8-84 को गृह मंत्रालय; राजभाषा विभाग के उप-निदेशक डा० मोतीलाल चतुर्वेदी, मंडल कार्यालय पधारे। उनकी इच्छा पर राजभाषा सम्बन्धी कार्य व प्रगति का निरीक्षण कराया गया।

(3) दि. 25-8-84 को केनरा बैंक के सौजन्य से होटल क्लार्क शीराज में आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में मंडल प्रबन्धक एवं राजभाषा अधिकारी ने भाग लिया। बैठक का संचालन हमारे राजभाषा अधिकारी ने किया। बैठक की रिपोर्ट स्थानीय समाचार पत्र "अमर उजाला" तथा "विकासशील भारत" में सविस्तार प्रकाशित हुई।

(4) दि. 17 से 20-10-84 तक आयकर आयुक्त कार्यालय; आगरा द्वारा आयोजित हिंदी कार्याशाला में व्याख्यान देने हेतु हमारे राजभाषा अधिकारी को बुलाया गया। राजभाषा अधिकारी ने कार्यशाला में भाग लिया तथा तीन सत्र लिये।

(5) कनरा बैंक, मंडल कार्यालय, आगरा द्वारा 26 व 27-11-84 को आयोजित हिंदी कार्यशाला में भी हमारे राजभाषा अधिकारी बुलाये गये। राजभाषा अधिकारी ने इस कार्यशाला का एक सत्र लिया।

(6) दि. 19-12-84 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित हुई। वह बठक सिंडिकेट बक के सौजन्य से होटल मुमताज आगरा में आयोजित की गयी। श्री देवेन्द्र चरण मिश्र, संयुक्त सचिव. राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय नयी दिल्ली, मुख्य अतिथि के रूप में बैठक में पधारे। बैठक की अध्यक्षता आयकर आयुक्त श्री त्रिलोकीनाथ पाण्डेय ने की। श्री मिश्र एवं श्री पाण्डेय सहित सभी वक्ताओं ने सिंडिकेट बैंक राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की प्रगति की सराहना की और कहा कि आगरा नगर में सिंडिकेट बैंक ने अल्प समय में ही उल्लेखनीय प्रगति की है। उक्त बैठक की रिपोर्ट स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। फलस्वरूप हमारी बैंक को पर्याप्त ख्याति व प्रतिष्ठा मिली।

7. विभिन्न कार्यालयों से हिंदी के प्रगामी प्रयोग सम्बन्धी इश्तहार प्राप्त कर मंडल कार्यालय परिसर में लगवाये गये।

8. कार्यालय द्वारा भेजे जाने वाले परिपत्रों, हिंदी-पत्रों और लिफाफों पर निम्नलिखित स्लोगन दिये गये:—

(क) अपनी भाषा अपनाइये, देश का गौरव बढ़ाइये;
(ख) हिंदी जनभाषा है, दैनिक कामकाज में हिंदी अपनाइये;
(ग) हिंदी पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दीजिए;
(घ) हिंदी पत्रव्यवहार का स्वागत है;
(ङ) हिंदी में काम करना आसान है; शुरू तो कीजिए;
(च) बोलचाल की सरल हिंदी का इस्तेमाल करें;

9. विभिन्न आयोजनों और बैठकों की कार्रवाई हिंदी में चलायी गयी तथा उन्हें हिंदी में ही सम्बोधित किया गया।

10. उपस्थिति पंजिका, पत्र-प्रेषण पंजिका आदि का साधारण हिंदी में किया जा रहा है।

11. कार्यालय से "क" क्षेत्र को भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पाने वाले के पते हिंदी में लिखे जा रहे हैं "ख" और "ग" क्षेत्र को जाने वाले लिफाफों पर पते हिंदी-अंग्रेजी में द्विभाषिक लिखे जा रहे हैं।

16. भावी कार्यक्रम

वर्ष 1985 के लिए हमारे भावी कार्यक्रम निम्नवत् हैं:—

1. हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन;
2. हिंदी में मूल पत्राचार की बढ़ोतरी;
3. अहिन्दी भाषी कमचारियों को हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कराने के लिए पत्राचार द्वारा प्रशिक्षण;
4. चक्रलिखित "हिंदी पत्रिका" का प्रारम्भ इत्यादि।

हम मानते हैं कि हमने अल्पवधि में संतोषजनक परिणाम हॉसिल किये हैं किन्तु ये पर्याप्त नहीं हैं। अभी हमें और भी अधिक काम करना है, जिसके लिए आप सभी के सुझाव मार्ग दर्शन सादर आमंत्रित हैं.

(वी. दक्षिणामूर्ति)
मंडल प्रबन्धक

हिन्दी कार्यशालाएं

1. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट

हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों के उपयोग के लिए पहली बार हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई।

आज दिनांक 14-6-85 को प्रातः 10.00 बजे मद्रास ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री अशोक जोशी, आई० ए० एस० ने कार्यशाला का उद्घाटन किया।

डा० आर० ए० श्रीनिवासन, हिन्दी अधिकारी, मद्रास पोर्ट ट्रस्ट ने सबका स्वागत किया। सर्वश्री सौरीराजन, सदस्य, हिन्दी सलाहकार समिति, नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय, श्री के० पी० मिश्र, उप निदेशक (दक्षिण) हिन्दी शिक्षण योजना, मद्रास, श्री एस. गणेशन, उपाध्यक्ष और श्री अशोक जोशी, आई. ए. एस. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट ने उद्घाटन समारोह में भाषण दिया।

मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के सभी विभागाध्यक्ष, भाषणकर्ता और प्रशिक्षार्थी समारोह में उपस्थित थे।

यह जानने के लिए कि कार्यशाला कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए कितनी लाभदायक एवं उपयोगी रही एक प्रश्नमाला सभी प्रतिभागियों को जारी की गई। प्रतिभागियों ने कार्यशाला को अपने लिए अत्यन्त लाभदायक बताया।

—हिन्दी अधिकारी

2. रांची

अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, सेल, रांची के हिन्दी कक्ष के तत्वाधान में दिनांक 26 एवं 27 मार्च को एक द्वि-दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। कार्यशाला का संचालन दिल्ली के श्री हरिबाबू कंसल, पूर्व उप सचिव राजभाषा विभाग ने किया। इस कार्यशाला में हमारे संस्थान के 42 कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यशाला के कार्य का विवरण श्रीमती पुष्पा सक्सेना, हिन्दी अधिकारी ने प्रस्तुत किया। कार्यशाला का कार्यक्रम छः सत्रों में बांटा गया था। इन सत्रों में राजभाषा नीति, टिप्पण लेखन, देवनागरी में तार देना, बैठकों के कार्यवृत्त तैयार करना, वित्त एवं प्रशासन में हिन्दी का प्रयोग, उच्च स्तरीय टिप्पणियां, पत्राचार जैसे उपयोगी विषय रखे गए। भाग लेने वाले कर्मचारियों को सामूहिक विचार-विमर्श के लिए मंच पर आमंत्रित किया गया जिसमें सबने कार्यशाला के प्रति आस्था प्रकट की।

कार्यशाला का उद्घाटन एवं स्वागत भाषण केन्द्र निदेशक डा० शैवाल कान्ति गुप्त ने दिया। डा० गुप्त ने ओजस्वी वाणी में अपने उदगार प्रकट करते हुए कहा कि कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाना हमारा नैतिक दायित्व है। यद्यपि संविधान द्वारा हिन्दी को राजभाषा बना दिया गया है पर हम उसे आज भी पूर्णतः अपना नहीं सके हैं यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। वरिष्ठ अधिकारियों का कर्त्तव्य है कि वे छोटे-छोटे नोट हिन्दी में लिखें ताकि अधीनस्थ प्रेरणा पा सकें। डा० गुप्त ने विश्वास प्रकट किया कि हिन्दी का प्रयोग बढ़ाना अधिकारियों के सक्रिय सहयोग से अवश्य संभव हो सकेगा।

हिन्दी कार्यशाला का दीप जलाकर उद्घाटन करते हुए निदेशक डा. शैवाल कान्ति गुप्त।

समापन समारोह की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध विद्वान एवं साहित्यकार डा० श्रवण कुमार गोस्वामी, विभागाध्यक्ष हिन्दी डोरन्डा कालेज, रांची ने की। डा० गोस्वामी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में बताया विदेशी भी भारत में भारतीयता खोजते हैं। अंग्रेजी के कारण हम अर्थव्यवस्था में आज भी पीछे हैं।

अन्त में श्री हरिबाबू कंसल ने अपने अनुभव के आधार पर इस कार्यशाला को उल्लेखनीय बताया। कर्मचारियों के उत्साह व प्रबन्ध के सहयोग की उन्होंने भूरि-भूरि प्रशंसा की।

पुष्पा सक्सेना
हिन्दी अधिकारी

3. नई दिल्ली

संघ लोक सेवा आयोग

संघ लोक सेवा आयोग की दो कार्यशालाओं का विवरण यहां एक साथ दिया जा रहा है।

(1) तारीख 23 फरवरी, 1985 को संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में अधिकारियों के लिए एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसका उद्‌घाटन करते हुए कुमारी कुसम लता मित्तल, भारत सरकार की हिन्दी सलाहकार एवं सचिव, राजभाषा विभाग ने कहा कि सम्पर्क एवं राजभाषा के रूप में सरल एवं सुबोध हिन्दी का प्रयोग बढ़ाना चाहिए। इस अवसर पर राजभाषा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा विशेष रूप से आमंत्रित हिन्दी के अनेक प्रसिद्ध विद्वानों ने भी भाग लिया। श्री हरिबाबू कंसल, (भूतपूर्व उपसचिव रा० भा० विभाग), ने हिन्दी में टिप्पण और प्रारूपण के विषय में बताया, तथा प्रो० मलिक मुहम्मद, (अध्यक्ष वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावाली आयोग), एवं डा० नगेन्द्र ने हिन्दी के राष्ट्रीय महत्व पर प्रकाश डाला। डा. अशोक भट्टाचार्य (सं. निदेशक, हिन्दी शिक्षण योजना) ने सरकारी कार्यालयों में कामकाजी हिन्दी के बारे में बताया। इसी अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग के दैनिक कार्यों में काम आने वाली एक प्रशासन शब्दावली भी वितरित की गई। प्रथम सत्र के अन्त में लोक संघ सेवा आयोग के अति० सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक श्री चन्द्रधर त्रिपाठी ने अतिथियों को धन्यवाद दिया। यह कार्यशाला काफी सफल रही और सभी वर्गों ने इसकी सराहना की।

(2) संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यालय के विभिन्न स्कंधों की कार्य-विधि को दृष्टि में रखते हुए यह निर्णय किया गया था कि अलग-अलग स्कंधों के लिए अलग-अलग कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए। इस क्रम में सबसे पहले भर्ती स्कंध को लेकर कार्यशाला का आयोजन तारीख 24 जून, 1985 से 28 जून, 1985 तक किया गया।

इस कार्यशाला का उद्‌घाटन करते हुए सचिव महोदय ने कहा कि आयोग के कार्यालय में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए विभिन्न प्रयत्न किए जा रहे हैं। सचिव महोदय ने आगे कहा कि आयोग के कार्यालय में हिन्दी में अधिकाधिक कार्य करने का प्रयास होना चाहिए और हिन्दी में लिखते समय बोल-चाल की ओर सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि आयोग की राजभाषा कार्यान्वियन समिति की पिछली बैठक में यह निश्चिय किया गया कि आयोग के कार्यालय में जिस अनुभाग में सबसे अधिक हिन्दी का काम होगा उसे 500 रुपये नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

इस अवसर पर श्री चन्द्रधर त्रिपाठी अतिरिक्त सचिव, एवं परीक्षा नियंत्रक तथा श्री सुबोध लाल संयुक्त सचिव (भर्ती) ने भर्ती स्कन्ध के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग करने के लिए कहा और इस संबंध में कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए।

डा० पांडुरंग राव, निदेशक (रा० भा) ने राजभाषा अधिनियम, नियम एवं आदेशों में हिन्दी से संबंधित संवैधानिक उपबंध का संकलन नामक पुस्तिका तथा संघ लोक सेवा आयोग से दैनिक कार्य के लिए अंग्रेजी-हिन्दी में बनाई एक प्रशासन शब्दावली की प्रतियां भी वितरित की गई।

कार्यशाला को रोचक और सार्थक बनाने के लिए पहले दिन राजभाषा प्रश्न मंच तथा अंतिम दिन शब्द मंच का भी आयोजन किया गया।

पांच दिन की इस कार्यशाला में भर्ती स्कंध के कार्य क्षेत्र में आने वाले विभिन्न पत्रों, परिपत्रों, मानक प्रारूपों, प्रलेखों आदि में हिन्दी का प्रयोग करने की संभावना पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रत्येक दिन चर्चा पर राजभाषा के उप निदेशक और सहायक निदेशकों ने एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार विस्तार से प्रकाश डाला।

इस कार्यशाला का समावर्तन करते हुए श्री पूर्ण चन्द होता, अति० सचिव, संघ लोक सेवा आयोग ने कहा कि यह कार्यशाला बहुत सफल रही है और इससे आयोग के कार्यालय में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए अनुकूल वातावरण पैदा हुआ है।

योगेन्द्र नाथ गुप्त
उप निदेशक (रा० भा०)
संघ लोक सेवा आयोग

(2) दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली

कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने को प्रात्साहन देने तथा उनकी झिझक दूर करने के लिए दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया में समय-समय पर कार्यशालाओं का अयोजन किया जाता रहा है। इस वर्ष निगम में 20 से 25 मई तक कनिष्ठ एवं सहायक अधिकारियों के लिए एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें केन्द्रीय कार्यालय के सभी विभागों के 14 अधिकारियों ने भाग लिया।

हिन्दी कार्यशाला का उद्‌घाटन 20 मई को निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री पी० एल० कुकरेजा के करकमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर निगम के उप महाप्रबन्धक (का० एवं प्र०) श्री पी० जी० वांरवंकर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निशदेक श्री कुकरेजा हिन्दी कार्य में विशेष लगाव एवं रूचि रखते हैं, उन्होंने कार्यशाला का उद्‌घाटन करते हुए अपने अध्यक्षीय भाषण में कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया तथा आशा व्यक्त की कि इस प्रकार की कार्यशाला से अधिकारियों को हिन्दी में काम करने का प्रोत्साहन मिलेगा और निगम में हिन्दी में काम करने में और अधिक प्रगति होगी।

इसके पश्चात् रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के हिन्दी अधिकारी श्री बी० एस० मेहरा ने हिन्दी कार्यशालाओं के अयोजन का उद्देश्य तथा उनकी उपयोगिता के बारे में बताते हुए कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य

कर्मचारियों की हिन्दी में काम करने की झिझक दूर करके उन्हें उसका अभ्यास कराना है। उन्होंने कार्यशाला में कर्मचारियों को अभ्यास भी कराया।

कार्यशाला के दूसरे दिन राजभाषा विभाग के उपनिदेशक श्री मोतीलाल चतुर्वेदी ने अधिकारियों को राजभाषा नीति के बारे में विस्तार से किन्तु रोचक तरीके से बताया। राजभाषा विभाग के ही श्री ए० के० रोहतगी ने अधिकारियों को विभिन्न प्रकार के देवनागरी टाइपराइटरों के बारे में बताया। दिनांक 23-5-1985 को केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के निदेशक श्री राजमणि तिवारी ने भी बहुत ही उपयुक्त तरीके से राजभाषा अधिनियम के बारे में बताते हुए कक्षा में अभ्यास कराया।

24-5-85 को हिन्दी शिक्षण योजना के संयुक्त निदेशक श्री ए० के० भट्टाचार्य ने "कामकाजी हिन्दी की रूपरेखा" बड़े ही रोचक ढंग से बताते हुए बताया कि हिन्दी भाषा में बहुत से शब्द अंग्रेजी भाषा से वैसे के वैसे अपना लिए गए हैं। हिन्दी में नोटिंग/ड्राफ्टिंग करते समय यदि हिन्दी का कोई शब्द नहीं आता तो शब्द के लिए अटकना नहीं चाहिए भाषा दीवार न बने, सीढ़ी बने।

कार्यशाला के अन्तिम दिन एक सामान्य परीक्षा ली गई जिसमें कार्यशाला के दौरान अभ्यास की गई सामग्री में से प्रश्न किए गए। प्रथम द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को क्रमशः 75, 50 तथा 25 रुपये के पुरस्कार दिए गए।

डा० अ० कु० भट्टाचार्य
संयुक्त निदेशक

3. सिंडीकेट बैंक, नई दिल्ली

सिंडीकेट बैंक, दिल्ली प्रादेशिक कार्यालय के राजभाषा कक्ष द्वारा दिनांक 20-5-85 से 22-5-85 तक अधिकारी वर्ग के लिए और दिनांक 23-5-85 से 25-5-85 तक तीन-तीन दिन की हिन्दी कार्यशालाएं लिपिक वर्ग के लिए आंचलिक कार्यालय, दिल्ली के सभा कक्ष में आयोजित की गई।

अधिकारी वर्ग हेतु हिन्दी कार्यशाला

अधिकारी वर्ग की तीन दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन उत्तर प्रदेश विधान सभा के विधायक एवं हिन्दी प्रेमी देवेन्द्र पाण्डेय ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में श्री पाण्डेय ने हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग की महत्ता पर बल देते हुये इसे राष्ट्रीय विकास हेतु प्रेरक बताया। आपने सिंडिकेट बैंक को इस दिशा में प्रयास करने के लिए बधाई दी। उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता दिल्ली मंडल कार्यालय के मंडल प्रबंधक श्री एस. पी. जैन ने की। श्री जैन मुख्य अतिथि श्री पाण्डेय का आभार व्यक्त करते हुए बैंक की ओर से यह विश्वास व्यक्त किया कि सिंडिकेट बैंक भी हिन्दी के विकास हेतु सदैव आगे रहेगा।

इस अवसर पर डा० देशबंधु राजेश ने कहा कि बैंकों में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग एक राष्ट्रीय महत्व का कार्य है और इसी उदात्त भावना से अधिकारी वर्ग एवं लिपिक वर्गहेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।

यह उल्लेखनीय है कि इस कार्यशाला को डेढ़-डेढ़ घण्टों के 10 सत्रों में बांट कर संघ की राजभाषा नीति, भारत सरकार/रिजर्व बैंक आदि के हिन्दी विषयक अनुदेश, सुविधाएं, प्रयोजनमूलक हिन्दी, तिमाही प्रगति रिपोर्ट का भरा जाना, फार्मों, प्रारूपों को तैयार करना आदि विषयों पर न केवल सम्भाषण दिए गए अपितु व्यवहार के लिए अभ्यास भी कराए गए।

अधिकारी वर्ग की कार्यशाला में 11 अधिकारियों ने भाग लिया जो दिल्ली स्थित विभिन्न शाखाओं और कार्यालयों से आये थे। कार्यशाला में राजभाषा अधिकारी डा० देशबंधु राजेश ने पांच सत्र लिए, जबकि अतिथि संकायों में प्रा० का० दिल्ली के अधिकारी श्री श्याम सुन्दर वैद्य ने तीन सत्र और क० प्र० म० दिल्ली के हिन्दी संकाय सदस्य डा० अमर सिंह वधान ने दो सत्र लिए।

इस कार्यशाला के समापन समारोह के अवसर पर बैंक के दिल्ली प्रादेशिक कार्यालय के सहायक महाप्रबंधक श्री वी० ए० बालिगा ने अपने सारगर्भित भाषण में इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि राजभाषा कक्ष हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन कर हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

लिपिक वर्ग हिन्दी कार्यशाला

लिपिक वर्ग हेतु हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन बैंक के दिल्ली आंचलिक कार्यालय के उप महाप्रबंधक श्री जी० ए० रेगो ने किया। श्री रेंगो ने कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से निश्चित रूप से हिन्दी का प्रचार-प्रसार होगा। आपने कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे अपने अन्य साथियों को भी कार्यशाला में किए गए अध्ययन के बारे में बताएं। श्री रेंगो ने कहा कि हिन्दी का प्रयोग करना एक संवैधानिक व्यवस्था है और "क" अर्थात् हिन्दी भाषी क्षेत्र में ऐसे कार्यक्रम निरंतर होने चाहिएं। आपने सुझाव दिया कि हिन्दी अधिकारी शाखाओं में जाकर भी ऐसे प्रशिक्षण दे सकते हैं।

इस कार्यशाला में भी अधिकारी वर्ग की कार्यशाला के लगभग सभी विषयों पर 9 सत्र चलाए गए। इनमें विभिन्न शाखाओं और कार्यालयों के 19 लिपिक कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में डा० राजेश ने पांच सत्र, श्री राधेश्याम सैनी ने दो सत्र और श्री चेतन दास कबीर ने दो सत्र लिए।

कार्यशाला के समापन कार्यक्रम के अवसर पर बैंक के नए महाप्रबंधक श्री के० लक्ष्मीनारायण ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया कि वे महाप्रबन्धक के रूप में भी बैंक में हिन्दी के प्रयोग को आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास करते रहेंगे।

बलदेव दुआ
उप प्रभागीय प्रबंधक

4. केनरा बैंक, नई दिल्ली

कैनरा बैंक द्वारा दिनांक 9-5-85 को नई दिल्ली में लिपिक वर्गीय तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में साप्ताहिक हिन्दुस्तान के भूतपूर्व संपादक, "हम लोग" के प्रतिष्ठित लेखक, उपन्यासकार तथा वित्त मंत्रालय हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य श्री मनोहरश्याम जोशी ने कर्मचारियों को संबोधित कर हिन्दी में काम करने की प्रेरणा दी। उन्होंने हिन्दी को अनुवाद की भाषा न बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हिन्दी को अनुवाद के द्वारा कृत्रिम भाषा बनाया जा रहा है। कैनरा बैंक के हिन्दी कार्य की प्रशंसा करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि दक्षिण में अपनी भाषा को जितनी अहमियत दी जाती है वहां उत्तर में इसे उच्च-वर्गीय इस्तेमाल करने में हिचकते हैं। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव और अंग्रेजी के वर्चस्व को उन्होंने एक विडम्बना बताते हुए कहा कि आज भारत में हमारी अपनी ही संस्कृति का विभाजन होने का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ने, अपनी पहचान, अपनी अहमियत बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हिन्दी का एक विशिष्ट महत्व है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए।

इस अवसर पर मंडल प्रबंधक श्री के० एन० कामत ने शाखाओं के लिए हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया और कहा कि इस दिशा में हम बहुत आगे जाना चाहते हैं। कर्मचारियों को भी इस दिशा में निःसंकोच आगे आना चाहिए। कार्यक्रम का संयोजन रमेशचन्द तथा श्रीमती जीवनलता जैन द्वारा किया गया। इस कार्यशाला में कार्यक्रम के अनुसार निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए गए :—

1. भारत सरकार की राजभाषा नीति विशेषकर बैंकों के संदर्भ में
2. बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त हिन्दी
3. हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही रिपोर्ट के संबंध में विस्तृत जानकारी
4. भारतीय रिजर्व बैंक का वार्षिक राजभाषा कार्यान्वयन कार्यक्रम—हमारे बैंक में हिन्दी का प्रयोग
5. अनुवाद प्रक्रिया एवं बैंकिंग शब्दावली
6. हिन्दी व्याकरण, हिन्दी में पत्राचार करते समय याद रखने वाली मुख्य बातें, हिन्दी पत्राचार का अभ्यास
7. हिन्दी प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं तथा केनरा बैंक की प्रोत्साहन योजना, राजभाषा शील्ड योजनाएं—भारतीय रिजर्व बैंक : केनरा बैंक
8. हिन्दी में तार कुछ अभ्यास
9. हिन्दी में ग्राहक सेवा के लिए द्विभाषिक फार्मों को भरने का अभ्यास, डीडी पास बुक में हिन्दी में प्रविष्टि
10. ग्राहक सेवा

रमेश चन्द
राजभाषा अधिकारी

5. निरीक्षण निदेशालय, नई दिल्ली

मयूर भवन, नई दिल्ली में स्थित वित्त मंत्रालय (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) के सम्बद्ध कार्यालय निरीक्षण निदेशालय (अनुसंधान) में राजभाषा हिन्दी प्रचार-प्रसार करने और कर्मचारियों को राजभाषा के प्रयोग का प्रशिक्षण देने के लिए 18 मार्च, 1985 से 23 मार्च, 1985 तक, एक छह दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला का उद्घाटन इस निदेशालय के निदेशक, श्री एल० आर० जैन ने किया। इस अवसर पर अपने उद्गार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि हिन्दी का उच्च स्तरीय ज्ञान न होते हुए भी, जब कभी मेरे पास हिन्दी में लिखी टिप्पणी आती है तो मुझे प्रसन्नता होती है। उन्होंने हिन्दी के प्रचार-प्रसार कार्य को प्रेम और सद्भाव से करने पर बल दिया।

इस कार्यशाला में कर्मचारियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति की जानकारी देने के साथ-साथ कार्यालय के प्रशानिक तथा अन्य कार्यों में हिन्दी के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया गया। कर्मचारियों में हिन्दी लिखने की झिझक को दूर करने के लिए उनसे पर्याप्त अभ्यास भी करवाया गया।

हिन्दी कार्यशाला में प्रशिक्षित कर्मचारियों को प्रमाणपत्र देन के लिए 29-4-1985 को एक दीक्षान्त समारोह का आयोजन किया गया। इसमें श्री सुधाकर द्विवदी, सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष बोड तथा भूतपूर्व संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, मुख्य अतिथि के रूप म उपस्थित थे। उनके अतिरिक्त अन्य निदेशालयों के निदेशक, कुछ आयकर आयुक्त तथा अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी इस समारोह म उपस्थित थे। समारोह की अध्यक्षता श्री के० एम० चौधरी, निरीक्षण निदेशक (आसूचना) ने की। अपने स्वागत भाषण में श्री चौधरी ने अन्य बातों के साथ यह भी कहा कि आजादी के 37 वर्ष बाद भी हिन्दी को समुचित स्थान नहीं मिल पाया है, यह अवांछनीय और विचारणीय स्थिति है।

कार्यक्रम के अनुसार श्री सुधाकर द्विवदी ने कार्यशाला म प्रशिक्षित कर्मचारियों को प्रमाणपत्र दिए और हिन्दी के प्रयोग के लिए कुछ सहायक साहित्य भी इन कर्मचारियों में वितरित किया। श्री द्विवदी ने अपने भाषण में कहा कि वास्तव म हिन्दी अभी भी अपन अस्तित्व की तलाश में ही है, क्योंकि अभी हम राजभाषा अंतरण के संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। राजभाषा अधिनियम व उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा समय-समय पर जारी किए जाने वाल आदेशों को लागू करने के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंन स्पष्ट रूप से कहा है कि एक अनुशासनिक कर्मचारी की हैसियत से राजभाषा संबंधी प्रावधानों का अनुपालन करना ही हमारा प्रमुख दायित्व है और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपने दायित्व का सही निर्वाह नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया कि हिन्दी को लिखने म वे किसी प्रकार का संकोच न करें, क्योंकि भाषा संव्यवहार से ही बढ़ती है। उन्होंने राजभाषा हिन्दी में अंग्रेजी, उर्दू और देश की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करने पर भी बल दिया, ताकि हिन्दी और भी अधिक समृद्ध भाषा हो सके। तकनीकी

विषयों में भाषा परिवर्तन को हिन्दी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने और भी सरल बताया क्योंकि ऐसे विषयों में भारत सरकार की राजभाषा नीति यह रही है कि तकनीकी शब्दों का लिप्यंतरण करके हिन्दी भाषा का प्रवाह बनाए रखा जाए। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हिन्दी को राजभाषा स्वीकार किया है और इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि कालांतर में हिन्दी ही हमारे देश की एकमात्र राजभाषा होगी।

विचार दास
हिन्दी अधिकारी
निरीक्षण निदेशालय (अनुसंधान)

5. आकाशवाणी एवं दूरदर्शन, जामनगर हाउस, नई दिल्ली

कार्यालय में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का हिन्दी में काम करने का अभ्यास बढ़ाने एवं इसके मार्ग में आने वाली कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से कार्यालय परिसर में 13 मई, 1985 से 18 मई, 1985 तक छः दिवसीय द्वितीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें कार्यालय के आठ कर्मचारियों ने भाग लिया। इसका उद्घाटन मुख्य अभियन्ता श्री विद्या भूषण प्रधान ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने बड़ी संख्या में उपस्थित कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का उद्बोधन करते हुए बताया कि कर्मचारियों में हिन्दी के प्रयोग के प्रति उदासीनता एवं अपनी भाषा में ही मूल चिन्तन करने का अभाव हिन्दी की मन्द प्रगति का एक प्रमुख कारण रहा है। इन कार्यशालाओं के आयोजन का एक प्रमुख उद्देश्य यही है कि सरकारी कर्मचारियों को समय-समय पर अपनी राजभाषा के प्रति सचेत किया जाए और उन्हें मूलरूप से हिन्दी में ही नोटिंग ड्राफ्टिंग करने के लिए तैयार किया जाए ताकि अनुवाद पर निर्भर न रहना पड़े। उस दिन के प्रमुख वक्ता-द्वय श्री टी० एस० सुन्दरेशन, उपनिदेशक (प्रशा०) एवं श्री सतीश चन्द्र शुक्ल, सहायक निदेशक (राजभाषा), दूरदर्शन महानिदेशालय, नई दिल्ली ने अपने सारगर्भित भाषण में सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के महत्व और इस संबंध में सरकार द्वारा बनाए गए नियमों एवं दिए जाने वाले प्रोत्साहनों पर विस्तार से प्रकाश डाला। श्री सुन्दरेशन ने बताया कि दक्षिण में हिन्दी विरोध का स्वर वास्तव में उतना मुखर नहीं है जितना कि प्रायः सुनने में आता है तथा वहां की प्रबुद्ध जनता स्वेच्छया हिन्दी सीख रही है। कार्यालय के हिन्दी अधिकारी ने कार्यालय के सरकारी कामकाज में हिन्दी की प्रगति का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया।

कार्यशाला के शेष दिनों में संघ लोक सेवा आयोग के निदेशक (राजभाषा) डा० पाण्डुरंग राव, आकाशवाणी महानिदेशालय में उपनिदेशक (राजभाषा) डा० गिरिवरधारी सिंह, तथा आकाशवाणी केन्द्र, नई दिल्ली के हिन्दी अधिकारी श्री देसराज नारंग ने विविध महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालते हुए कर्मचारियों का बड़ा अच्छा मार्गदर्शन किया। डा० राव ने अपने सारगर्भित समापन भाषण में हिन्दी के आध्यात्मिक (धर्म एवं साहित्य संबंधी), मानसिक (ज्ञान-विज्ञान संबंधी) एवं भौतिक (सरकारी कामकाज एवं दैनिक व्यवहार संबंधी) तीनों पक्षों के समुचित विकास को महत्व देते हुए सरकारी प्रयोग में उसकी अद्यतन स्थिति स्पष्ट की।

हरि शरण आर्य
हिन्दी अधिकारी
मुख्य अभियन्ता (उत्तरी क्षेत्र) आकाशवाणी
एवं दूरदर्शन, जामनगर हाउस, नई दिल्ली

4. जयपुर, विजया बैंक

विजया बैंक ने अपनी राजस्थान शाखाओं के कर्मचारियों के लिए 25 और 26 फरवरी को जयपुर में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में 19 कर्मचारियों ने भाग लिया। सिंध-राजस्थान राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति जयपुर की प्रान्तीय संचालिका डा० स्वर्णलता ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि राष्ट्र-भाषा के रूप में हिन्दी के लिए जो काम प्रचार-समितियां कर रही हैं, हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्थापित कराने के बैंकों के इन प्रयासों से उन्हें बहुत बल मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हिन्दी विश्व स्तर पर तो जा पहुंची है लेकिन हमारा कामकाज जब तक हिन्दी में न होने लगे तब तक हमें संतोष नही करना है। समारोह की अध्यक्षता जयपुर शाखा के वरिष्ठ प्रबंधक श्री एम० निरंजन राई ने की। राजभाषा का संचालन प्रभागीय राजभाषा अधिकारी श्री भुवनचन्द्र जोशी (अहमदाबाद) ने किया तथा आभार ज्ञापित किया दिल्ली प्रभाग के राजभाषा अधिकारी श्री प्र० वें० मुतालिक ने।

सहायक महाप्रबन्धक

5. प्रत्यक्षकर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ

प्रत्यक्ष कर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ (राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपुर का एक भाग) द्वारा सम्पूर्ण भारत में कार्यरत आयकर विभाग के हिन्दी आधकारियों को विभागीय अधिनियमों, नियमों तथा कार्य-पद्धति की प्रक्रियाओं की जानकारी देने के निमित्त दिनांक 15-4-84 से 20 4-85 तक लखनऊ में प्रशिक्षण दिया गया। इसी प्रकार का प्रशिक्षण अकादमी द्वारा 1983 में भी दिया गया था।

भारतीय संस्कृति की धरोहर लखनऊ नगरी में संपूर्ण देश के आयकर विभाग के करीबन 27 हिन्दी अधिकारियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। इन अधिकारियों में से कई अधिकारी आयकर प्रक्रिया से पूर्णतः अनभिज्ञ थे। वैसे सभी जानत हैं कि आयकर अधिनियम विश्व के कठिनतम अधिनियमों में से एक हैं। ऐसे अधिनियम के कार्यान्वियन के निमित अधिकारियों को उस अधिनियम की पृष्ठभूमि सहित पूर्ण जानकारी, होने पर ही कुछ तथ्यात्मक निर्णय तथा निष्कर्ष दिए जा सकते हैं। न्यायालय निर्णयों और समीक्षाओं के साथ उपलब्ध होने पर भी हम देखते हैं कि देश के उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच न्यायालय में आयकर अधिनियम से सम्बन्धित सैकड़ों मामले वर्षों से लम्बित पड़े हुए हैं।

इन अधिनियमों से हिन्दी अधिकारियों का अछूता होने पर भी उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे कभी भी अंग्रेजी अनुच्छेद, खण्ड तथा धाराओं का पूर्णरूपेण सही रूपान्तर प्रस्तुत करें। परिस्थिति विकट है। विधि तथा अधिनियमों से दूर रहने वाला हिन्दी अधिकारी शब्दों के अर्थों के घेरों में उलझता, फंसता चला जाता है और अंग्रेजी से हिन्दी रूपान्तर के पश्चात् उस पद खण्ड का अर्थांतर हो जाता है। इन्हीं संभावनाओं से बचने के निमित्त माननीय श्री बी० जे० चाको, महानिदेशक, राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपुर ने हिन्दी अधिकारी को विभाग की कार्यप्रणाली तथा कानूनी शब्दावली की व्याख्या समझने के लिए यह पाठ्यक्रम आयोजित करके समस्त हिन्दी अधिकारियों को अवश्य ही उपकृत किया है।

कार्यशाला प्रति दिन 5 सत्रों की थी जिनमें आयकर विभाग का संगठनात्मक ढांचा, आयकर/धनकर/दानकर अधिनियमों के महत्व का प्रावधान, आयकर अधिनियम पद्धति, कर निर्धारण, शास्ति तथा अभिषद (सिंडीकेट) परिचर्चा के द्वारा 6 दिनों में विभाग की कार्य-प्रणाली से परिचय कराया गया। प्रशिक्षण का उद्घाटन श्री सुधाकर द्विवेदी, सदस्य केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा किया गया। इस अवसर पर लखनऊ प्रभाग के श्री धरणी धर, आयकर आयुक्त तथा श्री टी० पी० झुनझुनवाला, निरीक्षण निदेशक (गवेषणा, सांख्यिकी और जन संपर्क), नई दिल्ली प्रमुख रूप से उपस्थित थे। प्रशिक्षण की आयोजिका कु० एम० एच० खेरावाला, उप-निदेशक, प्रत्यक्ष कर क्षेत्रीय संस्थान, लखनऊ ने मुख्य अतिथि तथा प्रशिक्षणार्थियों का स्वागत किया और संस्थान की प्रशिक्षण प्रणाली से सबको अवगत कराया आपन बताया कि इस पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य हिन्दी अधिकारियों को आयकर कानून का ज्ञान और कौशल प्रदान करना है ताकि वे और अधिक प्रभावी ढंग से तथा दक्षतापूर्वक अपनी सेवाएं आयकर विभाग को समर्पित कर सकें। प्रशिक्षण कला में दक्ष श्री सत्य देव, श्री महेष चंद्र, डा० पी० पी० लक्कड, डा० ओंकारनाथ त्रिपाठी, श्री राज किशोर, श्रीमती शालिनी शर्मा ने अत्यन्त कुशलतापूर्वक इस जटिल विषय को समझाने का प्रयास किया। प्रशिक्षण के पश्चात् सभी प्रशिक्षार्थियों को संस्थान द्वारा प्रमाण-पत्र दिया गया।

प्रशिक्षण की विशेषता यह थी कि इस प्रशिक्षण में सभी प्रशिक्षक, आयकर विभाग के उच्च-अधिकारीगण ही थे। आयकर विभाग के शुष्क कार्य को आंग्ल भाषा में निष्पादित करने के बावजूद उनके हृदय में हिन्दी भाषा की सरसता और दुरूह विषय को सरल हिन्दी के माध्यम से समझने के कौशल ने वास्तव में प्रशिक्षार्थियों को आश्चर्यचकित कर दिया। मेरा विचार तब और भी दृढ़ हो गया कि आयकर के विभिन्न प्रभागों में चलाई जाने वाली हिन्दी कार्यशालाओं में यदि हम अधिक से अधिक विभागीय अधिकारियों के द्वारा ही प्रशिक्षण दिलाए तो वह अधिक उपयोगी एवं सार्थक सिद्ध हो सकेगा। राजभाषा के प्रगति-पथ पर आयकर विभाग द्वारा हिन्दी अधिकारियों के प्रशिक्षण का यह अनूठा मानक सफल प्रयोग है।

मुझे विश्वास है कि अन्य मंत्रालय तथा विभाग भी इसका अनुकरण कर, हिन्दी के प्रयोग की दिशा में नया मोड़ अवश्य दे सकेंगें। प्रशिक्षण की अवधि, मेरे विचार से कम से कम एक माह की होनी चाहिए तथा ऐसे प्रशिक्षण हिन्दी भाषी क्षेत्रों से हट कर यदि दक्षिण भारत के प्रान्तों में आयोजित किए जाएं तो उसका राजभाषा क प्रचार-प्रसा र में विशेष प्रभाव अवश्य पड़ेगा।

रा. ना. निखर
हिन्दी अधिकारी,
आयकर आयुक्त का० विदर्भ, नागपुर

6. आयकर विभाग, देहरादून

देहरादून दिनांक 25 मई, 85--गृह मंत्रालय की हिन्दी कार्यशाला योजना के अन्तर्गत आयकर आयुक्त, आगरा द्वारा आगरा, मेरठ व कानपुर के आयकर अधिकारियों के लिए देहरादून में दिनांक 18 मई, 85 से 24 मई, 85 तक आयोजित संयुक्त हिन्दी कार्यशाला में उसके उद्घाटन के अवसर पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली के सदस्य माननीय श्री सुधाकर द्विवेदी जी ने अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमें हिन्दी के प्रयोग के बारे में हीन भावना का त्याग करना होगा। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी ब्रिटिश शासन के साथ आई थी और उसके साथ ही चला जाना चाहिए था किन्तु स्वतंत्रता के काफी सालों के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग अधिक है और हिन्दी को बढ़ावा नहीं मिल सका। उन्होंने कहा कि हमें विदेशी भाषा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिया है, अतः हमें अपना सारा काम हिन्दी में ही करना चाहिए।

कार्यशाला में आगरा, मेरठ व कानपुर प्रभागों के 22 आयकर अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का उद्देश्य आयकर अधिकारियों को हिन्दी में काम करने के लिए राजभाषा नियम, अधिनियम आदि की विस्तृत जानकारी देना और प्रशासनिक तथा कर-निर्धारण क्षेत्र में आदेश तथा सरकारी पत्राचार संबंधी अभ्यास कराना था। इसके साथ-साथ इस कार्यशाला में अधिकारियों से वार्षिक कार्यक्रम 85-86 के कार्यान्वयन के लिए भी अपील की गई।

कार्यशाला क प्रशिक्षण समाप्त होने पर दीक्षान्त भाषण देते हुए मेरठ आयकर आयुक्त श्री वी० के० सचदेवा न अधिकारियों स यह अपेक्षा की कि यहां पर जो हिन्दी कार्यशाला आयोजित हुई है उसका सही उपयोग सही अर्थों में तभी होगा जब अधिकारी अपन-अपने कार्यालय में जाकर स्वंय हिन्दी का प्रयोग करेगें तथा अपन सहयोगियों को भी इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। कार्यशाला के समापन पर एक प्रतियोगी परीक्षा भी उत्साहवर्धन हेतु की गई थी। जिसमें आयकर आयुक्त, मेरठ की ओर से प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले अधिकारियों श्री पी. एन. सक्सेना, आयकर अधिकारी, आगरा (प्रथम), श्री ब्रजेन्द्र प्रसाद बहुखण्डो, आयकर अधिकारी कानपुर (द्वितीय), श्री प्रेम चन्द्र गुप्ता, आयकर अधिकारी, मुजफ्फर-नगर (तृतीय) को पुरस्कार और प्रमाण-पत्र प्रदान किए तथा अन्य अधिकारियों को प्रमाण-पत्र दिए गए।

कार्यशाला की सफलता का श्रेय मेरठ और देहरादून को ही है। उन्होंने बाहर से आए हुए प्रशिक्षार्थी अधिकारियों तथा प्रशिक्षकों के प्रति विशेष कर श्री सुधारक द्विवेदी सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली के प्रति आभार प्रकट किया और तीनों प्रभागों की ओर से धन्यवाद दिया।

रामचन्द्र मिश्र
हिन्दी अधिकारी
आयकर आयुक्त कार्यालय, आगरा

हिन्दी दिवस सप्ताह

1. रेल मंडल, वालतेरु

दक्षिण पूर्व रेलवे के वालतेरू मंडल में दिनांक 26-3-85 एवं 27-3-85 को हिन्दी सप्ताह मनाया गया। प्रथम दिन श्री सी० वी० रत्नम, राजभाषा अधिकारी एवं प्रवर मंडल विद्युत इंजीनियर (कर्षण) ने मंडल में हिन्दी की प्रगति से सम्बन्धित वार्षिक रपट प्रस्तुत की। तत्पश्चात् मुख्य अतिथि के रूप में इस समारोह में पधारे। आन्ध्र विश्वविद्यालय के प्रो. कर्ण राजशेषगिरि राव ने कहा कि इतिहास साक्षी है कि जब कभी सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक विचारों को सम्पूर्ण देश में फैलाने की आवश्यकता पड़ी हिन्दी का ही सहारा लेना पड़ा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि महात्मा गांधी जी ने देश की आम जनता को स्वतंत्रता आन्दोलन की मुख्य धारा में लाने के लिए हिन्दी के व्यापक प्रचार की आवश्यकता पर बल दिया और 1918 में उन्होंने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की तथा अपने पुत्र को इस पुनीत कार्य में लगाया। उन्होंने आगे कहा कि हिन्दी का अन्य भारतीय भाषाओं से बहुत निकट का संबंध है और कन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में कामकाज की भाषा हिन्दी को अपना लेने से प्रान्तीय भाषाओं को बल मिलेगा और राज्यों का कामकाज भी प्रान्तीय भाषाओं में होने लगेगा।

दि. 27-3-85 को रेल मंडल वालतेरु में आयोजित "हिन्दी सप्ताह" का एक दृश्य।

समारोह के दूसरे दिन दिनांक 27-3-85 को मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए श्री वी० एच० जैदी अपर मुख्य बिजली इंजीनियर/गाडनरीच ने कहा कि हिन्दी बहुत पहले से ही देश में सम्पर्क भाषा के रूप में काम कर रही है। अहिन्दी भाषी भी अपनी मातृभाषा के अलावा अन्य भाषा-भाषियों से बातचीत हिन्दी में ही करते हैं क्योंकि देश में अंग्रेजी जानने वालों की संख्या केवल दो प्रतिशत ही है। उन्होंने आगे कहा कि समय का तकाजा है कि हिन्दी लिखने, पढ़ने वालों को अन्य भाषाओं के शब्दों को निःसंदेह अपनाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें आज नहीं तो कल अपना कामकाज हिन्दी में ही करना है। अतः इसके लिए जितना शीघ्र तैयार हो जाएं उतना ही अच्छा है।

अध्यक्ष पद से बोलते हुए श्री तेज कुमार सिंह, मंडल रेल प्रबन्धक ने कहा कि हिन्दी एक सरल भाषा है और इसमें किसी भी प्रकार के विचारों को वहन की विलक्षण क्षमता है।

समारोह के दूसरे दिन एक भव्य समारोह में मंडल रेल प्रबंधक श्री तेज कुमार सिंह ने हिन्दी वाक्, निबन्ध, टिप्पण एवं आलेखन, टंकण तथा वार्तालाप प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, एवं तृतीय स्थान पाने वालों को नकद पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया। उन्होंने 10 ऐसे कर्मचारियों को भी पुरस्कृत किया जिन्होंने हिन्दी में सराहनीय काम किया था। दोनों दिन विशाखापट्टनम नाट्य अकादमी से सम्बद्ध रेल कर्मी श्री जी० जे० चारी की सुपुत्री, कु० जी० लक्ष्मी तथा डा० जे० एल० नायर द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।

सी. बी. रत्नम
मंडल राजभाषा अधिकारी
एवं प्रवर मंडल विद्युत
इंजिनियर वालतेरू

2. हैदराबाद

डायनामिक्स टेलीफोन्स, हैदराबाद

भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में दिनांक 18-3-1985 को हिन्दी दिवस समारोह के उपलक्ष में हिन्दी निबन्ध-लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का विषय था "राष्ट्र की प्रगति के लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता"। इस प्रतियोगिता में अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने उत्साह-पूर्वक भाग लिया।

निम्नलिखित 12 प्रतियोगियों को गुणक्रमानुसार पुरस्कार घोषित किए गए हैं।

अधिकारी	पुरस्कार
1. श्री बी० पाण्डुरंगम सहायक प्रबंधक	प्रथम
2. श्री. बी. आर. निम्बालकर वरिष्ठ प्रबन्धक	द्वितीय
3. श्री टी०सी०के० सिंह प्रबन्धक	प्रोत्साहन पर
4. श्री जे० हनुमन्त राव उप प्रबन्धक	

कर्मचारी	पुरस्कार
1. श्री तारे लाल	प्रथम
2. श्रीमती घर्णम्मा	प्रथम
3. श्री सुहास फुलमामडीकर	द्वितीय
4. श्रीमती जयश्री	द्वितीय
5. श्री एन. के. दुबे	तृतीय
6. श्रीमती वाई सुभद्रा	तृतीय
7. श्री संतोष कुमार यादव	प्रोत्साहन
8. श्री आर० एस. वालवेकर	प्रोत्साहन

(नरहर देव)
सदस्य सचिव
राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद

2 हैदराबाद, महाप्रबंधक टेलीफोन्स

महाप्रवन्धक के अधीनस्थ सभी यूनिटों में हिन्दी सप्ताह के अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रमों को परिचालित किया गया। इस अवसर पर आयोजित निम्न प्रतियोगियों के लिए अधिकारियों एंव कर्मचारियों के लिए अलग से पुरस्कारों की व्यवस्था की गई। प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिस्पर्धियों के नाम गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अधिक संख्या में प्राप्त हुए।

प्रतियोगिताएं :

1. निबन्ध प्रतियोगिता
2. भाषण प्रतियोगिता
3. तकनीकी शब्दों की स्मरण शक्ति प्रतियोगिता
4. टिप्पण व प्रारूप लेखन प्रतियोगिता

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस मनाया जाना था परन्तु अशान्त वातावरण होने के कारण इन प्रतियोगिताओं को अक्तूबर 12 से 20 के बीच आयोजित किया गया और 22 अक्तूबर के दिन यह समारोह महाप्रबन्धक, हैदराबाद टेलीफोन्स, श्रीमान एम०आर० सुब्रह्मण्यम जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ पर इस अवसर पर केन्द्रीय डाक-तार हिन्दी सलाहकार समिति के माननीय सदस्य श्रीमान वे० अजिनेय शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अपने विचार व्यक्त किए। आपने अपने भाषण में कहा कि हैदराबाद टेलीफोन्स में हिन्दी के प्रचार-प्रसार में सराहनीय कार्य हो रहा है और विशेष कर "177" तेलुगु हिन्दी विशेष सेवा के प्रारम्भ हो जाने से इस सेवा की लोकप्रियता बढ़ गई है। आपने कहा कि जब कभी मैं इस कार्यालय में आता हूं तो सभी सदस्यों को परिवार के रूप में पाता हूं और मुझको निजी घर जैसा आनन्द मिलता है।

अध्यक्षीय भाषण में श्रीमान एम० आर० सुब्रह्मण्यम महाप्रबन्धक टलीफोन्स महोदय ने प्रतिभागियों को पुरस्कार व प्रमाण-पत्र वितरित करते हुए सम्बोधित किया कि वे अपने दैनंदिन सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करें। आपने अधिक संख्या में अधिकारियों द्वारा प्रतियोगिताओं में भाग लेने और सफलता प्राप्त करने पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि यद्यपि कार्यक्षेत्र तकनीकी है फिर भी इन लोगों में राजभाषा हिन्दी के प्रति गहरा लगाव व प्रेम है। आपने इस श्रद्धा व लगन को बनाये रखने की प्रेरणा दी। "177" तेलुगु हिन्दी विशेष सेवा को और अधिक उपयोगी व लोकप्रिया बनाने के लिए हिन्दी अधिकारी को माननीय श्री वे. अजिनेय शर्मा से समय-समय पर परामर्श करने का सुझाव दिया।

हिन्दी दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए महाप्रबन्धक टेलीफोन्स श्री एस. आर. सुब्रह्मण्यम तथा अन्य अधिकारी गण तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हिन्दी अधिकारी श्री जी. प्रेमकुमार।

हिन्दी अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग व कार्यान्वयन पर प्रकाश डालते हुए गृह मन्त्रालय द्वारा प्राप्त वर्ष 1984-85 के वार्षिक कार्यक्रम की चर्चा की। राजभाषा कार्यान्वयन समिति, राजभाषा अधिनियम, धारा 3(3) आदि की विस्तृत जानकारी सभी सदस्यों को पुनः एक बार दी। हिन्दी प्रशिक्षण तथा सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट कियाकि हमें और अधिक परिश्रम करना होगा जिससे हम लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर सकेंगे।

विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को उनकी सफलता पर बधाई देते हुए इस बात का विशेष उल्लेख किया गया कि यद्यपि प्रतिभागी तकनीकी कार्य से सम्बन्धित हैं और कुछ लेखा अनुभाग से फिर भी उनकी राजभाषा व साहित्य के प्रति अगाध अभिरुचि यह सिद्ध करती है कि वे न केवल इस कार्यालय में आयोजित प्रतियोगिताओं में सफल रहे हैं बल्कि इनमें से कुछ एक केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद व अन्य कार्यालयों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं।

आयोजित प्रतियोगिताओं में विशेषता तकनीकी शब्दों की स्मरण शक्ति प्रतियोगिता की है जिसमें एक घण्टे के समय में प्रतियोगियों को अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर अंग्रेजी से हिन्दी या हिन्दी से अंग्रेजी में केवल तकनीकी शब्द लिखने होते हैं और सबसे अधिक सही शब्द लिखने वालों को अंकों की वरीयता के आधार पर पुरस्कृत किया जाता है। यहां पर विशेष उल्लेख इस कारण किया जा रहा है कि लेखा अधिकारी होने के कारण जिन्हें तकनीकी शब्दों के अधिक ज्ञान की अपेक्षा नहीं की जाती, उन्होंने प्रतियोगिता में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। यह अतिशयोक्ति का विषय नहीं अपितु सराहनीय बात है। ठीक इसी प्रकार अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया जिसकी अन्य कार्यालयों के अधिकारियों ने सराहना की। हिन्दी अधिकारी ने सभी प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि वे आगामी वर्ष भी इससे अधिक संख्या में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनायें।

जी० प्रेमकुमार
हिन्दी अधिकारी
महाप्रबन्धक टेलीफोन्स, हैदराबाद

(3) दक्षिण मध्य रेलवे मंडल हैदराबाद

दक्षिण मध्य रेलवे के हैदराबाद मंडल द्वारा 21-3-85 से 28-3-85 तक राजभाषा सप्ताह मनाया गया। 21-3-85 को श्री गोपालराव एखोटे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सप्ताह का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में संविधान में हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के प्रावधानों को स्पष्ट किया। उस सम्बन्ध में स्थित भ्रमों का निराकरण किया। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार सभी प्रदेशों में मिडिल तथा हाई स्कूल स्तर पर हिन्दी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाने पर जोर दिया गया।

राजभाषा हिन्दी के स्वरूप को समझाते हुए आपने कहा यह उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश की क्षेत्रीय हिन्दी नहीं है, बल्कि यह भारतीय सामाजिक संस्कृति अभिव्यक्त करने वाली सभी स्रोतों से शब्द ग्रहण कर सरल सम्पर्क भाषा हिन्दी रहेगी। आपने मंडल द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका "अजंता" का विमोचन किया। हिन्दी प्रचार की दिशा में उल्लेखनीय कार्य के लिए रेलवे तथा हैदराबाद मंडल की प्रशंसा की और बधाई दी। आरम्भ में श्री वर्मा, मंडल राजभाषा अधिकारी ने मुख्य अतिथि तथा अन्य अधिकारी तथा अभ्यागतों का स्वागत करते हुए हैदराबाद मंडल पर हिन्दी की प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

प्रधानमन्त्री कार्यालय के हिन्दी अधिकारी श्री विजयकुमार मल्होत्रा ने रेल और राजभाषा विषय पर बोलते हुए राष्ट्रीय एकता तथा हिन्दी को राजभाषा तथा सम्पर्क भाषा के रूप में विकसित करने में रेलों के योगदान पर प्रकाश डाला। श्री रस्तोगी, मंडल रेल प्रबंधक, ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कर्मचारियों से अपील की कि वे हिन्दी सीखें तथा अपने दैनंदिन काम में हिन्दी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अन्तर्गत चिरंजीत लिखित हास्य नाटिका "चक्रव्यूह" का मंचन किया गया जिसका निर्देशन श्री वामन जोशी ने किया था। अंत में हिन्दी का उल्लेखनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

इस सप्ताह के आयोजन के पूर्व मंडल कार्यालय में पखवाड़े के लिए हिन्दी व्यवहार अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत लिपिकों को प्रतिदिन एक पत्र तथा फाइल पर टिप्पणी हिन्दी में लिखने तथा अपनी फाइलों पर विषय हिन्दी में लिखने को कहा गया था। इसमें अनेक कर्मचारियों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। हिन्दी टंककों के लिए हिन्दी टंकण प्रतियोगिताएं चलायी गयीं। इनमें सफल कर्मचारियों को एक कोश तथा नगद पुरस्कार दिये गये। 14-3-85 को निजामाबाद में सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें मंडल रेल प्रबन्धक सहित मंडल के सभी अधिकारियों ने भाग लिया। विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे नाटक, गीत, कवि सम्मेलन चलाया गया, इसमें 6 कवियों ने भाग लिया।

27-3-85 को अकोला में राजभाषा सप्ताह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तथा वक्ता के रूप में स्थानीय कालेज के हिन्दी प्राध्यापक उपस्थित थे। महिला समिति द्वारा विविध मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कवि सम्मेलन भी आयोजित किया गया जिसमें कर्मचारी सहित 8 कवियों ने भाग लिया। यहां का वातावरण काफी उत्साहवर्धक था।

28-3-85 को जालना में राजभाषा सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में श्री वर्मा, मंडल राजभाषा अधिकारी उपस्थित थे। आरंभ में आपने राजभाषा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यहां के हिन्दी कार्य की सराहना करते हुए राजभाषा हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग पर जोर दिया। हिन्दी अधिकारी ने जालना में हो रहे हिन्दी की प्रगति की प्रशंसा की। विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शित किए गए।

इस प्रकार मंडल पर 14-3-85 से 28-3-85 तक राजभाषा सप्ताह कार्यक्रमों के कारण हिन्दी का वातावरण बना रहा। इसके अलावा मंडल कार्यालय में 21-3-85 को 11.00 बजे मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक बुलायी गयी थी। इसमें बाहरी स्टेशनों समितियों

के अध्यक्षों तथा सचिवों और सभी शाखाओं के अधीक्षकों को बुलाया गया था। उसी दिन 12.00 बजे श्री एच० एस० रस्तोगी, मंडल रेल प्रबन्धक ने "हिन्दी दर्शन" प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी बहुत आकर्षक तथा प्रभावी सिद्ध हुई। उद्घाटन कार्यक्रम के अन्तर्गत इस मंडल द्वारा इस रेलवे पर सबसे पहले प्रकाशित "अजंता" तिमाही पत्रिका का विमोचन किया गया।

—मंडल राजभाषा अधिकारी
हैदराबाद (मीला) मंडल

3. रांची, लेखापरीक्षा बोर्ड

सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड एवं पदेन निदेशक वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा, रांची के कार्यालय में दिनांक 22 फरवरी 1985 से 8 मार्च 1985 तक "राजभाषा पखवारा" के रूप में मनाया गया। इस पखवारा के अन्तर्गत कर्मचारियों ने टिप्पण एवं मसौदा लेखन में हिन्दी का अत्याधिक प्रयोग किया। इस पखवारा का समापन समारोह दिनांक 10 मई 1985 को श्री एस० बी० दत्तागुप्ता, लेखापरीक्षा अधिकारी (सेवा निवृत्त) की अध्यक्षता में मनाया गया। समारोह का संचालन श्री लक्ष्मी सिंह, लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन) ने किया। इस समारोह में डा० शालिग्राम ओझा, प्राध्यापक हिन्दी शिक्षण योजना महालेखा-कार बिहार (1) के कार्यालय, रांची का अमूल्य सहयोग मिला। इस अवसर पर वर्ष 1984-85 में हिन्दी में अत्यधिक कार्य करने वाले एवं हिन्दी के अच्छे निबंध लिखने वाले कुल 26 कर्मचारियों को श्री टी० के० कृष्णदास, निदेशक द्वारा पुरस्कृत किया गया।

—परमानन्द
लेखापरीक्षा अधिकारी (प्र०)

4. बंगलौर, पहिया एवं धुरा कारखाना

पहिया एवं धुरा कारखाना अति आधुनिकतम टैक्नोलाजी द्वारा भारतीय रेल को पहियों एवं धुराओं के संभरण के लिए बंगलौर के निकट निर्मित किया गया है। इसके निर्माण की लागत लगभग एक सौ उनचास करोड़ रुपए है। इस कारखाने का उदघाटन भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमति इंदिरा गांधी जी के करकमलों से पिछले वर्ष दिनांक पन्द्रह सितम्बर, 1984 को हुआ। इस प्रशासन में भी अब राजभाषा विषयक अधिनियम एवं नियमों के अनुपालन एवं कानूनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने लगा है। इस पहिया एवं धुरा कारखाना, यलहंका, बंगलौर में दिनांक 29-3-85 को प्रथम हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता महाप्रबन्धक जी की अस्वस्थता के कारण मुख्य यान्त्रिक इंजीनियर श्री कण्डेश्वर जी ने की। वित्तीय सलाहकार एवं लेखा अधिकारी श्री जे०सी० श्रीवास्तव जी मुख्य अतिथि थे। इस हिन्दी दिवस समारोह में इस कारखाने के अधिकारीगण एवं कर्मचारियों ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया। कर्मचारियों में राजभाषा हिन्दी के प्रति उत्साह एवं रुचि जगाने के लिए, इस उपलक्ष में (1) हिन्दी वाक् प्रतियोगिता (2) निबन्ध प्रतियोगिता (3) हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूप प्रतियोगिता (4) टंकण प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया था। इसमें कई कर्मचारियों ने काफी उत्साह दिखाया। इस प्रतियोगिता के विजयी कर्मचारियों को हिन्दी दिवस समारोह में नकद पुरस्कार के साथ-साथ हिन्दी पुस्तकें भी वितरित की गई।

इस अवसर पर एक छोटा-सा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। इसमें लघु संगीत एवं "गड़बड़" नाम का हास्य एकांकी नाटक प्रदर्शित किया गया। इसमें भाग लेने वाले सभी कलाकार पहिया एवं धुराकारखाने के कर्मचारी थे।

—जे० पी० चार,
मुख्य राजभाषा अधिकारी
प० धु० का/यलहंका/बंगलौर

रक्षा मंत्रालय, अनुसंधान तथा विकास संगठन वैमानिक विकास संस्थापन बंगलौर में आयोजित राजभाषा संगोष्ठी का एक दृश्य।

5. दक्षिण मध्य रेल मंडल, हुबली

दक्षिण मध्य रेलवे के हुबली मंडल कार्यालय में दिनांक 19-3-85 से 20-3-85 तक राजभाषा सप्ताह समारोह उत्साहपूर्वक मनाया गया।

मंडल रेल प्रबंधक श्री सी० एन० शास्त्री द्वारा दिनांक 19-3-85 को सुबह 10.15 बजे राजभाषा सप्ताह समारोह का उद्घाटन और 10.45 बजे राजभाषा (हिन्दी) प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम सरस्वती वंदना से प्रारंभ हुआ। वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी श्री लालाराम भिलवारे ने उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राजभाषा को रेल प्रशासन में अमल लाने के लिए प्रयास करें और परिचालन/लाइन कर्मचारियों को अपना हिन्दी प्रशिक्षण कैजुअल प्रशिक्षण के जरिए शीघ्र पूरा कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेजी से आते हुए कम्प्यूटर काल के लिए देश में एक समृद्ध भाषा होना जरूरी है, और यह क्षमता एकमात्र हिन्दी भाषा में है कि वह कम्प्यूटरीकरण की अपेक्षाओं को पूरा कर सके। श्री भिलवारे ने कहा, प्रसन्नता की बात है कि कम्प्यूटरीकरण और राजभाषा के रूप में हिन्दी का विकास रेलों पर साथ-साथ तेजी से हो रहा है।

अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री सी० एन शास्त्री ने मंडल पर राज भाषा हिन्दी की ओर से अधिक प्रगति करने के विषय में जोर दिया और सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को इस दिशा में योगदान और सहयोग देने की आशा व्यक्त की।

दिनांक 20-3-85 को सायंकाल समापन समारोह का आयोजन और भी अधिक भव्यतापूर्वक किया गया।

इस अवसर पर विभिन्न विभागों और संस्थानों के विद्वान, अतिथि वक्ताओं को भी आमंत्रित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के कर्मठ हिन्दी प्रचारक, विद्वान और रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य श्री वेमूरि राधाकृष्णामूर्ति भी उपस्थित हुए।

श्री वेमूरि राधाकृष्णामूर्ति ने अपने सारगर्भित भाषण में समूचे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी की आवश्यकता पर जोर देते हुए बताया कि विशेषकर दक्षिण भारत में हिन्दी का पठन-पाठन और प्रचार उत्साह और स्वेच्छा से स्वीकार्यतापूर्वक हो रहा है।

मुख्य वक्ता के रूप में पधारे बैंक के वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी श्री एम० जे० पटेल ने दक्षिण भारत में हिन्दी के प्राचीनतम इतिहास पर प्रकाश डालते हुए उपयुक्त तथ्य और तर्क देते हुए स्पष्ट किया कि उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में हिन्दी की जड़ें बहुत गहरी और मजबूत हैं। श्री पटेल के शोधपूर्ण वक्तव्य पर भारी संख्या में उपस्थित कर्मचारियों/अधिकारियों ने बार-बार करतल ध्वनि बजाकर उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों का समर्थन किया।

6. खान सुरक्षा महानिदेशालय धनबाद

खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद के मुख्यालय एवं मध्य जोन में दिनांक 11-3-85 से 16-3-85 तक हिन्दी सप्ताह के रूप में सप्ताह भर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।

दिनांक 11-3-85 को रा०भा०का०स० की बैठक बुलाई गई जिसमे पूरे कार्यक्रम की सफलता पर विचार-विमर्श किया गया। सभी परिक्षेत्रों एवं सभी प्रदेशों को भी महानिदेशक ने हिन्दी सप्ताह आयोजित करने का सुझाव दिया एवं परिपत्र जारी किया। फलस्वरूप खान सुरक्षा महानिदेशालय के विभिन्न परिक्षेत्रों के अनेक कार्यालयों में हिन्दी सप्ताह मनाया गया।

दिनांक 13-3-85 को महानिदेशालय के सम्मेलन कक्ष में राजभाषा संबंधी पुस्तकों, विभागीय वार्षिक रिपोर्टों, पत्र पत्रिकाओं एवं अन्य सामग्रियों की प्रदर्शनी लगाई गई। जिसका उद्घाटन खान सुरक्षा उप-महानिदेशक (मु०) श्री लाल मोहन मिश्र ने किया। प्रदर्शनी में प्रदर्शित पुस्तकों की विविधता को देखकर सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इसकी सराहना की और कुछ समय के अन्तराल पर इस प्रकार की प्रदर्शनी आयोजित करने का सुझाव दिया। इस प्रदर्शनी से लोगों को यह विश्वास हो गया कि हिन्दी में काम करना अपेक्षाकृत बहुत ही सहज है।

दिनांक 14-3-85 को सम्मेलन कक्ष में "राष्ट्रीय एकता के लिए हिन्दी आवश्यक है" विषय पर हिन्दी एवं अहिन्दी भाषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अलग-अलग प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें अहिन्दी भाषी 7 एवं हिन्दी भाषी 14 कुल 21 प्रतियोगियों ने भाग लिया। हिन्दी भाषा प्रतियोगियों में श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, सांख्यिकी शाखा, प्रथम, श्री मिश्री सिंह, विधि शाखा, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार श्री जय प्रकाश झा, यांत्रिक शाखा को दिया गया। अहिन्दी भाषी प्रतियोगियों में श्री क्षीरोध चन्द्र चौधरी, उप निदेशक, सुश्री रीता गुहा नियोगी, सांख्यिकी शाखा तथा श्री अशोक कुमार रुद्र, उप निदेशक, (मुख्यालय) को क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार दिए गए। इस प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में राजा शिव प्रसाद कालेज झरिया के हिन्दी विभाग के रीडर डा० शिव नारायण प्रसाद सिंह (शिवेश) दैनिक आवाज के सह सम्पादक श्री हरिहर झा एवं केन्द्रीय विद्यालय के हिन्दी अध्यापक श्री मधुकर जी थे। इस अवसर पर मध्य परिक्षेत्र के खान सुरक्षा उप महानिदेशक श्री एम० एल० मुखर्जी तथा सर्वेक्षण अधीक्षक श्री विष्णु देव सिंह चौहान ने भी हिन्दी की आवश्यकता पर भाषण दिए। निर्णायक मंडल के अध्यक्ष डा० शिवेश ने इस यतियोगिता में भाग लेने वाले अहिन्दी भाषी प्रतियोगियों की भाव-क्षमता एवं सम्प्रेषणियता की प्रशंसा की।

दिनांक 15-3-85 को खान सुरक्षा महानिदेशालय एवं मध्य क्षेत्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की टिप्पण एवं प्रारूपण प्रगियोगता सम्पन्न हुई। इसमें 17 प्रतियोगियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में श्री विजय कुमार श्रीवास्तव (सांख्यिकी शाखा), श्री मिश्री सिंह (विधि शाखा) तथा कुलदीप प्रसाद मिस्त्री (प्रशासन शाखा) ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया।

दिनांक 16-3-85 को विभिन्न अनुभागों एवं शाखाओं में मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार सप्ताह भर में हुए कार्यों की उपलब्धि को देखने के लिए शील्ड देने के उद्देश्य से श्री लाल मोहन मिश्र, खान सुरक्षा उप महानिदेशक, श्री पी० सी० श्याम, निदेशक (अनुसंधान एवं विकास) श्री आनन्द कुमार शर्मा, हिन्दी अधिकारी तथा श्री विष्णु देव सिंह चौहान, अधीक्षक सर्वेक्षण ने निरीक्षण किया एवं तुलनात्मक दृष्टि से यह तय किया गया कि 1984-85 वर्ष की शील्ड प्रशासन अनुभाग को दी जाए ।

संध्या 4 बजे समापन समारोह का आयोजन किया गया जिसमें दैनिक आवाज के संपादक श्री ब्रह्मदेव सिंह शर्मा इसमें मुख्य अतिथि थे समापन समारोह में धनबाद के दूसरे केन्द्रीय कार्यालयों के अधिकारी विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी सम्मिलित हुए। श्री शर्मा ने प्रतियोगियों को पुरस्कार दिए । मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए श्री शर्मा ने कहा कि हिन्दी हमारे देश की राजभाषा है । इसके प्रयोग से हमारी गरिमा बढ़ेगी । हिन्दी सदियों से इस देश की सम्पर्क भाषा रही है तथा अहिन्दी भाषी मनीषियों एवं विद्वानों ने इसके विकास में अपना योगदान दिया है । उन्होंने यह भी कहा कि यह सही है कि अंग्रेजी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है लेकिन विश्व के अनेक देश जैसे रूस, जापान, चीन, जर्मनी आदि अपनी भाषा के माध्यम से विज्ञान, चिकित्सा एवं तकनीकी क्षेत्रों में अपने देश का विकास कर रहे हैं । उन्हें अपनी भाषा बोलने पर गर्व होता है क्यों न हम भी अपनी भाषा का दैनिक एवं सरकारी कार्यों में प्रयोग कर गर्व का अनुभव करें ।

—आनन्द कुमार शर्मा "चंचल"
हिन्दी अधिकारी,
खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद

विविधा

वैमानिकी विकास संस्थान बंगलौर में अखिल भारतीय राजभाषा संगोष्ठी

रविस (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन) के रजत जयन्ती वर्ष में बंगलौर स्थित वैमानिकीय विकास संस्थापन ने अखिल भारतीय राजभाषा संगोष्ठी का 28-29 मार्च 1985 को आयोजन किया। इस संगोष्ठी में रविस की विभिन्न प्रयोगशालाओं के लगभग 15 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस संगोष्ठी का मख्य उद्देश्य तकनीकी तथा प्रशासनिक क्षेत्र में हिन्दी के प्रगामी उपयोग की व्यावहारिक कठिनाइयों का समाधान खोजना था।

इस द्विदिवसीय संगोष्ठी में उपरोक्त दृष्टि से लगभग 13 लेख पढ़े गए और उन पर विचार-विमर्श किया गया।

संगोष्ठी का उद्घाटन वैमानिकीय विकास संस्थापन के राजभाषा कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष डा० रमणय्या पेरीवेली, वैज्ञानिक "यफ" ने किया। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की दिशा में आने वाली तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं के समाधान निकालने के लिए, संगोष्ठी का आयोजन दक्षिण भारत में हुआ क्योंकि अधिकांश समस्याओं का सामना दक्षिण भारत में कार्यरत वैज्ञानिकों एवं प्रशासनिक कर्मचारियों को ही करना होता है। उन्होंने इस बात पर भी हर्ष व्यक्त किया कि आज दक्षिण में हिन्दी दीप प्रज्वलित हुआ है जिसकी ज्योति उत्तर भारत से आए हुए प्रतिनिधि साथ लेकर जाएंगे।

भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर के राजभाषा अधिकारी श्री रतन प्रकाश गुप्त जो मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की शोभा बढ़ा रहे थे, ने इस संगोष्ठी को एक अनुष्ठान मानते हुए कहा कि वैमानिकीय विकास संस्थापन की यह पहल भविष्य के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगी। उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि यह संगोष्ठी भविष्य में तकनीकी लेखन को एक दिशा बोध करायेगी।

इस अवसर पर भागीरथ सेवा संस्थान गाजियाबाद द्वारा प्रकाशित भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रथम पुरस्कार से अलंकृत तकनीकी पुतस्कों विस्फोटक विज्ञान लेखक शिवकुमार शुक्ल तथा प्रभाती तरंगे और मानव, लेखक आई० आई० ग्लास, अनुवादक डा० सी०एल० गर्ग का विमोचन डा० रमणय्या पेरीवेली के कर कमलों द्वारा किया गया। भागीरथ सेवा संस्थान के अवैतनिक सचिव श्री कुसुमाकर सुकुल इस अवसर पर उपस्थित थे।

कार्यक्रम का संचालन संगोष्ठी के संयोजक श्री राम किशोर गुप्ता राजभाषा संपर्क अधिकारी ने किया। उन्होंने संगोष्ठी आयोजन के उद्देश्य को सामने रखते हुए कहा कि राजभाषा संबंधी नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में एक तालमेल पैदा करना और व्यावहारिक समस्याओं से नीति निर्माताओं को अवगत कराना ही संगोष्ठी का प्रमुख उद्देश्य है।

—रामकिशोर गुप्ता
संयोजक
राजभाषा अधिकारी

बम्बई हिन्दी विद्यापीठ में गोष्ठी

बम्बई विद्यापीठ प्रधान कार्यालय महीम में दिनांक 14 जून, 1985 को सायं 5 बजे एक गोष्ठी विद्यापीठ के कुलपति डा०मो०दि०पराड़कर जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस गोष्ठी में गृह मंत्री, भारतसरकार श्रीमती रामदुलारी सिन्हा, कु० कुसुमलता मित्तल, आई० ए० एस० राजभाषा सचिव, एवं हिन्दी सलाहकार भारत सरकार व श्री देवेन्द्र चरण मिश्र, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भी पधारे।

प्रारम्भ में विद्यापीठ के प्रधानमंत्री प्रो० सी० पी० सिंह "अनिल" ने अतिथियों का स्वागत किया, सभी को पुष्पगुच्छ, विद्यापीठ का रजत जयंती ग्रंथ तथा परिचय पत्र भेंट किये गये। माननीय गृह राज्य मंत्री श्रीमती सिन्हा, सचिव एवं सलाहकार कु० कुसुमलता मित्तल तथा संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र चरण मिश्र को विद्यापीठ की ओर से एक स्नेह चिन्ह 1985 अर्पित किया गया। अपने प्रास्ताविक में प्रो० अनिल जी ने कहा कि यहां के राजभाषा अधिकारियों के सक्रिय सहयोग के कारण विद्यापीठ की ओर से इस स्नेह गोष्ठी का आयोजन संभव हो सका है। वस्तुतः गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग को हिन्दी टंकण और आशुलिपि के वर्ग संचालित करने के लिए स्थान की आवश्यकता थी, विद्यापीठ ने इस कार्य के लिए अपने कार्यालय का कुछ स्थान देने का प्रस्ताव रखा और उसी का यह सुपरिणाम हुआ कि माननीया केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्रीमती सिन्हा के सम्मान में इस स्नेह गोष्ठी का आयोजन हो सका।

कुलपति डा० मो० दि० पराड़कर जी ने विद्यापीठ की गतिविधियों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया। हिन्दी प्रचार-प्रसार प्रणाली की जानकारी देते हुए आपने रंगमंच द्वारा हिन्दी नाटकों के प्रदर्शन का ब्यौरा प्रस्तुत किया, तथा राजभाषा विभाग को अपना पूर्णरूप से सहयोग प्रदान करने का आश्वासन भी दिया।

अपने विचार प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हुए माननीय केन्द्रीय गह राज्य मंत्री सिन्हा ने हिन्दी प्रचार कार्य में संलग्न सेवा भावी कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए राष्ट्र की एकता के लिए हिन्दी की निरंतर

प्रगति एवं प्रयोग पर कार्य करते रहने की आवश्यकता प्रतिपादित की। राष्ट्र के नेताओं तथा विद्वानों द्वारा हिन्दी के प्रति व्यक्त किए गए उद्‌गारों का हवाला देते हुए आपने प्रसन्नता प्रकट की कि 1938 से हिन्दी प्रचार करने वाली स्वैच्छिक संस्था को निकट से देखने का अवसर प्राप्त हो सका। बाबू श्री भगवती प्रसाद खेतान जी के सहयोग की आपने बहुत प्रशंसा की। माननीया केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्रीमती सिन्हा का भाषण इतना प्रभावी तथा साहित्यिक विचारों से ओत प्रोत रहा कि उपस्थित सभी विश्वस्त, पदाधिकारी, मंत्रिमण्डल के सदस्य, केन्द्रीय राजभाषा विभाग के अधिकारी गण एवं विद्यापीठ परिवार के सदस्य मंत्रमुग्ध की भांति इस साहित्यिक राजनेता के विचारों को हृदयगंम करते रहे। अंत में माननीया राज्यमंत्री महोदया ने आश्वासन दिया कि गृह मंत्रालय की ओर से बम्बई हिन्दी-विद्यापीठ के कार्यों में जो आवश्यक हो, सहयोग देने का प्रयत्न करेंगी।

इस अवसर पर बम्बई हिन्दी सभा की कुलपति श्रीमती हन्नोबन पेणकर की ओर से माननीया केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री महोदयाको पुष्पहार अर्पित किया गया। विद्यापीठ के बहुत पुराने प्रचारक और आजीवन सदस्य जिन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से अभी हाल ही में "डाक्टरेट" की उपाधि प्राप्त की, को माननीया केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्रीमती सिन्हा ने पुष्पगुच्छ देकर आशीर्वाद दिया। अंत में सांस्कृतिक मंत्री श्री गिरीश माथुर द्वारा आभार प्रदर्शन के उपरांत यह स्नेह गोष्ठी सम्पन्न हुई।

प्रो.० सी० पी० सिंह "अनिल'
प्रधान मंत्री

3. बम्बई में हिन्दी संगोष्ठी एवं लघु प्रदर्शनी

दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में दिनांक 11 अप्रैल, 1985 को केन्द्र के नवनिर्मित भवन के प्रथम तल के बृहद् कक्ष में हिन्दी संगोष्ठी एवं तद्‌विषयक आकर्षक लघु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक सम्पन्न हुई।

संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री गोविन्द मिश्र, आयकर आयुक्त, बम्बई, वक्ता के रूप में श्री रामनारायण वि० तिवारी मुख्य अधिकारी (राजभाषा) सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, बम्बई कार्यालय तथा कई केन्द्र सरकार, अर्धसरकारी कार्यालय, राष्ट्रीयकृत बैंक तथा सरकारी उपक्रमों के राजभाषा अधिकारी सम्मिलित हुए। संगोष्ठी की अध्यक्षता केन्द्र के उप महानिदेशक श्री ए० एस० तातारी साहब ने की एवं इसमें केन्द्र के अनुभाग प्रधान मुख्य रूप से शामिल हुए।

संगोष्ठी के अवसर पर आयोजित हिन्दी प्रचार प्रसारण संबंधी लघु प्रदर्शनी में दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई में हिन्दी के बढ़ते हुए प्रचार-प्रसार को सफलतापूर्वक दर्शाया गया। भारत वर्ष का एक सजीला नक्शा बनाया गया था जिसमें राजभाषा के क्षेत्रवार प्रगामी प्रयोग के अनुसार "क", "ख", "ग" भागों को आकर्षक रंग योजना द्वारा दिखाया गया था। देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी एवं राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह एवं मार्गदर्शनपूरक वाक्य कैप्शन के रूप में अंकित किए गए थे। इसी प्रकार सामने वाली दीवार जो गहरे धानी रंग के आवरण से सज्जित थी उस पर श्रीमती इन्दिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि परमादरणीय नेताओं के चित्र उनके हिन्दी संबंधी बोध वाक्यों, विचार वाक्यों के साथ सुसज्जित रूप से प्रदर्शित किए गए थे। उसी तरह से भारत के गणमान्य नेताओं के हिन्दी प्रेम एवं प्रसार-प्रचार संबंधी बोध वाक्य विचार वाक्य (कुल बत्तीस के करीब) उनके चित्रों के साथ आकर्षक रूप से सजाये गये थे। बीच-बीच में हिन्दी प्रचार-प्रसार के बोध वाक्य एवं कैप्शन भी सुंदर रूप से प्रदर्शित थे। हाल में मंच के दोनों ओर चार भव्य स्टैंडों पर दूरदर्शन में हिन्दी की प्रगति विषयक चार्ट लगाये गये थे, जिनमें राजभाषा अधिनियम, हिन्दी पत्राचार राजभाषा पुरस्कार योजनाएं, हिन्दी संबंधी तथ्य एवं दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई में राजभाषा प्रगति विषयक विवरण रंगीन सुंदर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा गया था। उनके साथ भी सुसंगत बोध वाक्य सज्जित थे। इस सारी सामग्री के साथ प्रदर्शनी का अन्य आकर्षण था हिन्दी प्रचार-प्रसार की पत्र-पत्रिकाएं, पुस्तिकाएं और विभिन्न पुस्तकों की प्रदर्शनी। सभी प्रकार के साहित्य में विशेष उल्लेखनीय या विभिन्न केन्द्र सरकारी, अर्धसरकारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों एंव सरकारी उपक्रमों की पचास से अधिक हिन्दी गृह पत्रिकाओं का प्रदर्शन। कुछ उत्कृष्ट अनुवादित पुस्तकें और साहित्य ग्रंथ भी प्रदर्शित किए गए थे। तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर प्रकाशित (विश्व-हिन्दी) पुस्तक विशेष रूप से शोभायमान थी।

सुसज्जित अलंकृत कक्ष में हिन्दी संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई की सहायक निदेशक (राजभाषा) डा० विजयमाला पण्डित ने अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि, उपस्थित आमंत्रितों, सहयोगियों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय से मुख्य अतिथि के सत्कार में उन्हें गुलाब पुष्प देने के लिए निवेदन किया। अध्यक्ष महोदय, केन्द्र के उप महानिदेशक श्री ए० एस० तातारी साहब ने मुख्य अतिथि का स्वागत सत्कार किया एवं उनसे दीप प्रज्ज्वलित करके संगोष्ठी तथा प्रदर्शनी का उद्‌घाटन करने का अनुरोध किया।

उद्‌घाटन के पश्चात् केन्द्र के हिन्दी कार्यक्रमों के प्रस्तुतकर्त्ता डा० गोविन्द गुण्डे ने मुख्य अतिथि का संक्षिप्त परिचय दिया एवं विषय की भूमिका विशद की। तत्पश्चात् श्री गोविन्द मिश्र ने "सरकारी कामकाज और जनसम्पर्क" के माध्यम विषय पर सुंदर, भावपूर्ण सारगर्भित उद्‌बोधन दिया। सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी का विकास, सरकारी कामकाज में राजभाषा के रूप में उसका निखरता अस्तित्व, उसके अत्यन्त सहज, बोलचाल के रूप को स्वीकार करने की उपयोगिता आदि मुद्दों को सरस पद्धति से उठाते हुए उन्होंने दूरदर्शन सदृश सशक्त माध्य द्वारा हिन्दी का सहज स्वीकार, उसके प्रयोग के बढ़ाते जाने की प्रक्रिया और मुख्य रूप से जनमानस पर दूरदर्शन द्वारा प्रयुक्त भाषा का प्रभाव आदि विषयों की संयुक्तिक छानबीन की। उन्होंने दूरदर्शन में काम करने वाले सभी लोगों से अनुरोध किया कि वे ऐसी भाषा को अपनायें, बढ़ने पनपने दें जो जनसमूह को अपनाकर चले, उन पर प्रभाव रखे और उनकी भावनाओं आशाओं आकांक्षाओं का साधन बने। उन्होंने कहा कि हिन्दी ही ऐसी भाषा है जो इन सारे गुणों से भरपूर है और देश की मुख्य जीवनधारा का प्रतिनिधित्व करती है--इसे इसी देशभक्ति संस्कृति-प्रेम की भावना के साथ लिया जाये--हिन्दी हमारी ये समस्त अपेक्षाएं पूर्ण करने वाली सिद्ध होती है।

मुख्य अतिथि श्री गोविन्द मिश्र के इस सहज सरल और सरस भावनापूर्ण उद्‌बोधन के पश्चात् संगोष्ठी के दूसरे वक्ता श्री रामनारायण वि० तिवारी ने "हिन्दी क्यों ?" विषय पर उद्‌बोधन दिया। मिश्र जी की विचारधारा का सूत्र आगे बढ़ाते हुए उन्होंने हिन्दी को राष्ट्र-भावना के रूप में अंगीकार करने का आग्रह किया। अपने आवेशपूर्ण भाषण में उन्होंने सिद्ध किया कि हिन्दी किस प्रकार हमारी राष्ट्रीय एकता की धुरी है, यह हमारे भारतीयत्व की सूचक है, हमारी संस्कृति की धरोहर है और इसके विकास के बिना हमारी सारी प्रगति अधूरी और एकांगी है। तिवारी जी ने हिन्दी को राष्ट्रीयता की भावना-वाहिका के रूप में निरूपित किया और समस्त उपस्थितों से आग्रह किया कि वे राष्ट्रभक्ति के रूप में कम से कम एक पंक्ति प्रतिदिन अवश्य ही राजभाषा में लिखें जो भारत मां के चरणों में चढ़ाये गये फूल के समकक्ष है—उसी भाव से आपूरित और उसका स्वरूप है।

संगोष्ठी के कार्यक्रमों की अन्तिम कड़ी के रूप में दूरदर्शन केन्द्र बम्बई के संगीत अनुभाग के प्रस्तुति सहायक श्री विकास कशालकर एवं उनके साथियों ने हिन्दी के महाकवि श्री जयशंकर प्रसाद का "श्रद्धा गीत" (महाकाव्य "कामायनी") सस्वर, संगीतमय रूप में प्रस्तुत किया।

अन्त में संगोष्ठी की संयोजिका, संचालिका डा० विजयमाला पण्डित ने अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता, कलाकारों, सहयोगियों के प्रति आभार प्रकट करते हुए, सबको धन्यवाद दिया और उल्लहास-पूर्ण आशापूर्ण वातावरण में चायपान के साथ संगोष्ठी का समापन हुआ।

दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई में, केन्द्र के उप महानिदेशक श्री ए०एस० तातारी साहब की प्रेरणा, अनुज्ञा एवं मार्गदर्शन में आयोजित अपनी तरह का यह पहला कार्यक्रम था—जो अत्यधिक सराहा गया और जिसमें राजभाषा की प्रगति हेतु अनुकूल वातावरण का और अधिक निर्माण हुआ।

हिन्दी संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी की कव्हरेज उसी दिन अर्थात् 11 अप्रैल, 1985 की शाम को मराठी समाचार "बातम्या" में दूरदर्शन पर दिखाई गई—और उसके कई रंगीन छायाचित्र खींचे गए। इसके आयोजन में दूरदर्शन के सभी अनुभागों का सहयोग प्राप्त हुआ, हिन्दी टंकक में श्री अशोक काले का परिश्रम उल्लेखनीय रहा।

—विजयमाला पण्डित
सहायक निदेशक (राजभाषा)

प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान करते हुए श्री के० एम० बनर्जी।

4. राष्ट्रीय परीक्षण गृह, कलकत्ता द्वारा पुरस्कार वितरण

समारोह की कार्यवाही को प्रारंभ करते हुए श्री के० एम० बनर्जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि आज उन्हें इस कार्यालय के सभी पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करते हुए अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों को पुरस्कृत किया गया है अब उन्हें अपना सरकारी काम भी हिन्दी में करने की चेष्टा करनी चाहिए। उन्होंने यह भी घोषित किया कि वर्ष 1985 में नोटिंग और ड्राफ्टिंग हिन्दी में करने के लिए भी पुरस्कार योजना चलाई गई है इसके अन्तर्गत 10 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के लिए महानिदेशक ने रु० 2,150 की स्वीकृति दे दी है।

श्री एस० राय, सहायक निदेशक (विद्युत) ने कहा कि मैं अभी पश्चिम जर्मनी के दौरे से भारत लौटा हूं। वहां हर तरफ राजभाषा जर्मन का ही उपयोग मैंने देखा। वहां मुझे एक पोलैण्ड की महिला ने भारत में प्रचलित भाषा के विषय में पूछा। मैंने कहा भारत एक बहुभाषी देश है। अनेक भाषाएं चलती हैं किन्तु अधिकतर उपयोग अंग्रेजी और हिन्दी का होता है। इस पर उस महिला ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद आज भी आप लोग भाषा के नाम पर गुलाम बने हुए हैं। इस कटु सत्य से मुझे इतना दुःख हुआ और गंभीरता से सोचने लगा कि हमें देश की राजभाषा हिन्दी का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए ताकि हमें विदेशों में लज्जित न होना पड़े।

श्री एस०एन० मिश्रा, सहायक निदेशक (रसायन) ने अपनी विदेश यात्रा के कुछ संस्मरण सुनाए तथा राजभाषा हिन्दी के अधिक से अधिक उपयोग की आवश्यकता को स्वीकार किया।

अध्यक्ष श्री के० एम० बनर्जी ने निम्नानुसार कर्मचारियों को पुरस्कार वितरित किए :—

क्रम सं०	नाम	पदनाम	धनराशि
			रु०
1	श्री निर्मल चन्द्र दास	विज्ञान अधिकारी (यांत्रिक)	300
2	श्री श्यामल कुमार सेन	निम्न श्रेणी लिपिक	300
3	श्री इन्द्रनाथ मुखर्जी	विज्ञान सहायक (भौतिकी)	300
4	श्री पुलकेश पात्र	निम्न श्रेणी लिपिक	200
5	श्री परशुराम साहू	विज्ञान सहायक (रसायन)	200
6	श्री सुनील कुमार चक्रवर्ती	निम्न श्रेणी लिपिक	200
7	श्री शैलेष गुप्ता	निम्न श्रेणी लिपिक	200
8	श्री पी० एस० सिकरदार	विज्ञान सहायक	200
9	श्रीमती सुमिता बनर्जी	विज्ञान सहायक (रसायन)	100
10	कु० रत्ना सरकार	विज्ञान सहायक (रसायन)	100
11	श्री प्रवीर कुमार चक्रवर्ती	निम्न श्रेणी लिपिक	100
12	श्री सुदीप कुमार साहा	निम्न श्रेणी लिपिक	100

—डा० एम० एम० एच० रिजवी
सदस्य सचिव/हिन्दी अधिकारी

5. जिंक स्मेल्टर, देबारी में कवि सम्मेलन

राजभाषा अनुभाग, जिंक स्मेल्टर, देबारी के तत्वावधान में दिनांक 16 मार्च, 1985 को सामुदायिक केन्द्र के सभागार में "गीतों भरी शाम" का आयोजन किया गया। इसमें देश की प्रख्यात एवं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कवयित्री व लेखिका अमृता प्रीतम मुख्य अतिथि थीं।

समारोह के आरम्भ में देबारी के वरिष्ठ प्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशा०) श्री मोतीलाल ने मुख्य अतिथि एवं आमंत्रित गीतकारों/कवियों को पुष्पदस्ते प्रदान कर स्वागत किया।

जिंक स्मेल्टर, देबारी द्वारा आयोजित "गीतों भरी शाम" के अवसर पर हिन्दी की उपयोगिता बताते हुए समूह महाप्रबन्धक (कार्मिक) श्री अनुपम कुमार चौधरी।

कम्पनी की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं समूह महाप्रबन्धक (कार्मिक) श्री अनुपम कमार चौधरी ने राष्ट्रभाषा हिन्दी की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि किसी भी देश की राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय चेतना का अनिवार्य अंग होती है, वह मनुष्य के विचारों को ही अभिव्यक्त नहीं करती अपितु देश के संगठित रूप का भी बोध कराती है। उन्होंने कहा कि हिन्दी ही इस राष्ट्र को एकसूत्र में पिरोये रख सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दी के साथ हर प्रदेश की अपनी प्रादेशिक भाषा का भी समूचित विकास हो। श्री चौधरी ने कहा कि हमारे जीवन में हर क्षेत्र में विकास आता है—रहन-सहन का स्तर बढ़ता है लेकिन बोलचाल के प्रयोग में हिन्दी का स्तर नहीं बढ़ता है। हिन्दी की आत्मा में सभी प्रदेशों को आत्मसात करने की शक्ति है।

"गीतों भरी शाम" की शुरूआत अमृता प्रीतम के काव्य पाठ से हुई। उन्होंने इस वीर प्रसविनी महाराजा प्रताप की धरती को प्रणाम करते हुए कहा कि वह धन्य है जो इस धरती पर रहता है। यहां का कण-कण आजादी के लहू से सिंचित है। उन्होंने कहा कि धर्म तो मन की अवस्था का नाम है, उसकी जगह मन में होती है, मस्तक में होती है और हमारे घर के आंगन में होती है। लेकिन हम उसे मन और मस्तक से निकालकर घर के आंगन से उठाकर बाजार में ले आये हैं। अगर देश की मिट्टी का अर्थ समझ लिया जाये तो अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच टकराव का सवाल ही पैदा नहीं होता है। देश के आज के हालात और फिरकापरस्ती के अन्धे में हमें अपनी आत्मा की आग से अपने चिराग को रोशन करना होगा। इन चिरागों से हमें चिन्तन, मोहब्बत और इन्सानियत की रोशनी दिखाई देगी।

अमृता जी ने कहा कि पाण्डव काल में पानी की आत्मा ने कहा था युधिष्टर यह बताओ सूरज किसी चीज से सम्मानित होता है और किस चीज से अपमानित होता है। युधिष्ठर ने जवाब दिया सूरज इन्सान के आचरण से, उसके अखलाफ से सम्मानित होता है और इन्सान की बदइखलाफी में अपमानित होता है।

"गीतों भरी शाम" में सुश्री साधना खोटे (बम्बई) ने अपनी सरस गजलों से श्रोताओं को विभोर किया। डा० बरसाने लाल चतुर्वेदी (दिल्ली) ने अपनी हास्य व्यंग्य मिश्रित चतुष्पदियों से उपस्थित श्रोतागणों को खूब हंसाया।

श्री श्याम ज्वालामुखी (भीलवाड़ा) ने अपने कविता-फार्मूलों से कई सामयिक समस्याओं पर प्रकाश डाल कर अपनी हास्य शैली से सारा माहौल जीवन्त कर दिया।

इसके अतिरिक्त श्री बुद्धि प्रकाश पारीक (जयपुर), डा० चन्द्र लिखा (अबोहर) ने भी काव्यपाठ किया।

कार्यक्रम का संचालन प्रधान कार्यालय में कार्यरत श्री इकबाल सागर ने किया।

इस समारोह में श्री मनोहेर दत्ता, निदेशक (खनन प्रचालन), श्री किशोर सिंह ढड्ढा, निदेशक (वित्त) इकाई के महाप्रबन्धक श्री एस० सोलंकी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी तथा भारी संख्या में स्मेल्टर के कर्मचारी उपस्थित थे।

—इन्द्रदेव विद्यार्थी
कनि० राजभाषा अधिकारी

6. बरौनी में राजभाषा शिविर एवं राष्ट्रकवि दिनकर स्मृति समारोह

पूर्वोत्तर रेलवे के सोनपुर मण्डल द्वारा बरौनी स्टेशन पर विगत 22 एवं 23 अप्रैल, 1985 को दो दिवसीय राजभाषा शिवर एवं राष्ट्रकवि "दिनकर" स्मृति समारोह आयोजित किया गया। उक्त आयोजन दो चरणों में सम्पन्न हुआ। पहले चरण में बरौनी एवं गढ़हरा क्षेत्र के रेल कार्यालयों में हिन्दी प्रयोग की स्थिति का गहन निरीक्षण किया गया और रात में राष्ट्रकवि दिनकर की स्मृति में "रश्मिरथी" का नाट्य, मंचन अत्यन्त सफलतापूर्वक हुआ। दूसरे चरण में बरौनी स्टेशन प्लेटफार्म पर महाकवि रामधारी सिंह "दिनकर" के आदमकद चित्र का अनावरण, बरौनी एवं गढ़हरा की स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति की संयुक्त बैठक राजभाषा प्रगति प्रदर्शनी, दिनकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विचार-गोष्ठी, हिन्दी सम्बन्धी विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं विजेता कर्मचारियों एवं छात्र-छात्राओं को पुरस्कार वितरण और अन्त में अखिल भारतीय स्तर का विराट कवि सम्मेलन सलतापूर्वक सम्पन्न हुआ, जिसका लाभ हजारों-हजार रेल कर्मचारियों को मिला।

पूर्वोत्तर रेलवे, सोनपुर मंडल के बरौनी स्टेशन पर आयोजित राजभाषा शिविर के अवसर पर राष्ट्रकवि स्व० रामधारी सिंह "दिनकर" के चित्र का अनावरण करते हुए महाप्रबन्धक श्री योगेन्द्रबिहारी माथुर।

बरौनी एवं गढ़हरा क्षेत्र में रेल के छोटे-बड़े कुल मिलाकर लगभग 40 कार्यालय स्थित हैं, जिनमें राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए मुख्यालय गोरखपुर के निरीक्षण दल द्वारा गहन निरीक्षण किया गया और उनमें हिन्दी का प्रयोग सर्वाधिक करने वाले 3 कार्यालय-क्षेत्रीय प्रबन्धक, मुख्य यार्ड मास्टर, गढ़हरा तथा सहायक इंजीनियर (पश्चिम) बरौनी को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरकार प्रदान किया गया।

दूसरे दिन बरौनी एवं गढ़हरा स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की संयुक्त बैठक श्री कन्हैया लाल पाण्डेय, उप मुख्य परिचालन अधीक्षक/गढ़हरा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में रेलवे बोर्ड के निदेशक (राजभाषा) मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। बैठक में इस क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग की दिशा मे हो रही प्रगति की समीक्षा की गई एवं भावी कार्यक्रम नियत किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री शिवसागर मिश्र ने उपस्थित सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा कि अच्छा काम करने के लिए कष्ट उठाना पड़ता है और यदि कष्ट न उठाया जाये तो सृजन की प्रक्रिया वन्द हो जाये। राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में प्रगति लाना राष्ट्र के हित में बहुत पवित्र कार्य है। अधिकांश लोगों को यह भ्रम है कि हिन्दी केन्द्र की भाषा है। वास्तविकता यह है कि हिन्दी संघ की भाषा है। भारत छोटे-बड़े 30 राज्यों का एक संघ है और हिन्दी इस भारत संघ की भाषा है। संघ एक दर्शन है। संघ में केवल सरकार नहीं आती। इसके कई हाथ-पांव होते हैं जिनमें भाषा, संस्कृति एवं विभिन्न संवठनों-प्रतिष्ठानों आदि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। श्री मिश्र ने भारतीय संविधान का उल्लेख करते हुए कहा है कि संविधान की आठवीं अनुसूची में 15 भाषाओं को मान्यता है। उन्होंने राजभाषा को परिभाषित करते हुए कहा कि सम्पूर्ण देश में बोली और समझी जाने वाली भाषा संघ की राजभाषा कहलाती है। इतिहास की पृष्ठभूमि में जाते हुए श्री मिश्र ने कहा कि हिन्दी 10वीं सदी से संघ की राजधानियों की, तीर्थों की और जनता की भाषा के रूप में प्रयुक्त होती आ रही है।

राजभाषा शिविर का उल्लेख करते हुए श्री मिश्र ने कहा कि रेलवे एक विकासशील प्रतिष्ठान है। हम इसके दैनिक काम काज में हिन्दी का ही प्रयोग करें। अब सोनपुर मंडल ने हिन्दी का कीर्तिमान स्थापित कर लिया है, उसे बनाये रखने और आगे बढ़ाते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। इसके लिए ऐसे समारोहों की व्यापक सार्थकता है। समारोहों द्वारा हम जनता से सीधे जुड़ते हैं।

मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री चिन्मय चक्रवर्ती ने मुख्य अतिथि क प्रति आभार व्यक्त किया।

गढ़हरा स्थित स्काउट मैदान में निर्मित नाट्य मंच से पूर्वोत्तर रेलवे कला समिति के कलाकारों द्वारा महाकवि दिनकर रचित प्रसिद्ध काव्य ग्रन्थ "रश्मि रथो" का सफल मंचन किया गया। कर्ण एवं कुंती की भूमिका में भाव प्रदर्शन एवं समुचित ढंग से रश्मि का पाठ करने वाले कलाकारों को स्वयं निदेशक ने पुरस्कृत करके प्रोत्साहित किया। दर्शकों ने उक्त भाव नाटिका की सराहना मुक्त कंठ से की।

बरौनी स्टेशन के प्रमुख प्लेटफार्म पर महाकवि दिनकर के आदमकद चित्र का अनावरण पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक, श्री योगिन्द्र बिहारी लाल माथुर ने सैकड़ों की संख्या में उपस्थित दर्शकों के बीच अपने कर कमलों से किया और चित्र पर माल्यार्पण किया।

बरौनी स्थिति अधिकारी विश्रामालय के प्रांगण में सोनपुर मंडल राजभाषा प्रगति प्रदर्शनी बड़े ही आकर्षक ढंग से लगाई गई जिसका उद्घाटन निदेशक (राजभाषा) श्री शिवसागर मिश्र ने किया। प्रदर्शनी मंडल सोनपुर मंडल पर हिन्दी प्रगति प्रदर्शक चार्वे, ग्राफों, चित्रों, मिसिलों एवं अन्य अभिलेखों से सुसज्जित था। प्रर्दशनी का अवलोकन महाप्रबन्धक निदेशक (राजभाषा), मुख्य राजभाषा अधिकारी, मंडल रेल प्रवन्धक आदि उच्चाधिकारियों ने किया।

महाकवि दिनकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विचार गोष्ठी

रेलवे बोर्ड के निदेशक श्री शिवसागर मिश्र की अध्यक्षता में "दिनकर एवं कृतित्व" विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का शुभारंभ श्री नरेन्द्र मिश्र द्वारा सरस्वती वन्दना से हुआ। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक श्री योगेन्द्र बिहारी लाल माथुर ने मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कहा कि दिनकर जी राष्ट्रीय नवजागरण के कवि थे जिन्होंने लोक जीवन में मंगल चेतना का भाव भर दिया था। उन्होंने राष्ट्रीय एकता, अखंडता और समाजिक अधिकार एवं न्याय के लिए जीवन भर निरंतर संघर्ष किया। उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री माथुर ने कहा कि हिन्दी के माध्यम से अधिक से अधिक काम करना ही उस महान कवि के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

इस अवसर पर सर्वश्री डा० चन्द्रदेव सिंह, राम विनायक सिंह, उमाकान्त श्रीवास्तव आदि ने दिनकर जी के जीवन और साहित्य पर और शोध कार्य किए जाने की आवश्यकता वताई और बिहार सरकार से मांग की कि दिनकर जी की जन्मभूमि सिमरिया में दिनकर जी से संबंधित अवशेषों के सुरक्षित रख-रखाव की व्यवस्था करें।

अध्यक्ष पद से बोलते हुए श्री मिश्र ने कहा कि दिनकर राष्ट्रीय सेवा साधना के दृढ़ स्तम्भ थे जो सर्वभावेन राष्ट्र को समर्पित थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि उनके जीवन का शेष समय राष्ट्रनायक को मिल जाय और भगवान ने उनकी सुन ली। इस अवसर पर हमें राजभाषा हिन्दी के शतप्रतिशत प्रयोग का संकल्प लेना चहिए, यह दिनकर के प्रति श्रद्धांजलि होगी।

अपने धन्यवाद ज्ञापन में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री चिन्मय चक्रवर्ती ने कहा कि समय-समय पर ऐसे वृहत कार्यक्रमों का आयोजन इसलिए आवश्यक होता है कि हमारी गुप्त भावना जागृत होती रहे।

पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक श्री योगेन्द्र बिहारी लाल माथुर ने यह स्वीकार करते हुए कहा कि वास्तव में सोनपुर मंडल में हिंदी का काफी अच्छा प्रयोग हो रहा है और माहौल हिन्दी के अनुकूल है, इस मंडल के 55 रेल कर्मचारियों को अपने दैनिक सरकारी कामकाज में शतप्रतिशत हिन्दी प्रयोग के लिए पुरस्कृत किया। साथ ही रेल कर्मियों में हिन्दी प्रयोग के प्रति स्वधर्माभाव पैदा करने की दृष्टि से आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन, आशुलेखन, टंकण, निबंध एवं राजभाषा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृत्तीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेता प्रतियोगिओं को भी पुरस्कृत किया। हिन्दी को बुनियादी स्तर पर स्थायित्व प्रदान कराने के लिए छात्र-छात्राओं के

के लिए निबंध, वाद-विवाद, काव्य पाठ, चित्रकला प्रतियोगिता कराकर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों के उत्साह वर्धन के लिए महाप्रबन्धक ने अपने कर कमलों से पुरस्कार प्रदान किए। इसी तरह विभिन्न विभागीय कार्यालयों, जहां हिन्दी का उत्कृष्ट प्रयोग होता हुआ पाया गया, ऐसे 13 कार्यालयों को सामूहिक पुरस्कार दिए गए। इस प्रकार कुल मिलाकर रुपये 8,396 के पुरस्कार वितरित किए गए।

अखिल भारतीय कवि सम्मेलन

गढ़हरा स्थित विशाल स्काउट मैदान--पलास और अमलतास, ताल और तमाल, आम्र कुंजों से सुवासित हरीतिमा से घिरे मुक्ताकाश के नीचे पावन गंगा के कगार पर छितरी चांदनी में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का गरिमामय कार्यक्रम पूरी शालीनता से सम्पन्न हुआ जिसमें हजारों-हजार संख्या में उपस्थित श्रोता, काव्य के विविध रसों की सरस फुहारों से भीग उठे और शीतलमंद मलय समीर ने सम्पूर्ण वातावरण को सान्द्र-मन्दों बना दिया था। पहली बार यह देखने में आया कि मंचासीन कविगण विशाल काव्य रसिकों के समक्ष नतमस्तक हो गए। ऐसे कवि सम्मेलन का उद्घाटन किया रेलवे बोर्ड के निदेशक (राजभाषा) श्री शिवसागर मिश्र ने। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक श्री योगेन्द्र बिहारी लाल माथुर, राजभाषा अधिकारी श्री चिन्मय चक्रवर्ती, मंडल रेल प्रबंधक श्री कुमार दिग्विजय सिन्हा भी उपस्थित थे। कवि सम्मेलन की अध्यक्षता की कविवर रूप नारायण त्रिपाठी ने। महाकवि सर्व श्री आरसी प्रसाद सिंह, रमानाथ अवस्थी, डा० बलदेल बंशी, सुरेश उपाध्याय और नरेन्द्र मिश्र सरीखे कवियों की उपस्थिति से काव्य रसिकों को मंच की सारस्वत चेतना का बोध पहले ही हो गया था। डा. चन्द्रदेव सिंह ने काव्यकारों के काव्य पाठ का सुरुचिपूर्ण संचालन करते हुए सम्मेलन की मर्यादा को गगनचुम्बी बना दिया था।

इनके अतिरिक्त श्री राम विनायक सिंह की "खाली बात करें" तथा "थकी न लम्बी राह," श्याम जी श्रीवास्तव की "कलम कलम है, कभी बन्दूक नहीं हो सकती" तथा "वो हमको भूल जायें तो गंगा नहायें हम", एकमात्र कवयित्री सुशीला सितारिया की "जब भी मिलते हैं दिवाना बना देते हैं" तथा "उनकी तस्वीर को सौ बार नकारा मैंने", श्री रामचन्द्र सिंह त्यागी की "जो चाह रहे जीवन में जनकर जीना जीवन रख को हर क्षण छक-छक्कर पीना", मधुकर की "आप अपनी सभ्यता आवेश में मत छोड़िये" तथा श्री लालसालाल तरंग की "साथ मेरे घर दो कदम" आदि पंक्तियों को श्रोताओं ने करतल ध्वनि से सराहा। इसके अतिरिक्त सर्वश्री डा० राजेन्द्र प्रसाद सिंह, असीम शुल्क, डा० आनन्द नारायण शर्मा, भोला सिंह अशांत, इन्द्रराज, रामसकल ठाकुर, श्री सरस आदि की रचनाओं ने श्रोताओं को रस विभोर कर दिया

मुख्य रेल प्रबन्धक सोनपुर

उदयपुर, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड म राजभाषा-गोष्ठी एवं कवि सम्मेलन

राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से भारत सरकार के उपक्रम हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की जवार माइन्स इकाई में पिछले दिनों एक राजभाषा गोष्ठी एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता कंपनी के समूह महाप्रबंधक (कार्मिक) एवं राजभाषा कार्यान्वियन समिति के अध्यक्ष श्री अनुपम कुमार चौधरी ने की। गोष्ठी में आकाशवाणी दिल्ली के कार्यक्रम निदेशक एवं लोकप्रिय गीतकार श्री रमानाथ अवस्थी, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, जबकि प्रगतिशील विचारधारा के जाने-माने कवि-लेखक श्री वेद व्यास मुख्य वक्ता थे। राजभाषा गोष्ठी में इकाई के कई अधिकारियों व कर्मचारियों ने सोत्साह भाग लिया।

गोष्ठी के प्रारंभ में वरिष्ठ प्रबंधक श्री राजेन्द्र कुमार जोशी ने आगंतुकों का स्वागत करते हुए इकाई में चल रही हिन्दी गतिविधियों पर प्रकाश डाला और यह आशा व्यक्त की कि इस प्रकार की गोष्ठियों से राजभाषा हिन्दी के प्रचार को बल मिलेगा और भ्रांतियों का निराकरण होगा। गोष्ठी में श्री वेद व्यास ने अहिन्दी प्रांतों में हिन्दी के प्रचारप्रसार को गति देने के संबंध में अपने मूल्यवान विचार रखे। उनका कहना था कि हिन्दी का कार्य बड़ा संवेदनशील है। इसके प्रचार-प्रसार में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। उन्होंने सरकार की प्रेमागृह से हिन्दी को बढ़ावा देने की नीति को सही बताया। श्री रामनाथ अवस्थी ने हिन्दी के प्रयोग में आने वाली मानसिक बाधाओं का निरूपण करते हुए कहा कि हमें सभी को हिन्दी अपनाने के लिए मानसिक तौर पर तैयार करना होगा। इसके लिए लोगों के मानस में हिन्दी के प्रति जो भ्रांतियां घर कर गई हैं उन्हें प्रेम व सद्भावना से दूर करना होगा। इसके साथ ही हिन्दी भाषी लोगों को भी अपनी मानसिकता बदलनी होगी। उन्होंने हिन्दुस्तान जिंक लि० में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिये किये जा रहे कार्यों की सराहना की और कहा कि राजभाषा सेमिनारों व गोष्ठियों आदि के आयोजन में श्री अनुपम कुमार चौधरी ने हिन्दी के प्रयोग पर बल दिया और कहा कि हिन्दी हमारी अपनी भाषा है, कतिपय प्रशासनिक कठिनाइयों के बावजूद भी इसको प्रयोग में लाने में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कामकाज में प्रयोग में होने वाली हिन्दी सरल व सुबोध होनी चहिए परन्तु, इसके साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि हिन्दी का स्तर नीचे न गिरे। उनका कहना था कि अच्छी हिंन्दी के प्रयोग के लिए अच्छी पुस्तकों का पढ़ना बहुत जरूरी होता है। गोष्ठी का संचालन कनिष्ठ राजभाषा अधिकारी डा० बलवीर सिंह भटनागर ने किया तथा इकाई की राजभाषा कार्यान्वियन समिति के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह खमेसरा ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

गोष्ठी के उपरान्त एक कवि-सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें भाग लेने वाले कवि थे सर्वश्री रमानाथ अवस्थी (दिल्ली) अल्हड़ बीकानेरी (दिल्ली), श्याम ज्वालामुखी (भीलवाड़ा), सुश्री साधना खोटे (बम्बई), सुश्री संध्या शर्मा (उदयपुर), श्री गुलजार (भीलवाड़ा) आदि।

श्री रमानाथ अवस्थी एवं संध्या शर्मा के भावपूर्ण गीतों को सराहा गया। सुश्री साधना खोटे की गजलों ने अच्छा समा बांधा। हास्य कवि अल्हड़ बीकानेरी, श्याम ज्वालामुखी और गुलजार की कविताओं ने ऐसा रंग जमाया कि सभी हंसी के मारे लोट-पोट हो गए। काफी रात गए तक चले इस कवि सम्मेलन का लगभग 4,000 श्रोताओं ने आनंद उठाया। कवि-सम्मेलन का संचालन श्री स्वयं प्रकाश भटनागर ने किया। कार्यक्रम के अंत में इकाई की राजभाषा समिति के सचिव श्री एस० एस० जानी ने कविता में धन्यवाद ज्ञापन किया।

—पुरुषोत्तमछंगाणी
वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी

8. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, दिल्ली द्वारा प्रकाशित कोशों का विमोचन समारोह

भारतीय संविधान की धारा 351 का अनुपालन करते हुए हिन्दी की समृद्धि के लिए केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं के क्रमशः 26 और 24 द्विभाषी एवं त्रिभाषी कोश तैयार कर रहा है। इनमें से (1) हिन्दी-उर्दू (2) हिन्दी-मराठी और (3) हिन्दी-असमिया द्विभाषी और हिन्दी-गुजराती-अंग्रेजी त्रिभाषी (भाग 1 और 2) कोशों का विमोचन माननीय शिक्षा मंत्री श्री कृष्ण चन्द्र पंत ने 14-5-85 को राष्ट्रीय संग्रहालय सभागर, नई दिल्ली में किया। इन कोशों का विमोचन करते समय माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमारे देश में कोश बनाने की परम्परा बहुत पुरानी है किन्तु वर्तमान युग में द्विभाषी और त्रिभाषी कोशों के निर्माण का कुछ विशेष महत्व है क्योंकि इन कोशों के माध्यम से ही हम यह देख सकते हैं कि भारतीय भाषाएं एक दूसरे के कितनी निकट हैं।

श्री पंत ने केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के इस कार्य पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कोश निर्माण के कार्य में गति लाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे कोशों की मांग बढ़ रही है और लोग चाहते हैं कि इस तरह के ज्यादा कोश तैयार किए जाएं। उन्होंने कहा कि लिपि के प्रश्न को भी द्विभाषी कोशों से सुलझाया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इनकी मदद से विभिन्न भाषा-भाषियों के लिए हिन्दी पढ़ना सहज हो जाएगा और वे समझने लगेंगे कि हिन्दी उनकी भाषा के कितनी करीब है।

श्री पंत ने कहा कि देश की अभिव्यक्ति एवं एक-दूसरे को जोड़ने में राजभाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसके बिना किसी क्षेत्र में काम नहीं चल सकता। इसीलिए हिन्दी को भारत संघ की राजभाषा बनाया गया है। साथ ही वह हमारे देश की संपर्क भाषा भी है। हमें देश में हिन्दी का काम तेजी से आगे बढ़ाना है। हिन्दी की समृद्धि के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि सभी भारतीय भाषाओं से शब्दों को लेते हुए इसका विकास किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की यह नीति है कि धीरे-धीरे अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया जाए।

उन्होंने कहा कि आधुनिक विज्ञान और टैक्नोलोजी के विशेष क्षेत्रों जैसे इलैक्ट्रानिकी आदि में हमें अन्तर्राष्ट्रीय शब्दों को हिन्दी में उसी रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसा सोवियत संघ, जापान, चीन आदि सभी देशों ने भी किया है। इससे हमारी भाषा की शक्ति बढ़ेगी।

काशी नागरी प्रचारिणी के महामंत्री एवं राज्य सभा सदस्य श्री सुधाकर पाण्डेय ने समारोह में बोलते हुए कहा कि भारतीय भाषाओं की सम्पदा प्रायः एक है और यदि इन शब्दों को देवनागरी लिपि में उजागर करदिया जाए तो भाषा देश की एकता में दीवार बनने की बजाए सीढ़ी का काम करने लगेगी। श्री पाण्डेय ने कहा, कि इस प्रकार के कोशों का निर्माण कार्य हाथ में लेकर केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने महत्वपूर्ण एंव प्रशंसनीय कार्य किया है। उन्होंने आगे कहा कि केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने ये कोश केवल विद्वानों के लिए ही नहीं, बल्कि आम जनता के लिए बनाए हैं। यदि इन कोशों के माध्यम से यह बोध हो सके कि सारी भारतीय भाषाओं की शब्द-संपदा बहुत कुछ समान है, तो देश का बहुत भला होगा।

समारोह के दूसरे विशिष्ट वक्ता शिक्षा सचिव श्री किरीट जोशी ने अपने व्याख्यान में देश में कोशों के उद्गम और विकास पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय भाषाओं के द्विभाषी कोशों और अंग्रेजी सहित त्रिभाषा कोशों की इस देश में बहुत आवश्यकता है। वर्तमान शिक्षा नीति के अनुसार स्कूलों और कालेजों में मातृ भाषा और अंग्रेजी से इतर भारतीय भाषाएं पढ़ने-पढ़ाने की व्यवस्था ज्यों-ज्यों बढ़ रही है या जैसे-जैसे देश में पर्यटन और साहित्यिक आदान-प्रदान के फलस्वरूप एक राज्य के व्यक्ति दूसरे राज्य के व्यक्तियों के संपर्क में आ रहे हैं, वैसे-वैसे इस प्रकार के कोशों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसलिए इन उद्देश्यों और प्रयोजनों को लेकर जितने भी छोटे-बड़े कोश तैयार हो रहे हैं, उन सबका स्वागत किया जाना चाहिए। इस प्रकार के कोशों से जहां एक दूसरे की भाषा सीखने में सुविधा मिलेगी, वहां देश की एकता और अखण्डता में भी निरन्तर वृद्धि होगी।

श्री जोशी ने विमोचित होने वाले कोशों जैसे हिन्दु-गुजराती-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश, हिन्दी-उर्दू, हिन्दी-मराठी तथा हिन्दी-असमिया द्विभाषी कोशों की विशिष्टताओं का भी उल्लेख किया।

समारोह के अध्यक्ष एवं शिक्षा सचिव श्री आनंद स्वरूप ने कहा कि इस देश में संपर्क भाषा या एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा हिन्दी ही हो सकती है। अतः हमारे देश का संविधान बनाने वालों ने बहुत सोच विचार कर हिन्दी को संघ सरकार की राजभाषा एवं संपर्क भाषा बनाया है। हमें इसके प्रचार के लिए सभी प्रकार के प्रयास करने चाहिएं। उन्होंने हिन्दी के प्रचार-प्रसार एवं विकास के लिए काम कर रही विभिन्न संस्थाओं के कार्यों में समन्वय लाने पर बल दिया और कहा कि हिन्दी के विकास के लिए इन सभी को एक साथ बैठ कर समन्वित कार्यक्रम बनाना चाहिए।

विमोचन समारोह का शुभारंभ सरस्वती वंदना से हुआ। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के निदेशक श्री राजमणि तिवारी ने आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए निदेशालय के कार्यकलापों एवं विभिन्न कोशों के निर्माण की योजना का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं को निकट लाने में द्विभाषा एवं त्रिभाषा कोशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अन्य भारतीय भाषाओं की संपदा को हिन्दी में लाने के लिए भी इस तरह के कोशों का निर्माण आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय हिन्दी और भारतीय संविधान में उल्लिखित लगभग सभी भारतीय भाषाओं के द्विभाषी और त्रिभाषी कोश तैयार कर रहा है। इनके अतिरिक्त वह एक भारतीय भाषा कोश जिसमें लगभग 5,000 शब्दों के 13 भारतीय भाषाओं के पर्याय दिए गए हैं, प्रकाशित कर चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि हिन्दी-गुजराती और हिन्दी-सिंधी द्विभाषी कोश भी पिछले वर्ष प्रकाशित किए जा चुके हैं।

इस समारोह में हिन्दी के अनेक प्रतिष्ठित विद्वानों, वरिष्ट अधिकारियों शिक्षा शास्त्रियों आदि ने भाग लिया। अन्त में निदेशालय के प्रधान सम्पादक डा० नरेन्द्र व्यास ने सभी आगन्तुकों के प्रति आभार व्यक्त किया।

—ओ० पी० अग्रवाल
सहायक निदेशक (समन्वय)

9. हिन्दुस्तान दिल्ली पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० के क्षेत्रिय कार्यालय में परस्कार एवं प्रमाण-पत्र वितरण समारोह

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय में पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र वितरण समारोह का आयोजन 28 मार्च, 1985 को किया गया। इस समारोह में 22 दिसम्बर, 1984 को आयोजित हिन्दी टिप्पण और मसौदा लेखन प्रतियोगिता में विजयी कर्मचारियों को नकद पुरस्कार और गत वर्ष में प्रवोध व प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र श्री एच० आर० हान्डा, उप महा प्रबंधक (उत्तर) विपणन के कर कमलों द्वारा वितरित किए गए। समारोह की अध्यक्षता श्री रविन्दर धीर, मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक दिल्ली ने की।

इसी अवसर पर हिन्दी पुस्तकालय का उद्घाटन भी किया गया और हिन्दी के प्रभारी अधिकारी श्री बी० के० गुप्ता, उप प्रबंधक-प्रशासन ने पहली पुस्तक श्री रविन्दर धीर, मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक को देकर पुस्तक जारी करने का शुभारम्भ किया। समारोह का संचालन श्री राम सिंह, हिन्दी अधिकारी ने किया।

—राम सिंह
हिन्दी अधिकारी

10. दिल्ली, हिन्दी अकादमी द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन

"आज इस बात की आवश्यकता है समाज में भाईचारा और आपसी प्रेम बढ़े और हम सब मिलकर देश की उन्नति के लिए काम करें और एक-दूसरें को सहयोग दें। हिन्दी अकादमी भी अपने कार्यक्रमों में भाषा और साहित्य के जरिये ऐसा वातावरण बनाने की दिशा में कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। आज का कवि सम्मेलन, जैसा कि इसका नाम है—"एकता के स्वर", इसी दिशा में एक प्रयास है।" ये शब्द दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री मदनमोहन किशन वली ने हिन्दी अकादमी द्वारा "फिक्की सभागार" में आयोजित "एकता के स्वर" कवि-सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहें।

ये उल्लेखनीय है कि अकादमी के भाषा-भारती कार्यक्रम से जुड़े हुए कवि सम्मेलन का उद्देश्य समाज में भावनात्मक एकता को बढ़ाना और लोगों को राष्ट्र-प्रेम और देश-भक्ति के लिए प्रेरित करना है।

इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी पार्षद, श्री जगप्रवेश चन्द्र जी ने स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान कवियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

कार्यकारी पाषद, श्री कुलानन्द भारती ने प्राचीन काल से अब तक कवियों द्वारा जगाई गई सामाजिक चेतना का उल्लेख किया और आशा व्यक्त की कि आज के कवि सम्मेलन में भी वही संदेश जन-जन तक पहुंचेगा।

यह कवि-सम्मेलन हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि श्री गोपाल प्रसाद व्यास के सान्निध्य में हुआ, जिन्होंने अपने भाषा में इस आयोजन की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस प्रकार का आयोजन हिन्दी के अलावा अन्य भाषाओं से जुड़ी हुई संस्थाओं द्वारा भी किये जाने चाहिए, जिससे एकता का वातावरण बने।

हिन्दी अकादमी के सचिव, डा० नारायणदत्त पालीवाल ने अकादमी की भाषा-भारती योजना के लक्ष्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कवियों की वाणी समाज को सौहार्द के वातावरण में बांधने के लिए जादू का काम करती है। उन्होंने बताया कि भाषा-भारती कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्र-प्रेम तथा भावनात्मक एकता और पारस्परिक सद्भाव को प्रोत्साहन देने वाले कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित किये जाते रहेंगे।

दिल्ली, हिन्दी अकादमी द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन का एक दृश्य श्री भारत भूषण काव्यपाठ करते हुए।

कवि-सम्मेलन में देश के 15 सुप्रसिद्ध कवियों ने भाग लिया और अपनी सशक्त कविताओं के माध्यम से राष्ट्रीय एकता तथा देश प्रेम की भावनाओं को बड़े ही प्रभावशाली रूप में अभिव्यक्त किया। कवि सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख कवि थे—सर्वश्री रमानाथ अवस्थी, डा० कुअर बेचैन, कन्हैया लाल नंदन, डा० अखिलेश बेकल उत्साही, देवराज दिनेश, गोपालदास "नीरज", रमेश गौड, अशोक चक्रधर, आत्मप्रकाश शुक्ल, शशि तिवारी, ओम प्रकाश आदित्य तथा भारत भूषण ।

खचाखच भरे "फिक्की सभागार" के इस कवि-सम्मेलन में सभी श्रोता भाव-विभोर थे और सम्मेलन की समाप्ति के पश्चात् सभी की जुबान पर किसी-न-किसी की पंक्ति आ रही थी।

—डा० नारायणदत्त पालीवाल,
सचिव, हिन्दी अकादमी

11. दिल्ली, हिन्दी अकादमी द्वारा साहित्यिक कृतियों पर पुरस्कार

हमें साहित्यकारों का सम्मान करना चाहिए और अच्छी पुस्तकों के प्रचार और प्रसार के लिए कार्य करना चाहिए। साहित्यकार समाज को अच्छे रास्ते पर ले जाने में और देश को एकता के सूत्र में बाधने में सहायक होते हैं—"ये शब्द दिल्ली के उपराज्यपाल" श्री मदनमोहन किशन वली ने हिन्दी अकादमी द्वारा "कमानी सभागार" में आयोजित "साहित्यिक कृति पुरस्कार" समारोह में कहे। श्री वली ने 15 साहित्यकारों को उनकी उत्कृष्ट कृतियों के लिए नकद पुरस्कार और एक ट्राफी भेंट की। समारोह में दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद श्री जगप्रवेश चन्द्र ने हिन्दी अकादमी के कार्यों की सराहना करते हुए घोषणा की कि दिल्ली प्रशासन स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास की पुस्तकों पर लगभग 4 लाख रु० का पुरस्कार देगा। अध्यक्षीय भाषण में श्री कुलानन्द भारतीय, कार्यकारी पार्षद (शिक्षा) ने कहा कि "साहित्यकारों का सम्मान करके अकादमी स्वयं गौरवान्वित हुई है।

हिन्दी अकादमी के सचिव डा० नारायण दत्त पालीवाल ने सभी पुरस्कृत साहित्यकारों का अभिनन्दन करते हुए कहा कि "ये पुरस्कार साहित्यकारों की प्रतिभा की पहचान और उनकी हिन्दी-सेवा के सम्मान का प्रतीक है। समारोह में दिल्ली के प्रमुख साहित्यकार, पत्रकार, लेखक, विद्वान एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

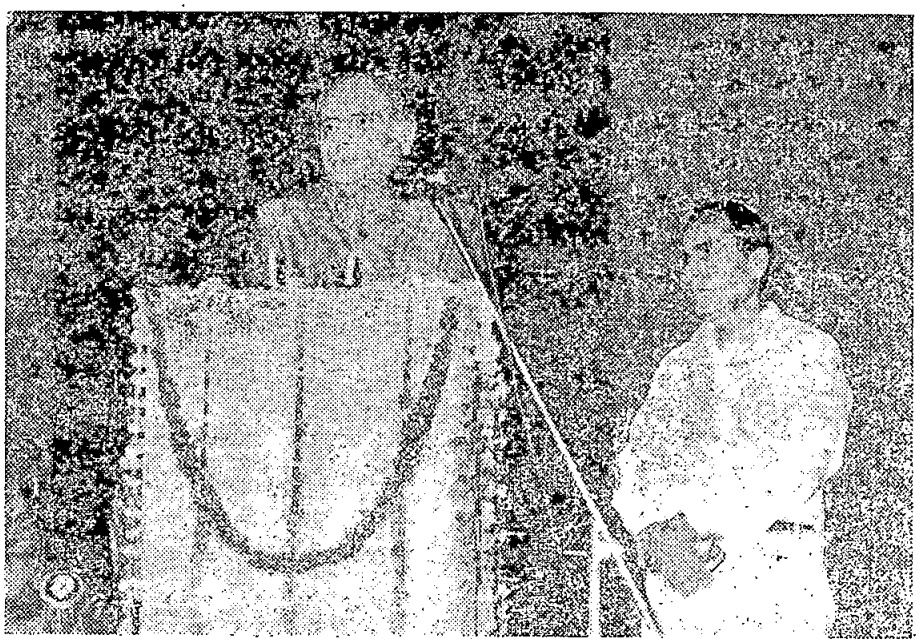

दिल्ली हिन्दी अकादमी द्वारा आयोजित साहित्यिक पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल श्री मदन मोहन किशन वली भाषण करते हुए ।

वर्ष 1982-83 के लिए श्री अमरनाथ शुक्ल के उपन्यास "अन्नदा" श्री महीप सिंह की "इक्यावन कहानियां," डा० कुसुम कुमार के नाटक" "दिल्ली ऊंची सुनती है," श्री सुदेश कान्त की कृति "अफसर गये बिदेस" तथा कैप्टन भगवान सिंह की कृति "उजाले अपनी यादों के" पर 5100–5100 रुपये के पुरस्कार दिये गए।

बाल-साहित्य के लिए विशेष पुरस्कार के रूप में श्री जयप्रकाश भारती की "बिजली रानी की कहानी" तथा श्री रमेश कौशिक की "सोन चिरैया" पर 1100–1100 रुपये क्रमशः का पुरस्कार भेंट किया गया।

वर्ष 1983-84 के लिए मंजुल भगत के उपन्यास "खातुल", दिविक रमेश के काव्य "खुली खांखों में आकाश", श्री राजीव सक्सैना की कृति "कविता-कवितान्तर", श्री जगदीश चन्द्र पाण्डय की कृति "अपना-अपना दुःख", श्री प्रदीप पन्त की "प्राईवेट सैक्टर का व्यंगकार" तथा श्री कमल नसीम की "ग्रीस पुराण कथा-कोश" पर 5100–5100 रुपये के पुरस्कार भेंट किये गए।

बाल-साहित्य 83-84 के लिए डा० हरिकृष्ण देवसरे को "दुनिया की खोज" तथा डा० शेरजंग गर्ग को "गुलाबों की बस्ती" के लिए 1100–1100 रुपये के विशेष पुरस्कार दिय गए।

—डा० नाराणदत्त पालीवाल सचिह,
हिन्दी अधिकारी

12. महासागर विकास विभाग, दिल्ली में पुरस्कार वितरण

महासागर विकास विभाग द्वारा सचिव महोदय की अध्यक्षता में 30 मई, 1985 को एक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया जिसमें उन कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किये गए जिन्होंने विभाग की "हिन्दी निबंध प्रतियोगिता" में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया था। इस समारोह में विभाग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। उपसचिव, कर्मचारी चयन आयोग एवं सूचना अधिकारी, महासागर विकास विभाग इस समारोह के अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस समारोह का एक उद्देश्य विभाग में राजभाषा की प्रगति का वातावरण बनाना और हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देना भी था।

हिन्दी अधिकारी ने सचिव महोदय, आमंत्रित अतिथियों एवं सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का स्वागत करते हुए वर्ष 1984-85 के दौरान विभाग द्वारा हिन्दी संबंधित कार्य में की गई प्रगति का विस्तारपूर्वक ब्यौरा दिया और कहा कि हमारे वैज्ञानिक विभाग में सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हो रहे हिन्दी से सम्बन्धित इस समारोह का अपना महत्व है। इससे हम सबको अपना कामकाज हिन्दी में ही करने की प्रेरणा मिलेगी।

संयुक्त सचिव महोदय ने अपने भाषण में हिन्दी कार्य में की जा रही प्रगति के बारे में संतोष प्रकट किया। संयुक्त सचिव महोदय विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि यदि उच्च अधिकारी अपना काम हिन्दी में करेंगे तो इससे अधीनस्थ कर्मचारी भी अपना काम हिन्दी में करने के लिए प्रेरित होंगे। उन्होंने सभी से इस कार्य में अपना सहयोग देने और हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने का अनुरोध किया। उन्होंने इस समारोह की उपयोगिता की सराहना की।

सचिव महोदय ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हमारे विभाग में हिन्दी में अच्छा काम हो रहा है। उन्होंने "महासागर भवन", "गवेषणी", "सागर कन्या", "सागर सम्पदा" आदि विभागीय हिन्दी शब्दों का उल्लेख करते हुए कहा कि ये शब्द देश की सभी भाषाओं में तथा विदेशी भाषाओं में भी इसी नाम से पुकारे जाते हैं। उन्होंने कहा कि वे स्वयं संयुक्त सचिव और संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य हैं और हम सभी के मन में हिन्दी के प्रति प्रेम है। उन्होंने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और यह इच्छा व्यक्त की कि शेष कर्मचारी भी भविष्य में प्रोत्साहन एवं अन्य योजनाओं में भाग लेकर पुरस्कार प्राप्त करेंगे और हिन्दी के काम को आगे बढ़ायेंगे।

इस समारोह का समापन करते हुए प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी (डा० आबिदी) जी ने सभी उपस्थितों को और विशेष रूप से उपसचिव, कर्मचारी चयन आयोग को सम्मेलन कक्ष उपलब्ध करने एवं सहयोग देने के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया और इस प्रकार इस समारोह का समापन हुआ।

संक्षेप में, सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करने, राजभाषा से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करने और वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एक मंच से एक साथ प्रेरित करने की दिशा में हिन्दी से सम्बन्धित यह समारोह सफल सिद्ध हुआ।

रमेश चन्द जोशी
हिन्दी अधिकारी

13. देहरादून महासर्वेक्षक कार्यालय, में वार्षिक हिन्दी समारोह।

महासर्वेक्षक कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग में दिनांक 25 मार्च, 1985 को वार्षिक हिन्दी समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि मेजर जनरल गिरीश चन्द्र अग्रवाल, भारत के महासर्वेक्षक थे।

समारोह का शुभारम्भ भारत के महासर्वेक्षक द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। इसके बाद सरस्वती वन्दना की गई। आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री वी० के० नागर, उप-निदेशक ने भारत के महासर्वेक्षक तथा अन्य अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से इस समारोह का आयोजन किया गया। उन्होंने कार्यालय में हिन्दी में हो रहे कामकाज की प्रगति से अवगत कराते हुए कहा कि हमारी यह कोशिश रही है कि राजभाषा संबंधी नियमों का पूर्णतः अनुपालन हो।

ले० कर्नल एस० के० शर्मा, उपनिदेशक ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हिन्दी को राजभाषा का सम्मान उसका देश में ज्यादा प्रसार और प्रचार के कारण मिला है। महासर्वेक्षक कार्यालय में हिन्दी में हो रहे सरकारी कामकाज की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि सभी वर्गों के सहयोग के कारण यह सम्भव हुआ है। उन्होंने महासर्वेक्षक महोदय का आभार प्रकट करते हुए कहा कि वह लगातार हिन्दी में काम करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं।

तत्पश्चात् महासर्वेक्षक कार्यालय के हिन्दी अधिकारी ने महासर्वेक्षक कार्यालय में हिन्दी के प्रयोग संबंधी वर्ष 1984 की प्रगति रिपोर्ट पढ़ी। उन्होंने वर्ष 1983 और 1984 में कार्यालय में हिन्दी के प्रयोग का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि वर्ष 1984 में "क" तथा "ख" क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों को क्रमशः 62 तथा 65 प्रतिशत पत्र हिन्दी में भेजे गए। महासर्वेक्षक कार्यालय राजभाषा, अधिनियम की धारा 3(3) का पूर्णतः अनुपालन हो रहा है। 576 सामान्य आदेश, 130 अधिसूचनाएं द्विभाषी जारी की गईं। अधिकांश फाइलों में नोटिंग हिन्दी में होने लगी है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक हर तिमाही में होती है। हिन्दी टंकण/हिन्दी आशुलिपि में अप्रशिक्षित कर्मचारियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए हिन्दी टाईपिंग, हिन्दी निबन्ध कविता, तकनीकी शब्दावली, टिप्पण और प्रारूपण आदि विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। समारोह में कर्मचारियों द्वारा कविता-पाठ तथा एकांकी का भी मंचन किया गया। इसके बाद विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार व प्रशस्तिपत्र वितरित किए गए। समारोह में कार्यालय के विभिन्न अनुभागों में हिन्दी में सर्वाधिक काम करने वाले व्यक्तियों को भी पुरस्कार दिए गए। इसके अतिरिक्त हिन्दी में सर्वोत्तम कार्य करने वाले अनुभाग को चल-वैजयन्ती प्रदान की गई। उन अनुभाग अधिकारियों को भी पुरस्कृत किया गया जिन्होंने अधीनस्थ कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। पुरस्कार वितरण समारोह भारत के महासर्वेक्षक मेजर जनरल गिरीश चन्द्र अग्रवाल के कर-कमल द्वारा सम्पन्न हुआ।

अपने अध्यक्षीय भाषण में भारत के महासर्वेक्षक मेजर जनरल गिरीश चन्द्र अग्रवाल ने समारोह में प्रस्तुत कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि सभी कार्यालयों को हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए वार्षिक हिन्दी समारोह, हिन्दी दिवस/हिन्दी सप्ताह आदि का आयोजना करना चाहिए। इससे नई भावना उत्पन्न होती है। ऐसे समारोह में आयोजित कार्यक्रमों का उद्देश्य मनोबल बढ़ाने वाला होना चाहिए। लक्ष्य तथा सार हमेशा अच्छा व शिक्षाप्रद होना चाहिए ताकि हम निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर होते रहें। महासर्वेक्षक महोदय ने कहा कि कार्यालयों में हिन्दी में काम बढ़ाने का एक सरल तरीका यह है कि कार्यालय की एक यूनिट/अनुभाग को पूर्ण रूप से हिन्दी में ही कार्य करने के लिए अधिसूचित किया जाए। महासर्वेक्षक कार्यालय में हो रहे सरकारी कामकाज की सराहना करते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि कार्यालय में पहले की अपेक्षा हिन्दी में काम बढ़ा है। वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि कुछ मदों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि शीघ्र ही शेष लक्ष्यों को भी पूरा कर लिया जाएगा। सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में भारत के महासर्वेक्षक ने कहा कि भाषा को क्लिष्ट बनाने के बजाए हमें सरल, सुबोध तथा आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि हर व्यक्ति को समझने में आसानी रहे।

अन्त में समारोह समिति के अध्यक्ष श्री वी० के० नागर, उपनिदेशक ने भारत के महासर्वेक्षक तथा अन्य अतिथियों को समारोह में सम्मिलित होने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि अपने अध्यक्षीय भाषण में भारत के महासर्वेक्षक ने जो दिशा-निर्देश दिये हैं उनका अनुपालन करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाएगा।

—लक्ष्मण सिंह गुसांमा
हिन्दी अधिकारी
भारत के महासर्वेक्षण का कार्यालय

14. एलिम्को कानपुर को राजभाषा शील्ड

कानपुर, 4 जून, 1985 भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) को वर्ष 1983-84 के दौरान हिन्दी में सर्वाधिक कार्य करने के लिए महिला एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रथम पुरस्कार के रूप में राजभाषा शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया।

निगम के हिन्दी-सह-जन-सम्पर्क अधिकारी श्री रमाकान्त शर्मा "उदभ्रांत" ने पिछले दिनों नई दिल्ली में महिला एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित एक संक्षिप्त किन्तु भव्य समारोह में मंत्रालय की सचिव एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी कु० रोमा मजुमदार से एलिम्को के लिए राजभाषा शील्ड ग्रहण की।

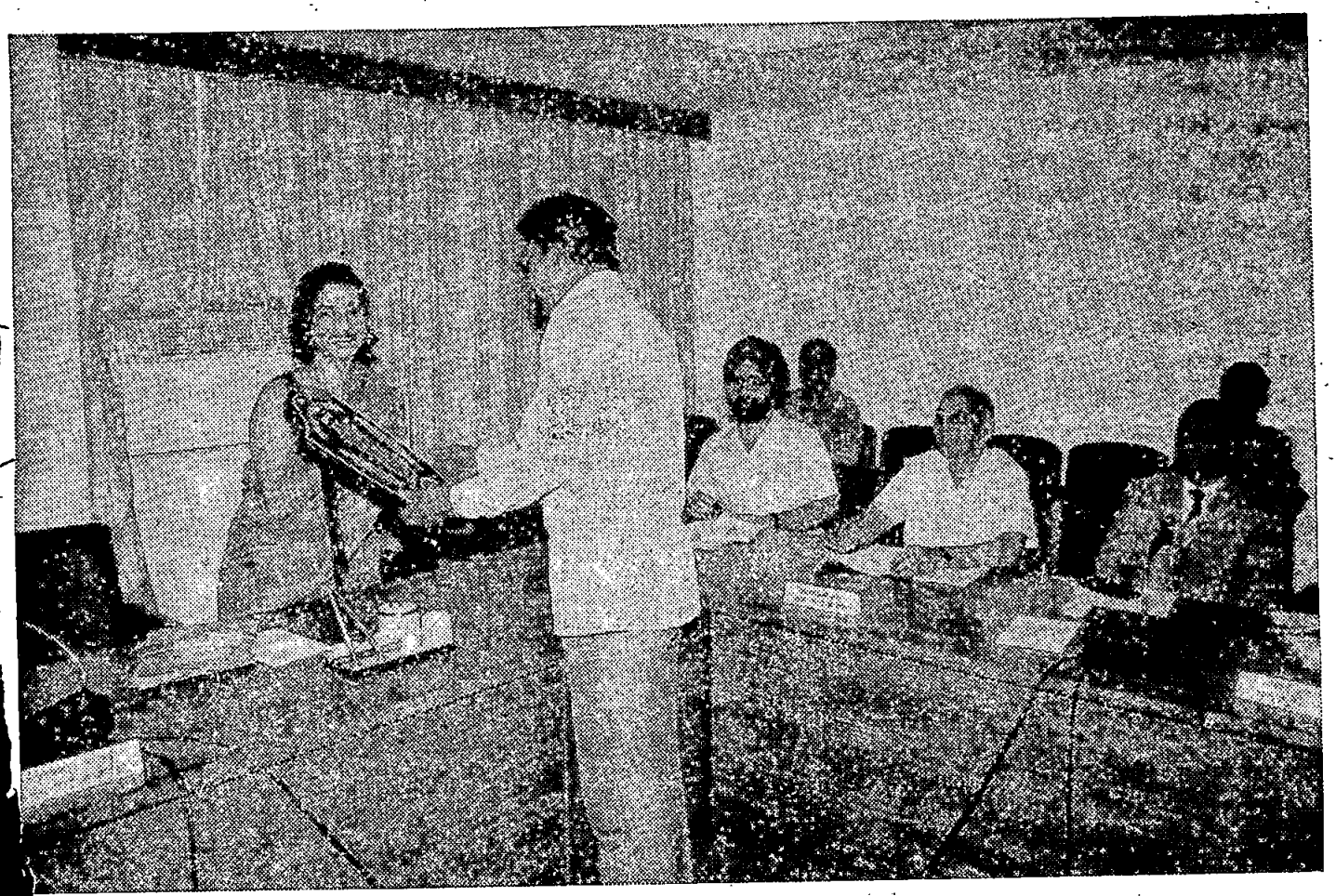

एलिम्को के हिन्दी-सह-जन-सम्पर्क अधिकारी श्री रमाकान्त शर्मा, समाज एवं महिला कल्याण मंत्रालय की सचिव कु० रोमा मजुमदार से राजभाषा शील्ड प्राप्त करते हुए

इस अवसर पर बोलते हुए सचिव महोदय ने कहा कि उन्हें इस बात की अत्यन्त प्रसन्नता हुई है कि देश के विकलांगों के कल्याण से जुड़े इस संस्थान ने राजभाषा पुरस्कार की इस योजना के प्रारम्भ होने के प्रथम वर्ष में ही राजभाषा शील्ड प्राप्त करने का गौरव हासिल किया है। अवर सचिव श्री मनमोहन साहनी ने यह आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी एलिम्को इसी प्रकार हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग में सफलता प्राप्त करेगा। अन्त में हिन्दी अधिकारी श्री उद्भ्रांत ने एलिम्को की ओर से आभार व्यक्त किया।

—जय नारायण श्रीवास्तव
प्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन)

15. लघु उद्योग संस्थान, इलाहाबाद में हिन्दी संगोष्ठी

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने संबंधी भारत सरकार की नीति के अंतर्गत, लघु उद्योग सेवा संस्थान, इलाहाबाद में 12-2-85 को एक-दिवसीय हिन्दी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का विषय "तकनीकी एवं सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देना" था। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि पद को सुप्रसिद्ध भाषा दार्शनिक डा० रघुवंश ने सुशोभित किया एवं सभा की अध्यक्षता आकाशवाणी केन्द्र, इलाहाबाद के निदेशक तथा सुप्रसिद्ध साहित्यकार डा० मधुकर गंगाधर ने की। भारत सरकार की हिन्दी संवर्द्धन नीति की जानकारी देने हेतु संगोष्ठी में श्री नाहर वर्मा, हिन्दी अधिकारी, विकास आयुक्त (ल० उ०) का कार्यालय वाराणसी, मेरठ, हल्द्वानी, आगरा, कानपुर एवं फिरोजाबाद के अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त इलाहाबाद स्थित अन्य केन्द्रीय कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने भी संगोष्ठी में उत्साहपूर्वक भाग लिया एवं अपने विचारों को मुक्त कंठ से व्यक्त किया।

संगोष्ठी का प्रारम्भ करते हुए अपने स्वागत भाषण में श्री ए० रंगाराव, निदेशक, लघु उद्योग सेवा संस्थान, इलाहाबाद ने सभी केन्द्रीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे अपने कामकाज में अधिकाधिक हिन्दी को अपनाएं, क्योंकि यह समय की आवश्यकता बन चुकी है। देश को एकता की कड़ी में पिरोने के लिए भी हिन्दी का प्रयोग अब अपरिहार्य बन चुका है। उन्होंने स्वयं का उदाहरण देते हुए कहा कि यद्यपि वे तेलुगु-भाषी हैं, तथापि उन्हें हिन्दी में कार्य करने में प्रसन्नता एवं संतोष का अनुभव होता है, क्योंकि यह कार्य देश के विकास में सहायक है।

अपने उद्घाटन भाषण में मुख्य अतिथि डा० रघुवंश ने कहा कि आज हिन्दी का प्रश्न राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा का न होकर राष्ट्रीय अस्तित्व की रक्षा एवं राष्ट्र की समग्र जनता के विकास का प्रश्न है। अंग्रेजी के माध्यम से मात्र पूंजीपतियों, विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों एवं प्रशासन पर अंकुश जमाए लोगों का हित साधन हो रहा है तथा सामान्य जनता तक ज्ञान विज्ञान नहीं पहुंच पा रहा है। उनकी सेवा का प्रयोग ही नहीं होने दिया जा रहा है। मौलिक चिन्तन के अभाव में अन्वेषणात्मक शक्ति कमजोर पड़ती जा रही है और हम विकास के पथ पर द्रुत गति से नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में चीन, जापान एवं यूरोपीय देशों का उदाहरण दिया और कहा कि उनके यहां विज्ञान एवं तकनीकी में प्रगति का मुख्य कारण शिक्षा एवं शोध का उनकी मातृभाषा में होना है। उन्होंने लघु उद्योग सेवा संस्थान, इलाहाबाद द्वारा हिन्दी संगोष्ठी आयोजित करने के प्रयास की भूरी-भूरी प्रशंसा की और अन्य केन्द्रीय कार्यालयों के विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया कि वे भी अपने कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग के संवर्द्धन हेतु समय-समय पर संगोष्ठियाँ एवं बैठकें आयोजित किया करें।

संगोष्ठी के अध्यक्ष डा० मधुकर गंगाधर, निदेशक आकाशवाणी एवं नगर प्रधान, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् ने कहा कि स्वतन्त्रता आन्दोलन में सामान्य एवं निर्धन जनता ने अपना सर्वाधिक योगदान दिया, लेकिन आज अंग्रेजी को आजीविका तथा शिक्षा का माध्यम बना कर उन्हीं को बेकार रहने के लिए विवश किया जा रहा है। आज हमारे सामने भावना का नहीं, अपितु कर्त्तव्य का प्रश्न है और यह कर्तव्य स्वतः अपने प्रति, भारत की समग्र जनता के प्रति तथा भावी पीढ़ी तथा उनकी भाषा के प्रति है। उनका सुझाव था कि जैसे कर्मचारी वर्ग अपने वेतन तथा अन्य सुविधाओं हेतु आन्दोलन करता है, उसी प्रकार उसे अपने एवं अपनी भावी पीढ़ी के भविष्य को सुधारने के लिए अंग्रेजी के विरुद्ध भी एकजुट हो जाना चाहिए, यदि ऐसा हुआ तो राजभाषा का कार्यालयों में क्रियान्वयन आसान एवं गतिशील हो जाएगा। उन्होंने महसूस किया कि यह कार्य यद्यपि कठिन है, परन्तु धीरे-धीरे यह एक सशक्त आन्दोलन का रूप लेकर राजभाषा की समस्या को ही न केवल हल करेगा, बल्कि देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। उन्होंने सरकार के बाहर हिन्दी के साहित्यकारों एवं समाज-सेवियों से भी इस दिशा में आगे बढ़ने का अनुरोध किया।

वक्ताओं का मत था कि हिन्दी के प्रयोग में गतिशीलता लाने के लिए कार्यालयों में अनुकूल वातावरण बनाने की आवश्यकता है। भाषा को सरल एवं ग्राह्य बनाने के लिए शासन द्वारा सतत प्रयास किया जाना चाहिए एवं इस दिशा में उत्साही कर्मियों को विशेष रूप से पुरस्कृत किया जाना चाहिए।

पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी ल० उ० से० सं०, इलाहाबाद द्वारा हिन्दी व्यवहार, हिन्दी निबन्ध और हिन्दी वाक् प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिनमें कार्यालय के सभी वर्गों के कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। 9 विजेता प्रतियोगियों को प्रमाण-पत्र व पुरस्कार सभा के अध्यक्ष डा० मधुकर गंगाधर द्वारा प्रदान किये गए।

—नाहर सिंह वर्मा
हिन्दी अधिकारी,
विकास आयुक्त लघु उद्योग

आदेश—अनुदेश

संख्या-1/20017/1/85-राभा (क-1)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

नई दिल्ली-3, दिनांक 27 जून, 1985

संकल्प

संख्या 1/20017/1/85-राभा(क-1)—भारत सरकार ने केन्द्रीय हिन्दी समिति का पुनर्गठन करने का निश्चय किया है।

इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1. प्रधानमंत्री	अध्यक्ष
2. गृह मंत्री	सदस्य
3. वित्त मंत्री	,,
4. शिक्षा मंत्री	,,
5. विधि मंत्री	,,
6. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश	,,
7. मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश	,,
8. मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र	,,
9. मुख्य मंत्री, गुजरात	,,
10. मुख्य मंत्री, उड़ीसा	,,
11. मुख्य मंत्री, कर्नाटक	,,
12. सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री	,,
13. संचार राज्य मंत्री	,,
14. विदेश राज्य मंत्री	,,
15. विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय और महासागर विकास विभाग/परमाणु ऊर्जा/ अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी में राज्य मंत्री	,,
16. पर्यटन और नागर विमानन राज्य मंत्री	,,
17. गृह राज्य मंत्री (एस०)	,,
18. गृह राज्य मंत्री (के०)	,,
19. श्री हरद्वारी लाल, संसद सदस्य	,,
20. श्रीमती बासव राजेश्वरी, संसद सदस्य	,,
21. डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी, संसद सदस्य	,,
22. श्री रामचन्द्र विकल, संसद सदस्य	,,
23. डा० रुद्रप्रताप सिंह, संसद सदस्य	,,
24. श्री श्रीकान्त वर्मा, संसद सदस्य	,,
25. श्री बी० वी० देसाई, संसद सदस्य	,,
26. श्री एम० के० वेलायुधन नायर	,,
27. श्री युगल किशोर चतुर्वेदी	सदस्य
28. श्री शंकर राव लोढ़े	,,
29. श्री बिनोद कुमार मिश्र	,,
30. श्री डी० पी० पटनायक	,,
31. श्री आर० पी० पाण्डे	,,
32. डा० सरीगु कृष्णामूर्ति	,,
33. प्रो० गोपीनाथ तिवारी	,,
34. श्री वे० राधाकृष्णमूर्ति	,,
35. श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह	,,
36. प्रो० सी० जी० राजगोपाल	,,
37. सचिव, राजभाषा विभाग एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार	सदस्य-सचिव

2. यह समिति हिन्दी के विकास और प्रसार के विषय में तथा सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे कार्यों तथा कार्यक्रमों का समन्वय करेगी।

3. अपने काम के निष्पादन में सहायता देने के लिए समिति को आवश्यकतानुसार उप-समितियां नियुक्त करने और अतिरिक्त सदस्य सहयोजित करने का अधिकार होगा।

4. समिति के कार्यकाल की अवधि उसके पुनर्गठन की तारीख से तीन वर्ष होगी।

5. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, राष्ट्रपति के सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ह०/-

—देवेन्द्र चरण मिश्र
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

परिचय संख्या 2/85

संख्या 1/14011/2/85-रा० भा० (क-1)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 22-4-85

विषय : दिल्ली के बाहर के केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में हिन्दी शिक्षण योजना के अधिकारियों को आमन्त्रित करना।

राजभाषा विभाग के 24-4-76 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/14011/4/76-रा० भा० (क-1) (प्रतिलिपि संलग्न) में यह अनुदेश जारी किये गए थे कि दिल्ली के बाहर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में हिन्दी शिक्षण योजना के वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित किया जाए। परन्तु यह देखने में आया है कि केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग, कार्यालय आदि हिन्दी शिक्षण योजना के अधिकारियों को उन समितियों की बैठकों में नियमित रूप से आमंत्रित नहीं करते।

2. यह पुनः स्पष्ट किया जाता हैं कि राजभाषा विभाग के अधीन हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा हिन्दी न जानने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों को हिन्दी पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना के अधिकारी केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति से अवगत होते हैं। वे अधिकारी राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में अपना योगदान दे सकते हैं। अतः दिल्ली के बाहर होने वाली केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में हिन्दी शिक्षण योजना के अधिकारियों को आमन्त्रित किया जाना चाहिए।

3. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि राजभाषा विभाग के उपर्युक्त अनुदेशों को दिल्ली से बाहर स्थित सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के ध्यान में आवश्यक कार्यवाई के लिए ला दें। इस संबंध में जारी किये गए अनुदेशों की एक प्रति इस विभाग को भी सूचनार्थ भेज दें।

ह०/-

गोविन्द दास बेलिया

उप-सचिव, भारत सरकार

85-एम०/पी० (दिन) 373 एम०आफ०एच०ए०-7,000-3-3-86-भा०स०मु०शि०

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के लिए श्री जयपालसिंह द्वारा लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली से प्रकाशित तथा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, शिमला द्वारा मुद्रित ।